सत्यमेव जयते

भारत
सरकार

युवा कार्यक्रम
एवं खेल मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

विषय सूचि

विषय सूचि

विषय सूचि

संगठन (I)-(V)

युवा कार्यक्रम विभाग

01	प्रस्तावना	2
02	राष्ट्रीय युवा नीति, 2014	3
03	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम	7
04	नेहरु युवा केंद्र संगठन	15
05	राष्ट्रीय युवा कोर	30
06	राष्ट्रीय सेवा योजना	31
07	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	41
08	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम	48
09	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	53
10	युवा छात्रावास	56
11	स्काउटिंग और गाइडिंग	58
आर.एफ.डी	रुपरेखा दस्तावेज 2014–2015	62-95

विषय सूचि

विषय सूचि

खेल विभाग

12	खेल	98
13	अंतर्राष्ट्रीय इवेंटों में भारतीय टीमों की प्रमुख खेल उपलब्धियां	100
14	भारतीय खेल प्राधिकरण	106
15	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	140
16	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)	145
17	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस)	155
18	खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन से संबंधित स्कीम	157
19	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन से संबंधित स्कीमें	159
20	प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से संबंधित स्कीम	165
21	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा)	166
22	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	174
23	भारतीय राष्ट्रीय खेल–मैदान संघ	183
24	खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का अंतरराष्ट्रीय आदान–प्रदान	185
25	2014–15 के दौरान खेल विभाग की उपलब्धियां और पहल– एक नजर में	187

आर.एफ.डी रुपरेखा दस्तावेज 2014–2015 **200-236**

विषय सूचि

विषय सूचि

विषय सूचि

अनुबंध

1	संगठनात्मक चार्ट	**238-239**
2	वित्तीय परिव्यय	**240-242**
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बकाया पैरा और उनकी वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण	**243**
4	विभाग के सीधे नियंत्रण में युवा छात्रावासों की सूची	**244-245**
5	एनवाईकेएस/एसएआई/राज्य सरकारों को स्थानांतरित युवा छात्रावासों की सूची	**246**
6	2014–15 के दौरान नियुक्त विदेशी कोचों का विवरण	**247-249**
7	पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी अनुदान का विवरण	**250-253**
8	खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण	**254-268**
9	राष्ट्रीय खेल विकास निधि को अंशदान	**269-272**

lxBu

सचिवालय

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने वर्ष के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के समग्र दिशा–निर्देशों के तहत कार्य किया है। अप्रैल, 2008 में मंत्रालय के तहत दो पृथक विभाग नामतः युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग सृजित किए गए थे, इनमें से प्रत्येक विभाग भारत सरकार के एक सचिव के प्रभार के अंतर्गत कार्य करता है।

31.12.2014 के अनुसार मंत्रालय में तीन संयुक्त सचिव है। एक संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम विभाग का कार्य देखता है और दो संयुक्त सचिव खेल विभाग का कार्य देखते हैं। लेखा एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामले संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रभार के अंतर्गत हैं जो अन्य मंत्रालयों में अपने कर्तव्यों के अलावा इस मंत्रालय का कार्य देखती हैं।

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की संस्वीकृत संख्या 224 थी जिसमें 31 समूह 'क' पद, 97 समूह 'ख' पद (33 राजपत्रित और 64 अराजपत्रित), 96 समूह 'ग' पद हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध–1 में दिया गया है।

मंत्रालय के कार्य

भारत सरकार (कार्यों का आबंटन) नियमावली, 1961 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दोनों विभागों अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं :–

क. युवा कार्यक्रम विभाग

1. युवा कार्यक्रम/युवा नीति
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
4. राष्ट्रीय सेवा योजना
5. स्वयंसेवी युवा संगठन, उनको वित्तीय सहायता सहित (युवा एवं किशोर विकास के लिए युवा संगठनों को वित्तीय सहायता)
6. राष्ट्रीय युवा कोर
7. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक
8. युवा कल्याण कार्य–कलाप, युवा महोत्सव इत्यादि (राष्ट्रीय युवा महोत्सव)
9. बाल स्काउट्स तथा बालिका गाइड
10. युवा छात्रावास
11. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (राष्ट्रीय युवा पुरस्कार और तेनजिंन नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार)
12. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शेष कार्य
13. विदेशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान

ख. खेल विभाग

1. खेल नीति
2. खेल–कूद
3. राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष
4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
5. भारतीय खेल प्राधिकरण
6. भारतीय ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों से जुड़े मामले
7. विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी
8. अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
9. खेल छात्रवृत्तियां
10. विदेशों के साथ खिलाड़ियो, विशेषज्ञों तथा टीमों का आदान–प्रदान
11. खेल अवसंरचना के सृजन व विकास के लिए सहायता सहित खेल अवसंरचना
12. कोचिंग, टूर्नामेंटों, उपकरण इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता
13. संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़े खेल मामले
14. शारीरिक शिक्षा

उपर्युक्त निर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए मंत्रालय द्वारा गठित सभी संबद्ध अथवा अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकाय।

v/khuLFk dk;ky;@Lok;Rr’kklh lxBu

;ok dk;de foHkkx

इस विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और दो स्वायत्तशासी संगठन अर्थात नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), नई दिल्ली और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु है, जिसे (2012 में अब संसद के अधिनियम द्वारा ''राष्ट्रीय महत्व के संस्थान'' के रूप में घोषित किया गया है।)

[ky foHkkx

निम्नलिखित स्वायत्तशासी संगठन, खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं :–

(i) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई),

(ii) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), ग्वालियर, मध्य प्रदेश

(iii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा)।

(iv) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल)।

vu lfpr tkfr@vu lfpr tutkfr rFkk vU; fiNMk ox dk ifrfuf/kRo

मंत्रालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 51 कार्मिक हैं। समूह ''क'' के पदों में 1 अधिकारी अनुसूचित जाति तथा 2 अधिकारी अनुसूचित जनजाति से हैं। समूह ''ख'' के पदों में 10 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से, 04 अधिकारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी से और 05 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। समूह ''ग'' के पदों में 11 पदाधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी से और 4 पदाधिकारी अनुसूचित जन जाति श्रेणी और 14 पदाधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

ctV vkcVu

वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय का कुल बजट आबंटन 1769 करोड़ रूपए (बजट प्राक्कलन) था। इसमें योजनागत शीर्ष में 1643 करोड़ रूपए तथा योजनेत्तर शीर्ष में 126 करोड़ रूपए शामिल हैं। 2014–15 के लिए संशोधित प्राक्कलन 1156.61 करोड़ रूपए है जिसमें योजनागत शीर्ष में 1008. करोड़ रूपए तथा योजनेत्तर शीर्ष में 148.61 करोड़ रूपए हैं। इसमें कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के लिए योजनेतर षीर्श में 15.16 करोड़ रुपए शामिल हैं। वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 1541.13 करोड़ रूपए (बजट प्राक्कलन) है जिसमें योजनागत के लिए 1389.48 करोड़ रूपए तथा योजनेत्तर के लिए 151.65 करोड़ रूपए हैं। ब्यौरा अनुबंध–II में दिया गया है।

fgUnh dk ixkeh i;kx

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि करने के लिए और संघ में राजभाषा नीति तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन करने के लिए उप–निदेशक (रा.भा.) का एक पद, सहायक निदेशक (रा.भा.) का एक पद, वरिष्ठ अनुवादक के दो पद, कनिष्ठ अनुवादक के दो पद और अन्य सहायक कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या के साथ एक हिन्दी अनुभाग है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान 14–28 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान 7 हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और 42 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए। माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से कर्मचारियों में हिन्दी में अधिकतम सरकारी कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक हिन्दी संदेश परिचालित किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों का निरीक्षण करती है। मंत्रालय नियमित आधार पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

मंत्रालय की अपनी स्वयं की वेबसाइट है जिसे हिन्दी तथा अंग्रेजी द्विभाषी रूप में बनाया गया है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

lrdrk idk’B

मंत्रालय में अवधि (अप्रैल–दिसंबर, 2014) के दौरान संयुक्त सचिव (प्रशासन) और संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), के अधीन एक सतर्कता तंत्र ने कार्य किया। मंत्रालय के प्रत्येक स्वायत्तशासी संगठन तथा अधीनस्थ कार्यालय का अपना एक स्वतंत्र सतर्कता एकक है जो सतर्कता संबंधी मामलों को देखता है।

मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अधीनस्थ तथा स्वायतशासी संगठनों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है और इन संगठनों से संबंधित सतर्कता के मामले सीवीओ, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सिफारिश के साथ सीवीसी को भेजे जाते हैं। सीवीओ इन सभी मामलों में संबद्ध संगठन के परामर्श से आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मंत्रालय के तहत संबद्ध संगठनों के पुराने सतर्कता मामलों की समीक्षा हेतु सीवीसी द्वारा आयोजित बैठकों में मंत्रालय के सीवीओ द्वारा भाग लिया जाता है तथा मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाता है।

आयोग पारदर्षिता पर जोर देने, सार्वजनिक प्रापण में जबावदेही हेतु जागरूकता फैलाने के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सार्वजनिक संगठनों से भी सतर्कता के प्रयासों में सकारात्मक योगदान प्रदान करने की आशा करता है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में 27 अक्तूबर, 2014 से 1 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक शपथ ली गई। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता के संबंध में बैनर और पोस्टर प्रदर्षित किए गए। (i) भ्रष्टाचार का सामना करने के साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी, (ii) भ्रष्टाचार को उजागर करने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रभाविता, और (iii) भ्रष्टाचार के कारण और प्रभाव नामक विषयों पर क्रमशः राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंत में प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। युवा कार्यक्रम विभाग के लिए एक भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्य योजना तैयार की गई है और क्रियान्वयन के लिए इसे सभी अनुभाग को परिचालित किया गया है।

efgyk depkfj;k dk ;ku mRihMu lc/kh f’kdk;r lfefr

विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में मंत्रालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में एक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को वर्ष 2014–15 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

lpuk dk vf/kdkj vkj tu f’kdk;r idk’B

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी आवेदनों को इस मंत्रालय के सूचना अधिकार प्रकोष्ठ में केन्द्रीय रूप से प्राप्त किया जाता है जिसके प्रभारी एक अनुभाग अधिकारी हैं और इसका समन्वय अवर सचिव द्वारा किया जाता है। आवेदन, निर्धारित समय के भीतर याचिकाकर्ता को उचित उत्तर भेजने के लिए संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित किए जाते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा 323 आरटीआई आवेदन प्राप्त और निपटाए गए। इसी प्रकार मंत्रालय में 29 अपीलें प्राप्त हुई और तदनुसार निपटाई गई। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में मंत्रालय ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों को नियुक्त किया है। ब्यौरों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाला गया

है। इसी प्रकार, सभी जन शिकायतें केन्द्रीय रूप से जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त की जाती हैं। निदेशक (प्रशासन) को मंत्रालय में जन शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

mi;ksfxrk izek.k&i=

बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के संबंध में, वेतन एवं लेखा अधिकारी (खेल) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 38401.45 लाख रुपए के कुल अनुदान को शामिल करते हुए 1065 के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बाकी है। प्रभाग–वार विवरण निम्नानुसार हैः–

Ø-l-	çHkkx	cdk;k mi;ksfxrk çek.k&i=ksa dh dqy l[;k ¼31-01-2015 dks vuqlkj½	tkjh dqy vuqnku ¼yk[k esa½
1.	अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग	66	25995.86
2.	युवा कार्यक्रम	778	6121.97
3.	खेल	221	6283.62
कुल		1065	38401-45

yafcr ys[kk ijh{kk iSjk

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बकाया लेखापरीक्षा पैरा/टिप्पणियों का विवरण अनुबंध–III में दिया गया है।

lh,th,th dh ys[kkijh{kk iSjk@ fVIif.k;ka

नियंत्रक एवं महालेखाकार की हाल की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई महत्वपूर्ण संपरीक्षित टिप्पणियों का सार निम्नलिखित हैः–

1. संघ सरकार (सिविल) संपरीक्षित टिप्पणियों का अनुपालनए 2013 का 2
2013 की रिपोर्ट संख्या 19

संघ सरकार (सिविल)

संपरीक्षित टिप्पणियों का अनुपालन

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अनुदानों की प्रभावहीन निगरानी

मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के संबंध में जारी अनुदानों की प्रभावी निगरानी नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 191.22 करोड़ रूपए की राशि भाखेप्रा के पास 17 से 26 महीने तक पड़ी रही । इससे अनुदानों के उपयोग के संचालन हेतु अनुमोदन के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने भाखेप्रा को आगे अनुदान जारी करने से पहले अप्रयुक्त अनुदान पर 22.12 करोड़ रूपए के ब्याज पर ध्यान नहीं दिया ।

;|ok dk;Øe

foHkkx

çLrkouk

युवा जनसंख्या के सर्वाधिक उत्साही और गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत विश्व के सबसे युवा राष्ट्रों में एक है जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत 35 वर्ष की आयु से नीचे है। 15–29 वर्ष के आयु समूह में युवा कुल जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत है। भारत के 2025 तक संयुक्त राज्य, चीन और जापान के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है जो कि विश्व जीडीपी में लगभग 5.5%–6% का योगदान है। जबकि वे अधिकांश विकसित देश प्रौढ़ होते हुए कार्यबल के जोखिम का सामना कर रहे हैं, भारत को एक अत्यधिक अनुकूल जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त होने की संभावना है। यह अनुमान है कि वर्ष 2020 तक यू.एस. के लिए 38 वर्ष, चीन के लिए 42 वर्ष तथा जापान के लिए 48 वर्ष की तुलना में भारत की जनसंख्या की मध्यम आयु केवल 28 वर्ष होगी। यह "जनसांख्यिकी लाभ" एक महान अवसर प्रदान करता है।

तथापि, इस जनसांख्यिकी लाभ को लेने के लिए यह अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था में श्रम बल में वृद्धि का समर्थन करने में सक्षम हो और युवाओं के पास अर्थव्यवस्था में प्रभावोत्पादकपूर्ण रूप से योगदान देने के लिए समुचित शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जागरूकता और अन्य सक्षमता कारक हो।

वर्तमान में भारत सरकार युवा विकास कार्यक्रमों पर प्रति वर्ष 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करती है अर्थात् प्रति युवा व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 2710 रुपए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें और कई अन्य हितधारक भी युवा विकास में सहायता करने के लिए और युवाओं की प्रभावोत्पादकता सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही हैं। तथापि, युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने हेतु अधिक संकेन्द्रित एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

jk"Vªh; ;qok uhfr] 2014

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (एनवाईपी–2014) भारत के युवाओं के समग्र विकास के लिए पूरे राष्ट्र की वचनबद्धता को दोहराती है ताकि वे अपनी पूरी संभाव्य क्षमता प्राप्त कर सके और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावोत्पादक रूप से योगदान दे सकें।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 (एनवाईपी–2014) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 को प्रतिस्थापित करते हुए फरवरी, 2014 में आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 को सभी पणधारियों के साथ गहन परामर्शों के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया है। यह नीति "युवा" को 15–29 वर्ष के आयु समूह में व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करती है।

–f"Vdks.k] mís'; vkSj ojh;rk {ks=

राष्ट्रीय युवा नीति–2014 भारत के युवाओं के लिए एक समग्र "दृष्टिकोण" का प्रस्ताव करती है जो "देश के युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाना तथा उनके माध्यम से भारत को राष्ट्रों के समुदाय में अपना सही स्थान पाने के लिए समर्थ बनाना है।"

इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एनवाईपी–2014 स्पष्ट रूप से परिभाषित 5 'उद्देश्यों', प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत 'वरीयता क्षेत्र' की पहचान करता है। एनवाईपी–2014 के अंतर्गत अभिज्ञात उद्देश्य और वरीयता क्षेत्र निम्नानुसार हैः

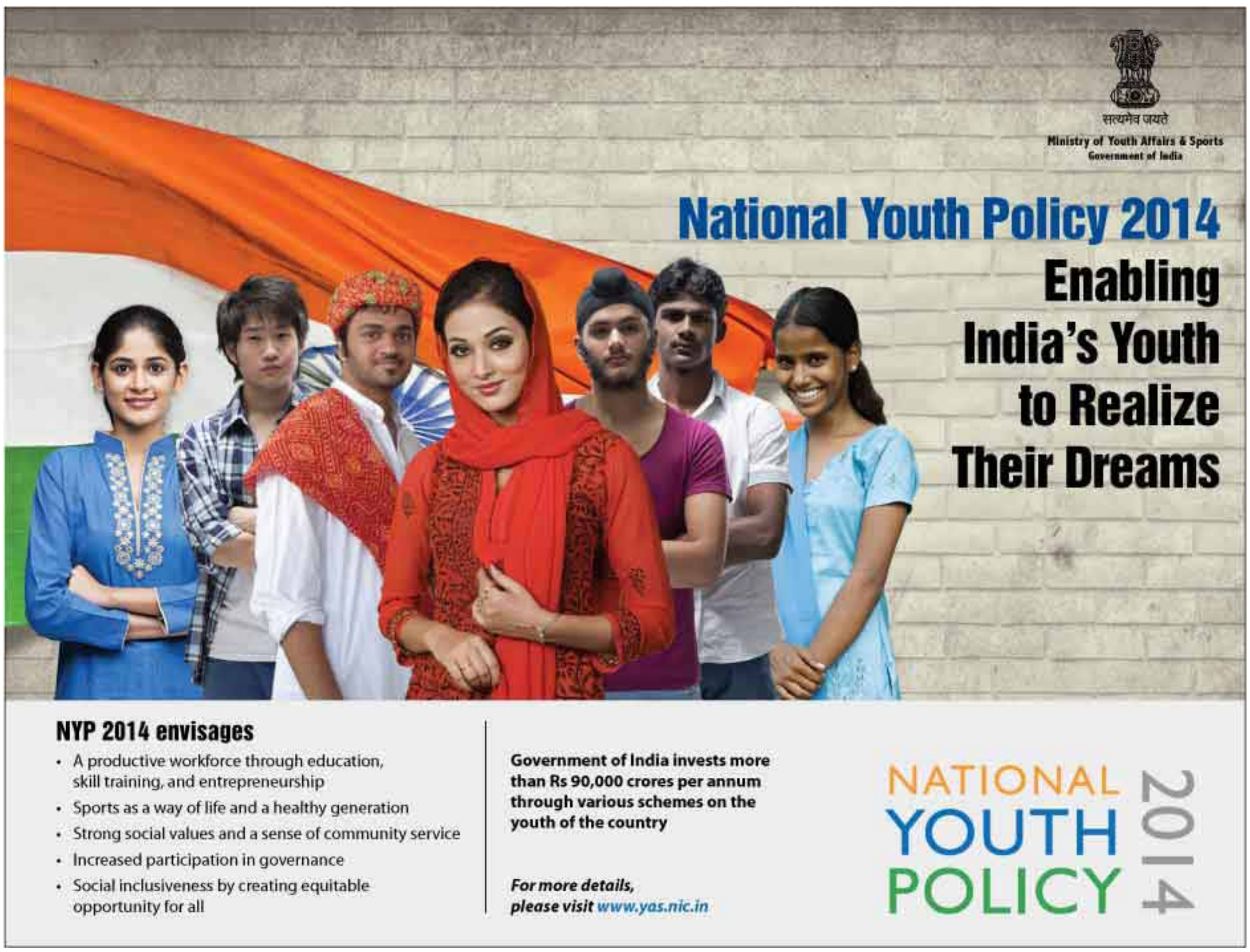

mís';	ojh;rk {ks=
1. ऐसा प्रभावोत्पादक कार्यबल तैयार करना जो भारत के आर्थिक विकास में सतत रूप से योगदान दे सकता है	1. शिक्षा
	2. रोजगार और कौशल विकास
	3. उद्यमशीलता
2. भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना	4. स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली
	5. खेल
3. राष्ट्रीय स्वामित्व का निर्माण करने के लिए सामाजिक मूल्यों को समाविष्ट करना तथा समुदाय सेवा का संवर्धन करना	6. सामाजिक मूल्यों का संवर्धन
	7. समुदाय सहभागिता
4. अभिशासन के स्तरों पर भागीदारी तथा नागरिक सहयोग को सुकर बनाना	8. राजनीति और अभिशासन में भागीदारी
	9. युवा भागीदारी
5. जोखिम में युवाओं की सहायता करना तथा सभी लाभ वंचित और वंचित युवाओं के लिए समान अवसर पैदा करना	10. समावेशन
	11. सामाजिक न्याय

jk"Vh; ;|ok uhfr&2014 d| v|rx|r flQkfj'k fd, x, uhfrxr mik;

राष्ट्रीय युवा नीति–2014 सभी 11 अभिज्ञात वरीयता क्षेत्रों के तहत नीतिगत उपायों की सिफारिश करता है। यह वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताओं के सुविचारित विश्लेषण पर आधारित है। संक्षिप्त रूप में इन्हें नीचे दिया गया है:

Ø-l-	ojh;rk {k=	l|>k, x, mik;
1.	शिक्षा	▪ तंत्र की क्षमता और गुणवत्ता का निर्माण ▪ कौशल विकास और जीवन पर्यन्त अधिगम का संवर्धन
2.	रोजगार और कौशल विकास	▪ लक्षित युवा आउटरिच और जागरूकता ▪ तंत्र और पणधारियों के बीच संपर्क बनाना ▪ सरकार बनाम अन्य हितधारकों की भूमिका परिभाषित करना
3.	उद्यमिता	▪ लक्षित युवा आउटरिच कार्यक्रम ▪ क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी कार्यक्रमों में वृद्धि करना ▪ युवा उद्यमियों के लिए अनुकूल कार्यक्रम तैयार करना ▪ वृहत मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली क्रियान्वित करना
4.	स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली	▪ सेवा प्रदान करने में सुधार करना ▪ स्वास्थ्य, पोषण और उपचारात्मक देखभाल के प्रति जागरूकता ▪ युवाओं के लिए लक्षित रोग नियंत्रक कार्यक्रम
5.	खेल	▪ खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण तक अधिक पहुंच ▪ युवाओं में खेल संस्कृति का संवर्धन ▪ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सहायता और विकास
6.	सामाजिक मूल्यों का संवर्धन	▪ मूल्य शिक्षा प्रणाली को औपचारिक बनाना ▪ युवाओं के लिए भागीदारी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना ▪ मूल्यों और सद्भावना के प्रसार के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और लाभ संगठनों को सहायता प्रदान करना
7.	समुदाय भागीदारी	▪ मौजूदा समुदाय विकास संगठनों का प्रसार करना ▪ सामाजिक उद्यमशीलता का संवर्धन करना
8.	नीति और अभिशासन में भागीदारी	▪ राजनीतिक तंत्र से बाहर युवाओं की भागीदारी ▪ ऐसा अभिशासन तंत्र तैयार करना जिसका युवा प्रसार कर सके ▪ शहरी अभिशासन में युवा भागीदारी का संवर्धन करना
9.	युवा भागीदारी	▪ युवा विकास योजनाओं की प्रभाविता के उपाय और निगरानी ▪ युवाओं के साथ भागीदारी के लिए मंच तैयार करना
10.	समावेशन	▪ लाभ वंचित युवाओं के लिए भागीदारी और क्षमता निर्माण ▪ संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना ▪ विकलांग युवाओं को सहायता के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करना ▪ युवाओं को जोखिम से बचाने के लिए जागरूकता एवं अवसर प्रदान करना
11.	सामाजिक न्याय	▪ अनुचित सामाजिक पद्धतियों को दूर करने के लिए युवाओं को समर्थ बनाना ▪ सभी स्तरों पर न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करना

vxzxkeh flQkfj'ksa

राष्ट्रीय युवा नीति–2014 में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई हैं। संक्षिप्त रूप में ये निम्न हैः

क) भारत सरकार को जनसांख्यिकी अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए युवाओं में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता हैः युवाओं पर खर्च/निवेश का वर्तमान स्तर अपर्याप्त है और इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

ख) विकास प्रक्रिया में युवा संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लानाः इसे विभिन्न प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकता है (i) आरएफडी (परिणाम–रुपरेखा दस्तावेज) में युवा विकास, (ii) 'युवा संपर्क' कार्यक्रम तैयार करने वाले मुख्य मंत्रालय

ग) सभी हितधारकों की भूमिका की विवेचना और परिभाषित करनाः यह भूमिका कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी एक 'कर्ता' या कार्रवाई करने के लिए सहायक परिवेश तैयार करने वाले 'इनेब्लर' की हो सकती है। युवा कार्यक्रम विभाग को इनेब्लर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

घ) प्रभावी युवा सहभागिता और भागीदारी के लिए विभिन्न माध्यमों को समर्थ बनानाः इसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं परंतु इसे अनिवार्य रूप से (i) युवाओं को सहभागिता के लिए आईसीटी का उपयोग, और (ii) वर्तमान संगठनों के माध्यम से युवा विकास को बढ़ावा देना शामिल होगा।

fØ;kUo;u] e,uhVfjax vkSj leh{kk

क्रियान्वयनः राष्ट्रीय युवा नीति–2014 के अंतर्गत सिफारिश किए गए नीतिगत उपाय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जाने अपेक्षित है। तदनुसार, नीति के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना (पीओए) तैयार करने और तदनुसार आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एनवाईपी–2014 में यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों के युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं और सरोकारों की देखभाल के लिए राज्य युवा नीतियां भी तैयार करनी चाहिए।

निगरानी और समीक्षाः राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में नीति की सफलता के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट अग्रणी (अल्पकालिक) और पिछला (दीर्घकालिक) निष्पादन संकेतकों का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 मे यह उल्लिखित है कि इस नीति की प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी और यह सुझाव दिया गया है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रत्येक दो वर्ष बाद 'युवा रिपोर्ट की स्थिति' को प्रकाषित करेगा। इन सभी उपायों से इस नीति की प्रभावनीयता और इसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने तथा समय–समय पर आवश्यक सुधार में सहायता मिलेगी।

jk"Vªh; ;qok usrk dk;Øe

i"BHkwfe

2014–15 की बजट घोषणा के अनुसरण में युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना नामतः 'राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)' आरंभ की गई है ताकि उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए अपनी पूर्ण संभाव्य क्षमता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। 12वीं योजनावधि के दौरान इस योजना का कुल परिव्यय 274.61 करोड़ रुपए है। इस योजना को आरंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यह योजना दिसंबर, 2014 में आरंभ की गई है। इस नई योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

dk;Øe dk mís';

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी) का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए अपनी पूर्ण क्षमता का प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। इस कार्यक्रम लक्ष्य युवाओं को उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया के अग्रणी स्तर पर लाना है। इसमें राष्ट्र निर्माण के लिए असीम युवा ऊर्जा का दोहन करने की अपेक्षा की गई है।

dk;Øe d ykHkkFkh

इस कार्यक्रम के लाभार्थी राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 'युवा' की परिभाषा के अनुसरण में 15–29 वर्ष आयु समूह में युवा होंगे।

dk;Øe d ?kVd

राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम का एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक होंगे:

1. नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट (एनवाईपी)
2. विकास कार्यक्रम के लिए युवा (वाईएफडीपी)
3. राष्ट्रीय युवा नेता पुरस्कार (एनवाईएलए)
4. राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद् (एनवाईएसी)
5. राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ)

उपरोक्त प्रत्येक घटक के संबंध में उद्देश्य और कार्य क्षेत्र, क्रियान्वयन नीति तथा वित्तीय मानदंड निम्नानुसार है:

1. ucjgM ;Fk ikfyl;keV

- उद्देश्य: इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनवाईकेएस के युवा क्लबों के मंचों का युवा क्लब सदस्यों को सामान्य रूप से ग्रामीण समुदाय से संबंधित सामाजिक–आर्थिक विकास के मुद्दों और विशेषकर युवाओं को शिक्षित करने तथा उन्हें ऐसे मुद्दों पर वाद–विवाद/विचार–विमर्श में सहभागी बनाने के लिए कार्यशील "पड़ोसी युवा संसद" के आकार में और अधिक विकसित किया जाएगा।

- "नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट" में लिए जाने वाले विषय: "नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट" स्थानीय समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे को उठा सकती है। कुछ उदाहरण है: शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, महिला भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, मादक द्रव्यों का इस्तेमाल और शराब इत्यादि जैसे सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण,

महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक विकास मुद्दे, कौशल विकास और उद्यमशीलता, स्वयंसेविता, नागरिक शिक्षा इत्यादि।

- क्रियान्वयन नीतिः "युवा क्लबों" को गतिमान "पड़ोसी युवा संसद" के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने हेतु युवा क्लब नेताओं का क्षमता निर्माण सतत आधार पर आवश्यक होगा। यह "ब्लॉक युवा संसद" की प्रकृति का होगा। इस संदर्भ में प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक ब्लॉक में एक "ब्लॉक युवा संसद" का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक "ब्लॉक युवा संसद" कार्यक्रम में ऊपर सूचीबद्ध कुछ मुद्दे विचार–विमर्श/वाद–विवाद के लिए उठाए जाएंगे। "ब्लॉक युवा संसद" ब्लॉक से युवा नेताओं की भागीदारी के साथ आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। प्रत्येक युवा क्लब (युवा क्लब का अध्यक्ष और सचिव अथवा क्लब द्वारा निर्णित कोई अन्य प्रतिनिधि) के दो प्रतिनिधि ब्लॉक युवा संसद में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि प्रातः सत्र में प्रबुद्ध वक्ता चुनिन्दा मुद्दों पर वार्ता प्रदान करेंगे और दोपहर के सत्र में भागीदार इन मुद्दों पर विचार रखेंगे। सत्र के अंत में विचार–विमर्शों और सिफारिशों के कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे। ये सिफारिशें संबद्ध राज्य विभागों तथा चुने गए स्थानीय निकायों को उनके विचारार्थ भेजा जाएगा। विभिन्न क्लबों से युवा नेता अपने संगत क्षेत्रों में वापसी के पश्चात अपने क्लब सदस्यों को शामिल करते हुए इसी प्रकार के विचार–विमर्श वाद–विवाद आयोजित करेंगे। प्रत्येक युवा क्लब द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक कार्यक्रम का आयोजन किय जाएगा। यह अभिशासन की प्रक्रिया में युवाओं की प्रभावी भागीदारी की प्रक्रिया को आरंभ करेगा।

- वित्तीय सहायता की पद्धतिः "ब्लॉक युवा संसद" के आयोजन के लिए 80 युवाओं को शामिल करते हुए प्रति कार्यक्रम 12,000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी, अर्थात 150 रुपए प्रति युवा भागीदार। "पड़ोसी युवा संसद" के आयोजन के लिए प्रत्येक युवा क्लब को प्रति वर्ष 1,200 रुपए प्रति युवा क्लब की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- संभावित परिणामः "पड़ोसी युवा संसद" ग्रामीण युवाओं को उनसे संबंधित विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विकास मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व के गुण विकसित करने और उन्हें अभिशासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने में सहायक होगा।

- क्रियान्वयन एजेंसीः यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

2. fodkl dk;Øe d fy, ;qok ¼okbl,QMhih½

- उद्देश्यः इस कार्यक्रम का उद्देश्य असीम युवा ऊर्जा को उन्हें देश भर में बड़े स्तर पर श्रमदान में भागीदारी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए सरणीबद्ध करना है। यह युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करेगा और "श्रम का सम्मान" की भावना का संवर्धन करेगा।

- कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृतिः इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी कोई गतिविधि जिसमें श्रमदान शामिल हो और वह स्थानीय

क्षेत्र अथवा समुदाय के लिए उपयोगी हो, को लिया जा सकता है। कुछ उदाहरण है जल निकायों/नदियों की सफाई, पौध रोपड़, सार्वजनिक भवनों की सफाई/पेंटिंग/रखरखाव, गांव की सड़कों का निर्माण/मरम्मत, खेल मैदानों का विकास/रखरखाव, स्कूल/कॉलेज परिसरों की सफाई।

- क्रियान्वयन नीतिः इसका क्रियान्वयन (i) नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) (iii) राष्ट्रीय केडिट कोर (एनसीसी), और (iv) राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) के माध्यम से किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को प्रतिवर्ष प्रत्येक युवा द्वारा न्यूनतम 100 घंटे का "श्रमदान" प्रदान करने के लिए समुचित रूप से पुनर्गठित किया जाएगा। क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी ऐसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए अनुरोध किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए समुचित प्रचार किया जाएगा। विभिन्न अन्य तरीकों से कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के प्रयास भी किए जाएंगे। उदाहरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं के लिए पुरस्कार आरंभ किए जाएंगे। वास्तव में, कार्यक्रम के साथ प्रबुद्ध व्यक्तियों को जोड़कर श्रमदान को गौरवान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।

- वित्तीय सहायता की पद्धतिः वास्तव में, 'श्रमदान' के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं होगी, चूंकि यह गतिविधि अपनी प्रकृति के अनुसार पूर्णतः स्वैच्छिक होने की आशा की जाती है। तथापि, ऐसे कार्यक्रमों के लिए युवाओं को प्रेरित/एकजुट करने तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु आईईसी गतिविधियों के लिए निधियों की आवश्यकता होगी। प्रतिवर्ष श्रमदान में शामिल युवाओं को 20 रुपए प्रति युवा की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

- संभावित परिणामः इस कार्यक्रम के परिणाम यह होंगे कि युवा पीढ़ी उसके साथ पूरा समुदाय जुड़ते हुए श्रमदान का नेतृत्व करेगी। यह कार्यक्रम युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों का विकास करने और उन्हें बेहतर नागरिक बनाने में सहायक होगा।

- क्रियान्वयन एजेंसीः यह कार्यक्रम युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत एनवाईकेएस तथा एनएसएस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित कोर (एनजीसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

3. jk"Vªh; ;qok usrk iqjLdkj ¼,uokbZ,y,½

- उद्देश्यः युवा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता तथा पुरस्कार प्रदान करके उनके संगत क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास के लिए प्रेरित करना है। ऐसे असाधारण रूप से प्रतिभावान युवा अन्यों के लिए रोलमाडल और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित क्षेत्रः ये पुरस्कार लगभग 50 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। इनमें साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, स्वच्छता, पर्यावरण, कौशल विकास, उद्यमशीलता, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/विकलांग व्यक्तियों/अल्पसंख्यकों

के लिए कार्य करना, ई–गवर्नेंस, ग्रामीण विकास इत्यादि शामिल होंगे। क्षेत्रों की सूची को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे– एक युवा पुरुष के लिए और दूसरा युवा महिला के लिए। इस प्रकार कुल लगभग 100 पुरस्कार होंगे।

- पुरस्कार की प्रकृति और पात्रता की शर्तें: इन पुरस्कारों में (i) एक पदक (ii) एक प्रशस्ति पत्र और (iii) 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होगा। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 15–29 वर्ष आयु समूह में युवा होना चाहिए। चूंकि विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आवश्यकता भिन्न हो सकती है, संबद्ध मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्रों के संबंध में अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकते है जो कि आवश्यक और समुचित समझी जाएं।

- पुरस्कारों के चयन तथा पुरस्कार प्रदान करने की प्रक्रिया: विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नामों को संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने क्षेत्र में प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड, आवेदन/नामांकन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा, चयन की प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करेगा। चयन समिति की अध्यक्षता वरीयता रूप से विभाग के सचिव द्वारा की जा सकती है। पुरस्कार से संबंधित सभी गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। सभी मंत्रालय/विभाग इस कैलेंडर का अनुसरण करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम को अंतिम रूप देंगे और इन्हें युवा कार्यक्रम विभाग को प्रेषित करेंगे। युवा कार्यक्रम विभाग पुरस्कार समारोह के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करेगा। पुरस्कार समारोह का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस (प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी) अथवा निर्णित किसी अन्य समुचित दिवस को आयोजित किया जाएगा। यह प्रस्ताव है कि पुरस्कार वरीयता रूप से भारत के माननीय राष्ट्रपति अथवा भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे ताकि उन्हें अपेक्षित महत्व मिल सके।

- वित्तीय सहायता की पद्धतिः इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रत्येक पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपए की दर से नगद पुरस्कार राशि, सम्मान/प्रशस्ति पत्र/पदक तैयार करने के लिए व्यय, टीए/ डीए पर व्यय, पुरस्कार विजेताओं के आवास तथा भोजन और पुरस्कार समारोह के आयोजन से जुड़े अन्य व्यय के लिए प्रदान की जाएगी।
- संभावित परिणामः यह कार्यक्रम युवाओं को उनके संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा।
- क्रियान्वयन एजेंसीः इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. jk"Vªh; ;qok lykgdkj ifj"kn ¼,uokbZ,lh½

- उद्देश्यः राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद् (एनवाईएसी) की स्थापना का उद्देश्य युवा नेताओं तथा अन्य हितधारकों की युवाओं से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी है। एनवाईएसी मंत्रालयों/विभागों को युवाओं से संबंधित पहलों/मुद्दों के संबंध में सलाह देगा।

- राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद की संरचनाः परिषद में अत्यधिक वृहत – आधारित संरचना होगी, जो कि निम्नानुसार हैः

क) युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) : अध्यक्ष

ख) सचिव, युवा कार्यक्रम :उपाध्यक्ष

ग) युवाओं से संबंधित मामलों का कार्य देखने वाले प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के युवा कार्यक्रमों के प्रभारी सचिव (क्रमानुसार एक समय में 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा)।

ङ) गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)।

च) युवा नेता (प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से) एक युवा नेता)।

छ) अन्य सदस्यः संयुक्त राष्ट्र संगठन वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर; अन्य संबद्ध सरकारी कर्मचारी।

- संभावित परिणामः यह परिषद युवा नेताओं को अभिशासन की प्रक्रिया में प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी। परिषद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के जारी कार्यक्रमों/पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह देगी और युवाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए नवाचारी योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों का भी सुझाव देगी।

- वित्तीय सहायता की पद्धतिः व्यय परिषद की बैठकें आयोजित करने, देश के विभिन्न भागों से गैर–सरकारी सदस्यों के टीए/डीए इत्यादि पर होगा। आरंभ में परिषद के सुचारू कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- क्रियान्वयन एजेंसीः युवा कार्यक्रम विभाग परिषद् के कार्यकरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा।

5. jk"Vªh; ;qok fodkl dks"k ¼,uokbZMh,Q½

- उद्देश्यः राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ) की स्थापना का उद्देश्य युवा विकास के लिए गैर–बजटीय संसाधनों से भी निधियां जुटाना है।

- एनवाईडीएफ की मुख्य विशेषताएंः इस कोष की स्थापना मुख्यतः राष्ट्रीय खेल विकास निधि की पद्धति पर पूर्व न्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत की जाएगी। इस कोष का युवा विकास से जुड़े उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। कोष से युवा विकास पहलों के लिए सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों/योग्य युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह कोष कर्मचारियों/गैर–सरकारी सदस्यों के साथ माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद द्वारा संचालित/प्रबंधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोष के दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति होगी। कोष के कार्यकरण/प्रशासन के लिए संचालन संबंधी दिशा–निर्देश तैयार किए जाएंगे और समय के दौरान इन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

- संभावित परिणामः यह कोष युवा विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रसार करेगा। यह जारी कार्यक्रमों में अंतराल को भरने के लिए विभाग को समर्थ बनाएगा और युवा नेता तैयार करने के लिए युवा विकास हेतु नवाचारी कार्यक्रम भी आरंभ करेगा।

- वित्तीय सहायता की पद्धतिः इस कोष में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का बजटीय योगदान दिया जाएगा।

- क्रियान्वयन एजेंसीः यह कोष युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।

मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां सतत आधार पर प्रदर्शन की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करेगा। वास्तविक समय आधार पर मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन एमआईएस तैयार किए जाएंगे। योजना आयोग के साथ पैनलबद्ध सम्मानित संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का आवधिक व्यापक स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम को मध्यावधि सुधारों जो भी आवश्यक हों, के माध्यम से और अधिक सुधारा जा सके।

एनवाईएलपी का क्रियान्वयन की स्थिति

यह योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और दिसंबर, 2014 में आरंभ की गई है। एनवाईएलपी के घटक "पड़ोसी युवा संसद" और "विकास के लिए युवा" के क्रियान्वयन के लिए एनवाईकेएस को 12 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इन दो घटकों के लिए क्रियान्वयन हेतु संचालन संबंधी दिशा–निर्देश भी अनुमोदित किए गए हैं। कार्यक्रम के अन्य घटकों के क्रियान्वयन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

ug# ;qok dsaæ laxBu

çLrkouk

1972 में आरंभ किया गया नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) विश्व के सबसे बड़े युवा संगठनों में से एक है। वर्तमान में एनवाईकेएस में 2.85 लाख युवा क्लबों/महिला मंडलों के माध्यम से लगभग 8.1 मिलियन युवा नामांकित है। नेहरु युवा केंद्रों के माध्यम से एनवाईकेएस 623 जिलों में फैला है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना है।

एनवाईकेएस की गतिविधियों के संकेंद्रित क्षेत्रों में साक्षरता और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वच्छता तथा सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और स्वरोजगार, उद्यमशीलता विकास, नागरिक शिक्षा, आपदा राहत एवं पुनर्वास इत्यादि शामिल हैं। नेहरु युवा केंद्रों से जुड़े युवा न केवल सामाजिक रूप से जागरूक और प्रेरित हैं बल्कि स्वयंसेवा प्रयासो के माध्यम से सामाजिक विकास के कार्यों के प्रति भी समर्पित हैं।

ç'kklfud lajpuk

एनवाईकेएस विभाग के अंतर्गत गठित एक स्वयत्तशासी संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। एनवाईकेएस में एक सामान्य निकाय और एक शासी बोर्ड (बीओजी) है। शासी बोर्ड की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री द्वारा की जाती है तथा महानिदेशक, एनवाईकेएस सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करते हैं। शासी बोर्ड में

संगत क्षेत्रों से सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्य हैं। महानिदेशक, एनवाईकेएस संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करता है।

एनवाईकेएस की गतिविधियां प्रत्येक जिले में जिला युवा समन्वयक (जो जिले में नेहरु युवा केंद्र का प्रभारी होता है) और प्रत्येक ब्लॉक में दो राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) के माध्यम से संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनवाईकेएस में नई दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय मुख्यालय के अतिरिक्त राज्य स्तर पर 29 जोनल कार्यालय है। एनवाईकेएस की कुल संस्वीकृत स्टाफ संख्या 2,273 है जिसकी तुलना में 31.12.2014 के अनुसार वास्तविक संख्या 1,495 थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त एनवाईकेएस को अपेक्षित तरीके से अपनी गतिविधियों का संचालन करने हेतु सलाह देने के लिए जिला एवं राज्य स्तरों पर सलाहकारी समितियां है जिनमें सरकारी और गैर–सरकारी सदस्य शामिल हैं। जिले में सलाहकारी समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अथवा जिले के उपायुक्त द्वारा की जाती है और राज्य स्तर पर सलाहकारी समिति की अध्यक्षता राज्य युवा कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है।

,uokbZds,l ds dk;ZØe@xfrfof/k;k

किए गए कार्यक्रमों/गतिविधियों को वृहत रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नामतः

क) एनवाईकेएस द्वारा अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों (विभाग द्वारा जारी ब्लॉक अनुदान) से क्रियान्वित कोर कार्यक्रम।

ख) एनपीवाईएडी (राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम) से वित्त पोषण के साथ आयोजित कार्यक्रम।

ग) अन्य मंत्रालयों/संगठनों के सहयोग/वित्त–पोषण से आयोजित कार्यक्रम।

घ) विभिन्न विकास विभागों/एजेंसियों के समन्वय से कार्यक्रम/गतिविधियां।

एनवाईकेएस के सभी कार्यक्रम राज्य सरकारों के चुने हुए स्थानीय निकायों और विभिन्न विकास विभागों/एजेंसियों के समन्वय/सक्रिय भागीदारी से क्रियान्वित किए जाते हैं।

d- ,uokbZds,l ds dksj dk;ZØe

2014–15 के दौरान कोर कार्यक्रमों के आयोजन में एनवाईकेएस का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा हैः

1. युवा क्लब विकास कार्यक्रम (वाईसीडीपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों से प्रतिनिधित्व के साथ युवा क्लबों के मौजूदा नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना और सरकार की विभिन्न योजनाओं/पहलों का प्रचार करना है। यह 10 अभियान सदस्यों को शामिल करते हुए 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 50 युवा क्लब शामिल होते हैं। टीम

के सदस्य युवा नेताओं, ग्राम पंचायत प्रधानों और सदस्यों तथा गांव में अन्य मत नेताओं के साथ मेल–मिलाप करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 15,000 रुपए आबंटित किए गए हैं। 2014–15 के दौरान 2515 कार्यक्रमों का आयोजन करने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 9824 युवाओं को शामिल करते हुए 114 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

2. युवा नेतृत्व एवं समुदाय विकास संबंधी प्रशिक्षण (टीवाईएलसीडी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की अन्यों को एक अर्थपूर्ण जीवन जीने में सहायता करने तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व लेने के लिए क्षमताओं का विस्तार करना है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 20–30 युवा क्लबों के समूह से 40 भागीदार शामिल होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 27500 रुपए आबंटित किए गए हैं। 2014–15 के दौरान 2515 कार्यक्रमों का आयोजन करने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 59,197 युवाओं को शामिल करते हुए 1415 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

3. विषय आधारित जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक हित के अन्य मुद्दों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 20 युवा क्लबों के समूह से 80 भागीदार शामिल होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 8000 रुपए आबंटित किए गए हैं। 2014–15 के दौरान 6369 कार्यक्रमों का आयोजन करने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 2,53,629 युवाओं को शामिल करते हुए 2926 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

4. खेलों का संवर्धन (युवा क्लबों के लिए खेल सामग्री): इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति का विकास करना है। इस कार्यक्रम में दो घटक हैं, नामतः (i) लगभग 2000 रुपए प्रति क्लब पर युवा क्लबों को खेल सामग्री प्रदान

करना (2013–14 के दौरान 1000 रुपए से वृद्धित) और (ii) प्रत्येक जिला स्तर के आयोजन के लिए 25000 रुपए की दर से अंतर युवा क्लब खेल आयोजन तथा प्रत्येक क्लस्टर स्तर के आयोजन के लिए 15000 रुपए (यह 2014–15 के दौरान आरंभ किया गया नया घटक है) प्रदान करना। 2014–15 के दौरान लक्ष्य 38,646 युवा क्लबों को खेल सामग्री प्रदान करना है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 22,716 क्लबों को खेल सामग्री प्रदान की गई है। इसी प्रकार, 8621 जिला/क्लस्टर स्तरीय खेल आयोजन आयोजित करने का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 65,677 युवाओं को शामिल करते हुए 534 खेल आयोजन आयोजित किए गए हैं।

5. महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवा महिलाओं की व्यावसायिक कौशल का विकास करना तथा उन्हें अपनी परिवार की आय को अनुपूरित करने में समर्थ बनाना तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाना है। मास्टर ट्रेनर और सम्मानित/मान्यता प्राप्त कौशल विकास एजेंसियों की सहायता से विभिन्न रोजगार योग्य कौशल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन द्वारा उनके रोजगार में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कौशल प्रशिक्षण के लिए 15–20 महिलाओं को नामांकित किया जाता है। पाठ्यक्रमों की पहचान प्रतिभागियों की स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। बजट प्रावधान तीन माह के पाठ्यक्रम के लिए 11400 रुपए और दो माह के पाठ्यक्रम के लिए 7600 रुपए पर रखा गया है। 2014–15 के दौरान लक्ष्य 7552 कार्यक्रम आयोजित करने का है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 79,110 महिलाओं को शामिल करते हुए 4330 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

6. लोक कला और संस्कृति का संवर्धनः इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोक थियेटर, लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक–साहित्य इत्यादि के विशेष संदर्भ के साथ लोक कला और संस्कृति का संवर्धन करना है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम हैं जिसे अधिकतम 120 युवाओं को उनकी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हुए जिला स्तर पर आयोजित किया जाता है। बजट प्रावधान प्रत्येक जिले के लिए 20000 रुपए पर रखा गया है। 2014–15 के दौरान लक्ष्य 623 कार्यक्रम आयोजित करने का है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 45,599 युवाओं को शामिल करते हुए 112 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

7. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों का आयोजनः इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रत्येक 623 जिला एनवाईकेएस को राष्ट्रीय युवा दिवस सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के न्यूनतम 18 दिनों का आयोजन करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला एनवाईकेएस को 50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2014–15 के दौरान लक्ष्य 11,214 कार्यक्रम आयोजित करने का है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 6,70,802 युवाओं को शामिल करते हुए 5518 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

8. जिला युवा सम्मेलन और युवा कृतिः यह कार्यक्रम सभी जिला एनवाईकेएस द्वारा ग्रामीण युवा नेताओं को उनके उत्पादों का प्रदर्शन करने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने, अनुभवों को साझा करने तथा युवा सशक्तिकरण के लिए सर्वोच्च पद्धतियों का सुझाव देने हेतु अवसर तथा मंच प्रदान करने के लिए वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह ग्रामीण कलाकारों को उनके उत्पाद प्रदर्शित करने तथा और अधिक कौशल उन्नयन के लिए प्रेरणा प्राप्त करने हेतु अवसर और मंच प्रदान करता है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकतम 100 युवा समान संख्या में युवा क्लबों के साथ शामिल होते है, 30,000 रुपए प्रति जिले की बजटीय सहायता प्रदान की गई है। 2014–15 के दौरान लक्ष्य 623 कार्यक्रम आयोजित करने का है जिसकी तुलना में 31.12.2014 तक 16,048 युवाओं को शामिल करते हुए 86 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

9. उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारः इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा क्लबों द्वारा प्रदान की गई स्वयंसेवी सेवाओं को मान्यता प्रदान करना और उन्हें समुदाय विकास तथा कल्याण गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करना है। सभी 623 जिला एनवाईकेएस और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्वोच्च उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार में एक प्रमाण–पत्र तथा पुरस्कार राशि (जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए 25,000/– रुपए और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 1,00,000/– रुपए) है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं (5,00,000/– रुपए, 3,00,000/– रुपए और 2,00,000/– रुपए)। 2014–15 के दौरान 31.12.2014 16 राज्य स्तरीय और 334 जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

[k- ,uihokbZ,Mh ds foÙk iks"k.k ls vk;ksftr dk;Øe

2014–15 के दौरान एनवाईकेएस ने युवा कार्यक्रम विभाग के राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) के वित्त–पोषण से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए:

1. राष्ट्रीय एकता कैम्प (एनआईसी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों से युवाओं को समान मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता का संवर्धन करना, उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर प्रदान करना तथा उन्हें विविधता में एकता जो सभी भारतीयों को जोड़ती है, से अवगत कराना है। यह पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है जिसमें न्यूनतम 250 भागीदारों

(यदि एनआईसी का आयोजन राज्य की राजधानी में किया गया हो) और 150 भागीदार (अन्य एनआईसी के मामले में) को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक 1600 युवाओं को शामिल करते हुए 8 एनआईसी आयोजित किए गए हैं। 31.03.2015 तक अन्य 58 एनआईसी आयोजित किए जाएंगे।

2. युवा नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (वाईएलटीडीपी): इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा नेताओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें गांव तथा युवा क्लबों के लिए जिम्मेदारी लेने हेतु आवश्यक गुणों से सज्जित करना तथा गांव के लिए सामाजिक–आर्थिक और राजनैतिक–सांस्कृतिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पहलुओं पर जागरूकता पैदा करता है। यह 30 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम में 30 युवा भाग लेते हैं। 2014–15 के दौरान 120 युवाओं को शामिल करते हुए 31.12.2014 तक 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

3. किशोरों के लिए जीवन कौशल प्रशिक्षण (किशोरों का सशक्तिरण): इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों में ऐसा व्यवहार विकसित करना है जो इन्हें स्वस्थ विकल्पों, उनके जीवन में आने वाली जोखिम भरी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए उनके जीवन कौशल को सुदृढ़ बनाने, उन्हें एचआईवी से बचाने के लिए जानकारी में वृद्धि करने, किशोर

प्रजनन यौन स्वास्थ्य मुद्दों तथा सरोकारों का प्रबंधन करने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए उनकी समेकित क्षमता को एकजुट बनाने के लिए सशक्त बनाना है। 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक 4880 युवाओं को शामिल करते हुए 115 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

4. साहस कैम्प (साहस का संवर्धन): इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में साहस तथा जोखिम उठाने की भावना को प्रोत्साहित करना, युवाओं की राष्ट्रीय आपदाओं और अन्य आपातिक घटनाओं के दौरान परिस्थितियों का सामना करना के लिए क्षमताओं का निर्माण करना और पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हुए प्रकृति को समझने की भावना का समावेष करना है। यह प्रत्येक बैच में 25 प्रतिभागियों के लिए सात दिवसीय आवासीय कार्यक्रम है। 2014–15 के दौरान 31.12. 2014 तक 26 युवाओं को शामिल करते हुए 100 साहस कैंपों का आयोजन किया गया है। 31.03.2015 तक अन्य 34 साहस कैम्पों का आयोजन किया जाएगा।

x- vU; e=ky;k@lxBuk d lg;kx@foUk&ik"k.k l vk;kftr dk;Øe

1. जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (टीवाईईपी): यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के सहयोग से और वित्त पोषण से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में वामचरमपंथ गतिविधियों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय युवाओं को देश के अन्य भागों में ले जाया जाता है ताकि उन्हें देश की गहन सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदी बनाया जा सके और उन्हें विविधता में एकता के दृष्टिकोण को समक्षाने के लिए समर्थ बनाया जा सके, उन्हें देश के अन्य भागों में विकास गतिविधियों तथा प्रौद्योगिकी/औद्योगिक उन्नति के अवसर दिए जा सके, उन्हें देश के अन्य भागों में लोगों के साथ भावुक संपर्क विकसित करने और उनके कोर जीवन कौशल को समझते हुए उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, उनकी कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान की जा सके

और उन्हें आवश्यक कैरियर काउंसलिंग प्रदान की जा सके। वर्ष 2014–15 के लिए गृह मंत्रालय ने 7वें जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 जनजातीय युवाओं को शामिल करते हुए 10 कार्यक्रमों को आयोजन हेतु 1.96 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। ये कार्यक्रम चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, पुणे, बंगलुरू, जयपुर, गांधीनगर, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए जा रहे हैं।

2. किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (एएचएडीपी): यह कार्यक्रम यूएनएफपीए के वित्त पोषण से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल बीच में छोड़ने वाले किशोरों को (i) एक लैंगिक–संवेदी तरीके से प्रजनन एवं स्त्री–पुरुश स्वास्थ मुद्दों पर जीवन–कौशल संकेंद्रित व्यावहारिक अधिगम, (ii) बेहतर नियोजनियता के लिए शिक्षा तथा कौशल निर्माण संस्थाओं के बीच संबंध; और (iii) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में युवा सुकर और जेंडर–संवेदी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना है। यह परियोजना पांच राज्यों (महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेष, उड़ीसा और बिहार) के अभिज्ञात 10 जिलों में प्रमुख आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। किशोरों को टीन क्लबों में संगठित किया जाता है और प्रशिक्षित प्रमुख प्रशिक्षकों के माध्यम से विस्तार कार्य किया जाता है। सीपी–7 (देश योजना–7) का क्रियान्वयन चरण पूरा हो गया है और सीपी–8 का क्रियान्वयन 2014 में आरंभ किया गया है। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) 1856 टीन क्लबों को पुनः संगठित किया गया है। 7440 प्रमुख प्रशिक्षकों का चयन किया गया है और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। टीन क्लबों के कार्यक्रम और गतिविधियां जारी हैं।

3. पंजाब में मादक द्रव्यों और शराब की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा संबंधी परियोजनाः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने एनवाईकेएस के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए दो परियोजनाएं संस्वीकृत की है नामतः (i) पंजाब के 10 जिलों में मादक द्रव्यों और शराब की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा की पायलट परियोजना को जारी रखने की परियोजना (2.91 करोड़ रुपए की लागत पर) और (ii) पंजाब के बाकी 11 जिलों में मादक द्रव्य और शराब की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा की परियोजना (3.27 करोड़ रुपए की लागत पर)। मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एनवाईकेएस को संस्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत जारी कर दिया है।

4. भारतीय चुनाव आयोग के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं मतदान भागीदारी कार्यक्रम (एसवीईईपी) के लिए समर्थनः एसवीईईपी कार्यक्रम के अंतर्गत 2014 लोक सभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता रैली, मताधिकार के प्रति

जागरूकता कार्यक्रम, मतदाताओं को उनके मतदान पहचान–पत्र बनाने के लिए प्रेरित करना, युवा नेताओं के साथ बैठकें करना, समन्वय, घर–घर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान, हस्ताक्षर अभियान इत्यादि का आयोजन किया गया। मतदाताओं को ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटकों, मतदाता जागरूकता संबंधी आईईसी सामग्री के वितरण इत्यादि के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया गया। मतदाताओं ने मतदान की शपथ भी ली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 9 राज्यों नामतः, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनवाईकेएस द्वारा 194 जिलों में 34,538 गांवों को शामिल किया गया है जिसमें मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में 10,77,557 भागीदार शामिल थे। एनवाईकेएस की भूमिका की भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा प्रशंसा की गई है।

5. अन्य मंत्रालयों/ राज्य सरकारों/ एजेंसियों की सहायता से अन्य विशेष परियोजनाएं: कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:

क) कर्नाटक में युवा क्लब सदस्यों के लिए शौचालयों का निर्माण: एनवाईकेएस, कर्नाटक ने यूनिसेफ और कर्नाटक सरकार के सहयोग से कर्नाटक के युवा क्लब सदस्यों के लिए समग्र स्वच्छता संबंधी एक परियोजना आरंभ की है। इसकी गतिविधियों में शौचालय सुविधाओं से रहित युवा क्लब सदस्यों की पहचान के लिए युवा क्लबों का उन्मुखीकरण तथा संवेदी कार्यशालाएं और सर्वेक्षण शामिल हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि 1,95,000 युवा क्लब सदस्यों के घरों में शौचालय नहीं थे। सर्वेक्षण

के पश्चात संबद्ध राज्य सरकार विभागों के सहयोग से शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई है। अब तक 33,033 युवा क्लब सदस्यों ने अपने घरों में शौचालयों का निर्माण किया है।

ख) पंजाब में लिंग–अनुपात में सुधार करने और लोगों को जन्म–पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) अधिनियम के बारे में जागरूक बनाने के उपायः एनवाईकेएस, पंजाब और चंडीगढ़ जोन युवा क्लबों और महिला मंडलों के माध्यम से पंजाब में घटते हुए लिंग–अनुपात के मुद्दों पर रैलियां, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, नाटक, निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा इत्यादि का आयोजन कर रहा है। लक्ष्य 5,000 कार्यक्रम आयोजित करने का है जिसमें से 13,32,500 भागीदारों को शामिल करते हुए 2665 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

ग) झारखंड सरकार तथा युनिसेफ के सहयोग से "मैं हूं चैम्पियन" कार्यक्रमः यह कार्यक्रम विशेषकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23.09.2014 को आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम झारखंड के 12 जिलों में, प्रत्येक जिले में 40 गांव को शामिल करते हुए आयोजित किया जा रहा है।

घ) छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से कार्यक्रमः एनवाईकेएस, छत्तीसगढ़ जोन ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है। यह परियोजना 02.10.2014 को आरंभ की गई थी। इस परियोजना में छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिले शामिल हैं। आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में स्वच्छता और सफाई संबंधी रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और प्रत्येक जिले में श्रमदान शिविर शामिल हैं। जिला स्तरीय ड्राइंग और पेंटिंग प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अब तक उपरोक्त कार्यक्रमों में कुल 11,161 युवाओं ने भाग लिया है।

ङ) बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता संबंधी कार्यक्रमः एनवाईकेएस, बिहार ने बिहार के 21 जिलों को शामिल करते हुए बाल विवाह के विरूद्ध जागरूकता संबंधी परियोजना के लिए यूनिसेफ

के साथ सहयोग किया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान में नवंबर, 2014 में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें परियोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया।

च) बीजू युवा सशक्तिकरण योजनाः इस योजना के अंतर्गत ओडिशा की सरकार ने विभिन्न युवा विकास गतिविधियों के संचालन के लिए 5652 युवा क्लबों को प्रति युवा क्लब 10,000 रुपए की दर से एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की।

घ) विकास विभागों / एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम / गतिविधियांः

एनवाईकेएस विभिन्न विभागों / एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जिला एनवाईकेएस और एनवाईसी स्वयंसेवी अन्य विकास विभागों / एजेंसियों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करते हैं और युवा क्लबों / महिला मंडलों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए गतिविधियां चलाते हैं। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार थींः

Ø-l-	dk;Øe	eki dh bdkbZ	miyfC/k
1.	युवा क्लब सदस्यों को रोजगार कौशल विकास प्रशिक्षणों से जोड़ना	युवाओं की संख्या	50805
2.	एसएचजी बनाना	एसएचजी की संख्या	77761
3.	पौध रोपड़ और उनका उत्तर जीवन	पौधों की संख्या	6056416
4.	रक्तदान	रक्त ईकाइयों की संख्या	72376
5.	स्वयंसेवी रक्तदाताओं का नामांकन और उनका रक्त समूह	युवाओं की संख्या	45986
6.	लड़कियों तथा उनके अभिभावकों को 18 वर्ष तक की आयु तक उनका विवाह न करने के लिए प्रेरित करना	लड़कियों की संख्या	57231
7.	गर्भवती माताओं का टीकाकरण	गर्भवती माताओं की संख्या	42286
8.	संस्थागत प्रेशणों को सुकर बनाना	महिलाओं की संख्या	35582
9.	बच्चों का टीकाकरण (0–5 वर्ष)	बच्चों की संख्या	86695
10.	कैटरेक्ट (नेत्र) ऑपरेशन	रोगियों की संख्या	9512
11.	किशोर बालिकाओं को आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की पहुंच प्रदान करना	किशोर बालिकाओं की संख्या	97256
12.	स्वस्थ जांच शिविर (डीओटी), तनाव, मधुमेह तथा अन्य	शिविरों की संख्या	9289
13.	बच्चों का स्कूलों में नामांकन	बच्चों की संख्या	86950
14.	मतदाता पहचान–पत्र जारी करना सुकर बनाना	व्यक्तियों की संख्या	68925

घ) विकास विभागों/एजेंसियों के सहयोग से कार्यक्रम/गतिविधियां:

1. iqutkZxj.k dk;Øe%

एनवाईकेएस ने एक वर्ष भर का युवा जागरूकता कार्यक्रम 'पुनर्जागरण' आरंभ किया है। यह कार्यक्रम 02.10.2014 को भारत के चार कोने नामतः उत्तर में लेह (जम्मू और कश्मीर), पश्चिम में ओखा (गुजरात), दक्षिण में कन्याकुमारी (तमिलनाडु) और पूर्वोत्तर में रोइंग (अरुणाचल प्रदेश) में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में युवा आंदोलन तैयार करना, युवाओं को राष्ट्रीयता, देशभक्ति, शांति और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को फैलाने जैसी राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना, स्वयंसेवा की भावना का संवर्धन करना, श्रमदान गतिनविधियां आयोजित करना, सामाजिक बुराइयों के विरूद्ध अभियान, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं आंदोलन जैसे सरकारी कार्यक्रमों और कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना इत्यादि है। यह कार्यक्रम मथुरा (उत्तर प्रदेश), में पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म स्थान पर 25.09.2015, को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर पूरा होगा। इस कार्यक्रम में 4 मार्गों पर 100 से अधिक जिले शामिल होंगे और प्रत्येक जिले में 100 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार 100 जिलों के 10,000 गांव में 10,000 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतिम रूप से 25.09.2015 को सभी 100 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए लगभग 10,000 युवा राष्ट्रीय एकता समारोह के लिए मथुरा में एकत्रित होंगे।

2. LoPN Hkkjr fe'ku dh vrxir xfrfof/k;k%

एनवाईकेएस ने 12,000 एनवाईसी स्वयंसेवकों तथा 2.85 लाख युवा क्लबों और महिला मंडलों की भागीदारी के साथ 623 जिला एनवाईकेएस तथा 29 जोनल कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई कदम उठाएं हैं। मिशन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी पर जोर दिया गया था ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी जागरूकता और व्यावहारिक परिवर्तन लाया जा सके।

एनवाईकेएस ने 25 सितंबर, 2014, पंडित दीन दयाल उपाध्यायजी की जन्म शताब्दी पर कई गतिविधियां आरंभ की जिसके पश्चात एनवाईकेएस युवा क्लबों, महिला मंडलों, एनवाईसी स्वयंसेवकों और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के साथ फील्ड स्तरीय गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम आरंभ करने के समारोह के दौरान माननीय मंत्रीगण, संसद सदस्यों, एमएलए, ब्यूरोक्रेट तथा समाज के सभी वर्गों के प्रबुद्ध व्यक्तियों को शामिल किया गया। एनवाईकेएस के 623 जिलों और 29 जोनल कार्यालयों के कार्यालय परिसरों में शौचालयों और कूड़ा घरों की सफाई की गई। 15 अक्तूबर को विश्व हैंडवाशिंग दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस का सफाई का संदेश देने के लिए आयोजन किया गया।

युवा क्लबों और महिला मंडलों के सदस्यों को उनके संगत क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया गया। सफाई अभियान में गंदगी उन्मूलन, निपटान के लिए पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक सामग्री एकत्रित करना, सार्वजनिक संपत्ति (आंगनबाड़ी केंद्र, पीएचसी इत्यादि), सड़क के किनारों और बस स्टैंड पर शौच, सड़क और समान स्थानों की सफाई, शव गृहों का रखरखाव

और मरम्मत, खेल मैदानों का रखरखाव, स्कूलों और समुदायों शौचालयों का रखरखाव, तालाब, कुओं, प्राकृतिक पेयजल संसाधनों, छोटे सिंचाई चौनलों, जल टैंकों, जल सिंचाई इत्यादि की खुदाई, रखरखाव, संक्रमण रोधन, डीसिलीटिंग और मरम्मत का रखरखाव शामिल था। ये गतिविधियां अत्यधिक उत्साह और प्रफुल्लता के साथ आयोजित की गई।

सफाई और स्वच्छता के मुद्दे को एनवाईकेएस कार्यक्रम का समेकित भाग बनाया गया। युवा क्लब नेताओं/सदस्यों, एनवाईसी स्वयंसेवकों तथा एनवाईकेएस फील्ड कर्मचारियों के लिए "स्वच्छ भारत" के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एनवाईकेएस, युवा क्लबों और महिला मंडलों के सदस्यों तथा एनवाईसी के स्वयंसेवकों ने ग्रामवासियों को शौचालयों के निर्माण के लिए प्रेरित किया।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 31.12.2014 तक की गई गतिविधियों का सार निम्नानुसार हैः

Ø-l-	dk;Øe dk uke	vk;kftr dk;Øeksa dh l[;k	Hkkxhnkjksa dh l[;k
1.	स्वच्छ भारत अभियान आरंभ करने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मनाना (25 सितंबर, 2014)	585	42789
2.	स्वच्छता पर शपथ ग्रहण समारोह (2 अक्तूबर, 2014) एनवाईकेएस के जोनल अधिकारियों ने शपथ ग्रहण की	100	14164
3.	जिला एनवाईकेएस ने शपथ ग्रहण की	263	13202
4.	एनवाईसी स्वयंसेवकों ने शपथ ग्रहण की	3112	5494
5.	युवा क्लबों और महिला मंडलों ने शपथ ग्रहण की	12001	209263
6.	2 अक्तूबर, 2014 को गतिविधियां आयोजित की गई	3134	105104
7.	15 अक्तूबर को विश्व हैंडवाशिंग दिवस का आयोजन करने के लिए की गई गतिविधियों का प्रकार (कृपया उल्लेख करें)	718	18089
8.	19 अक्तूबर को विश्व शौचालय दिवस का आयोजन करने के लिए की गई गतिविधियां	880	42326
9.	कार्यालय परिसरों, शौचालयों और जिला तथा जोनल कार्यालयों के कूड़ाघरों की सफाई और सड़क तथा समान स्थानों की सफाई के लिए स्वच्छता अभियान	5934	53235
10.	पर्यावरण की संरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसे सुकर बनाने के लिए पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक सामग्री एकत्रित करना	1574	25684
11.	गंदगी उन्मूलन (गाजर घास, लैंटाना, ह्यचीन्थ इत्यादि)	407	14157
12.	स्वच्छता और सफाई के संबंध में आईईसी सामग्री का वितरण	2788	19044
13.	प्रेरणा जिससे शौचालयों का निर्माण हो	12786	15673
14.	अपने कार्यालयों के आसपास पार्कों सड़कों इत्यादि का विकास और रखरखाव	209	8099

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	भागीदारों की संख्या
15.	शव गृहों का रखरखाव और मरम्मत, खेल मैदानों का रखरखाव	239	4649
16.	तालाब, कुओं, प्राकृतिक पेयजल संसाधनों, छोटे सिंचाई चौनलों, जल टैंकों, जल सिंचाई इत्यादि की खुदाई, रखरखाव, संक्रमण रोधन, डीसिलीटिंग और मरम्मत का रखरखाव	53	16045
17.	रैलियां (साइकिल, मोटरसाइकिल इत्यादि)	430	33899
18.	प्रभात फेरी	359	10159
19.	सफाई, स्वच्छता के लिए दौड़	312	11134
20.	क्वीज प्रतिस्पर्धा	65	2374
21.	पेंटिंग पोस्टर बनाना	69	1120
22.	प्रस्ताव और स्लोगन लेखन	108	1936
23.	दीवार लेखन	44	4264
24.	नुक्कड़ नाटक	35	2433
25.	वाद–विवाद और शब्दपांडित्य प्रतिस्पर्धा	26	1207
26.	प्रबुद्ध संसाधन व्यक्तियों द्वारा सफाई, सैनीटेशन और स्वच्छता के संबंध में लेक्चर	264	9858
27.	सेमिनार और विचार–विमर्श	245	5504
28.	कार्य कैंप	51	3849
29.	स्थानीय आवश्यकता और वरीयता के अनुसार आयोजित अन्य कार्यक्रम	14	5289
कुल		45324	686504

उपरोक्त के अतिरिक्त, 31.03.2015 तक कई कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है, नामतः,

18,765 सफाई अभियान, स्वच्छता और सफाई संबंधी आईईसी सामग्री के वितरण के लिए 28,956 कार्यक्रम, 44,324 प्रेरणा कार्यक्रम जिनसे शौचालयों का निर्माण हुआ। शव गृहों और खेल मैदानों के रखरखाव के लिए 7351 कार्यक्रम, 1,841 प्रभात फेरी, 866 सफाई तथा स्वच्छता के लिए दौड़ और 6496 सेमिनार और विचार–विमर्श।

jk"Vªh; ;qok dksj

जून, 2009 में संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति के संवोधन के अनुसरण में 2010–11 के दौरान देश में राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) की एक योजना आरंभ की गई थी। पूर्ववर्ती योजना नामतः राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी योजना (एनएसवीएस) और राष्ट्रीय सद्भावना योजना (आरएसवाई) को राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) योजना में समाहित कर दिया गया। एनवाईसी योजना का एनवाईकेएस के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत 18–25 वर्ष के आयु समूह में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अधिकतम 2 वर्ष के लिए स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एनवाईसी स्वयंसेवी के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा–10 उत्तीर्ण है और उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपए की दर से मानदेय प्रदान किया जाता है। एनवाईसी स्वयंसेवकों का चयन संबद्ध जिले के जिलाधीश/उपायुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति द्वारा किया जाता है। स्वयंसेवकों को कार्यग्रहण करने के समय 15 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष में 7 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। एनवाईसी स्वयंसेवकों के दो वर्ष के कार्यकाल के अंत में एनवाईकेएस उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे एनवाईकेएस के साथ उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कोई रोजगार प्राप्त कर सके। दो वर्ष के पश्चात् एनवाईसी स्वयंसेवकों के दूसरे समूह की भर्ती की जाती है।

सामान्यतः, प्रत्येक ब्लॉक में दो एनवाईसी स्वयंसेवकों को तैनात किया जाता है। वे ब्लॉक में एनवाईकेएस की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करते हैं और एनवाईकेएस के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2014–15 के दौरान दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले एनवाईसी स्वयंसेवकों को प्रतिस्थापित करते हुए 5008 नए एनवाईसी स्वयंसेवकों का चयन किया गया है और इंडक्शन प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें ब्लॉकों में तैनात किया गया है।

jk"Vªh; lsok ;kstuk

çLrkouk

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवी समुदाय सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1969 में आरंभ की गई थी। 'सेवा के माध्यम से शिक्षा' एनएसएस का उद्देश्य है। एनएसएस की विचाराधारा का उन्मुखीकरण महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। उचित रूप से एनएसएस का विचार "मैं नहीं, परंतु आप" है। एक एनएसएस स्वयंसेवी 'स्वयं' से पहले 'समुदाय' को रखता है।

एनएसएस के उद्देश्यः एनएसएस का उद्देश्य स्वयंसेवकों में निम्नलिखित गुणों/सक्षमताओं का का विकास करना है:

क) उस समुदाय को समझना जिसमें एनएसएस स्वयंसेवक कार्य करते हैं और स्वयं को उनके समुदाय के संबंध में समझना;

ख) समुदाय की आवश्यकताओं को समझना और पहचान करना तथा स्वयं को समस्या सुलझाने की कार्रवाई में शामिल करना;

ग) स्वयं में सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना;

घ) अपने ज्ञान को व्यक्ति तथा समुदाय की समस्याओं को व्यावहारिक रूप से हल करने में प्रयोग करना;

ङ) समुदाय भागीदारी जुटाने में कौशल प्राप्त करना;

च) नेतृत्व के गुण तथा गणतांत्रिक मूल्य अर्जित करना;

छ) आकस्मिकताओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए क्षमता तैयार करना; और

च) राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सद्भावना अपनाना।

एनएसएस का प्रयास "कैम्पस और समुदाय", "कॉलेज और गांव" और "ज्ञान तथा कार्रवाई" के बीच अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना है।

एनएसएस लगभग 40,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में 1969 में आरंभ की गई थी। वर्तमान में, एनएसएस में 336 से अधिक विश्वविद्यालयों, 15,908 कॉलेजों/तकनीकी संस्थाओं 11,809 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में लगभग 33 लाख स्वयंसेवक हैं। शुरूआत से अब तक 4.25 करोड़ छात्रों ने एनएसएस से लाभ उठाया है।

,u,l,l dh ewy volajpuk@dk;Øe lajpuk

एनएसएस का क्रियान्वयन वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। एनएसएस के डिजाइन में यह परिकल्पना की गई हैं कि इस योजना के अंतर्गत शामिल प्रत्येक शैक्षिक संस्था में कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) के रूप में पदनामित एक अध्यापक की अध्यक्षता में 100 छात्र स्वयंसेवकों (कुछ मामलों में कम संख्या) को शामिल करते हुए न्यूनतम एक एनएसएस ईकाई हो। प्रत्येक एनएसएस ईकाई अपनी गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक गांव अथवा झुग्गी बस्ती को अपनाती है। एक एनएसएस स्वयंसेवक को निम्नलिखित कार्य/गतिविधियों का संचालन करने की आवश्यकता होती है:

क) नियमित एनएसएस गतिविधि: प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक को दो वर्ष के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 घंटे की सेवा प्रदान करना आवश्यक होता

है अर्थात् कुल 240 घंटे। यह कार्य एनएसएस ईकाई द्वारा अपनाए गए गांव/झुग्गी बस्ती अथवा स्कूल/कॉलेज के परिसर में सामान्यतः अध्ययन के घंटों के पश्चात् अथवा सप्ताहंतों के दौरान किया जाता है। पहले वर्ष के दौरान 20 घंटे (कुल 120 घंटों में से) एनएसएस स्वयंसेवकों के उन्मुखीकरण के लिए रखे जाते हैं ताकि उन्हें लेक्चर, विचार–विमर्शों, फील्ड दौरों, ऑडियो–विजुअल इत्यादि के माध्यम से एनएसएस के बारे में परिचित कराया जा सके।

ख) विशेष अभियान कार्यक्रमः प्रत्येक एनएसएस ईकाई स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के साथ छुट्टियों के दौरान अपनाए गए गांव अथवा शहरी बस्तियों में सात दिवस की अवधि के विशेष शिविर का आयोजन करती है। प्रत्येक स्वयंसेवक को दो वर्ष की अवधि के दौरान एक बार विशेष शिविर में भाग लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार, किसी ईकाई में लगभग 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवक किसी विशिष्ट शिविर में भाग लेते हैं।

,u,l,l dk vrxr dh tkus okyh xfrfof/k;ks dh ç—fr

एनएसएस के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को मुख्यतः दो श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः

1. कोर गतिविधियांः एनएसएस के अंतर्गत गतिविधियां समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना जारी रहा। एनएसएस के अंतर्गत की गई कुछ गतिविधियों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार हैः

क) शिक्षाः प्रौढ़ सारक्षता, प्री–स्कूल शिक्षा, स्कूल बीच में छोड़ने वालों की सतत शिक्षा, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम इत्यादि।

ख) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषणः टीकाकरण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिक्षा, एड्स जागरूकता, पल्स पोलियो टीकाकरण इत्यादि।

ग) पर्यावरण संरक्षणः वृक्षारोपड़ और उनका संरक्षण/रखरखाव, सड़कों, नालों की सफाई और मरम्मत।

घ) सामाजिक सेवा कार्यक्रमः अस्पतालों, विकलांगों के लिए संस्थाओं, अनाथ आश्रमों ओल्ड–ऐज गृहों, महिला कल्याण संस्थाओं इत्यादि में कार्य।

ङ) महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रमः महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजन, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि।

च) उत्पादन–उन्मुखी कार्यक्रमः लोगों को वृद्धित कृषि पद्धतियों को शिक्षित करना, पशु संसाधन विकास में दिशा–निर्देश देना इत्यादि।

छ) आपदा राहत और पुनर्वासः स्थानीय प्राधिकरणों के साथ बचाव एवं राहत कार्यों में कार्य करना।

2. एनएसएस के अंतर्गत अन्य गतिविधियां/कार्यक्रमः कोर गतिविधियों के अतिरिक्त एनएसएस के अंतर्गत विभिन्न अन्य गतिविधियां संचालित की जाती है। उदाहरण के लिए

क) गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भागीदारी।

ख) साहस गतिविधियों में भागीदारी।

ग) एनएसएस मैगा कैंपों तथा पूर्वोत्तर एनएसएस युवा उत्सवों का आयोजन।

घ) राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान "सुविचार" तथा "युवा परंपरा" का आयोजन।

ङ) एनएसएस स्वयंसेवकों के आत्मरक्षा प्रशिक्षण।

च) इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार।

ç’kklfud volajpuk

किसी संस्था में प्रत्येक एनएसएस ईकाई की अध्यक्षता "कार्यक्रम अधिकारी (पीओ)" के रूप में पदनामित एक अध्यापक द्वारा की जाती है जो उसके अंतर्गत एनएसएस ईकाई के लिए एक शिक्षक, आयोजक, समन्वयक, पर्यवेक्षक, प्रशासक और सार्वजनिक संबंध व्यक्ति के रूप में कार्य करता है।

विश्वविद्यालय स्तर पर एक एनएसएस प्रकोष्ठ तथा विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों में सभी एनएसएस ईकाइयों के संबंध में एनएसएस की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक पदनामित कार्यक्रम समन्वयक (पीसी) होता है। इसी प्रकार, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के संबंध में एनएसएस प्रकोश्ठ वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में स्थित होते हैं। राज्य स्तर पर राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) की अध्यक्षता में एक राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ होता है।

राष्ट्रीय स्तर पर एक एनएसएस कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ होता है जो 15 क्षेत्रीय केंद्रों (अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे और तिरुवंनतपुरम में स्थित) के माध्यम से कार्य करता है। एनएसएस संगठन की कुल संस्वीकृत स्टाफ संख्या 234 है जिसमें से 31.12.2014 के अनुसार 120 की वास्तविक संख्या कार्यरत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एनएसएस के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए अधिकारिक और गैर–अधिकारिक सदस्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय और संस्था के स्तर पर सलाहकार समितियां हैं।

foÙkh; r=

वर्तमान में, एनएसएस की कोर गतिविधियों के संचालन के लिए नियमित एनएसएस गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष 2.50 रुपए प्रति स्वयंसेवक और विशेष शिविर गतिविधियों के लिए 4.50 रुपए प्रति स्वयंसेवक (2 वर्ष में एकबार) की दर से निधियन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार, एनएसएस कार्यक्रम चलाने की कुल लागत प्रति वर्ष 475 रुपए प्रति स्वयंसेवक है (चूंकि विशेष शिविर केवल एक विशिश्ट वर्ष में 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों के लिए होते हैं) सभी निधियों का प्रयोग एनएसएस गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाता है और किसी भी स्वयंसेवक को कोई नगद भुगतान नहीं किया जाता। कुल प्रावधान में से एनएसएस से जुड़ी शैक्षिक संस्थाओं में से स्थापना की लागत भी वहन की जानी आवश्यक होती हैं जिसमें कार्यक्रम समन्वयक (800 रुपए प्रतिमाह की दर से) तथा कार्यक्रम अधिकारी (400 रुपए प्रतिमाह की दर से) को आउट–ऑफ–पॉकिट भत्ता शामिल हैं।

वर्तमान में एनएसएस एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच व्यय शेयरिंग निम्नानुसार है:

क) जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडलों के बगैर) के मामले में केंद्र सरकार 100 प्रतिशत निधियन प्रदान करती है।

ख) पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित), हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में केंद्र तथा राज्यों के बीच व्यय शेयरिंग 75:25 के अनुपात में है।

ग) सभी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र तथा राज्यों के बीच व्यय शेयरिंग 7:5 के अनुपात में है।

स्व–वित्त पोषण ईकाइयां (एसएफयू): इस विभाग ने एनएसएस की स्व–वित्त पोषण ईकाइयों की स्थापना के लिए एक तंत्र आरंभ किया है ताकि एनएसएस का विस्तार पर्याप्त सरकारी निधियन के अभाव में बाधित न हो। इस तंत्र के अंतर्गत स्थापित ईकाइयों को किसी अन्य एनएसएस ईकाइयों के समान दर्जा दिया जाता है, एकमात्र अंतर यह है कि इन ईकाइयों का वित्त पोषण इनकी स्थापना करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

çf'k{k.k@{kerk fuekZ.k

वर्तमान में एनएसएस के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियों को 7 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ताकि उन्हें उनके कर्तव्य प्रभावी रूप से निर्वाह करने के योग्य बनाया जा सके। प्रशिक्षण देश के विभिन्न भागों में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में स्थित 20 पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं (ईटीआई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक इन ईटीआई के माध्यम से 2757 कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

2014&15 d nkjku çn'kZu@?kVuk,

2014–15 के दौरान एनएसएस के अंतर्गत नामांकित स्वयंसेवकों की संख्या 31.12.2014 तक 31,33,984 पहुंच गई हैं और 31.03.2015 तक इसकी संख्या बढ़कर 32 लाख तक पहुंचने का लक्ष्य है। अब तक 1.66 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एनएसएस की 1661 स्व–वित्तपोषण ईकाइयों की स्थापना की गई है। एनएसएस की ईकाइयों ने अपनी गतिविधियों के लिए 32070 गांव/बस्तियों को अपनाया है।

विशेष शिविरों का आयोजनः विशेष शिविर एनएसएस का समेकित भाग हैं जिसमें स्वयंसेवक ग्रामीण लोगों के साथ निकटता से मिलने का अवसर, उनके जीवन को समझने, 7 दिन के लिए उनके साथ रहने और विभिन्न विकास गतिविधियां करने का अवसर प्राप्त करते हैं। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) भारत के गांव/बस्तियों में लगभग 4.63 लाख स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए 9972 विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था।

पौध रोपड़ः पौध रोपड़ तथा उनका रखरखाव एनएसएस की अत्यधिक लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) विभिन्न स्थानों जैसे कि सरकारी भवनों, पार्कों, विश्वविद्यालय/कॉलेज परिसरों, सड़क के किनारे रोपड़, वन्य क्षेत्रों इत्यादि में 25,29,494 पौधों का रोपड़ किया गया।

रक्तदानः एनएसएस के स्वयंसेवक देश में गरीबों, जरूरतमंदों और अस्पतालों में आकस्मिक मामलों में सदा रक्तदान करने में अग्रणी होते हैं। नियमित कार्यक्रम के भाग के रूप में अधिकांश एनएसएस भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, सरकारी अस्पतालों और ब्लड़ बैंकों के साथ रक्तदान शिविरों का अनिवार्य रूप से आयोजन करते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय/संस्थाएं एनएसएस स्वयंसेवी रक्तदाताओं की एक निदेशिका रखती हैं जिन्हें आप आकस्मिकता के समय

रक्तदान करने के लिए बुलाया जा सके। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) भारत में एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा 2,72,330 ईकाई रक्तदान किया गया।

पल्स पोलियो टीकाकरणः एनएसएस ने पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाए। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने देश भर में स्थानीय प्रशासन को बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने में सहायता की। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) 51,380 स्वयंसेवक बच्चों को पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए एकत्रित करने में शामिल थे और 1.74 लाख बच्चों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रमः देश भर में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने चुनाव अधिकारियों के साथ मतदाताओं को मत सूची में अपना नाम दर्ज करवाने और मतदान दिवस पर अपना मत देने हेतु प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाए। इस संबंध में एनएसएस द्वारा दी गई सहायता की भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई है।

निराश्रितों के लिए घरः केरल में एनएसएस के स्वयंसेवक पिछले कई वर्षों से आवास रहित गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने में सहायता कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए 160 से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है।

साहस गतिविधियांः देश में एनएसएस के स्वयंसेवकों में साहस और नेतृत्व की भावना तैयार करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदश के अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के साथ साहस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। साहस कार्यक्रम 10 दिन की अवधि के थे। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) देश भर से 1370 एनएसएस स्वयंसेवकों ने साहसी गतिविधियों में भाग लिया।

एनएसएस मैगा कैम्पः 2014–15 के दौरान 12 दिन की अवधि दो मैगा कैंपों का राजस्थान के नागौर जिले में लाडनू में (सितंबर, 2014 में) और असम के जोरहाट जिले में मजौली (जनवरी, 2015) में आयोजित किए गए हैं। इन कैंपों में देश के विभिन्न भागों से लिए गए 800 एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया है।

पूर्वोत्तर एनएसएस युवा उत्सवः 2014–15 के दौरान, तीन पूर्वोत्तर राज्यों नामतः, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में पूर्वोत्तर एनएसएस युवा उत्सवों का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर इन उत्सवों में 950 एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया।

गणतंत्र दिवस परेड शिविर, 2014ः एनएसएस के स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। स्वयंसेवकों को इस भागीदारी के लिए तैयार करने हेतु प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में एक माह लंबा गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 200 चुनिंदा एनएसएस स्यवंसेवक (100 लड़के और 100 लड़कियां) भाग लेते हैं। इस वर्ष के दौरान यह शिविर 1–31 जनवरी, 2015 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। शिविर में अपने आवास के दौरान स्वयंसेवकों ने भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने का अवसर प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड में 160 चुने गए स्वयंसेवकों ने 26.01.2015 को भाग लिया। गणतंत्र दिवस परेड शिविर में भागीदारी एनएसएस स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व का विकास करने में काफी सहायक होती है।

एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए कौशल प्रशिक्षणः युवा कार्यक्रम विभाग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और तीन वर्ष की अवधि में 50,500 एनएसएस स्वयंसेवकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय छात्र कौशल विकास (एनयूएसएसडी) परियोजना नामक एक पायलट परियोजना आरंभ की है। यह परियोजना एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम करते हुए एक व्यावसायिक प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा प्राप्त करने के योग्य बनाएगी।

इलेक्टिव विषय के रूप में एनएसएसः अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए एनएसएस को प्रोत्साहन देने हेतु विभाग शैक्षिक संस्थाओं में एनएसएस को "क्रेडिट के साथ इलेक्टिव विषय" के रूप में आरंभ करने का प्रयास करता रहा है। वर्ष के दौरान10.10.2014 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूजीसी और एआईसीटीई अगले शैक्षिक सत्र से एक इलेक्टिव विषय (क्रेडिट सहित) के रूप में एनएसएस को आरंभ करने का पता लगाएंगे। वर्तमान में पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना (आईजीएनएसएस) पुरस्कारः इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एनएसएस के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जाते हैः (i) सर्वोच्च विश्वविद्यालय और आगमी विश्वविद्यालय. 2 परिषद, (ii) 10 सर्वोत्तम एनएसएस ईकाइयां और उनके कार्यक्रम अधिकारी, और (iii) 30 सर्वोत्तम एनएसएस स्वयंसेवक। वर्ष 2013–14 के लिए पुरस्कार 19 नवंबर, 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए थे।

सभी एनएसएस ईकाइयों ने 25 सितंबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपना अभियान आरंभ किया। दश भर में 31 दिसंबर, 2014 तक विभिन्न एनएसएस ईकाइयों द्वारा संचालित की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां/कार्यक्रम निम्नानुसार हैः

- एनएसएस कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ और एनएसएस के सभी 15 क्षेत्रीय केंद्रों ने अपने परिसरों में तथा कार्यालयों के आसपास बड़े स्तर पर सफाई अभियान आरंभ किया।
- एनएसएस के सभी कार्यालयों तथा देश में एनएसएस सहित सभी विश्वविद्यालयों में 02.10.2014 को स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया।
- देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं की एनएसएस ईकाइयों द्वारा आयोजित रैलियों में लगभग 1,66,635 एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया।
- लखनऊ विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध कॉलेजों के 3,000 एनएसएस स्वयंसेवकों ने लखनऊ में गोमती नदी की सफाई अभियान में भाग लिया। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई।
- उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की विभिन्न संस्थाओं के 1660 एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपनाए गए गांवों में नालियों की सफाई में भाग लिया, समुदाय पार्कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की तथा लोगों को सफाई के बारे में जागरूक बनाने के लिए रैलियां निकाली।
- 60,287 एनएसएस स्वयंसेवकों को श्रमदान कार्यक्रम में शामिल किया गया जिसमें स्वयंसेवकों ने अपनी संस्थाओं के परिसरों की सफाई का कार्य किया।
- मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई के एनएसएस प्रकोष्ठ ने मरीना बीच पर एक वाकाथन कार्यक्रम आयोजित किया और कोयम्बदू बस स्टैंड तथा कुछ उप शहरी रेलवे स्टेशनों पर सफाई अभियान चलाया।
- पुद्दुचेरी के एनएसएस प्रकोष्ठ ने भारतीय पार्क, पुद्दुचेरी में 26.09.2014 को प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग 200 एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान और हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया।
- दयालबाग शिक्षा संस्थान, आगरा के कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारियों के साथ 310 एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्थानीय गौशाला सफाई परियोजना की।
- देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार की एनएसएस ईकाई ने गायत्री कुंज आश्रम में सफाई अभियान चलाया और धूल और रोगों के विरूद्ध लेक्चर सत्र भी आयोजित किए।
- बरेली के 2 स्कूलों के एनएसएस स्वयंसेवकों ने शहर की विभिन्न सड़कों की सफाई की और सड़क के किनारे कूड़ादान रखे।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की एनएसएस ईकाई ने सफाई के संबंध में पोस्टर प्रतिस्पर्धा संचालित की जिसमें 10 कॉलेजों के 861 एनएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सफाई के संबंध में लेक्चर सत्रों का भी आयोजन किया गया।
- पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के चार कॉलेजों के 190 एनएसएस स्वयंसेवकों ने गाजर घास हटाने के अभियान में भाग लिया।

उन्होंने गाजर घास के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार भी किया।

- कर्नाटक राज्य के 22 कॉलेजों की एनएसएस ईकाइयों ने नालियों की सफाई और अपने विशेष शिविरों के दौरान अपनाए गए गांवों में पार्थी नियम हटाने का अभियान चलाया। लगभग 1,580 मीटर नालियों की सफाई की गई।
- केरल में तकनीकी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पेरीथलमना के 80 एनएसएस स्वयंसेवकों ने सरकारी अस्पताल के परिसरों की सफाई की और अस्पताल में छोटे भाग भी विकसित किए।
- कर्नाटक राज्य में 100 कॉलेजों के पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के 4000 एनएसएस स्वयंसेवकों ने विशेष अभियान कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपनाए गए गांव में समुदाय हॉल, स्कूल भवनों, मंदिरों की सफाई के लिए एक दिन में 3 घंटे समर्पित किए।
- श्री अयप्पा महिला कॉलेज, नागरकोइल की 150 बालिका एनएसएस स्वयंसेवकों ने थुक्काली बस स्टैंड परिसर की सफाई का अभियान चलाया। 200 एनएसएस स्वयंसेवकों ने झाड़ियों और अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर अपने कॉलेज परिसरों की सफाई की। उन्होंने कॉलेज परिसरों में वर्षा जल सिंचाई तालाब की सफाई भी की।
- विवेकानंदा केंद्र और यूनिसेफ के सहयोग से 50 बालिका एनएसएस स्वयंसेवकों ने "हरित रामेश्वरम" शीर्षक के एक पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया। उन्होंने रामेश्वरम बीच, मंदिर परिसरों की सफाई, कूड़े की निकासी की सफाई गतिविधियों तथा पौध रोपड़ का आयोजन किया।
- कराइकल पॉलीटेक्निक कॉलेज के 100 एनएसएस स्वयंसेवकों ने महिलाओं के लिए दो प्रशाधन केंद्रों और अपने विशेष सिविल कार्यक्रम के दौरान कोन्नाकवेली गांव के ग्रामीणों के लिए दो शौचालयों का निर्माण किया।
- अय्या नाडर जानकी कॉलेज के 75 एनएसएस स्वयंसेवकों ने शिवाक्षी रेलवे स्टेशन और तमिलनाडु में कॉलेज परिसर की सफाई की।
- कर्नाटक में राइचुर, बीदर, मांड्या और सिरसी जिले के 60 से अधिक कॉलेजों के स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए 3337 मीटर नालियों की सफाई की गई और 70 गांव में 12 एकड़ पार्थी नियम हटाए गए। स्वयंसेवकों ने अपनाए गए गांव से सभी प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री हटाई। उन्होंने प्राथमिक स्कूल भवनों, शहकारी सोसायटियों, समुदाय कक्षों और अस्पतालों की सफाई भी की।
- केरल में 115 कॉलेजों और 82 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 10,350 एनएसएस स्वयंसेवकों ने हमारे दैनिक जीवन में सफाई का संदेश देते हुए स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और प्लास्टिक, कैरीबैग और अन्य अपशिष्ट सामग्रियां एकत्रित की।
- हिमाचल प्रदेश में 253 कॉलेजों और स्कूलों ने 253 सफाई अभियान चलाए और स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए 15,319 स्वयंसेवकों ने 2,47,500 घंटे समर्पित किए तथा उन्होंने 253 स्थानों की सफाई की।
- चंडीगढ़ में 12 विश्वविद्यालयों के 163 कॉलेजों और 219 स्कूलों ने 345 गांवों में 51,596 घंटे समर्पित करते हुए 395 स्थानों की सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन पर 223 से अधिक रैलियों का आयोजन किया गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान

प्रस्तावना

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी), श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु आरजीएनआईवाईडी अधिनियम, 2012 के कानून द्वारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" है। आरजीएनआईवाईडी की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में 1983 में की गई थी और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में 'डी–नोवो' के तहत 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा दिया गया था।

आरजीएनआईवाईडी अपने बहुआयामी कार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो देश भर में विस्तार एवं आउटरिच कदमों के अतिरिक्त युवा विकास के विभिन्न आयामों को शामिल करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है, युवा विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेमिनार शोध में शामिल होता है और राज्य एजेंसियों तथा युवा संगठनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

यह संस्थान मंत्रालय के लिए एक विचारक के रूप में कार्य करता है और देश में युवाओं से संबंधित गतिविधियों का प्रमुख संगठन है। राष्ट्र स्तर पर सर्वोच्च संस्थान होने के नाते यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एनएसएस, एनवाईकेएस और अन्य युवा संगठनों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है। यह संस्थान युवाओं को ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय क्षेत्रों में युवा विकास गतिविधियों के फैसिलिटेटर के रूप में युवाओं के प्रशिक्षण हेतु एक नोडल एजेंसी है। आरजीएनआईवाईडी देश में एक युवा आबजरबेट्री तथा डिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है जो युवाओ से संबंधित मुद्दों पर युवा निगरानी करता है। इसका युवाओं के कल्याण और विकास के लिए कार्यरत विभिन्न संगठनों के साथ व्यापक नेटवर्क हैं और यह एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है।

आरजीएनआईवाईडी का दृष्टिकोण वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त करना और युवा विकास के क्षेत्र में शैक्षिक उत्कृष्टता का मान्य केंद्र बनना है।

vkjth,uvkbZokbZMh dh vfHk'kklu lajpuk

भारत के माननीय राष्ट्रपति संस्थान के विजीटर है। संस्थान की बहुआयामी गतिविधियों की मॉनीटरिंग कार्यकारी परिषद्, शैक्षिक परिषद्, वित्त समिति और निर्माण एवं कार्य समिति द्वारा की जाती है। कार्यकारी परिषद् की अध्यक्षता विजीटर द्वारा नामित किए जाने वाले शैक्षिक योग्यता के एक प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा की जाती है।

निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो संस्थान के दैनिक कार्यकरण का समन्वय करता है और संस्थान के विभिन्न प्रभागों/केंद्रों/विभागों के माध्यम से युवा विकास कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

आरजीएनआईवाईडी की कुल संस्वीकृत स्टाफ संख्या 65 है जिसमें से 31.12.2014 के अनुसार वास्तविक संख्या 35 थी।

vkjth,uvkbZokbZMh dk dk;ZØe@xfrfof/k;k

शैक्षिक कार्यक्रमः आरजीएनआईवाईडी 6 स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है नामतः (i) युवा सशक्तिकरण, (ii) कैरियर काउंसलिंग, (iii) जेंडर अध्ययन, (iv) स्थानीय शासन, (v) जीवन कौशल शिक्षा और (vi) विकास पद्धति। इन पाठ्यक्रमों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 120 छात्र है।

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माणः आरजीएनआईवाईडी देश भर में युवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न शीर्शकों अर्थात् युवा नियोजनियता कौशल, सामाजिक उद्यमशीलता, जेंडर समानता, जीवन कौशल और आपदा तैयारी तथा जोखिम में कमी करना, उद्यमशीलता तथा आजीविका मुददों, वित्तीय प्रबंधन और पूंजी उगाहने, सामाजिक उद्यमशीलता, युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास, युवा शांति दूत, सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता, महिला नेतृत्व तथा भागीदारी, उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण इत्यादि के संबंध में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम (प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण सहित) आयोजित करता है।

शोध कार्यक्रमः आरजीएनआईवाईडी युवा अध्ययन के संबंध में अंतर–विषयक डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान करता है।

2014&15 ds nkSjku çn'kZu@?kVukØe

'kSf{kd dk;Øe

आरजीएनआईवाईडी ने अपने 6 स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखा, जिनमें पहले वर्ष (2014–16 बैच) में 75 छात्र और दूसरे वर्ष (2013–15 बैच) में 66 छात्र थे। वास्तव में, छात्रों का नामांकन 2012–13 में 51 से बढ़कर 2014–15 में 75 हो गया है।

शैक्षिक प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए आरजीएनआईवाईडी ने 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान 10 सेमिनार/कार्यशालाएं/सम्मेलन/परामर्श आयोजित किए है। इन कार्यक्रमों में से कुछ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। संस्थान ने दो संकाय विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए।

संस्थान की शैक्षिक परिषद ने समुदाय मनो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित एक डिप्लोमा कार्यक्रम (बीएएलएम, बनयन के सहयोग से) और परिधान और फैशन डिजाइनिंग में एक बी.वोक. (व्यावसायिक स्नातक) कार्यक्रम के अगले शैक्षिक वर्ष से आरंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं।

çf'k{k.k@{kerk fuekZ.k

2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक), 8021 भागीदारों को शामिल करते हुए 98 प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 1620 भागीदार "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम के अंतर्गत थे। विभिन्न विषयों पर 14 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के 828 भागीदारों को शामिल करते हुए आयोजन किया गया है। आरजीएनआईवाईडी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:

क) आरजीएनआईवाईडी के अंतर्गत जनजातीय युवाओं और पूर्वोत्तर युवाओं के विकास पर ध्यान देने के लिए एक नया जनजातीय एवं पूर्वोत्तर युवा विकास विभाग गठित किया गया है। जनजातीय एवं पूर्वोत्तर युवा विकास के लिए नीतियां तैयार करने हेतु दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था।

ख) एक नया आउटरिच कदम नामतः "युवा केंद्रित विकास" आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत 250 कॉलेजों के संपर्क के माध्यम से टायर–II और टायर–III शहरों में वरीयता रूप से युवा विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आरंभ में इस कदम के अंतर्गत लगभग 25,000

युवाओं को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है।

ग) आरजीएनआईवाईडी होम स्टे कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है और युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन/उनमें भागीदारी करता है।

घ) संस्थान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता तैयार करने के लिए एक अनन्य समुदाय रेडियो आउटरिच कार्यक्रम भी चलाता है।

ड.) संस्थान ने आकांक्षा नामक एक नई व्याख्यान श्रृंखला भी आरंभ की है जिसके लिए विविध क्षेत्रों से विद्वानों को लेक्चर प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

'kk/k dk;Øe

आरजीएनआईवाईडी 2011 से युवा विकास पर केंद्रित अंतर–विषयक पी.एचडी. कार्यक्रम प्रदान करता रहा है। वर्ष 2014–15 के लिए पूर्णकालीन पी.एचडी. कार्यक्रम के लिए तीन अभ्यर्थियों को चुना गया था।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), तिरुवनंतापुरम के सहयोग से आरजीएनआईवाईडी ने तमिलनाडु माइग्रेशन सर्वेक्षण (टीएमएस) के संबंध में एक शोध परियोजना की है।

pMhx< e vkj th,uvkbokbMh {k=h; dæ

आरजीएनआईवाईडी क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में 2013–14 में की गई थी। राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम–एशिया केंद्र (सीवाईपी) जिसने अपनी पुनः संरचना के भाग के रूप में चंडीगढ़ में अपनी गतिविधियां बंद कर दी है, की अवसंरचना आरजीएनआईवाईडी को चंडीगढ़ में उसके क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए आबंटित की गई है। क्षेत्रीय केंद्र ने कंप्यूटर कौशल में प्रशिक्षित 264 युवाओं सहित 9762 युवा और युवा कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए 23 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किए है। केंद्र ने महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है।

2014&15 d nkjku dN çe[k dk;Øe@boV

विकास के संबंध में युवा दृष्टिकोण संबंधी प्रकटनः आरजीएनआईवाईडी, यूएन सैल्यूशन एक्सचेंज के जेंडर समुदाय और बाहा आई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, नई दिल्ली ने सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म – ब्लॉग्स, फेसबुक, यू ट्यूब, ट्वीटर, का प्रयोग करते हुए 1 जून से 30 जून, 2014 तक विकास के संबंध में युवा दृष्टिकोण संबंधी प्रकटन आरंभ किया है।

भारत में युवा रोजगार – प्रवर्ती, चुनौतियां, नीतिगत उपाय संबंधी परामर्शी बैठकः आरजीएनआईवाईडी ने भारत में युवा रोजगार – प्रवर्ती, चुनौतियां, नीतिगत उपाय पर आरजीएनआईवाईडी के क्षेत्रीय केंद्र, चंडीगढ़ में 26.06.2014 को एक परामर्शी बैठक आयोजित की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र सैल्यूशन एक्सचेंज, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन संगठन (आईओएम), सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), गुजरात विकास शोध संस्थान (जीआईडीआर), मद्रास विकास अध्ययन संस्थान (एमआईडीएस) इत्यादि ने कार्यशाला में भाग लिया।

राष्ट्रीय आयरलैंड विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक सहयोगः डॉक्टर अनासटाशिया क्रिकले, प्रोफेसर तथा प्रमुख, एप्लाइड सामाजिक विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आयरलैंड विश्वविद्यालय, मैनूथ ने अपनी टीम के साथ आरजीएनआईवाईडी तथा राष्ट्रीय आयरलैंड विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 2 दिसंबर, 2014 को आरजीएनआईवाईडी का दौरा किया। विचार–विमर्शों के दौरान, राष्ट्रीय युवा नीति अवसंरचना के संबंध में संयुक्त रूप से एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। छात्र एवं संकाय आदान–प्रदान

कार्यक्रमों सहित शैक्षिक सहयोग के अन्य पहलुओं पर भी विचार–विमर्श किया गया।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए समेकित ग्रामीण विकास केंद्र के साथ परामर्शी बैठक (सीआईआरडीएपी), बांग्लादेशः सहयोगी शोध, युवा आदान–प्रदान दौरे, प्रदर्शन दौरे और सीआईआरडीएपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी जैसी विभिन्न गतिविधियों को शामिल करते हुए पांच वर्ष (2014–19) के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु सीआईआरडीएपी के अधिकारियों के साथ 26 मई, 2014 को एक बैठक आयोजित की गई।

भारत में आईसीटी आधारित ग्रामीण महिला उद्यमशीलता संबंधी सीआईआरडीएपी – आरजीएनआईवाईडीः आरजीएनआईवाईडी और सीआईआरडीएपी ने आरजीएनआईवाईडी के परिसर में 23–27 सितंबर, 2014 के दौरान बांग्लादेश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर भारत में आईसीटी आधारित ग्रामीण महिला उद्यमशीलता संबंधी 5 दिवसीय कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन किया।

सार्क युवा नेतृत्व सम्मेलनः 178 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सितंबर, 2014 में चंडीगढ़ में सार्क युवा नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। सार्क युवा नेतृत्व सम्मेलन में सार्क देशों में युवाओं को युवा विकास के लिए उभरते हुए मुद्दों पर विचार रखने हेतु एक क्षेत्रीय मंच प्रदान किया।

"मॉडल संयुक्त राष्ट्र" में आरजीएनआईवाईडी के छात्रों के नेतृत्व और भागीदारी संबंधी युवा विकास कार्यक्रमः आरजीएनआईवाईडी ने आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से 5–7 सितंबर, 2014 के दौरान आईआईटी गुवाहाटी में युवा विकास कार्यक्रम, नेतृत्व और भागीदारी – "मॉडल संयुक्त राष्ट्र" का आयोजन किया। यह कार्यक्रम युवाओं को युवा आधारित विकास एजेंडा के माध्यम से व्यावसायिक नेतृत्व के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के मॉडल के अनुरूप था। विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सदस्य देषों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडलों ने निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और तेहरान समझौते पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार रखे।

राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के प्रसार तथा राज्य युवा नीति की एडवोकेशी हेतु कार्यशालाः राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 के प्रसार तथा राज्य युवा नीति की एडवोकेशी हेतु आरजीएनआईवाईडी द्वारा नागालैंड के युवा संसाधन और खेल विभाग के सहयोग से 21 नवंबर, 2014 को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

आपदा तैयारी तथा जोखिम में कमी करने के संबंध में टीओटीः आरजीएनआईवाईडी ने 25–31 अगस्त, 2014 को आशा, होली क्रॉस लामबुचरा, त्रिपुरा में आपदा तैयारी और जोखिम को कम करने के संबंध में 7 दिवसीय टीओटी का आयोजन किया।

आरजीएनआईवाईडी ने एनएसएस प्रकोष्ठ तथा महिला अध्ययन केंद्र, तेजपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से 27–28 नवंबर, 2014 के दौरान महिला नेतृत्व के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और स्थानीय शासन में भागीदारी का संचालन किया जिसका तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम में आयोजन किया गया था। सत्रों में पीआरआई में महिलाएं, महिला अधिकार, संघर्ष प्रबंधन और समस्या निवारण, विकास आयोजना तथा बजटीकरण, निर्णय निर्धारण में महिलाएं इत्यादि संबंधी शीर्षक शामिल थे।

आरजीएनआईवाईडी ने 10 दिसंबर, 2014 को मेघालय में आरजीएनआईवाईडी के युवा आधारित आउटरिच विकास कार्यक्रम युवा तथा उद्यमशीलता संबंधी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

समावेशन एवं सामाजिक न्याय संबंधी परामर्शी कार्यशालाः आरजीएनआईवाईडी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत और वंचित युवा (डीएसईडीवाई) विभाग की गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने तथा एनवाईपी 2014 में उल्लिखित लक्षित समूहों के लिए नवाचारी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एनवाईपी 2014 में परिकल्पित समावेशी विकास के संबंध में विचार रखने के लिए 16 अप्रैल, 2014 को समावेशन एवं सामाजिक न्याय संबंधी एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया।

आरजीएनआईवाईडी ने हाथ से मैला ढ़ोने के रूप में नियोजनियता की रोकथाम और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का डॉक्टर अम्बेडकर आर्थिक अध्ययन केंद्र, मद्रास विश्वविद्यालय की सहभागिता से आयोजन किया ताकि हाथ से मैला ढ़ोने के मुद्दे को संवेदी बनाया जा सके तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक नौकरियों और रोजगार के अवसरों का पता लगाया जा सके।

उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण संबंधी कार्यशालाः आरजीएनआईवाईडी ने 7–12 अक्तूबर, 2014 को आरजीएनआईवाईडी में उच्च शिक्षा में महिला प्रबंधकों के क्षमता निर्माण संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया। लक्षित समूह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के अनुसूचित जाति से संबद्ध शिक्षाविद् शामिल थे जो संभावित रूप से वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों को ग्रहण करेंगे।

युवा उद्यमशीलता संबंधी क्षमता निर्माण प्रशिक्षणः आरजीएनआईवाईडी ने एनवाईकेएस के सहयोग से 21–23 सितंबर, 2014 को किशनगंज, बिहार में युवा उद्यमशीलता संबंधी तीन दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन किया।

सामाजिक एनीमेटर के रूप में जनजातीय युवाओं का प्रशिक्षणः आरजीएनआईवाईडी ने एनवाईकेएस, रायपुर के सहयोग से 1–5 सितंबर, 2014 को रायपुर, छत्तीसगढ़ ने सामाजिक एनीमेटर के रूप में जनजातीय युवाओं के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियां, स्वास्थ्य मुद्दें, संविधान सम्मत सुरक्षा और नेतृत्व के मुद्दे विचार–विमर्श किए गए। कुछ शीर्षक थे।

महिला सामाजिक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमः आरजीएनआईवाईडी तथा ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से महिला सामाजिक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम संबंधी तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक उद्यमशीलता पर युवा महिलाओं में जागरूकता पैदा करना, प्रेरित करना और उन्हें प्रशिक्षित करना था।

महिला नेतृत्व और भागीदारी संबंधी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमः आरजीएनआईवाईडी ने मदुरई, तमिलनाडु में 1 अगस्त और 2 अगस्त, 2014 को चुनिंदा महिला पंचायत प्रधानों के लिए महिला नेतृत्व और भागीदारी के संबंध में दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का केंद्र "पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधियन स्रोत" पर था।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को दूर करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आयोजन में आरजीएनआईवाईडी ने सामाजिक कार्रवाई हेतु महिला संघ (एफएएसए) तथा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, चेन्नई के साथ 25.11.2014 को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, चेन्नई में पुलिस कर्मियों के लिए जेंडर संवेदी कार्यक्रम का आयोजन किया।

युवा नेतृत्व को 21वीं सदी के लिए पुनः आकार देनाः आरजीएनआईवाईडी चंडीगढ़ में आरजीएनआईवाईडी के क्षेत्रीय केंद्र ने 11–14 दिसंबर, 2014 के दौरान 5 दिवसीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में प्रौढ़ अधिगम सिद्धांतों के आधार पर नेतृत्व के गुण पैदा करना था।

विकास तथा शांति के लिए खेल संबंधी कार्यकशालाः आरजीएनआईवाईडी के क्षेत्रीय केंद्र ने 26–30 जनवरी, 2015 को विकास एवं शांति के लिए खेल संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया।

jk"Vªh; ;qok ,oa fd'kksj fodkl dk;ZØe

çLrkouk

राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) मंत्रालय की एक "अम्ब्रेला योजना" है। जिसके तहत सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों को युवाओं तथा किशोर विकास के लिए गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हैं। एनपीवाईएडी के अंतर्गत सहायता 5 प्रमुख घटकों के अंतर्गत प्रदान की जाती है, नामतः

क) युवा नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण।

ख) राष्ट्रीय एकता का संवर्धन (राष्ट्रीय एकता कैंप, अंतर राज्य युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम, युवा उत्सव, बहु–सांस्कृतिक गतिविधियां इत्यादि)।

ग) साहस का संवर्धनः तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार।

घ) किशोरों का विकास और सशक्तिकरण (जीवन कौशल शिक्षा, काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस इत्यादि)।

ङ) तकनीकी तथा संसाधन विकास (युवा मामलों के संबंध में शोध तथा अध्ययन, प्रलेखन, सेमिनार/कार्यशाला)।

lapkyu fn'kk&funsZ'k

सहायता पात्र संगठनों में ऐसी सभी स्वायत्त संगठन शमिल हैं जो सरकार द्वारा आंसिक अथवा पूर्णतः वित्तपोषित, पंजीकृत सोसायटियां, न्यास, एनजीओ, विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राज्य स्तरीय संगठन जैसे कि राज्य सरकार के विभाग, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय, शिक्षा संस्थाएं इत्यादि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 से योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले सभी संगठनों को स्वयं को योजना आयोग द्वारा विकसित "एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम" सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन पंजीकृत करवाना अपेक्षित होता है।

योजना के लाभार्थी 15–29 वर्ष आयु समूह में युवा और 10–19 वर्ष आयु समूह में किशोर होते हैं। सहायता के लिए वित्तीय मानदंड योजना के तहत गतिविधि के हर प्रकार के लिए योजना में दिए गए हैं।

सहायता सचिव, युवा कार्यक्रम की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की सिफारिश के आधार पर अनुमोदित की जाती है। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक), अखिल भारतीय स्तर के संगठनों के अतिरिक्त 160 राज्य स्तरीय गैर–सरकारी संगठनों को सहायता मंजूर की गई थी।

jk"Vªh; ;qok mRlo

एनपीवाईएडी के राष्ट्रीय एकता के संवर्धन के घटक (ख) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की वर्षगांठ (12 जनवरी), जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, के आयोजन के लिए जनवरी माह के दौरान एक राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जाता है। यह उत्सव इच्छुक तथा इसकी मेजबानी हेतु सज्जित किसी एक राज्य में आयोजित किया जाता है। व्यय को केंद्र तथा मेजबान राज्य के बीच साझा किया जाता है। उत्सव के भाग के रूप में आयोजित कार्यक्रमों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम (प्रतिस्पर्धी और गैर–प्रतिस्पर्धी दोनों), युवा समारोह, सुविचार, प्रदर्शनियां, साहस कार्यक्रम इत्यादि शामिल होते हैं। इस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 5000 युवा आते हैं। 19वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन 8–12 जनवरी, 2015 के दौरान गुवाहाटी, असम में किया गया था। युवा कार्यक्रम विभाग ने असम सरकार को सहायता संस्वीकृत की जिसे उत्सव के लिए अनुमानित कुल 6 करोड़ रुपए की लागत के 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

jk"Vªh; ;qok iqjLdkj

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रत्येक वर्ष राष्ट्र निर्माण/समुदाय सेवा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु युवा व्यक्तियों और गैर–सरकारी संगठनों को दिए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 40,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति–पत्र दिया जाता है। स्वयंसेवी युवा संगठनों को पुरस्कार में एक प्रमाण–पत्र तथा 2 लाख रुपए की राशि शामिल होती है। इस वर्ष विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 28 युवाओं और 2 संगठनों को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पुरस्कार 12 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय युवा उत्सव के समापन समारोह के दौरान प्रदान किए गए थे।

rsufTkax ukWxsZ jk"Vªh; lkgl iqjLdkj

तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार जमीन, जल और हवा में साहस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5.00 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति–पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार के समान है। नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष के अगस्त महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अर्जुन पुरस्कारों के साथ प्रदान किए जाते हैं। 2014–15 के दौरान ये पुरस्कार 29.08.2014 को 4 व्यक्तियों को दिए गए थे।

19th National Youth Fes
Guwahati, 8th - 12th January, 201
ONE ACT PLAY
Department of Youth Affairs
Ministry of Youth Affairs & Sports, Govt. of In
Directorate of Sports & You Welfare, Govt. of

stival 2015
Assam
बांधव
Guwahati, 8th - 12th January, 2015

;w,u,Qih, lefFkZr fd'kksj LokLF; ,oa fodkl ifj;kstuk

यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए यूएनएफपीए (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) के निधियन के बड़े कार्यक्रम का भाग है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किशोरों का क्षमता निर्माण करना है। यह परियोजना 2004 से क्रियान्वयन के अधीन है (यूएनएफपीए का देश प्लान–6)। 11वीं योजना अवधि के दौरान परियोजना (यूएनएफपीए का देश प्लान–7) पर 13.57 करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ था। वर्तमान में, यूएनएफपीए का देश प्लान–8 क्रियान्वयन के अधीन है। यह परियोजना एनवाईकेएस के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 2013–14 के दौरान, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केलैंडर वर्ष 2014 के दौरान एनवाईकेएस को 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। केलैंडर वर्ष 2015 के लिए वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है और शीघ्र ही निधियां जारी की जा रही हैं।

ihchMh & 2015 dk igyk fnu dks ;qok ihchMh ds :i esa eukuk

7–9 जनवरी, 2015 के दौरान गांधीनगर, गुजरात

में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी), 2015 का आयोजन किया गया और पिछले वर्ष के समान पीबीडी के पहले दिन अर्थात् 7 जनवरी, 2015 को युवा प्रवासियों पर ध्यान देने के लिए युवा पीबीडी के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, विभाग विदेशी भारतीय मामलों के मंत्रालय और गुजरात सरकार के साथ संयुक्त आयोजक के रूप में इस इवेंट के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा।

vrjk"Vªh; lg;kx

çLrkouk

विभाग का प्रयास विभिन्न युवा मुद्दों पर अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/संगठनों के सहयोग से युवाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा करना है। यह विभाग यूएन एजेंसियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक (यूएनवी)/संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (यूएनडीपी) और राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) के साथ युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी सहयोग करता है।

vrjk'Vªh; ;qok vknku&çnku

मित्र राष्ट्रों के साथ पारस्परिक आधार पर विभिन्न देशों के युवाओं के बीच विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान–प्रदान का संवर्धन करने और शांति तथा समझ का संवर्धन करने के लिए युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया जाता है। यह युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करता है।

वर्तमान में, मंत्रालय के दक्षिण कोरिया और चीन के साथ जारी नियमित वार्षिक युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम है जो 2006 से जारी हैं। प्रत्येक वर्ष दक्षिण कोरिया के साथ 20 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान किया जाता है। भारत और चीन 2011 को छोड़कर जिसे "भारत–चीन आदान–प्रदान करने का वर्ष" के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें 500 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों का दोनों

देशों के बीच आदान–प्रदान किया गया था, 2006 से 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चीन के राष्ट्रपति महामहिम जी जिनपिंग की सितंबर, 2014 में भारत की यात्रा के दौरान 2015 से 200 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश से 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल 2012 से भारत की यात्रा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, समय–समय पर अन्य देशों के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं परंतु यह नियमित वार्षिक इवेंट नहीं होते हैं। 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक), निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे:

tqykbZ 2014	वाई–20 समिट में भाग लेने के लिए सिडनी, आस्ट्रेलिया को 5 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा।
vxLr] 2014	दक्षिण कोरिया को 20 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा
flrEcj] 2014	■ भारत में 100 सदस्यीय चीनी युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ■ भारत में 20 सदस्यीय दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल की यात्रा
vDrwcj] 2014	भारत में 100 सदस्यीय बांग्लादेशी युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा
uoEcj&fnlEcj] 2014	चीन में 100 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

उपरोक्त के अतिरिक्त 8 सदस्यीय भारतीय युवा प्रतिनिधिमंडल "वैश्विक युवा नेता कार्यक्रम" में भाग लेने के लिए 21.01.2015 से 09.03.2015 तक जापान की यात्रा कर रहा है।

मंत्रालय ऐसे और युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आरंभ करने के गंभीर प्रयास करता रहा है। 2014–15 के दौरान वियतनाम और नेपाल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन देशों के साथ युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सार्क राष्ट्रों, म्यांमार, इंडोनेशिया, फ्रांस इजरायल, ब्राजील, तुर्की न्यूजीलैंड, अर्जेन्टीना, बेलारस, चिली, मोजाम्बिक, कुवैत, बहरीन इत्यादि सहित कई अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने/युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

;w,u ,tsfl;ksa@lhokbZih ds lkFk lg;ksx

संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक (यूएनवी)/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी): यह मंत्रालय युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर इन एजेंसियों के साथ घनिष्ठता से कार्य करने के प्रयास कर रहा है। भारत ने यूएनवी कार्यक्रम के लिए भारत के स्वयंसेवी योगदान के रूप में 15,000 डॉलर प्रतिवर्ष जारी किए हैं। हाल ही में, "एनवाईकेएस और एनएसएस के सुदृढ़ीकरण" के लिए यूएनडीपी/यूएनवी के साथ संयुक्त रूप से एक परियोजना तैयार की गई है जिसे क्रियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

यह परियोजना 2017 तक 4 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित की जानी अपेक्षित है। परियोजना की कुल लागत 23,43,434 अमेरिकी डॉलर है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 14,93,434 अमेरिकी डॉलर है और यूएनवी/यूएनडीपी का हिस्सा 8,50,000 अमेरिकी डॉलर है।

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी): सीवाईपी 1973 से अस्तित्व में है और पूर्व में इसे लंदन में मुख्यालय और भारत, गुआना, जाम्बिया और सोलोमन द्वीप समूह में चार क्षेत्रीय केंद्रों से संचालित किया जा रहा था। तथापि, 2013–14 के दौरान सीवाईपी ने पुनर्गठन कार्रवाई के रूप में अपने सभी क्षेत्रीय केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया जो अन्य बातों के साथ–साथ इनकी निधि संबंधी बाध्यताओं के कारण आवश्यक था। तदनुसार चंडीगढ़ में सीवाईपी के क्षेत्रीय केंद्र को 28.02.2014 से बंद कर दिया गया है। भारत लगभग 1.15 करोड़ रुपए की वार्षिक वचनबद्ध राशि सीवाईपी को प्रदान करता है। नई अवसंरचना के अंतर्गत सीवाईपी द्वारा भारत में एक प्रतिनिधि स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए विभाग ने अधिकारिक स्थान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

;qok Nk=kokl

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें। युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। जबकि केन्द्र सरकार निर्माण की कुल लागत वहन करती है, राज्य सरकार जल आपूर्ति, बिजली के कनेक्शन व पहुंच सड़कों सहित पूर्ण रूप से विकसित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराती है। युवा छात्रावास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व वाले पर्यटन गंतव्यों में शैक्षणिक केन्द्रों में अवस्थित हैं। युवा छात्रावास उचित दरों पर युवाओं को अच्छे आवास प्रदान करते हैं।

इन युवा छात्रावास की देखरेख, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधकों द्वारा की जाती है। मंत्रालय अधिमानतः युवा छात्रावास के कैचमेन्ट क्षेत्र से सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों, जिन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, से युवा छात्रावासों के लिए प्रबंधकों का चयन करता है।

नई नियुक्ति नीति के तहत, वरीयता रूप से होटल प्रबधन/युवा विकास/एमबीए /एलएसडब्लयू/ एमएसडब्लयू में डिग्री और छात्रावास /होटल उद्योग के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिनका युवा गतिविधियों का कार्यकारी अनुभव हो

भी युवा छात्रावासों में प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं। पद के लिए नियुक्ति हेतु 35 वर्ष से 62 वर्ष के बीच की आयु सीमा 3 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए पूर्णतयाः अनुबंध आधार पर की जाती है, जिसका प्रबंधक के प्रदर्शन के आधापर पर विस्तार किया जा सकता है, परंतु किसी भी मामले में यह 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगा।

अब तक देश में 83 युवा छात्रावासों का निर्माण किया गया है और रोइंग (अरूणाचल प्रदेश में एक और युवा छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 83 युवा छात्रावासों में से 11 छात्रावासों को युवा और खेल विकास के इष्टतम उपयोग हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन(एनवाईकेएस)/भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई)/संबंधित राज्य सरकारों को हस्तातंरित किया गया है और बाकी 72 छात्रावास विभाग के सीधे नियंत्रण में है। चार युवा छात्रावासों नामतः डलहोजी (हिमाचल प्रदेश), जोधपुर (राजस्थान) मैसूर (कर्नाटक) और पुद्दुचेरी ने आईएसओ 9001:2008 प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है। दो और युवा छात्रावासों, नामतः आगरा (उत्तर प्रदेश) और पणजी (गोवा) को आईएसओ 9001:2008 प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

युवा छात्रावासों का विवरण अनुबंध iv और v में दिया गया है।

LdkmfVax vkj xkbfMax

iLrkouk

यह विभाग देश में स्काउट और गाइड आंदोलन का संवर्धन करने के उद्देश्य से स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता प्रदान करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य युवा लड़कों और लड़कियों में चरित्र निर्माण, विश्वास, आदर्शवाद और देशभक्ति और सेवा की भावना पैदा करना है। स्काउट और गाइड का प्रयास लड़कों और लड़कियों में संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास का संवर्धन करना भी है।

प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, कौशल विकास कार्यक्रमों, जम्बूरी आदि के आयोजन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अन्य बातों के साथ–साथ इन कार्यकलापों में प्रौढ़ साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, समुदाय सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता तथा सेनीटेशन के संवर्धन से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान इस आशय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित की गयी थी कि सहायता केवल उन स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को दी जाएगी जो खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल संघों के मामले में लागू 'सुशासन' के मानदंडों का अनुपालन करते हों।

2014&15 d nkjku iin"ku@xfrfof/k;k

वर्ष 2014–15 के दौरान भारत स्काउटस एवं गाइडस तथा हिंदुस्तान स्काउटस एवं गाइडस को विभिन्न स्काउटिंग एवं गाइडिंग गतिविधियों के लिए 100 लाख रूपए की राशि जारी की गयी है।

वर्ष के दौरान भारत स्काउटस एवं गाइडस (बीएसएंडजीद्ध ने कई गतिविधियों का आयोजन किया। 1500 स्काउटस एवं गाइडस की भागीदारी के साथ तीन राष्ट्रीय एकता कैम्पों का आयोजन किया गया। एक कब/बुलबुल उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें 300 कब/बुलबुल ने भाग लिया। लगभग 1000 युवाओं की भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत अभियान संबंधी एक विशेष युवा नेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। 4000 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ कौशल विकास और नेतृत्व संबंधी एडल्ट लीडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2000 भागीदारों के साथ राष्ट्रीय साहस संस्थान, पचमढ़ी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्काउंटे और गाइडस ने पाकिस्तान में सार्क कैम्प सहित अंतर्राष्ट्रीय कैम्पों और इवेंटों में भाग लिया। 500 युवा नेताओं को जम्बूरी ऑन द एयर (जोटाद्ध के माध्यम से वर्ष के दौरान दो बार आपदा तैयारी हेतु वायरलैस संचार से परिचित करवाया गया। श्रीनगर (जम्मू और कशमीर) के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए निधियां उगाहने हेतु विशेष सेवा कैम्पों और अभियानों का आयोजन किया गया। भारत स्काउट्स एवं गाइडस ने बालिकाओं में आत्म विश्वास बढ़ाने और विश्व शांति स्थापित करने के लिए समुदाय सेवा और विकास के संवर्धन के लिए ''मेसेंजर ऑफ पीस'' और ''फ्री बीइंग मी'' का भी आयोजन किया।

हिंदुस्तान स्काउटस एवं गाइडस (एचएसएंडजी) ने वर्ष के दौरान 1500 स्काउटस एवं गाइडस को शामिल करते हुए छः प्रवेशिका प्रशिक्षण कैम्पों, 1000 स्काउटस और गाइडस को शामिल करते हुए छः कोमल पेड़ प्रशिक्षण कैम्पों, 700 स्काउटस और गाइडस को शामिल करते हुए छः तीय पेड़ प्रशिक्षण कैम्पों, 715 स्काउटस और गाइडस को शामिल करते हुए छः क्षेत्रीय स्काउटस एवं गाइडस पेट्रोल नेता प्रशिक्षण कैम्पों, 680 अध्यापकों के साथ छः स्काउटर्स गाइडर्स प्रशिक्षक (शिक्षक) प्रशिक्षण कैम्पों के आयोजन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, लगभग 2.50 लाख युवाओं को शामिल करते हुए विभिन्न राज्यों में स्काउटिंग एवं गाइडिंग के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कैम्पों का आयोजन किया गया। बालिकाओं (बुलबुल/गाइडर्स/रेंजर्स) के लिए विशेष आत्म–रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और ''स्वच्छ भारत अभियान'' के संबंध में विशेष युवा नेता प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

युवा कार्यक्रम विभाग के लिए परिणाम

रूपरेखा दस्तावेज
(आर एफ डी)

(2014–2015)

सत्यमेव जयते

युवा कार्यक्रम विभाग के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज(आरएफडी)–(2014–2015)

खंड 1

विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्य

विजन

युवाओं का विकास और सशक्तिकरण जिससे वे अपनी पूर्ण संभाव्यता को प्राप्त करने में सक्षम हों और उन्हें राष्ट्र–निर्माण के कार्यकलापों में भागीदार बनाना ।

मिशन

युवाओं में अच्छी नागरिकता और स्वयंसेविता के गुणों का विकास करना । युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास । पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर, अन्य कठिन और पिछड़े क्षेत्रों तथा जोखिम सम्भावित युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

उद्देश्य

1. युवा छात्रों के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास
2. युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना
3. युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना
4. प्रशिक्षण और अनुसंधान द्वारा युवा विकास
5. युवा भ्रमण और युवाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना
6. युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना
7. युवाओं में साहस को बढ़ावा देना
8. अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ समाभिरूपता द्वारा युवा विकास

कार्य

1. राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय प्रायोजित राश्ट्रीय सेवा योजना स्कीम (एनएसएस) को कार्यान्वित करना ।

2. नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और इसके कार्यक्रमों का संचालन और निगरानी करना ।

3. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) का संचालन और वित्त पोषण तथा इसके कार्यक्रमों की निगरानी करना ।

4. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) को कार्यान्वित करना ।

5. राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्कीम को कार्यान्वित करना ।

6. युवा भ्रमण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा हॉस्टलों के कार्यकरण में सुधार करना ।

7. अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी करना और युवा शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करना ।

8. युवा महोत्सवों का आयोजन करना ।

9. युवाओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देना और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान करना ।

10. स्काउट व गाइड कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना ।

11. अन्य विभागों के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उनके साथ समन्वय की संभावनाओं का पता लगाना ।

[kaM 2

eq[; mís';ksa] lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa dk chp ifjLij ikFkfedrk,

mís';	egRo	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{;@ekin.M eY;				
						mRd"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) युवा छात्रों के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास	18.00	(1.1) राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	(1.1.1) स्वयंसेवकों का 120 घंटे कार्य करना	संख्या	6.00	3400000	3255000	3100000	2800000	2500000
			(1.1.2) स्व–वित्त पोषित इकाईयों (एफएसयू) के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	2.00	275000	250000	225000	200000	175000
			(1.1.3) अपनाए गए गांवों/ स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	शिविरों की संख्या	6.00	14000	13600	13200	12800	12400
		(1.2) राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण	(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित पीओ की संख्या	4.00	5500	5000	4500	4000	3500
(2) युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना	17.00	(2.1) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) स्वयंसेवकों का भर्ती प्रशिक्षण	(2.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों को भर्ती प्रशिक्षण देना	प्रतिशत	3.00	100	90	80	70	60
		(2.2) युवा विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम	(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	1800	1620	1460	1280	1100
			(2.2.2) युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	2000	1800	1600	1400	1200
			(2.2.3) विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	3.00	2900	2800	2700	2600	2500
			(2.2.4) किषोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	युवाओं की संख्या	2.00	900	800	700	600	500
			(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	200	19000	18000	17000	16000	15000

[kM 2

e[; mÌ’;k] lQyrk lpdk vkj y{;k dh chp ijLij ikFkfedrk,

mÌ’;	egÙo	dk;Zokbl	lQyrk lpd	bdkbl	egÙo	y{;@ekin.M eY;				
						mR—"V	cgr vPNk	vPNk	vkl r	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
		(2.3) उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता प्रदान करना	(2.3.1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारों का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	1.00	550	500	480	460	440
(3) युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौषल विकास को बढ़ावा देना	15.00	(3.1) कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संख्या	2.00	6000	5400	4800	4200	3600
			(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास हमदबपमे	संख्या	2.00	6000	5000	4000	3000	2000
		(3.2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	3.00	84000	82000	80000	78000	76000
			(3.2.2) पुरूषों का कौशल उन्नयन	संख्या	2.00	12000	10000	8000	6000	4000
		(3.3) युवाओं के लिए आरजीएनआईवाईडी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	2.00	4300	4200	4100	4000	3900
		(3.4) ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह विपणन	(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	प्रदर्शनियों और उत्सवों की संख्या	2.00	500	450	400	350	300
		(3.5) एसयूटीपी का मूल्यांकन	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	तारीख	2.00	01/11/2014	01/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	01/03/2015

खंड 2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकता

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(4) प्रशिक्षण और अनुसंधान द्वारा युवा विकास	12.00	(4.1) युवा विकास पर आरजीएनआईवाईडी के शैक्षणिक कार्यक्रम	(4.1.1) उपलब्ध सीटों का उपयोग	प्रतिशत	4.00	70	65	60	55	50
			(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	तारीख	2.00	30/01/2015	28/02/2015	07/03/2015	15/03/2015	31/03/2015
		(4.2) आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए संबल व्यक्ति	संख्या	3.00	1500	1400	1300	1200	1100
		(4.3) आरजीएनआईवाईडी द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः क्षमता निर्माण /मांग आधारित कार्यक्रम	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	संख्या	3.00	4500	4000	3500	3000	2500
(5) युवा भ्रमण और युवाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	7.00	(5.1) पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एनआईसी) का आयोजन	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	संख्या	2.00	120	100	80	70	60
		(5.2) जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	(5.2.1) आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम	संख्या	2.00	550	500	450	400	350
		(5.3) जिला युवा सम्मेलन	(5.3.1) आयोजित किए गए सम्मेलन	संख्या	2.00	550	500	450	400	350
		(5.4) इस उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभाव /गुणता मूल्यांकन	(5.4.1) आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशालाए	संख्या	1.00	8	7	6	5	4
(6) युवाओं में अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	6.00	(6.1) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	(6.1.1) आदान–प्रदान दौरे (भेजना और मेजबानी)	दौरों की संख्या	5.00	9	8	7	6	5
		(6.2) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	(6.2.1) आयोजित की गई कार्यशालाएं	तारीख	1.00	30/09/2014	15/10/2014	31/10/2014	15/11/2014	30/11/2014
(7) युवाओं में साहस को बढ़ावा देना	5.00	(7.1) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा साहस कार्यकलाप	(7.1.1) साहस कार्यकलापों में युवाओं की भागीदारी	संख्या	5.00	2200	2000	1800	1600	1400

[kaM 2

eq[; mís';ksa] lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa ds chp ijLij izkFkfedrk,

mís';	egRo	dkjZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{;@ekin.M eY;				
						mRd`"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
(8) अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ समाभिरूपता द्वारा युवा विकास	5.00	(8.1) जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (गृह मंत्रालय)	(8.1.1) प्रतिभागी	संख्या	3.00	1400	1200	1000	840	720
		(8.2) किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (यूएनएफपीए)	(8.2.1) स्कूल छोड़ चुके वे किशोर जिन्हें चयनित ब्लाकों में शामिल किया गया	संख्या	2.00	55000	50000	45000	40000	35000
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	3.00	आरएफडी मसौदा 2015–16 को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	2.0	05/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015
		2013–14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	1.0	01/05/2014	02/05/2014	03/05/2014	06/05/2014	07/05/2014
* मंत्रालय / विभाग में पारदर्शिता सेवा निश्पादन में सुधार	3.00	नागरिक / क्लाईन्ट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से रेटिंग	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
* प्रशासनिक सुधार	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	2.0	01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014
		भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (एमएससी) के उन मुख्य बिन्दुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	1.0	100	90	80	70	60

[kM 2

eq[; mÌs';ksa] lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa ds chp ijLij izkFkfedrk,

mÌs';	egRo	dkjokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{;@ekin.M eY;				
						mR—"V	cgr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिस्पान्सिबिल्टी केंद्रों का प्रतिशत	सम्मिलित किए गए रिस्पान्सिबिल्टी केंद्र	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित नई कार्य योजनाओं (आईएपीएस) के उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60
*वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	1.00	कैग के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (चार माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (छह माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत कैग रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का षीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60

[kaM 3

lQyrk lwpdka ds iofYk eY;

mÌ';;	dk;Zokbl	lQyrk lwpd	bdkbl	okLrfod eY; foÝkh; o"k 12@13	okLrfod eY; foÝkh; o"k 13@14	yf{kr eY; foÝkh; o"k 14@15	vuekfur eY; foÝkh; o"k 15@16	vuekfur eY; foÝkh; o"k 16@17
(1) युवा छात्रों के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुण का विकास	(1.1) राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों के नियमित कार्यक्रम	(1.1.1) स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	संख्या	3235000	3255000	3255000	3300000	3350000
		(1.1.2) स्व–वित्त पोषित इकाईयों के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	107200	166100	250000	255000	260000
		(1.1.3) अपनाए गए गांवों / स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन करना	शिविरों की संख्या	13500	13600	13600	13800	13900
	(1.2) राष्ट्रीय सेवा योजना कर्मियों का क्षमता निर्माण	(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	प्रशिक्षित पीओ की संख्या	4600	4700	5000	5100	5200
(2) युवा विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देना	(2.1) राष्ट्रीय युवा कोर (एनवाईसी) कर्मियों का भर्ती प्रशिक्षण	(2.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों को भर्ती प्रशिक्षण देना	प्रतिशत	100	95	90	90	90
	(2.2) युवा विकास को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम	(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	–	1500	1620	1700	1800
		(2.2.2) युवा नेतृत्व और समुदाय विकास पर प्रशिक्षण	कार्यक्रमों की संख्या	–	1800	1800	1850	1900
		(2.2.3) विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	–	2500	2800	2850	2900
		(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	युवाओं की संख्या	1220	–	800	850	900
		(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	युवाओं की संख्या	15000	16000	18000	18500	19000

[k.M 3
lQyrk lpdka ds iofÙk eY;

mÌ';	dk;Zokb	lQyrk lpd	bdkb	okLrfod eY; foÙkh; o"k 12@13	okLrfod eY; foÙkh; o"k 13@14	yf{kr eY; foÙkh; o"k 14@15	vuekfur eY; foÙkh; o"k 15@16	vuekfur eY; foÙkh; o"k 16@17
	(2.3) उत्कृष्ट युवा क्लबों को मान्यता प्रदान करना	(2.3.1) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कारों का वितरण	युवा क्लबों की संख्या	333	453	500	525	550
(3) युवाओं के लिए रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना	(3.1) कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संख्या	4700	5700	5400	6000	6000
		(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	संख्या	3575	4750	5000	5500	6000
	(3.2) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	80000	81000	82000	82500	83000
		(3.2.2) पुरूषों का कौशल उन्नयन	संख्या	–	–	10000	10500	11000
	(3.3) युवाओं के लिए आरजीएनआईवाईडी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण	(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	6447	4040	4200	4300	4400
	(3.4) ग्रामीण दस्तकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह विपणन	(3.4.1) आयोजित किए गए युवा कृति	प्रदर्शनियों और उत्सवों की संख्या	28	32	450	475	500
	(3.5) एसयूटीपी का मूल्यांकन	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	तारीख	–	–	01/12/2014	–	–

खंड 3
सफलता सूचकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्यवाई	सफलता सूचक	इकाई	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 12/13	वास्तविक मूल्य वित्तीय वर्ष 13/14	लक्षित मूल्य वित्तीय वर्ष 14/15	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 15/16	अनुमानित मूल्य वित्तीय वर्ष 16/17
(4) प्रशिक्षण और अनुसंधान द्वारा युवा विकास	(4.1) युवा विकास पर आरजीएनआईवाईडी के शैक्षणिक कार्यक्रम	(4.1.1) उपलब्ध सीटों का उपयोग	प्रतिशत	58.5	48.75	65	70	75
		(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	तारीख	–	–	28/02/2015	–	–
	(4.2) आरजीएनआईवाईडी द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)	(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए संबल व्यक्ति	संख्या	1300	1300	1400	1500	1500
	(4.3) आरजीएनआईवाईडी द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः क्षमता निर्माण / मांग आधारित कार्यक्रम	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	संख्या	3581	3390	4000	4100	4200
(5) युवा भ्रमण और युवाओं के आदान–प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	(5.1) पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों (एनआईसी) का आयोजन	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	संख्या	100	100	100	100	100
	(5.2) जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम	(5.2.1) आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम	संख्या	500	428	500	525	550
	(5.3) जिला युवा सम्मेलन	(5.3.1) आयोजित किए गए सम्मेलन	संख्या	500	500	500	525	550
	(5.4) इस उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रमों का प्रभाव /गुणता मूल्यांकन	(5.4.1) आयोजित की गई राष्ट्रीय कार्यशालाए	संख्या	6	7	7	8	8
(6) युवाओं में अंतरराश्ट्रीय समझ को बढ़ावा देना	(6.1) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन	(6.1.1) आदान–प्रदान दौरे (भेजना और मेजबानी)	दौरों की संख्या	8	8	8	9	9

[k.M 3
lQyrk lwpdk d s iwoZfu/kZkfjr eY;

mís';	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	okLrfod eY; foÙkh; o"kZ 12@13	okLrfod eY; foÙkh; o"kZ 13@14	yf{kr eY; foÙkh; o"kZ 14@15	vuqekfur eY; foÙkh; o"kZ 15@16	vuqekfur eY; foÙkh; o"kZ 16@17
	(6.2) अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन	(6.2.1) आयोजित की गई कार्यशालाएं	तारीख	31/08/2012	25/09/2013	15/10/2014	30/09/2015	30/09/2016
(7) युवाओं में साहस को बढ़ावा देना	(7.1) मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा साहस कार्यकलाप	(7.1.1) साहस कार्यकलापों में युवाओं की भागीदारी	संख्या	2000	2000	2000	2000	2000
(8) अन्य मंत्रालयों/ विभगों के साथ समाभिरूपता द्वारा युवा विकास	(8.1) जनजातीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (गृह मंत्रालय)	(8.1.1) प्रतिभागी	संख्या	1000	1200	1200	1200	1200
	(8.2) किशोर स्वास्थ्य और विकास परियोजना (यूएनएफपीए)	(8.2.1) स्कूल छोड़ चुके वे किशोर जिन्हें चयनित ब्लाकों में शामिल किया गया	संख्या	67000	–	50000	50000	50000
*आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्यकरण	आरएफडी मसौदा 2015–16 को अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	–	–	06/03/2015	–	–
	2013–14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	–	–	02/05/2014	–	–
*मंत्रालय /विभाग में पारदर्शिता/ सेवा निष्पादन में सुधार	नागरिक/क्लाईन्ट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से रेटिंग	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा	प्रतिशत	–	–	95	–	–
	शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) प्रणाली के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	–	–	95	–	–

[kM 3

lQyrk lpdk dk iofŸk eY;

mÌ’;	dk;okb	lQyrk lpd	bdkb	okLrfod eY; foŸkh; o"k 12@13	okLrfod eY; foŸkh; o"k 13@14	yf{kr eY; foŸkh; o"k 14@15	vuekfur eY; foŸkh; o"k 15@16	vuekfur eY; foŸkh; o"k 16@17
*प्रशासनिक सुधार	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	–	–	02/11/2014	–	–
	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (एमएससी) के उन मुख्य बिन्दुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिषत	–	–	90	–	–
	आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	95	–	–
	आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिस्पान्सिबिल्टी केंद्रों का प्रतिशत	सम्मिलित किए गए रिस्पान्सिबिल्टी केंद्र	प्रतिशत	–	–	95	–	–
	अनुमोदित नई कार्य योजनाओं (आईएपीएस)	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	90	–	–
*वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	कैग के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (चार माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	90	–	–
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (छह माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	90	–	–

[kaM 3
lQyrk lwpdksa ds izofRr ewY;

mís';	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	okLrfod eY; foRrh; o"kZ 12@13	okLrfod eY; foRrh; o"kZ 13@14	yf{kr eY; foRrh; o"kZ 14@15	vuqekfur eY; foRrh; o"kZ 15@16	vuqekfur eY; foRrh; o"kZ 16@17
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत कैग रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	90	–	–
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	–	–	90	–	–

[kaM 4

laf{kIrk{kj

Ø-la-	laf{kIrk{kj	fooj.k
1	एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
2	इटीआई	एम्पैनल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
3	केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
4	एनएएसी	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
5	एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
6	एनई	पूर्वोत्तर
7	एनआईसी	राष्ट्रीय एकीकरण शिविर
8	एनपीवाईएडी	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम
9	एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
10	एनवाईसी	राष्ट्रीय युवा कोर
11	एनवाईकेएस	नेहरू युवा केंद्र संगठन
12	पीओ	कार्यक्रम अधिकारी

[kaM 4

laf{kIrk{kj

Ø-la-	laf{kIrk{kj	fooj.k
13	आरजीएनआईवाईडी	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
14	एसएफयू	स्व वित्त पोषित इकाई
15	एसयूटीपी	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम
16	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
17	यूएनएफपीए	संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि
18	वीओएल	स्वयंसेवक
19	वाईसी	युवा क्लब

[kM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø-l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
1	(1.1.1) स्वयंसेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा लगातार दो वर्षों तक प्रतिवर्ष 120 घंटे कार्य करना आवश्यक है जिसमें एनएसएस से संबंधित सामान्य अभिविन्यास और उनकी स्वयंसेविता के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं ।	एनएसएस यूनिटें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और कालेजों/ विश्वविद्यालयों में खोली गई हैं। प्रत्येक एनएसएस यूनिट में सामान्यतः 100 स्वयंसेवक होते हैं ।	नामांकित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	
2	(2.1.1) स्व वित्त पोषित इकाईयों (एसएफयू) के माध्यम से स्वयंसेवक	एनएसएस की स्व वित्त पोषित इकाईयां वे इकाईयां हैं जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था ऐसी इकाईयां खोलने/स्थापित करने वाले शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जाती है। इन इकाईयों को सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता। तथापि, वित्तपोषण के अतिरिक्त ये इकाईयां अन्य सभी पक्षों में एनएसएस की संपूर्ण इकाईयों के रूप में ही कार्य करती हैं।	एसएफयू की पद्धति आरंभ की गई है ताकि सरकार से वित्त पोषण के अभाव में एनएसएस कार्यक्रम का विस्तार प्रभावित न हो	एसएफयू के तहत नामांकित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या	2014–15 से यह नया सफलता सूचक सम्मिलित किया गया है।
3	(3.1.1) अपनाए गए गांवों/स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	प्रत्येक एनएसएस यूनिट एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, पौधारोपण, साक्षरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक/ऐतिहासिक विरासत, आंकड़ो के संकलन आदि स्वयंसेविता संबंधि कार्यों के लिए एक गांव/स्लम अपनाती है। प्रत्येक एनएसएस यूनिट अपनाए गए गांव/ स्लम में प्रति वर्ष विशेष शिविर आयोजित करती है जिसमें यूनिट के 50 स्वयंसेवक सहभागिता करते हैं।	एनएसएफ कार्यकलापों के संचालन के लिए गांवों का चयन किया जाता है विशेष शिविर 7 दिन के अवधि के होते हैं और कार्यकलाप स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।	शिविरों की संख्या	

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø-l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIi.k;k
4	(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । अतः उनके अभिविन्यास के लिए एक तिहाई कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष आवश्यक है । प्रशिक्षण का संचालन इमपैनल्ड प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाता है ।	इमपैनल्ड प्रशिक्षण संस्थान वे संस्थान हैं जिनमें एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों के अभिविन्यास और क्षमता निर्माण के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रशिक्षण की अवधि 7 दिन की है ।	प्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की संख्या	
5	(2.1.1) राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों को भर्ती प्रशिक्षण प्रदान करना	भर्ती प्रशिक्षण का आयोजन युवा विकास कार्यकलापों का संचालन करने, युवा क्लबों की स्थापना करने और सक्रियता बढ़ाने के साथ–साथ उन्हें एनवाईकेएस, विकास एजेंसियों और युवा क्लबों में माध्यम के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय युवा कोर की क्षमताओं की वृद्धि के लिए किया जाता है ।	राष्ट्रीय युवा कोर की तैनाती के बाद प्रारंभिक भर्ती प्रशिक्षण 10 दिन की अवधि का है । इसके बाद उनके कार्यकाल के दूसरे वर्ष में 5 दिन की अवधि का पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	प्रशिक्षित युवा कोर की संख्या	
6	(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व से देशभर के युवा क्लबों के मौजूदा नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा देश में नए युवा क्लब बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है । इसका उद्देश्य स्थानीय युवा क्लबों के सदस्यों के साथ अभियानों और बैठकों का आयोजन करके युवाओं और समुदाय को जागरूक और प्रोत्साहित करना तथा युवा क्लबों के गठन में अनुभवों का आदान–प्रदान करना भी है ।	प्रत्येक कार्यक्रम 5 दिन की अवधि का है । जिसमें 10 युवा अभियानकर्ता एक टीम में सहभागी होते हैं और लगभग 50 गांव शामिल होते हैं ।	कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में शुरू किया गया था ।

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø-l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
7	(2.2.2) युवा नेतृत्व अैर सामुदायिक विकास पर प्रषिक्षण	ग्रामीण युवाओं को उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में बताना तथा हितधारकोंए विषेशज्ञों और संबल व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ स्थानीय मुद्दों और सामाजिक मामलों को हल करने के संबंध में उनमें नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना । इस कार्यक्रम का उद्देष्य नेतृत्व के गुणों को बढ़ाना और विकास करनाए सामाजिक मुद्दों को अपने स्तर पर हल करने के लिए सकारात्मक दृश्टिकोण अपनाना है ।	प्रत्येक कार्यक्रम 3 दिन की अवधि का है जिसमें ब्लाक स्तर पर 40 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में शुरू हुआ था ।
8	(2.2.3) जागरूकता और शिक्षा आधारित विषय वस्तु पर कार्यक्रम	युवा क्लब के सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों, सफलता की कहानियों और अच्छे व्यवहारों के जरिए एक दूसरे से लाभांवित होंगे को सांझा करेंगे । इसे विषय वस्तु आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है । जहां सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों और उन्नतिशील एजेंसियों की उन्नतिशील स्कीमों, सुविधाओं और कार्यक्रमों पर जानकारी और सूचना प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों को आमंत्रित किया जाता है ।	प्रत्येक कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है, जिसमें 20 गांवों से 80 युवाओं ने भाग लिया ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	यह कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में शुरू हुआ था ।

[kM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø-l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lekIr; fVIif.k;k
9	(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर युवाओं को स्वस्थ और सफल वयस्क जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए, उनके सामाजिक, भावनात्मक और अन्य जीवन कौशल, का विकास करना है । जीवन कौशल दिन–प्रतिदिन के जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों के साथ कुशलतापूर्वक तालमेल बैठाने की योग्यता है ।	प्रत्येक कार्यक्रम 10 दिन की अवधि का गैर–आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें 40 किशोर युवाओं को प्रशिक्षित किया गया ।	प्रशिक्षित किए गए किशोर युवाओं की संख्या	वर्ष 2013–14 के दौरान इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सका ।
10	(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	ग्रामीण युवाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहने के साथ–साथ एक स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम के रूप में खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । इस प्रयास में एनवाईकेएस गांवों में इसके युवा क्लबों की मदद करता है और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खेल सामग्री का वितरण करता है ।	चयनित युवा क्लबों को खेल सामग्री जैसे फुटबाल, वॉलीबाल, नेट आदि दिए गए हैं ।	शामिल किए गए युवा क्लबों की संख्या	
11	(2.3.1) उत्कृश्ट युवा क्लबों को पुरस्कार वितरण	विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक सेवाओं के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए युवा क्लबों को पुरस्कार दिया जाता है ।	युवा क्लबों की स्वैच्छिक सेवाओं के योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं ।	युवा क्लबों की संख्या	

[kaM 4

lQyrk lwpdkas dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø-la-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIi.k;k
12	(3.1.1) एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास	संरचनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता कौशल विकास के माध्यम से नियोजिता कौशल प्रदान करना	एनवाईसी स्वयंसेवकों को एनवाईसी स्वयंसेवक के रूप में उनका दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान देने के लिए उनहें समर्थ बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है ।	प्रशिक्षित एनवाईसी स्वयंसेवकों की संख्या	
13	(3.1.2) एनसीवीटी और अन्य एजेंसियों के सहयोग से युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से युवा क्लब सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कौशल विकास प्रशिक्षण युवाओं को आवश्यक कौशल प्राप्त करने के योग्य बनाता है जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	
14	(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	यह महिलाओं के लिए लक्षित एक विशेष कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम है । इसका प्रयास मास्टर प्रषिक्षकोंए प्रतिष्ठित कौशल विकास एजेंसियों के सहायोग से रोजगार कौशल आधारित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाकर उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है ।	ये कार्यक्रम दो या तीन महीने की अवधि के हैं । प्रत्येक कार्यक्रम में 4–5 निकटवर्ती गांवों की 15–20 महिलाओं ने भाग लिया ।	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	
15	(3.2.2) पुरुषों का कौशल उन्नयन	इस कार्यक्रम के अंतर्गतए युवाओं को केवीके और अन्य संस्थानों के माध्यम से उनकी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए कृषि और संश्रित कार्यकलापों, स्थानीय शिल्पकारिता आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है ।	यह प्रशिक्षण युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए है जिससे वे बेहतर आजीविका चलाने के योग्य बन सकें ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	यह नया कार्यक्रम वर्ष 2014–15 के दौरान शुरू किया जाना है ।

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø-l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
16	(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आरजीएनआईवाईडी युवाओं को अपनी आजीविका चलाने के योग्य बनाने के लिए युवा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान/की व्यवस्था करेगा ।	यह कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास के लिए है जिससे वे अपनी आजीविका चलाने के योग्य बन सकें और इसका प्रबंध आरजीएनआईवाईडी द्वारा किया जा रहा है ।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	
17	(3.4.1) युवाकृति का आयोजन	इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्रामीण युवा कलाकारों को उनके काम के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्थानों पर एनवाईकेएस द्वारा समारोहों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ।	यह जिला/राज्य स्तर पर आयोजित एक दिन की अवधि का कार्यक्रम है ।	आयोजित युवाकृति की संख्या	
18	(3.5.1) मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कार्यक्रम को अंतिम रूप देना	यह एसयूटीपी कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए है । मूल्यांकन अध्ययन चल रहा है और यह अध्ययन जांच परिणामों/सिफारिशों पर आधारित हैए संशोधित कार्यक्रम अंतिम होगा ।	यह एसयूटीपी कार्यक्रम में, चल रहे मूल्यांकन अध्ययन के जांच परिणामों पर आधारित सुधार लाने के लिए है ।	संशोधित कार्यक्रम को पूरा करने की तारीख	
19	(4.1.1) उपलब्ध सीटों की उपयोगिता	आरजीएनआईवाईडी अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत युवा विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों नामतः (1) युवा सशक्तिकरण, (2) कैरियर काउंसलिंग, (3) जेंडर अध्ययन, (4) स्थानीय सरकार, (5) जीवन कौशल शिक्षा और (6) विकास अभ्यास पर 2 वर्ष की अवधि के छः स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम का आयोजन करता है ।	प्रत्येक वर्ष, 6 पाठ्यक्रमो के लिये 120 सीटें उपलब्ध हैं ।	उपलब्ध सीटों की प्रतिशतता उपयोगिता	

[kaM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø-la-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;ka
20	(4.1.2) प्रत्यायन प्राप्त करना (एनएएसी)	आरजीएनआईवाईडी द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिएए एनएएसी द्वारा उन संस्थानों का प्रत्यायन प्राप्त करने की योजना हैए जो देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्धारण और प्रत्यायन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक निकाय है ।	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है ।	जिस तारीख से प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित है।	यह 2014–15 से शुरू नया सफलता सूचक है ।
21	(4.2.1) प्रशिक्षित संबल कार्मिक	इस कार्यक्रम के अंतर्गतए आरजीएनआईवाईडी युवा विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों (संबल कार्मिकों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है । इसमें एनवाईकेएसए एनएसएस, पीआरआई के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे पदाधिकारी शामिल हैं ।	यह कार्यक्रम युवा विकास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रशिक्षकों/संबल कार्मिकों के क्षमता निर्माण (मानव संसाधन विकास) के लिए है ।	प्रशिक्षित संबल कार्मिकों की संख्या	
22	(4.3.1) प्रशिक्षित कार्मिक	यह युवा विकास और अधिकांशतः मांग आधारित अर्थात अनुरोध/विभिन्न संस्थानों की मांग/संगठनों पर अधिकांशतः आयोजित कार्यक्रमों के लिए कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण और ऐसे संस्थानों/संगठनों द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है ।	आरजीएनआईवाईडी युवा विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों (प्रशिक्षकों के अलावा) के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ।	प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	

[kaM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø-la-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;ka
23	(5.1.1) आयोजित किए गए शिविर	राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और विभिन्न संस्कृतियों में मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने के लिए देश के युवाओं द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किए जाते हैं । देश के विभिन्न भागों से युवाओं को एक साथ लाने के लिए और विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रीय विशिष्टताओं में मेल–मिलाप और सहिष्णुता लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविर महत्वपूर्ण साधन है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा नागरिकों में मजबूत संबंध बन सकें ।	प्रत्येक राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में विभिन्न राज्यों से लगभग 150–250 युवा भाग लेते हैं । यह कार्यक्रम 5 दिन की अवधि का है ।	आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की संख्या	
24	(5.2.1) आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम	नेहरू युवा केंद्र संगठन लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर जिलों में सांस्कृति समारोहों का आयोजन करता है ।	यह कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है । प्रत्येक कार्यक्रम में, विभिन्न युवा क्लबों से कम से कम 120 युवा भाग लेते हैं ।	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	
25	(5.3.1) आयोजित सम्मेलन	यह ग्रामीण युवा नेताओं को अपने आपको अभिव्यक्त करने, अनुभवों और अच्छी पद्धतियों का आदान–प्रदान करने के लिए अवसर और प्लेटफार्म प्रदान करता है । यह जिला स्तरीय युवा सम्मेलनों का आयोजन करके प्राप्त किया जाता है जहां विषय विशेषज्ञों को भी ग्रामीण युवाओं के सम्मुख मुद्दों और संबंधित मामलों पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है ।	यह कार्यक्रम एक दिन की अवधि का है । प्रत्येक कार्यक्रम मेंए विभिन्न युवा क्लबों से कम से कम 100 युवा भाग लेते हैं ।	सम्मेलनों की संख्या	

खंड 4

सफलता सूचकों का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र.सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणियां
26	(5.4.1) आयोजित राष्ट्रीय कार्यशालाएं	यह युवा यात्राओं और युवा आदान–प्रदान के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए है । इस मूल्यांकन पर आधारितए इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित अतिरिक्त सुधार लागू किए जाने हैं ।	यह युवाओं जैसे राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिला युवा सम्मेलनों आदि में राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों के मूल्यांकन और सुधार के लिए है ।	कार्यशालाओं की संख्या	
27	(6.1.1) आदान प्रदान दौरे (भेजना और मेजबानी)	मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमंडलों के आदान–प्रदान को युवाओं में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को समझने और शांति तथा समझबूझ को बढ़ावा देने के लिए उनकी सहभागिता को एक कारगर साधन के रूप में संकल्पित किया गया है ।	एक आदान–प्रदान दौरा में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने और विदेश से आए एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी शामिल है ।	युवा आदान–प्रदान दौरों की संख्या	
28	(6.2.1) आयोजित कार्यशाला	इस कार्यशाला का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रमों में अतिरिक्त सुधार लाने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है ।	अंतरराष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं, और इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और उनकी प्रभावकारिता में निरंतर सुधार करना है ।	जिस तारीख को कार्यशाला आयोजित की जानी है ।	

[kaM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø-l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;k
29	(7.1.1) साहसिक कार्यकलापों में युवाओं की सहभागिता	एनएसएस विभिन्न साहसिक कार्यकलापों जैसे पवर्तारोहण, ट्रैकिंग आदि (जमीन पर) और जल, वायु के साथ–साथ मरूस्थल से संबंधित साहसिक कार्यों को शामिल करके स्वयंसेवकों में साहस को बढ़ावा देता है । ये कार्यकलाप स्वयंसेवकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं ।	साहसिक कार्यकलाप स्वयंसेवकों में साहस के लिए टीम भावना और स्नेह को बढ़ावा देने के लिए समूह कार्यकलाप के रुप में आयोजित किए जाते हैं ।	सहभागियों की संख्या	
30	(8.1.1) सहभागी	गृह मंत्रालय के साथ समाभिरूपता की यह विभाग की पहल है । इसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित ,श्रेत्रों से मुख्यतः जनजातीय युवाओं को सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना है ।	गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जनजातीय युवाओं के सम्मेलन देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं ।	आदान–प्रदान कार्यक्रमों में जनजातीय युवा सहभागियों की संख्या	

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø-l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
31	(8.2.1) चिन्हित बालकों के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले किशोर	किशोरों में उनकी प्रजनन और यौन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ उनके जीवन कौशल को प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाना ।	परियोजना को 5 राज्यों के चिन्हित 10 जिलों में यूएनएफपीए के सहयोग से कार्यान्वित किया जाना है । इन जिलों के 62 ब्लाकों में 1860 गांव शामिल हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत, टीन क्लबों का निर्माण किया जाता है और इस परियोजना के अंतर्गत विचारित कार्यकलापों को इन क्लबों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14 से 19 वर्ष आयु–वर्ग के किशोर आते हैं ।	किशोरों की संख्या	यूएनएफपीए के कंट्री प्रोग्राम–7 (सीपी–7) को 2012–13 के दौरान बंद कर दिया गया । सीपी–8 को अंतिम रूप देने में समय लगा जिसके कारण 2013–14 के दौरान कोई भी कार्यकलाप कार्यान्वित नहीं किया जा सका । सीपी–8 को अब अंतिम रूप दिया जा चुका है । तदनुसार, 2014–15 के दौरान कार्यकलापों को पुनः आरंभ किया जाएगा ।

खंड 5

अन्य विभागों की विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

क्षेत्र का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबद्ध सफलता संकेत	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं	इन अपेक्षाओं का औचित्य	इस संगठन से आपकी कितनी अपेक्षाएं हैं	यदि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो इसका क्या परिणाम है
केंद्रीय सरकार		विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	(1.1.2) स्व–वित्तपोशित इकाईयों से स्वयं–सेवक (एफएफयू)	विभाग और विभाग के अंतर्गत आने वाले संगठनों जैसे कि यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा एसएफयू की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थानों पर दबाव बनाना चाहिए ।	शैक्षिक संस्थाओं को यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और इसलिए अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इनका हस्तक्षेप आवश्यक है।	विभाग/यूजीसी और एआईसीटीई को एसएफयू की स्थापना के लिए शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश देना चाहिए ।	लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है ।
		मंत्रालय	वित्त मंत्रालय	(1.1.1) स्वयं–सेवकों द्वारा 120 घंटे कार्य करना	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(1.1.3) अपनाए गए गांवों/स्लम में विशेष शिविरों का आयोजन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(1.2.1) ईटीआई में प्रशिक्षण	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.1.1) एनवाईसी स्वयं–सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[kM 5

vU; foHkkxksa dh fof'k"V fu"iknu vis{kk,a

{k= dk idkj	jkT;	lxBu dk idkj	lxBu dk uke	lc) lQyrk lpd	bl lxBu ls vkidh D;k vis{kk,a gS	bu vis{kkvksa ds fy, vkfpR;	bl lxBu ls vkidh fdruh vis{kk,a gS	;fn vkidh vis{kk,a iwjh ugha gksrh rks blds D;k ifj.kke gS
				(2.2.1) युवा क्लब विकास कार्यक्रम	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.2.2) युवा नेतृत्व और समुदाय विकास में प्रशिक्षण	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.2.3) विषय आधारित जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.2.4) किशोर युवाओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(2.2.5) युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.1.1) एनवाईसी का कौशल विकास	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[kM 5

vU; foHkkxksa dh fof'k"V fu"iknu vis{kk,a

{ks= dk izdkj	jkT;	laxBu dk izdkj	laxBu dk uke	lac) lQyrk lwpd	bl laxBu ls vkidh D;k vis{kk,a gSa	bu vis{kkvksa ds fy, vkSfpR;	bl laxBu ls vkidh fdruh vis{kk,a gSa	;fn vkidh vis{kk,a iwjh ugha gksrh rks blds D;k ifj.kke gSa
				(3.1.2) युवा क्लब सदस्यों के साथ एनसीवीटी और अन्य संगठनों का कौशल विकास	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.2.1) महिलाओं का कौशल उन्नयन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.2.2) पुरूषों का कौशल उन्नयन	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.3.1) युवाओं का कौशल विकास	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(3.4.1) युवा कृति का आयोजन किया गया	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(4.2.1) प्रशिक्षित किए गए संबल व्यक्ति	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[kM 5

vU; foHkkxksa dh fof'k"V fu"iknu vis{kk,a

{ks= dk izdkj	jkT;	lxBu dk izdkj	lxBu dk uke	lsok lqfo/kk lwpd	bl lxBu ls vkidh D;k vis{kk, a gS	bu vis{kkvksa ds fy, vkSfpR;	bl lxBu ls vkidh fdruh vis{kk, a gS	;fn vkidh vis{kk, a iwjh ugha gksrh rks bldk D;k ifj.kke gS
				(4.3.1) प्रशिक्षित किए गए कार्मिक	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.1.1) शिविरों का आयोजन किया गया	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.2.1) सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(5.3.1) समागम आयोजित किए गए	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(6.1.1) आदान–प्रदान दौरे (भेजना और मेजबानी)	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
				(7.1.1) साहसिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

[kM 5

vU; foHkkxk dh fof’k"V fu"iknu vi{kk,

{k= dk idkj	jkT;	lxBu dk idkj	lxBu dk uke	lc) lQyrk lpd	bl lxBu l vkidh D;k vi{kk, g	bu vi{kkvk dk fy, vkfpR;	bl lxBu l vkidh fdruh vi{kk, g	;fn vkidh vi{kk, ijh ugh gkrh rk bl dk D;k ifj.kke g
				(8.2.1) चिन्हित ब्लाकों के अंतर्गत स्कूल छोड़ने वाले किशोर	विभाग के वार्षिक योजना बजट में सामान्य आबंटन को बढ़ाना	अतिरिक्त निधियों के लिए बिना प्रावधान किए लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित होगी ।	वर्ष 2013–2014 के दौरान आबंटित 284 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2014–2015 में आबंटित 523.87 करोड़	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।
केंद्र		मंत्रालय	गृह मंत्रालय	(8.1.1) सहभागी	निधियों की स्वीकृति और जारी करने का मुद्दा	जनजातीय क्षेत्रों के भागीदारों को सरकार द्वारा संचालित मुख्य धारा के विकासोन्मुख कार्यकलापों के बारे में जागरूक करने के लिए होने वाले दौरों के लिए निधियों की आवश्यकता है।	वर्ष 2014–15 के लिए 2.00 करोड़ रू.	कार्यक्रम को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा ।

खंड 6

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष / प्रभाव	निष्कर्ष / प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग/ मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16	वित्तीय वर्ष 16/17
1 युवा छात्रों में एनएसएस के माध्यम से समुदाय सेवा की भावना उत्पन्न करना	सभी राज्य सरकारें	एनएसएस स्वयं –सेवकों का 120 घंटे कार्य करना	संख्या	3235000	3255000	3255000	3300000	3350000
		अपनाए गए गांवों / स्लम में समुदाय सेवा	गांवों / स्लम की संख्या	13500	13600	13600	13800	13900
		स्व–वित्त पोशित इकाईयों के माध्यम से स्वयंसेवक	संख्या	107200	166100	250000	255000	260000
		एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा किया गया रक्तदान	इकाईयां	150000	175000	200000	225000	250000
		एनएसएस स्वयंसेवक द्वारा रोपे गए पौधे	संख्या	1000000	1050000	1100000	1150000	1200000
2 एनवाईकेएस के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में सम्मिलित युवा क्लब सदस्य		युवा क्लब सदस्यों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यों में स्वैच्छिक रूप से सहभाग करना	संख्या	4279989	8070327	8100000	8100000	8100000
		युवा क्लब सदस्यों द्वारा रोपे गए पौधे	संख्या	3234209	3479574	3600000	3800000	3900000
		युवा क्लब सदस्यों द्वारा किया गया रक्तदान	रक्त इकाईयां	55000	75148	80000	85000	90000

[kaM 6

foHkkx@eU=ky; dk fu"d"kZ@iHkko

foHkkx@eU=ky; dk fu"d"kZ @ iHkko	fu"d"kZ @ iHkko dks iHkkfor djus dsfy, fuEufyf[kr foHkkx@ eU=ky; dh lkFk lg;ksx :i ls ftEesnkj	lQyrk lwpd	bdkbZ	foÙkh; o"kZ 12@13	foÙkh; o"kZ 13@14	foÙkh; o"kZ 14@15	foÙkh; o"kZ 15@16	foÙkh; o"kZ 16@17
3 युवा रोजगारपरकता और कौशल विकास को बढ़ावा देना		एनवाईसी स्वयंसेवकों का कौशल विकास प्रशिक्षण	संख्या	4700	5700	5400	6000	6000
		महिलाओं का कौशल उन्नयन	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	80000	81000	82000	82500	83000
		युवा क्लब सदस्यों का कौशल विकास	संख्या	3575	4750	5000	5500	6000
		पुरूषों का कौशल उन्नयन	संख्या			10000	10500	11000

[kM 6

foHkkx@ea=ky; dk fu"d"k@iHkko

foHkkx@ea=ky; dk fu"d"k @ iHkko	fu"d"k @ iHkko dk iHkkfor djus dk fy, fuEufyf[kr foHkkx@ ea=ky; dk lkFk lg;ä :i ls ftEenkj	lQyrk lpd	bdkbl	foÙkh; o"k 12@13	foÙkh; o"k 13@14	foÙkh; o"k 14@15	foÙkh; o"k 15@16	foÙkh; o"k 16@17
4 युवाओं में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना		आयोजित किए गए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों की संख्या	संख्या	100	100	100	100	100
5 युवाओं में साहसिकता की भावना को विकसित करना		साहसिक कार्यों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	संख्या	2000	2000	2000	2000	2000
6 जनजातीय युवाओं को सरकार द्व ारा संचालित जनजातीय विकास और शांति तथा सद्भाव के मूल्यों का संवर्धन करने वाली विकासात्मक गतिविधियों को मुख्य धारा में लाना	गृह मंत्रालय	जनजातीय युवा आदान प्रदान दौरों को आयोजित करना	सहभागियों की संख्या	1000	1200	1200	1200	1200
7 ग्रामीण युवाओं को युवा क्लबों के माध्यम से खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना		युवा क्लबों को खेल सामग्री का वितरण	सम्मिलित युवा क्लबों की संख्या	15000	16000	18000	18500	19000

[ksy foHkkx

[ksy

खेलकूद को सदैव ही मानव के व्यक्तित्व के समग्र विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। मनोरंजन के साधन तथा शारीरिक स्वस्थता के अतिरिक्त खेलकूद ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा समाज को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में उपलब्धि सदैव ही राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा का स्रोत रही है।

आधुनिक खेल अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हैं जिससे आधुनिक अवसंरचना, उपकरण तथा उन्नत वैज्ञानिक सहायता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद का परिदृष्य बदल दिया है। उन्नत उपकरण, आधारभूत ढांचा तथा वैज्ञानिक सहायता हेतु बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक नए कदम उठाए हैं और यह वैज्ञानिक तथा उपकरण सुविधाओं के साथ प्रशिक्षण व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी से खिलाडियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

jk"Vªh; [ksy uhfr lac/kh igy

पूर्ववर्ती योजनाओं के समय से ही शारीरिक शिक्षा और खेलकूद पर ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, 1982 में भारत द्वारा नौवें एशियाई खेलों की मेजबानी के बाद ही ''खेलों'' पर नीतिगत विषय के रूप में ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खेल नीति, 1984 देश में खेलों के विकास और संवर्धन के लिए संगठित और व्यवस्थित रूपरेखा विकसित करने हेतु पहला कदम था और यह वर्तमान राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का अग्र रूप है।

jk"Vªh; [ksy uhfr] 2001

राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 के दो अभिन्न घटक ''खेलों को विस्तृत आधार देना'' और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ''खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना'' है।

नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना तथा उत्कृष्टता हासिल करना;
2. अवसंरचना का उन्नयन और विकास;
3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल निकायों को सहायता;
4. खेलों के लिए वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता;
5. खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन;
6. महिलाओं, जनजातियों और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता बढ़ाना;
7. खेल संवर्धन में कारपोरेट क्षेत्र को शामिल करना; और
8. व्यापक स्तर पर लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना।

vUrjkZ"Vªh; bosUV~l esa Hkkjrh; Vhe dh izeq[k [ksy miyfC/k;ka

- भारत ने 23 जुलाई से 3 अगस्त, 2014 तक ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में 64 पदक (15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य) जीते और पदक तालिका में उसे पांचवा स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने एथलेटिक्स (1), बेडमिंटन (1), शूटिंग (4), स्कवैश (1), पावरलिफ्टिंग सहित भारोत्तोलन– पैरा खेल (3) और कुश्ती (5) की खेल विद्याओं में स्वर्ण पदक जीते।

- भारत ने 19 सितंबर से 4 अक्तूबर 2014 तक इनचोन(दक्षिण कोरिया) में आयोजित एशियाई खेलों में 57 पदक (11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य) जीते और पदक तालिका में उसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने तीरंदाजी (1), एथलेटिक्स (2), बॉक्सिंग (1), हॉकी (1), कब्बडी (2), शूटिंग (1), स्कवैश (1), टेनिस (1) और कुश्ती (1) में स्वर्ण पदक जीते।

- भारत ने 18–24 अक्तूबर 2014 तक इनचोन(दक्षिण कोरिया) में आयोजित पैरा–एशियाई खेलों में 33 पदक (3 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य) जीते और पदक तालिका में उसे 15वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने एथलेटिक्स (2) और बेडमिंटन (1) की खेल विद्याओं में स्वर्ण पदक जीते।

- भारत ने 16–28 अगस्त, 2014 तक नानजिंग (चीन) में आयोजित दूसरे युवा ओलम्पिक खेल 2014 में 2 पदक (1 रजत और 1 कांस्य) जीते।

- भारतीय तीरंदाजी टीम ने 10–14 मार्च 2014 तक थाइलैंड में आयोजित पहले एशियाई आर्चरी ग्रांड प्रिक्स 2014 में 7 पदक (3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य) जीते।

- भारतीय वुशु टीम ने 12–18 मार्च, 2014 को अंतलया (तुर्की) में आयोजित 5वीं जूनियर विश्व वुशु चैम्पियनशिप 2014 में 3 पदक (2 रजत और 1 कांस्य) जीते।

- भारतीय वुशु टीम ने 16–22 मार्च, 2014 तक हांगकांग में आयोजित 121वीं हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैम्पियनशिप 2014 में 15 पदक (7 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य) जीते।

भारतीय एथलीटों ने 16 मार्च 2014 तक जापान में आयोजित एशियन 20 किलोमीटर में 2 कांस्य पदक जीते और

- भारतीय भारोत्तोलन टीम (जूनियर) ने 7–13 मार्च 2014 को बंगसेन (थाइलैंड) में आयोजित एशियन जूनियर (पुरूष और महिला) में 9 पदक (5 रजत और 4 कांस्य) जीते।

- भारतीय भारोत्तोलन टीम (युवा) ने 1–9 मार्च 2014 को बंगसेन (थाइलैंड) में आयोजित एशियाई युवा (लड़के और लड़कियां) भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में 7 पदक (2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य) जीते।

- भारतीय बॉक्सिंग टीम (जूनियर) ने 10–25 अप्रैल 2014 को सोफिया (बुलगारिया) में आयोजित जूनियर विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2014 में 1 कांस्य पदक जीता।

- भारतीय जिम्नास्टिक टीम ने 25–28 अप्रैल 2014 को स्कॉटलैंड (यूके) में आयोजित राष्ट्रमंडल जिम्नास्टिकस चैम्पियनशिप 2014 में 7 पदक (3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य) जीते। श्री आशीष कुमार ने 5 पदक जीते।

- भारतीय कुश्ती टीम ने 23–27 अप्रैल 2014 को कजाकिस्तान में आयोजित एशियन राष्ट्रमंडल कुश्ती चैम्पियनशिप 2014 में 6 पदक (1 रजत और 5 कांस्य) जीते।

- भारतीय तीरंदाजी टीम ने 11–19 मई 2014 को कोलंबिया में आयोजित दूसरे चरण के तीरंदाजी विश्व कप 2014 में 2 पदक (1 रजत और 1 कांस्य) जीते।

• भारतीय कुश्ती टीम(उप जूनियर) ने 6–11 मई 2014 को बैंकाक(थाइलैंड) में आयोजित एशियन कैडेट कुश्ती चैम्पियनशिप 2014 में 9 पदक (4 स्वर्ण और 5 कांस्य) जीते।

• भारतीय ताइकवांडु टीम ने 26–28 मई 2014 को उजबेकिस्तान में आयोजित एशियन ताइकवांडु चैम्पियनशिप 2014 में 1 कांस्य पदक जीता।

• भारतीय कुश्ती टीम(जूनियर) ने 4–8 मई 2014 को मंगोलिया में आयोजित एशियन जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप 2014 में 10 पदक (1 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य) जीते।

• भारतीय तीरंदाजी टीम ने 10–15 जून 2014 को अंतलया (तुर्की) में आयोजित तीसरे चरण के तीरंदाजी विश्व कप 2014 में 3 पदक (1 रजत और 2 कांस्य) जीते।

• भारतीय शूटिंग टीम ने 7–13 मार्च 2014 को कुवेत शहर (कुवेत) में आयोजित 7वीं एशियन 10 मीटर राईफल/पिस्टल चैम्पियनशिप में 17 पदक (5 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य) जीते। श्री चेन सिंह (10 मीटर एयर राईफल पुरूष), सुश्री पूजा घाटकर (10 मीटर एयर राईफल महिला), सुश्री हीना सिंधु (10 मीटर एयर पिस्टल महिला) ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम ने 10 मीटर पिस्टल जूनियर पुरूष इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल युवा महिला टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।

• श्री मानव जीत सिंह सिंधु ने टुकसन (यू.एस.ए) में 8–15 अप्रैल 2014 को आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप शॉटगन में स्वर्ण पदक जीता।

• भारतीय शूटिंग टीम (जूनियर) ने 26 मई–1जून 2014 को सुहल (जर्मनी) में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर कप राईफल/पिस्टल/शॉटगन में 3 पदक (2 रजत और 1 कांस्य) जीते। भारत ने 4–13 जून, 2014 को मूनिच (जर्मनी) में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर कप राईफल/पिस्टल/शॉटगन में 1 रजत पदक जीता।

• भारतीय शूटिंग टीम ने 13–21 जून 2014 को मारिबोर में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप राईफल/पिस्टल में 3 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य) जीते। श्री जीतू राम ने 10 मीटर पिस्टल पुरूष इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।

• भारतीय शूटिंग टीम (जूनियर) ने 28–29 जून 2014 को पोरपेटो (इटली) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर कप शॉटगन में 3 पदक (1 रजत और 2 कांस्य) जीते।

• भारतीय शूटिंग टीम (जूनियर) ने 21–27 जुलाई 2014 को ओरीमेटीलन (फिनलैंड) में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय जूनियर कप शॉटगन में 2 रजत पदक जीते।

• भारतीय शूटिंग टीम ने 6–20 सितंबर 2014 को ग्रानाडा (स्पेन) में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैम्पियनशिप राईफल/पिस्टल/शॉटगन में 2 पदक (1 रजत और 1 कांस्य) जीते।

• भारतीय केडिट जूडो टीम ने 11–12 दिसंबर 2014 को हांगकांग में आयोजित 8वीं एशियन केडिट

जूडो चैम्पियनशिप में 7 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य) जीते। श्री जसलीन सिंह सैनी ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता।

• भारतीय तीरंदाजी टीम ने अगस्त 2014 में रॉकलॉ (पोलेंड) में आयोजित चौथे चरण के विश्व कप में 4 पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य) जीते। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता।

• सुश्री पी.वी. सिंधु ने अगस्त 2014 में कोपेन हेगन (डेनमार्क) में आयोजित विश्व बेडमिंटन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वे विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में दो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम बैडमिंटन खिलाड़ी बनी।

• सुश्री साइना नेहवाल ने नवंबर 2014 में फुजो (चीन) में आयोजित चीन ओपन टाईटल (बैडमिंटन) जीता। उन्होंने जून 2014 में आस्ट्रेलिया सुपन सीरीज भी जीती।

• श्री किदम्बी श्रीकांत ने नवंबर 2014 में फुजो (चीन) में आयोजित चीन ओपन (बैडमिंटन) का पुरूष एकल टाईटल जीता।

• सुश्री पी.पी. सिंधु ने नवंबर 2014 में मकाउ में आयोजित मकाउ ओपन ग्रांड प्रिक्स (बैडमिंटन) में महिला एकल टाईटल जीता।

• श्री ओम प्रकाश ने हांगकांग (चीन) में 15–16 फरवरी, 2014 को आयोजित छठे एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शॉट पुट में 1 स्वर्ण पदक जीता।

• भारतीय एथलेटिक्स जूनियर टीम ने 12–15 जून 2014 को ताइपेई में आयोजित 16वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2014 में 12 पदक (2 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य) जीते। सुश्री दुत्ती चंद ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय रिले टीम (महिला) ने 4x400 रिले इवेंट में स्वर्ण पदक जीता।

• भारतीय हॉकी टीम (पुरूष) ने दिसंबर, 2014 में भुवनेश्वर में आयोजित चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2014 में कांस्य पदक जीता।

• भारत ने दिसंबर 2014 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्लाइंड 2014 के लिए पाकिस्तान को 5 विकिटों से हराते हुए चौथा क्रिकेट विश्व कप जीता।

भारतीय खेल प्राधिकरण

Hkkjrh; [ksy izkf/kdj.k

iLrkouk

1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत सरकार के तत्कालीन खेल विभाग के दिनांक 25 जनवरी, 1985 के संकल्प संख्या 1–1/83/एसएआई के अनुसरण में उपक्त संकल्प में यथा वर्णित खेल कूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप की गई थी । इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली में निम्नलिखित पांच स्टेडियमों जिन्हें 1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत किया गया था और इसके बाद 2010 में नई दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नवीकृत किया गया था, के रख–रखाव और उपयोग का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है :–

1. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर

2. इंदिरा गांधी खेल परिसर

3. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर (पूर्व में तालकटोरा तरणताल के नाम से प्रसिद्ध)

4. मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम (पूर्व में राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध)

5. डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (पूर्व में शूटिंग रेंज तुगलकाबाद के नाम से प्रसिद्ध)

आज खेल मनुष्य के व्यक्तित्व के समग्र विकास का एक अनिवार्य अंग है तथा खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और मनोबल पर गहरा प्रभाव है । राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिदृश्य के अनुरूप बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन के कार्यक्रम कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अपने उपर ले लिया है । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के फील्ड आर्म के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) इन प्रयासों के प्रणेता हैं । भारतीय खेल प्राधिकरण अपनी खेल संवर्धन स्कीमों के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा का पोषण करता है तथा उन्हें अपेक्षित अवसंरचना, उपस्कर, कोचिंग सुविधाएं और प्रतियोगिता एक्सपोजर उपलब्ध कराता है ।

साई को एक महत्वपूर्ण खेल संवर्धन निकाय के रूप में विकसित करने को सुकर बनाने के लिए खेल कोचिंग और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान और कौशल को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और इसके केन्द्रों तथा ग्वालियर और तिरूवनन्तपुरम में स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज

(एलएनसीपीई) को शामिल करते हुए पूर्व राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसाइटी (एसएनआईपीईएस) को 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ आमेलित करते हुए शामिल किया गया था। तथापि, एलएनसीपीई, ग्वालियर को ''सम–विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिए जाने पर सितम्बर, 1995 में भारतीय खेल प्राधिकरण से अलग कर दिया गया। आज भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के संवर्धन तथा खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च निकाय है।

Hkkjrh; [ky ikf/kdj.k lkekU; fudk; vkj 'kklh fudk; d lnL;

खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 2010 में भारतीय खेल प्राधिकरण की सामान्य निकाय (सोसाइटी) और शासी निकाय का पुर्नगठन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सामान्य निकाय के अध्यक्ष और भारतीय खेल प्राधिकरण की शासी निकाय के अध्यक्ष हैं।

y{; rFkk mÌ';%

- देश में खेलों का संवर्धन और उन्हें व्यापक आधार देना ।
- प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका पोषण करना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधाओं में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्कीमों कार्यक्रमों का क्रायान्वयन करना ताकि भारत प्रमुख खेल शक्ति बन सके।
- दिल्ली में स्टेडियमों, जिन्हें वर्ष 1982 में नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित नवीकृत किया गया था, का प्रबंधन करना।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा राज्य सरकारों और देश में खेलों के संवर्धनधविकास से संबंधित अन्य एजेंसियों के बीच माध्यम का कार्य करना।
- योग्य कोचों, खेल वैज्ञानिकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को तैयार करने के लिए संस्थानों की स्थापना, व्यवस्था, प्रबंधन और संचालन करना।
- देश में खेल अवसंरचना व सुविधाओं की योजना बनाना, उनका निर्माण करना, अधिग्रहण करना, विकास करना, नियंत्रण में लेना, प्रबंधन करना, रख.रखाव करना व उपयोग करना।
- खेलों, खिलाडियों एवं कोचों का उन्नयन करने के लिए विभिन्न खेल विज्ञानों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करना, अधिकार में लेना, प्रायोजित करना, प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना।
- देश में खेलों के संवर्धन और खेलों में उत्कृष्टताके विकास से जुड़े अन्य केंद्रीय और राज्य निकायों तथा अन्य संस्थानों के साथ मुद्दे उठाना/या समन्वय करना ।

lxBukRed <kpk%

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रधान कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक होते हैं और उनकी सहायता के लिए सचिव, कार्यकारी निदेशक तथा शैक्षिक संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों/उप केन्द्रों के प्रमुख होते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकलाप निम्नलिखित कार्यात्मक प्रभागों के तहत आते हैं:

Ø- l-	iHkkx dk uke	dk;l
(i)	शैक्षणिक (कोचिंग) एनएस एनआईएसए पटियाला	कोचिंग में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन । नियमित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करके कोचों के कौशल को बढ़ाना ।
(ii)	शैक्षणिक (शारीरिक शिक्षा) एलएनसीपीईए तिरूवनंतपुरम	शारीरिक शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन
(iii)	प्रचालन प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों की योजना बनाना, कार्यान्वयन और निगरानी करना

Ø- l-	iHkkx dk uke	dk;Z
(iv)	टीम प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से प्रमुख एथलीटों का प्रशिक्षण और प्रबंधन सहायता । इसमें राष्ट्रीय शिविर, विदेश में प्रदर्शन के अवसर और विदेशी कोचों की सेवाएं शामिल हैं ।
(v)	उपस्कर सहायता, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	भाखेप्रा और/या अन्य खेल निकायों की विभिन्न खेल उपस्करों की आवश्यकताओं का समेकन और इन्हें स्थानीय के साथ–साथ विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त करना ।
(vi)	स्टेडिया प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	स्टेडियमों का रख–रखाव और उनका उपयोग
(vii)	अवसंरचना प्रभाग, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	देश भर के भाखेप्रा केंद्रों में खेल एवं खेल संबंधी अवसंरचना का सृजन, विकास और रख–रखाव
(viii)	कार्मिक प्रभाग	भाखेप्रा कर्मचारियों के सेवा मामले
(ix)	कोचिंग प्रभाग	भाखेप्रा कोचों के सेवा मामले
(x)	वित्त प्रभाग	दिल्ली स्थित भाखेप्रा के विभिन्न प्रभागों और कार्यक्षेत्र इकाईयों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय योजना और बजट आबंटन
(xi)	समन्वय प्रभाग	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय/अन्य एजेंसियों और भाखेप्रा के विभिन्न प्रभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल प्रभाग, विशेष रूप से संसदीय प्रश्न और आरटीआई से संबंधित मामलों पर
(xii)	अंतरराष्ट्रीय सहयोग सैल, भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	अन्य राष्ट्रों के साथ खेलों के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम/द्विपक्षीय संबंधों के लिए युवा कार्यक्रम एव खेल मंत्रालय के साथ समन्वय
(xiii)	सामान्य प्रशासन भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	खरीद एवं सामान का रख–रखाव । भवन का रख–रखाव, कम्प्यूटरीकरण एवं आन्तरिक रख–रखाव, परिवहन, बैठकें व सेमीनार, अधिकारियों के लिए टेलीफोन और हवाई यात्रा के लिए टिकट ।
(xiv)	विधायी प्रभाग	भाखप्रा से संबंधित सभी विधायी मामले ।
(xv)	सतर्कता सैल भाखेप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली	भाखप्रा से संबंधित सभी सतर्कता मामले
(xvi)	मीडिया सैल	प्रिंट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के साथ समन्वय, एनआईटी/विज्ञापन जारी करना, प्रेस को जानकारी देना और भाखेप्रा की अधिकारिक वेबसाइट का संचालन
(xvii)	हिंदी प्रभाग भाखेप्रा मुख्यालय नई दिल्ली	भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

Hkk[kik dh [ky lao/ku Ldhe%

भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का उद्देश्य देश में खेल प्रतिभा की खोज के माध्यम से राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने और प्रतिभावान खिलाडियों को भाखेप्रा की खेल संवर्धन योजनाओं के जरिए पोषित करने हेतु जमीनी स्तर पर खेलों का विकास और संवर्धन करना है। वर्तमान में निम्नलिखित खेल संवर्धन योजनाएं संचालनरत हैं:–

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम (एनएसटीसी):

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एनएसटीसी) स्कीमें स्कूलों से 8–14 वर्ष आयु समूह में प्रतिभावान युवा बच्चों की खोज करने और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पोषण करने के लिए 1985 के दौरान आरंभ की गई थी।

एनएसटीसी योजना की भिन्न उप–योजनाएं निम्नलिखित हैं:–

1. एनएसटीसी योजना के नियमित स्कूल
2. स्वदेशी खेल और मार्शल आट्र्स (आईजीएमए)
3. अखाड़ा

mÌs';%

इस स्कीम की मुख्य अवधारणा एक ही स्कूल में 'खेलना' और 'अध्ययन' करना है। स्कीम में अनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से प्रतिभावान बच्चों को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मूलतः भावी पदक संभावनाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुकूलतम आयु में प्रतिभा की वैज्ञानिक खोज करना है। इस योजना के अंतर्गत अच्छी खेल सुविधाओं और भरोसेमंद खेल प्रदर्शन के रिकार्ड वाले स्कूलों को भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपनाया जाता है। योजना के अंतर्गत 8–14 वर्ष आयु समूह के प्रशिक्षुओं को शामिल किया जाता है।

¼d½ fu;fer Ldwy ¼,u,lVhlh½

iznÙk lqfo/kk,%

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोचों की सेवाओं के अतिरिक्त अपनाये गये प्रत्येक स्कूल को उपभोज्य खेल उपकरण, खेल किट की खरीद, प्रतियोगिता प्रदर्शन और बीमा इत्यादि के लिए निधियां दी जाती है।

p;u ekunM%

उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं का चयन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

1. राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं को स्वतः स्कीम में प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हों।
2. जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और

उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका मूल्यांकन कई परीक्षणों से किया जाता है।

3. दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं का चयन प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है। टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, भाखेप्रा के प्रतिनिधियों, स्कूल/अखाड़ा, भाखेप्रा कोचों, खेल वैज्ञानिकों आदि से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। इस आधार पर चिन्हित खिलाडियों को, आयु सत्यापन, चिकित्सा जांच व विभिन्न परीक्षणों से उपयुक्त पाएं जाने के बाद प्रवेश दिया जाता है।

शामिल खेल विधाएं

एनएसटीसी के अंतर्गत शामिल खेल विधाएं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हाकी, कबड्डी, खो–खो, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबॉल और कुश्ती हैं।

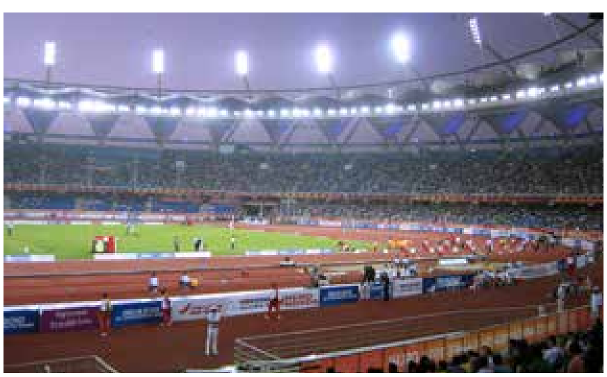

स्वदेशी खेल और मार्शल आर्टस (आईएमए) एनएसटीसी (उप-योजना)

उद्देश्य:

पारंपरिक स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्टस का संवर्धन करने के उद्देश्य से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को इन खेलों में प्रतिभा की खोज हेतु चुना जाता है। डीएवी, विद्या भारती जैसे स्कूलों और इसी प्रकार की संस्थाओं के बहुलता वाली शैक्षिक संस्थाओं को भी एनएसटीसी योजना के भाग के रूप में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट के विकास और संवर्धन के लिए अपनाया जाता है।

प्रशिक्षुओं का चयन:

इस स्कीम के अंतर्गतदेशी खेलों और मार्शल आर्टस की प्रतिभा की खोज का कार्य प्रतिभा खोज हेतु आयोजित खुली प्रतियोगिताओं के आधार पर किया जाता है। मौजूदा प्रशिक्षुओं को बनाए रखने/हटाने का कार्य भी इन प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। प्रतिभा की खोज के लिए अपनाए गए स्कूलों द्वारा प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किराया, पदक, नाश्ता इत्यादि सहित संगठनात्मक खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्कूलों को विशिष्ट खेल विधाओं में कोचों की उपलब्धता के अध्यधीन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की सेवा भी प्रदान की जाती हैं।

प्रदत्त सुविधाएं:

स्कीम के अंतर्गत स्कूलों को खेल उपस्करों की खरीद और प्रतिभा की खोज के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित प्रशिक्षुओं के बीमे हेतु वार्षिक अनुदान के अलावा प्रशिक्षुओं को वृत्तिका, खेल किट दी जाती है।

'kkfey [ky fo/kk,%

वर्तमान में देश में विभिन्न केन्द्रों में तीरंदाजी गतका, कबड्डी, कलारियापट्टु, खोमलायनाई, मुकना, मलखंभ, सिलंबंम और थांगटा की खेल विधाओं में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट का संचालन किया जाता है।

¼?k½ v[kkMk] ,u,lVhlh ¼mi;kstuk½

mÌs’; %

कुश्ती की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुश्ती के लिए हॉल/हॉस्टल इत्यादि जैसी विशिष्ट न्यूनतम सुविधाओं वाले अखाड़ों को संबंधित राज्य सरकार और भाखेप्रा के क्षेत्रीय निदेशक की सिफारिश पर अपनाया जाता है। निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्रति अखाड़ा 15–20 पहलवानों को चुना जाता है और प्रवेश दिया जाता है।

inŸk lfo/kk,%

उन्हें कुश्ती मैट और/अथवा उनके भोजन के अनुपूरण हेतु प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह बहुजिम वृत्तिका के रूप में सहायता दी जाती है।

'kkfey [ky fo/kk,%

इस योजना के अंतर्गत अखाड़ों में शामिल खेल विधा कुश्ती है।

if’k{kvk dk lgk;rk d ekunM%

वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत चुने गए प्रशिक्षुओं को गैर–आवासीय आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तथापि, आपवादिक मामले में प्रशिक्षुओं को 2 स्कूलों में आवासीय आधार पर प्रवेश दिया गया है और वृत्तिका के स्थान पर उन्हें आवास तथा भोजन की सुविधा प्रदान की जाती है।

1) fu;fer Ldy

Ø- l-	fooj.k	jkf’k
1	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	2000.00
2	बीमा (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	150.00
3	प्रतिस्पर्धा एक्सपोजर (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	2000.00
4	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
5	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	20000.00

2½ Lon’kh [ky vkj ek’ky vkV l

Ø- l-	fooj.k	jkf’k
1	खेल किट (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	1500.00
2	बीमा (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	150.00
3	10 माह के लिए वृत्तिका (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)	3000.00
4	खेल उपस्कर की खरीद हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	20000.00
5	प्रतिभा की खोज के लिए प्रतिस्पर्धा के आयोजन हेतु स्कूल को वार्षिक अनुदान (प्रति वर्ष)	25000.00

3) v[kkMk

Ø- l-	fooj.k	jkf’k
1	वृतिका (प्रति प्रशिक्षु प्रति माह)	1000.00
2	दुर्घटना बीमा (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	150.00

(क) अनुभवी कोचों की सेवाओं के अतिरिक्त अपनाए गए अखाड़ों को कुश्ती मैट का एक सैट और/अथवा बहु–जिम भी दिया जाता है।

वर्तमान में अपनाए गए 14 नियमित स्कूल हैं, देशी खेल/मार्शल आट्र्स के संवर्धन के लिए अपनाए गए 10 स्कूल, 32 अखाड़े हैं ।

lsuk cky [ksy dEiuh ¼,ch,lh½ Ldhe

mÌs';%

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सेना के विभिन्न उत्कृष्ट अवसंरचना, दक्ष प्रशासन तथा अनुशासित वातावरण का लाभ उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना है । यह स्कीम सेना तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़कों को इस स्कीम में प्रवेष दिया जाता है। 17) वर्ष की अपेक्षित आयु पूरी हो जाने पर इन प्रशिक्षुओं को सेना में रोजगार भी दिया जाता है।

p;u ekunaM%

उपर्युक्त स्कीम के तहत प्रशिक्षुओं का चयन क्षमता व प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है । राज्य/राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले प्रशिक्षुओं को उनकी आयु के सत्यापन, और चिकित्सा रूप से सही पाए जाने के अधीन उन्हें इस योजना स्वतः प्रवेश दिया जाता है।

1) जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं या राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वालों को प्रवेश दिया जाता है बशर्ते कि वे चिकित्सा व शरीर की दृष्टि से स्वस्थ हों और उनमें अपेक्षित क्षमता हो जिसका कई परीक्षणों से मूल्यांकन किया जाता है।

2) दूरस्थ, जनजातीय व तटीय क्षेत्रों से प्रतिभा के चयन, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके किया जाता है। टीम खेलों व व्यक्तिगत स्पर्धाओं हेतु चयन, भाखेप्रा के प्रतिनिधियों, सेना और एसएमसी कोचों से गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है। खिलाडियों की पहचान निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर की जाती है।

क) विशिष्ट खेलों का प्रयोग/कौशल परीक्षण।

ख) 8 से 16 वर्ष आयु में सत्यापन।

ग) विशिष्ट खेलों/कौशल परीक्षण में खिलाडियों के योग्यता संबंधी कई परीक्षणों के प्रयोग और उनकी क्षमता की आकलन हेतु आयु सत्यापन।

घ) उपर्युक्त परीक्षणों में योग्य पाए जाने वाले खिलाडियों की चिकित्सा जांच ।

'kkfey [ksy fo/kk,a%

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, डाइविंग, घुड़सवारी, फेंसिंग, फुटबॉल, पटेबाजी, जिमनास्टिक्स, हैंडबॉल, हाकी, कयाकिंग और केनोइंग, निशानेबाजी, तैराकी, रोइंग, वालीबॉल, कुश्ती और भारोत्तोलन।

inÙk lqfo/kk,a%

इस स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों को खान–पान व ठहरने की सुविधा, शैक्षिक व्यय, खेल किट, बीमा चिकित्सा सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा भागीदारी तथा अनुभवी कोचों से वैज्ञानिक कोचिंग दी जाती है।

izf'k{k.kkFkhZ dks lgk;rk dk ekunaM%

Ø- la-	fooj.k	jkf'k
1.	300 दिनों के लिए खानपान व ठहरना (प्रति दिन प्रति व्यक्ति)	175.00
2.	शैक्षिक व्यय (प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति) 330 दिनों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए	200.00

Ø-la-	fooj.k	jkf'k
3.	खेल किट (प्रति वर्ष) (अधिकतम 5000 रूपए)	12000.00
4.	शैक्षणिक व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष)	
5.	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति वर्ष प्रति प्रशिक्षु)	
6.	चिकित्सा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
7.	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
8.	खेल उपस्कर (प्रति वर्ष)	
9.	खेल मैदान का रखरखाव	20000.00
10.	मैगजीन/पत्रिका (प्रति वर्ष) प्रति यूनिट	2500.00
11.	लिनन और कंबल का एकबारगी अनुदान प्रति प्रशिक्षु प्रति केंद्र	2000.00

वर्तमान में भारत में 18 केन्द्र हैं जिनमें उपुर्यक्त खेल विधाओं में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

Hkk[ksik if'k{k.k dsUæ ¼,lVhlh½

mís';%

भारत सरकार ने सरकार की सभी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए 1987 में एक समिति का गठन किया और इसके निष्कर्शों के परिणामस्वरूप शारीरिक शिक्षा सहित खेलकूद के संवर्धन की भाखेप्रा की योजनाओं को आमेलित किया। समिति का कार्यक्षेत्र कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करना और संशोधनों के साथ उन्हें जारी रखने की सिफारिश करना तथा जहां आवश्यक हो योजनाओं को समेकित करना था। समिति ने यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा प्राप्त करने के लिए और देश में प्रतिभावान युवाओं को उनके स्वयं के राज्यों में इन–हाऊस कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को योजना आरंभ करनी चाहिए जिसे खेल परियोजना विकास क्षेत्र स्कीम (एसपीडीए) के नाम से जाना गया ।

समिति की सिफारिशों के आधार पर एक योजना तैयार की गई जिसमें प्रत्येक एसपीडीए केन्द्र को 80–100 विकास ब्लॉकों को शामिल करना था और इसका कार्यान्वयन संयुक्त रूप से केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना था। राज्य का हिस्सा हॉस्टल तथा एसपीडीए आरंभ करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु भूमि सहित इस प्रकार की सहायता प्रदान किया जाना था, प्रत्येक एसपीडीए को विशिष्ट क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता के आधार पर अधिकतम 4 ओलंपिक खेल विधाओं में कार्य करना था।

बाद में उन खिलाडियों को कोचिंग, प्रशिक्षण और पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिन्होंने खेल दक्षता के उच्च स्तर प्राप्त कर लिए हैं, के लिए पूर्व एसएनआईपीईएस बोर्ड द्वारा खेल हॉस्टल नामक योजना आरंभ की गई।

शासी निकाय ने 25 मई, 1995 को अपनी बैठक में एक अध्ययन के परिणामस्वरूप दोनों योजनाओं को सम्मिलित करने का निर्णय लिया और इसे 'भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्र, (एसटीसी) योजना' शीर्षक दिया:

i. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खेल विकास प्रयासों हेतु मिलकर कार्य करना संभव बनाना।

ii. देश में तथा राज्य के भीतर खेल सुविधाओं में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना।

iii. भाखेप्रा को वैज्ञानिक रूप से उन खेल प्रतिभाओं का पोषण करने को सक्षम बनाना जिन्होंने एनएसटीसी योजना के अंतर्गत सब–जूनियर स्तर पर उत्कृष्टता हासिल कर ली है और उन्हें दीर्घावधि आधार पर आगे वैज्ञानिक तथा गहन कोचिंग हेतु एसटीसी/उत्कृष्टता केन्द्रों में समाविष्ट करना।

iv. खेल अवसंरचना के लिए सहायता के पैकेज प्रदान करना और विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न खेल कार्यक्रम चलाना।

v. ऐसी स्थिति से बचने जहां खेल सुविधाएं निष्क्रिय पड़ी रह जाती हैं और उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पहले से मौजूद/जिले तथा जोन में सृजित किए जाने वाली सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

vi. भारत सरकार और भाखेप्रा की विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए चिन्हित निधियों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

vii. प्रतिभा के पोषण के लिए जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनागत स्कीमों का लाभ उठाना।

14 से 21 वर्ष आयु समूह में जूनियर स्तर के खिलाडियों के पोषण लिए भाखेप्रा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई थी जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी थी, जबकि भाखेप्रा को चुने गए प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण/उपकरण सहायता प्रदान करते हुए तथा अवसंरचना में छुटपुट मरम्मत कार्य करके योजना को संचालित करना था ।

p;u dk ekunaM

प्रशिक्षुओं का चयन प्रदर्षन के आधार पर किया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता हैं उन्हें चिकित्सा रूप से स्वस्थ पाए जाने पर योजना में स्वतः प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा अन्य अभिज्ञान प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता है जे उन्हें प्रतिस्पर्धा/चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रशिक्षुओं को चिकित्सा रूप से स्वस्थ पाए जाने और कई परीक्षण पास करने पर ही प्रवेश दिया जाता है।

iznÙk lqfo/kk,¡

प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल हैं बोर्डिंग, खेल किट, वृत्तिका, प्रतियोगिता अनुभव, शिक्षा व्यय, चिकित्सा, बीमा और अन्य खर्च।

'kkfey [ksy fo/kk,¡

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, फेनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक्स, हैंडबॉल, हाकी, जूड़ो, कबड्डी, खो–खो, कराटे, कयाकिंग और केनोइंग, सेपक–टाकरो, शूटिंग, साफ्ट बॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

vk;q ekunaM

इस योजना में 12–18 वर्ष आयु समूह के खिलाडियों को प्रवेश दिया जाता है। जिमनास्टिक तथा तैराकी पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतिभाशाली मामलो में छूट दी जाती है।

izf'k{kqvksa dks lgk;rk ds ekunaM

vkoklh; izf'k{kq

Ø- l-	fooj.k ¼izfr 0;fä½	jkf'k
1	खानपान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	175.00
2	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	200.00

3	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष) (अधिकतम 5000 रूपए)	12000.00
4	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
5	शिक्षा व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
6	चिकित्सा व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
7	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
8	अन्य व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	

x|j&vkoklh; if'k{k

Ø- l-	fooj.k	jkf'k
1	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	150.00

वर्तमान में 56 एसटीसी केन्द्र हैं जिनमें देशभर में प्रशिक्षुओं को प्रषिक्षित किया जा रहा है।

fo'k'k {k= [ky Ldhe ¼,l,th½

mís';%

विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) स्कीम का उद्देश्य देश के दुर्गम जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों हेतु प्राकृतिक प्रतिभा की खोज करना तथा उसे वैज्ञानिक रूप से निखारना है ताकि आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके।

इस योजना के अंतर्गत भाखेप्रा/मंत्रालय द्वारा संपूर्ण रूप से वित्त पोषित अवसंरचना जैसे खेल मैदान, इंडोर हाल, उपकरण सहायता/कोच इत्यादि के साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से केन्द्र आरंभ किए जाते हैं।

इस स्कीम में स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्टस की प्रतिभाओं की खोज करना और ऐसे क्षेत्रों/समुदायों से प्रतिभाओं की खोज करना शामिल है जो अनुवांशिक अथवा भौगोलिक रूप से किसी विशिष्ट खेल विधा में उत्कृष्टता के लिए लाभकारी स्थिति में हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 12–18 वर्ष आयु समूह में प्रतिभाशाली खिलाडियों को प्रशिक्षित करना है जिसमें अपवादिक मामलों में आयु में छुट दी जाती है।

p;u d ekunaM%

प्रशिक्षुओं का चयन प्रदर्षन के आधार पर किया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता हैं उन्हें चिकित्सा रूप से स्वस्थ पाए जाने पर योजना में स्वतः प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा तथा अन्य अभिज्ञात प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता है उन्हें प्रतिस्पर्धा/चयन ट्रायल में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रशिक्षुओं को चिकित्सा रूप से सही पाए जाने और कई परीक्षण पास करने पर ही प्रवेश दिया जाता है।

inŸk lfo/kk,¡

प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल हैं निःशुल्क बोर्डिंग तथा लॉजिंग सुविधाएं, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता अनुभव, चिकित्सा, बीमा, स्टाईपंड इत्यादि।

'kkfey [ky fo/kk,¡

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटल, बास्केटबॉल, बॉक्सिग, कयाकिंग एवं केनोइंग, साइक्लिग, फेनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूड़ो, कबड्डी,

कराटे, नेटबाल, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, सेपकटकरा, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

if’k{kvk dk lgk;rk d ekunM

vkoklh; if’k{k

Ø- l-	fooj.k ¼ifr 0;fä½	jkf’k
1	खानपान व्यय (प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 330 दिनों के लिए गैर पहाड़ी क्षेत्रों हेतु	175.00
2	330 दिनों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों हेतु प्रति दिन प्रति व्यक्ति	200.00
3	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष) (अधिकतम 5000 रूपए)	12000.00
4	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
5	शिक्षा व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
6	चिकित्सा व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
7	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	
8	अन्य व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	

xj&vkoklh; if’k{k

Ø- l-	fooj.k	jkf’k
1	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	150.00

वर्तमान में 19 एसएजी केन्द्र हैं जिनमें देशभर में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

एसटीसी/एसएजी केन्द्रों के विस्तार केन्द्र

mÌs’; %

यह योजना उन स्कूलों और कॉलेजों में खेल स्तर का विकास करने के दृष्टिकोण से 2005 में व्यापक कवरेज हेतु स्कूलों और कॉलेजों में आरंभ की गई थी जिनमें अपेक्षित बुनियादी अवसंरचना मौजूद हैं और जिन्होंने सराहनीय परिणाम दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 12–18 वर्ष आयु वर्ग के प्रशिक्षुओं को अपनाया जाता है।

inÙk lqfo/kk,¡%

प्रशिक्षुओं को खेल किट, वृत्तिका, प्रतियोगिता अनुभव, बीमा और कोच की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा संस्थाओं को प्रति वर्ष 1 लाख रू. का अनुरक्षण अनुदान भी दिया जाता है।

'kkfey [ksy fo/kk,¡ %

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटल, बास्केटबॉल, बॉक्सिग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूडो, कबड्डी, खो–खो शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

laLFkk dk p;u %

खेलकूद में सक्रियता से शामिल तथा पर्याप्त अवसंरचना वाले स्कूल कॉलेज इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होते हैं। संस्था के पास राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने का पुराना इतिहास होना चाहिए।

if’k{kvk dk p;u %

स्कूल/कॉलेज में 12 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के 20 से अधिक प्रशिक्षु नहीं होंगे। आसपास के स्कूलों/कॉलेजों के छात्रों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। प्रशिक्षुओं का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा किया जाता है जिसमें (1) क्षेत्रीय निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि (2) कॉलेज/संस्थान का प्रमुख अथवा उसका

प्रतिनिधि (3) संबंधित खेल विधा के स्कूल/कॉलेज के विशेषज्ञ/कोच (4) क्षेत्र के उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। अपवादस्वरूप मामलों में आयु समूह में छूट दी जा सकती है।

विस्तार केन्द्र को निकटतम एसटीसी/एसएजी तथा क्षेत्रीय केन्द्र के प्रमुख, जिसके अन्तर्गत यह आता है, द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे केन्द्रों को मंजूरी देने का अधिकार महानिदेशक भाखेप्रा का होगी।

if’k{kvk dk lgk;rk d ekunM

Ø- l-	fooj.k	jkf’k
1	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	4000.00
2	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	2000.00
3	वृतिका (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	6000.00
4	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	150.00
5	अभिज्ञात संस्थाओं में आवश्यकता और औचित्य के आधार पर प्रति प्रशिक्षु 1.00 लाख रू. की सीमा तक अवसंरचना तथा उपकरण सहायता	5000.00

वर्तमान में देश में 81 विस्तार केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

mR—"Vrk dUæ ;ktuk ¼lhvkb½

mÌs’; %

सब–जूनियर तथा जूनियर के लिए इस स्कीम के प्राकृतिक सहभागी के रूप में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्कीम 1997 में आरंभ की गई थी जिसमें राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाडियों की प्रतिभा को एक वर्ष में 330 दिन के लिए भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्रों में आगे और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। उन्हें आधुनिक सुविधाएं, उपकरण और विशिष्ट प्रशिक्षण सहित वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। ये केन्द्र भारत में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के लिए नियमित कोचिंग शिविरों का कार्य करते हैं और समवर्ती स्तर के संभवतः दो या तीन उच्च कौशल प्राप्त खिलाड़ी उपलब्ध करवाते हैं जिससे आगे राष्ट्रीय टीमों में चयन हेतु प्रतिभा व निरन्तरता का अधिक विकल्प मिलता है और ये राष्ट्रीय टीमों के लिए दूसरा और तीसरा विकल्प प्रदान करते हैं।

p;u dk ekunM %

वे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सभी आयुवर्ग में वैयक्तिक इवेंटों में सर्वोच्च 4 में स्थान प्राप्त करते हैं और टीम इवेंटों में विजेता अथवा दूसरे स्थान पर रहते हैं तो उनका चयन किया जाता है। प्रशिक्षुओं को 12 से 25 आयु वर्ग समूह में प्रवेश दिया जाता है। वे प्रशिक्षु जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन बनाए रखते हैं उन्हें योग्य मामलों में आयु में छूट देते हुए योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना जारी रखा जाता है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त प्रशिक्षुओं को भी प्रवेश दिया जाता है और उन्हें अन्य प्रशिक्षुओं के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है।

inŸk lfo/kk, %

प्रशिक्षुओं को बोर्डिंग और लोजिंग सुविधाएं, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता अनुभव, बीमा, चिकित्सा व्यय इत्यादि मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें वैज्ञानिक तथा चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है।

'kkfey [ksy fo/kk, %

तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइक्लिंग , फेनसिंग, जिमनास्टिक्स, हाकी, जूड़ो, कबड्डी, कयाकिंग और केनोइंग, रोइंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु।

if’k{kvk dk lgk;rk d ekunM

vkoklh; if’k{k

क्र. सं.	विवरण	राषि
1	पर्वतीय और गैर–पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खानपान व्यय 330 दिनों के लिए (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	225.00
2	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष) (अधिकतम 6000 रूपए)	6000.00
3	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	6000.00
4	चिकित्सा व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	2000.00
5	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	150.00
6	अन्य व्यय (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	850.00

xj&vkoklh; if’k{k

क्र. सं.	विवरण	राषि
1	खेल किट (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	6000.00
2	प्रतियोगिता अनुभव (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	3000.00
3	वृतिका (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	9000.00
4	बीमा (प्रति प्रशिक्षु प्रति वर्ष)	150.00

वर्तमान में देश में 15 केन्द्र हैं जिनमें प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भाखेप्रा राष्ट्रीय खेल अकादमियां

भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों में नवीनतम उपलब्धि राष्ट्रीय खेल अकादमियां हैं । 12–25 वर्ष की आयु वर्ग में विभिन्न खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग से भाखेप्रा द्वारा विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना की जा रही है । अकादमी की स्कीम में प्रशिक्षुओं की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर खेल सुविधाओं, उपकरण, अपेक्षित खेल विज्ञान अवसंरचना और योग्य कार्मिकों से युक्त आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों का प्रावधान है । इन खेल अकादमियां में आवासीय और गैर–आवासीय प्रशिक्षु होंगे । प्रत्येक अकादमी पीपीपी मोड के अंतर्गत त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत कार्य करेगी जिसमें साई, संबंधित परिसंघ और प्रायोजक की भूमिकाएं निर्धारित की जाएंगी । परिसंघों की एक प्रमुख भूमिका विदेशी विशेषज्ञता के माध्यम से तथा खेल विधाओं के अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यमों से जानकारी उपलब्ध कराना होगा । राष्ट्रीय परिसंघ भी प्रायोजन या भागीदारी के माध्यम से राजस्व जुटाने के प्रयास करेंगे ।

निम्नलिखित खेल विधाओं में 13 राष्ट्रीय खेल अकादमियां शुरू करने का प्रस्ताव है:

Ø- l-	[ksy fo/kk	txg
1	साइक्लिंग	आईजी स्टेडियम
2	तैराकी	डा. एसपीएमसी, दिल्ली
3	एथलेटिक्स (स्प्रिंट्स एवं जम्प्स)	तिरूवनंतपुरम
4	एथलेटिक्स (मध्यम दूरी)	भोपाल
5	एथलेटिक्स (थ्रो)	रोहतक
6	मुक्केबाजी	रोहतक
7	कुश्ती	सोनीपत
8	तीरंदाजी	गुवाहाटी / कोलकाता
9	निशानेबाजी	डा. केएसएसआर
10	फुटबाल	कोलकाता एवं कोची
11	हॉकी	बंगलौर / दिल्ली
12	वालीबॉल	कोची
13	गोल्फ	तिरूवनंतपुरम

उपर्युक्त में से गोल्फ, स्प्रिंट एवं जंप, तैराकी की खेल विधाओं में भाखेप्रा राष्ट्रीय खेल अकादमियों ने पहले ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया है ।

vkvks vkj [kyks ;kstuk%

यह योजना 8–17 वर्ष आयु समूह के लिए लक्षित है जहां एएसआई केन्द्रों में प्रतिभा की खोज और चरणबद्ध कोचिंग सहायता द्वारा पोषण किया जाएगा। सभी लोकप्रिय खेल विधाओं जैसे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटल, बास्केटबॉल, बॉक्सिग, क्रिकेट फैनसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो और कुश्ती में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। युवा खिलाडियों को 45 रू. प्रति माह की आंशिक लागत पर कोचिंग प्रदान की जाएगी।

भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्र/उप–केन्द्र

भाखेप्रा के क्षेत्रीय केन्द्र/उप–केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थाएं देश भर में खेल संवर्धन योजनाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं । भाखेप्रा के 9 क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता, बंगलूरू, गांधीनगर, भोपाल, सोनीपत, चंडीगढ़, इंफाल, लखनउ और गुवाहाटी में स्थित है ।

उद्देश्य और कार्य :

- कोचिंग कैम्पों का संचालन करना और राष्ट्रीय टीमों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने में सहायता करना।
- क्षेत्र में भाखेप्रा और भारत सरकार की खेल संवर्धन योजनाओं को कार्यान्वित करना और मॉनिटर करना।
- एनएसएनआईएस पटियाला में भाखेप्रा के शैक्षिक विंग के सहयोग से कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना।
- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संचालन करके कोचों की तकनीकी क्षमता और ज्ञान में वृद्धि करना।
- शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करना।
- ज्ञान वृद्धि के माध्यम से खेलों में उत्कृश्टता हासिल करने के उद्दश्य से सभी संबंद्ध व्यक्तियों को संगठनात्मक सहायता, दस्तावेजीकरण और खेल विज्ञान सूचना प्रदान करना।
- अन्य संगठनों खेल निकायों, राज्य सरकारसंघ राज्य क्षेत्र पशासन के साथ संपर्क स्थापित करना और खेलों से संबद्ध विषयों पर सूचना प्रदान करना।
- विभिन्न आयु समूहों में खेल प्रतिभा की पहचान करना और उनके प्रदर्शन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उन्हें निखारना।
- खेलों में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाडियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।

urkth lqHkk"k iwohZ dsUæ] dksydkrk

भाखेप्रा पूर्वी केन्द्र की स्थापना 23 जनवरी, 1983 को साल्ट लेक सिटी, कोलकाता में 42 एकड़ भूमि पर की गई थी। इस केन्द्र में प्रशिक्षण उपकरण, चिकित्सा और वैज्ञानिक सहायता, आवास तथा ठहरने की सुविधा इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान और निकोवार द्वीप समूह राज्यों को शामिल किया गया है।

d½ [ksy lao/kZuk Ldhe

भाखेप्रा एनएस पूर्वी केंद्र कोलकाता अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

[k½ 'kSf{kd dk;Øe

(i) 1वर्ष के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थेः– (पद्व खेल कोचिंग में (1) तीरंदाजी, (2) एथलेटिक्स, (3) बॉक्सिग (4) क्रिकेट और (5) फुटबॉल में एक वर्षीय डिप्लोमा

पाठ्यक्रम का आयोजन वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया ।

(ii) विभिन्न खेल विधाओं में 17 मई से 24 जून, 2014 तक 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम।

x½ dUæ esa volajpuk lqfo/kk,¡

(i) vkÅVMksj

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	क्रैश लैंडिंग पिट	प्रकार	01
2.	लॉन टेनिस कोर्ट	फोम फिटेड पिट	02
		हार्ड	03
3.	हाकी मैदान	क्ले	01
		एस्ट्रो टर्फ	01
4.	हैंडबाल मैदान	घास	01
5.	तीरंदाजी मैदान	घास	01
6.	फुटबॉल मैदान	घास	02
7.	वालीबॉल कोर्ट	सिंडर	02
8.	बास्केटबॉल कोर्ट	कंक्रीट	04
9.	तैराकी पूल परिसर	..	01
10.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	फ्लड लाईट सहित सिंथेटिक ट्रैक	01
11.	क्रिकेट मैदान	..	01

(ii) bMksj

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	खेल हॉल (इंडोर प्रशिक्षण केन्द्र)	लकड़ी का फर्श बास्केटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, बैडमिंटन, वालीबॉल, टेबल टेनिस और अन्य इंडोर खेलों के लिए	01
		आधुनिक उपकरण सहित कंडिशनिंग हॉल	01
		ध्यान कक्ष	01
2.	बॉक्सिग हॉल		01
3.	जूडो हॉल		--

iii) gkWLVy vkj vU; lqfo/kk,

Ø- l-		संख्या
1.	80 बिस्तरों वाला लड़कों का हॉस्टल	01
2.	नेशनल शिविरर्स के लिए 40 बिस्तरों वाला मिलेनियम भवन	01
3.	नेशनल शिविरर्स के लिए 40 बिस्तरों वाला लड़कियों का हॉस्टल	01
4.	सम्मेलन कक्ष और केंद्रीय भंडार के साथ प्रशासनिक ब्लॉक	01
5.	नियमित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मॉनिटरी सैल के साथ प्रशासनिक ब्लॉक	01
6.	खेल विज्ञान केन्द्र	01
7.	गेस्ट हाउस	07 कमरें

Ø- l-		संख्या
8.	क्षेत्रीय निदेशक बंगला	01
9.	स्टाफ क्वाटर	30
10.	आधुनिक कंडिशनिंग हॉल–सह–रिकवरी इकाई	01

2- Hkk[kik urkth lHkk"k nf{k.k dUæ] cxy:

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों वाले दक्षिणी क्षेत्र के खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला ने 13 अप्रैल, 1974 को श्री कांतीरावा स्टेडियम, बंगलूरू में अपनी षाखा स्थापित की । इस समय क्षेत्रीय केंद्र बंगलूरू यूनिवर्सिटी कैंपस, मैसूर रोड में कार्य कर रहा है और यह 80.2 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है । इनमें एलिट खिलाड़ियों के क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए जरूरी उपकरण और अन्य अवसंरचना सुविधाएं मौजूद हैं ।

d½ [ky lo/kukRed Ldhe%

भाखेप्रा नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र बेंगलुरू अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

[k½ 'kf{kd dk;Øe%

वर्ष के दौरान केन्द्र में निम्नलिखित शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए:–

103 अभ्यर्थियों को 8 खेल विधाओं अर्थात एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, ताइक्वांडो और वालीबॉल में वर्ष 2014–15 के लिए खेल कोचिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चुना गया।

6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम: एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो–खो, साफ्टबॉल और वालीबॉल की 9 खेल विधाओं में 17 मई से 24 जून, 2014 तक 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 195 छात्रों ने इस 6 सप्ताह के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में भाग लिया।

x½ jk"Vh; dkpx f'kfoj

वृहत अवसंरचना, वैज्ञानिक सहायता, मौसम की बेहतर परिस्थितियों की उपलब्धता के कारण वर्ष भर में इस केन्द्र में विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया। इस केन्द्र में विभिन्न खेल विधाओं में अधिकांश राष्ट्रीय कोचिंग शिविर ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी में आयोजित किए गए हैं।

एशियाई खेल 2014, राष्ट्रमंडल खेल, 2014, ओलंपिक गेम्स, 2016 और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयारी हेतु तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, पैरालंपिक्स, रोईंग, सेपकटकरा, वालीबॉल और याटिंग जैसी 10 खेल विधाओं के लिए 44 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया।

?k½ dUæ e vol jpuk lfo/kk,

(i) vkmVMkj

क्र. सं.	खेल अवसंरचना	प्रकार	संख्या
1.	एथलेटिक ट्रैक	सिंथेटिक सिंडर	01 01
2.	बास्केटबॉल कोर्ट	कंक्रीट	02
3.	फुटबॉल मैदान	टर्फ	01
4.	हाकी मैदान	पाली ग्रास एस्ट्रो टर्फ	01 01
5.	खो–खो / कबड्डी मैदान	क्ले	02
6.	टेनिस कोर्ट	क्ले सिमेंटेड	05 01
7.	वालीबॉल कोर्ट	सिंडर सैंड	03 01

8.	तैराकी पूल (मुख्य) (डाइविंग सुविधाओं के साथ)	21मी ग 50 मी	01
9.	तैराकी पूल ञप्रशिक्षु)	21 मी ग 25 मी	01
10.	गोल्फ कोर्स (9 छिद्र)	घास	01
11.	शूटिंग रेंज	10मी रेंज 25 मी रेंज 50 मी रेंज ट्रैप एवं स्कीट रेंज	 01 01 01 01

(ii) bUMksj

ifjlj –I			
Ø- la-	cgmís'kh; [ksy gky	{ks=Qy	la[;k
1.	बैडनि्मटन (बहुउद्देषीय)	40 मी X 15 मी X 15 मी	04
2.	वालीबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल बैडमिंटन	45 मी X 35 मी X 20 मी	02 02 01 06
3.	भारोत्तोलन	20 मी X 20 मी X 7.5 मी ;प्रत्येकद्ध	02
4.	सामान्य कंडिशनिंग हॉल	20 मी X 20 मी X 7.5 मी	01
ifjlj –II			
Ø- la-	cgmís'kh; [ksy gky	{ks=Qy	la[;k
1.	कंडिशनिंग हॉल	20 मी X 15 मी X 5 मी.	01
2.	स्टेट ऑफ आर्ट कंडिशनिंग हॉल	20 मी X 15 मी X 5 मी.	01
3.	ताइक्वांडो कबड्डी	30 मी X 20 मी X 7०5 मी	01 01

iii) gkLVy ,oa vU; lqfo/kk,a

Ø- la-		la[;k
1.	पुरूषों के लिए 198 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	उत्कृष्टता केन्द्र के लिए 196 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	महिलाओं के लिए 80 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
4.	प्रमुख महिलाओं खिलाड़ियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
5.	प्रमुख पुरूष खिलाड़ियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
6.	क्लब हाउस	01
7.	स्वास्थ्य केन्द्र	
8.	प्रशासनिक/शैक्षिक भवन	01
9.	शॉपिंग कॉम्पलेक्स	01
10.	खेल विज्ञान भवन	01
11.	गेस्ट हाउस	01
12.	स्टाफ क्वार्टर	91
13.	ऑडिटोरियम	01
14.	गेस्ट फ्लैट्स	12
15.	सम्मेलन कक्ष	01
16.	सेमीनार कक्ष	01

3- Hkk[kik urkth lqHkk"k if'Pke dsUæ] xka/khuxj

पश्चिमी केंद्र , गांधीनगर की स्थापना 29 अगस्त, 1987 को 64 एकड़ भूमि पर की गयी थी और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और दमन तथा दीव और दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तथापि, जुलाई माह में भाखेप्रा पश्चिमी केन्द्र की 7.5 एकड़ भूमि महात्मा गांधी मन्दिर परियोजना के विकास हेतु वापिस गुजरात राज्य सरकार को सौंप दी गयी।

d½ [ky lo/kukRed Ldhe %

भाखेप्रा एनएस पश्चिमी केंद्र, गांधीनगर अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन व निगरानी करता है ।

[k½ Ng lIrkg dk lfVfQdV ikB¸kØe %

विभिन्न खेल विधाओं में 17 मई से 24 जून, 2014 तक छह सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

x½ dUæ e vol jpuk lfo/kk, %

(i) vkmVMkj

Ø- l-	vkmVMkj	idkj	l[;k
1.	हाकी मैदान	एस्ट्रो टर्फ घास	01
2.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	सिंथेटिक (पुनः बिछाया गया)	01
3.	फुटबॉल मैदान	घास	01
4.	हैंडबॉल कोर्ट	क्ले सैंड	03 01
5.	कबड्डी मैदान	क्ले	03 01
6.	वालीबॉल कोर्ट	क्ले सैंड	03 01
7.	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
8.	तरणताल और डाइविंग पूल (गुजरात सरकार द्वारा पुनः निर्माण किया जा रहा है ।)	50 मी०	01
9.	टेनिस कोर्ट	क्ले	03
10.	बहुउद्देशीय इंडोर हॉल	वूडन	01
11.	प्रशासनिक ब्लॉक	..	01
12.	गेस्ट हाउस (गुजरात सरकार द्वारा तोड़कर पुनः निर्माण कराया जा रहा है)	..	01
13.	क्रिकेट पिच	सिमेंटेड अभ्यास के लिए	04
14.	क्रिकेट मैदान		01
15.	जिम्नेजियम		01

ii) gkLVy vkj vU; lfo/kk, %

क्र. सं.		l[;k
1.	लड़कों के लिए 150 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	लड़कियों के लिए 150 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	नेषनल कैम्परों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
4.	आधुनिक फिटनेस केंद्र	01
5.	खेल विज्ञान केंद्र	01

4- Hkk[kik m)o nkl egrk ¼Hkkb tk½ e/; dUæ] Hkkiky

भाखेप्रा मध्य केन्द्र की स्थापना अप्रैल, 1988 में दिल्ली में की गयी थी। इसके पश्चात केन्द्र को 6 जून, 2001 में भोपाल स्थानांतरित किया गया और 17 अप्रैल, 2002 को इसका नाम शासी निकाय के 18 मार्च 2002 के निर्णय के अनुसार उद्धव दास मेहता (भाई जी) मध्य क्षेत्रीय केन्द्र रख दिया गया है। यह केन्द्र 97 एकड़ भूमि पर कार्य कर रहा है जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम गोरा, बिशनखेरी, भोपाल में आवंटित किया गया और इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं।

¼d½ [ksy lo/kukRed Ldhe%

भाखेप्रा उद्धव दास मेहता (भाईजी) मध्य क्षेत्र, भोपाल अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

¼[k½ jk’Vªh; dksfpax f’kfoj

एशियाई खेल, 2014, राष्ट्रमंडल खेलए 2014 और ओलंपिक खेल, 2016 तथा और अन्य विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने में 7 खेल विधाओं जैसे बॉक्सिग, हाकी, जूडो, कबड्डी, कयाकिंग और कैनोइंग, निशानेबाजी और वुशु में वर्ष 2014 के दौरान भाखेप्रा मध्य क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल में कुल 22 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

¼x½ dUæ e vol jpuk l fo/kk,

(i) vkmVMksj

Ø- l-	[ksy vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	हाकी मैदान	फ्लड लाईट सहित एस्ट्रोटर्फ एस्ट्रोटर्फ	01 01
2.	फुटबॉल मैदान	घास	01
3.	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	03
4.	वालीबॉल कोर्ट	क्ले	03
5.	एथलेटिक ट्रैक (400 मीटर)	सिंथेटक सिंडर	01 01
6.	हाकी मैदान	घास	01
7.	जॉगिंग ट्रैक (2.1 किलोमीटर)		01
8.	बाक्सिग रिंग	सैंड	01

(ii) bUMksj

Ø- l-	[ksy vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	बहुउद्देशीय कक्ष	छोटा बड़ा	02 02
2.	खेल विज्ञान केन्द्र तथा चिकित्सा और फिजियोथरेपी केन्द्र		01
3.	आधुनिक फिटनेस केन्द्र		01
4.	चेंजिंग रूम		01
5.	सुविधा शापिंग केन्द्र		01
6.	सुविधा शापिंग केन्द्र		01
7.	कच्चे जल के षोधन के लिए फिल्टरेशन प्लांट		01
8.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के लिए अप्रोच रोड और पार्किंग		01

iii) gkLVy rFkk vU; lfo/kk,

Ø- l-	[ksy vol jpuk	l [;k
1.	144 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	वातानुकूलित सुविधाओं के साथ 52 बिस्तरों वाला (पुरूष तथा महिला) हॉस्टल	02
3.	स्टाफ क्वार्टर	32
4.	वातानुकूलित सुविधाओं के साथ 48 बिस्तरों वाला हॉस्टल (हॉस्टल संख्या– 4)	01

iv) py jgs dk;Z

a) एसएजी धार में पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाना

v) iLrkfor dk;l

(क) तरण ताल

(ख) सिंथेटिक हाकी सर्फेस को बदलना

(ग) हाई मॉस सुरक्षा लाइटिंग

(घ) एसटीसी टीकमगढ़ में सिंथेटिक हाकी सर्फेस बिछाना

(ड़) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के पास स्टोर चेंजिंग रूम

(च) सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के आस–पास एरिना लाइटिंग

5- Hkk[kik pk0 nohyky mŸkjh {k=h; dUæ] lkuhir

भाखेप्रा के उत्तरी केन्द्र की स्थापना 15 अक्तूबर, 1991 को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में भाखेप्रा तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा सरकार ने क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना तथा खेल अवसंरचना/खेल की सुविधाओं के निर्माण के लिए सोनीपत में 83 एकड़ भूमि आबंटित की । भाखेप्रा के शासी निकाय ने 12 नवम्बर, 2001 को आयोजित अपनी बैठक में क्षेत्रीय केन्द्र को चंडीगढ़ से सोनीपत स्थानांतरित करने और केन्द्र का नाम भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के नाम पर रखने को अनुमोदित किया ।

इस समय हरियाणा और दिल्ली राज्यों में एनआरसी सोनीपत के प्रशासनिक नियंत्रण में भाखेप्रा के निम्नलिखित प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं :

(क) भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र, भिवानी

(ख) भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र, हिसार

(ग) भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र, कुरूक्षेत्र

(घ) भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र, एनआरसी, सोनीपत

(ड़) भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र, बवाना (दिल्ली)

¼d½ [ky lo/kukRed Ldhe ½

भाखेप्रा चौ0 देवी लाल उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, सोनीपत अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

¼[k½ dæ e lftr voljpuk lfo/kk, ½

i) vkmVMkj

Ø- l-	[ky voljpuk	idkj	l[;k
1.	हाकी मैदान	एस्ट्रोटर्फ	01
2.	हाकी मैदान	घास	01
3.	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
4.	वालीबॉल कोर्ट	क्ले	01
5.	एथलेटिक ट्रैक	सिंथेटिक घास	01 01
6.	फुटबॉल मैदान	घास	01
7.	कबड्डी मैदान	क्ले	01
8.	तरणताल		01
9.	हैंडबाल	घास	01
10.	जूडो हॉल		02

ii) bMkj

Ø- l-	[ky voljpuk	idkj	l[;k
1.	बहुउद्देशीय हॉल (4 कुश्ती मैट, कबड्डी कोर्ट और बॉक्सिग रेंज के लिए सुविधाओं सहित)		02
2.	टेक्नो जिम	आधुनिक उपस्करों के साथ	01
3.	सोनाबाथ		01

iii) gkLVy rFkk vU; lqfo/kk,

Ø- la-	[ksy vola jpuk	la[;k
1.	लड़कों के लिए 90 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	लड़कियों के लिए 90 बिस्तर वाला हॉस्टल	01
3.	प्रशासनिक कार्यालय	01
4.	चिकित्सा केन्द्र	01
5.	ओवरहेड वाटर टैंक	01
6.	खेल विज्ञान केन्द्र	01
7.	आधुनिक फिटनेस केन्द्र	01
8.	200 बिस्तरों वाला हॉस्टल (एसी –1	01
9.	अतिथि गृह	01
10.	स्टाफ क्वार्टर	35
11.	11 केवी पृथक फीडर पिलर	01

6- Hkk[kik {k=h; dUæ] pMhx<

भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केंद्र वल्लभगढ़, सोनीपत से मार्च, 2009 में चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया और यह संघ राज्य प्रषासन द्वारा सेक्टर 42, चंडीगढ़ में स्थित हॉकी स्टेडियम में दिए गए स्थान पर 1 अप्रैल 2009 से कार्यरत है ।

वर्तमान में इस केंद्र का अपना कैम्पस नहीं है । पंजाब सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण के संपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित करने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास जिरकपुर में 73 बीघा और 6 बिस्वा भूमि प्रदान करने की पेषकष की है । 19 नवम्बर, 2013 को जिरकपुर के नगर निगम, भाखेप्रा और पंजाब के निदेषक (खेल) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कष्मीर, और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनकारी स्कीमों तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की स्कीमों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

¼d½ [ksy lo/kukRed Ldhe %

चंडीगढ स्थित भाखेप्रा केंद्र अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

dkÇpx f'kfojk dk fooj.k %

वर्ष 2014–15 के दौरान क्षेत्रीय केंद्र, चंडीगढ के तहत विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए:–

Ø- la-	[ksy fo/kk	LFkku	vof/k	f'kfojkfFk;ka dkpk vkj lgk;d LVkQ dh la[;k
1.	साइक्लिग सीनियर–पुरूश एवं महिला जूनियर–लड़के	अमृतसर (पंजाब)	3–10–2014 से 9–11–2014 तक	उपस्थिति पंजीका के अनुसार :– पुरूश –6 महिला –4 जूनियर लड़के–3 कोच–4

7- Hkk[kik urkth lHkk"k iokZŸkj {k=h; dUæ] bEQky

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना 15 सितम्बर, 1986 को तक्योल, इम्फाल में 64 एकड़ भूमि पर की गई थी जो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को कवर करता है ।

¼d½ [ky lo/kukRed Ldhe %

भाखेप्रा नेताजी सुभाष पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, इम्फाल अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

¼[k½ dæ e vol jpuk lfo/kk,

¼d½ vkmVMkj

Ø- l-	[ky vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	हाकी मैदान	घास	02
2.	फुटबॉल मैदान	घास	03
3.	एथलेटिक मैदान	घास	02
4.	हैंडबाल कोर्ट	आउटडोर	01
5.	तीरंदाजी मैदान	घास	01
6.	बास्केट बाल कोर्ट		01
7.	वालीबॉल मैदान	घास	02
8.	रोइंग कैनाल		01
9.	लान टेनिस कोर्ट		03
10.	कबड्डी कोर्ट	घास	01
11.	सेपक तकरा कोर्ट	आउटडोर	01
12.	ताइक्वांडो		01
13.	शूटिंग रेंज		01
14.	स्वीमींग एवं डाइविंग पूल		01
15.	जिम्नेजियम		01

([k) bUMkj

Ø- l-	[ky vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	बहुउद्देशीय हॉल (हैंडबाल, एकबड्डी, सेपक–तकरा और ताइक्वांडो हेतु सुविधाएं)	54.6 X 30 X 12.5 मीटर	04
2.	कंडिशनिंग, शारीरिक स्वाथ्य लाभ और खेल औषध सुविधा		03
3.	इंडोर हॉल में बाक्सिग रिंग, एक मल्टीजिम और कुछ भारोत्तोलन प्रशिक्षण उपस्कर (दीमापुर में)		01

¼x½ gkLVy rFkk vU; lfo/kk,

Ø- l-	[ky vol jpuk	l [;k
1.	100 बिस्तरों वाला लड़कों का हॉस्टल (एसटीसी इम्फाल में) 50 बिस्तरों वाला लड़कियों का हॉस्टल (साई तक्याल में) 80 बिस्तरों वाला हॉस्टल (एसटीसी उत्लोव में) 175 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01 01 01 01
2.	डाइनिंग हॉल	01
3.	मनोरंजन हॉल	01
4.	कार्यालय कक्ष (छोटा)	01
5.	स्टाफ क्वार्टर टाईप– v	01
6.	स्टाफ क्वार्टर टाईप– iv	02
7.	स्टाफ क्वार्टर टाईप–iii	16
8.	स्टाफ क्वार्टर टाईप–ii	04
9.	स्टाफ क्वार्टर टाईप–i	04
10.	अतिथि गृह	01
11.	प्रशासनिक ब्लॉक	01

¼iv½ py jgs dk;Z %

1)	सिंथेटिक हाकी सर्फेस बिछाना	}
2)	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	}
3)	3 टेनिस कोर्ट	}
4)	बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	} भाखेप्रा एनईआरसी, इम्फाल में
5)	100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	}
6)	टाइप III के 6 स्टाफ क्वार्टर	}
7)	बहुउद्देशीय हॉल	} एसएजी केन्द्र, खुमन लम्पक में
8)	100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	}
9)	बहुउद्देशीय हॉल	} एसएजी केन्द्र, उटलऊ में
10)	सिंथेटिक हाकी सर्फेस	} एसएजी केन्द्र, थेंजुअल में
11)	लड़कों तथा लड़कियों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	} एसएजी केन्द्र, मिजोरम में

8- Hkk[ksik {ks=h; dUæ] y[kuÅ %

भाखेप्रा नेताजी सुभाश उपकेन्द्र, लखनऊ की स्थापना 23 फरवरी, 2004 को 52 एकड़ भूमि पर की गयी थी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को कवर करता है।

¼d½ [ksy lqfo/kkukRed Ldhe %

भाखेप्रा नेताजी सुभाष उप केंद्र, लखनऊ अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

¼[k½ jk"Vªh; dksfpax f'kfoj

एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल तथा विश्वकप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीम तैयार करने हेतु 2014–15 के दौरान भाखेप्रा नेताजी सुभाष उप केन्द्र, लखनऊ में विभिन्न स्तर पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसी 3 खेल विधाओं में 9 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

¼x½ dUæ esa vol jpuk lqfo/kk,

i) vkmVMksj

Ø- l-	[ksy vol jpuk	izdkj	la[;k
1.	एथलेटिक ट्रैक	घास	02
2.	फुटबॉल मैदान	घास	02
3.	हाकी मैदान	एस्ट्रोटर्फ	01
4.	हाकी मैदान	घास	01
5.	वालीबॉल मैदान	क्ले	02
6.	कबड्डी मैदान	क्ले	
7.	बास्केटबॉल कोर्ट	सिमेंटेड	02
8.	हैंडबाल कोर्ट	घास	01
9.	खो–खो मैदान	घास	02
10.	क्रिकेट पिच	सिमेंटेड	02
11.	बहुउद्देशीय हॉल		01
12.	फिटनेस केंद्र		01
13.	योग / ताइक्वांडो हॉल		01

ii) gkWLVy vkSj vU; lqfo/kk,

Ø- l-	fooj.k	la[;k
1.	लड़कों के लिए 30 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	लड़कियों के लिए 30 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	राष्ट्रीय शिविरों के लिए 100 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
4.	प्रशासनिक ब्लॉक	01
5.	खेल विज्ञान केन्द्र	01

iii) py jg dk;l %

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र बरेली प्रत्येक में 2 सिंथेटिक हाकी सर्फेस बिछाए जा चुके हैं
- एनएसआरसी, लखनउ में लड़के/लड़कियों के प्रत्येक हॉस्टल में 10 अतिरिक्त कमरें
- क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में बाक्सिंग रिंग षेड
- एनएसआरसी, लखनउ में प्रशिक्षण के उद्देष्य से सीढ़ियां
- काषीपुर में स्टोर रूम और षौचालयों का निर्माण
- क्षेत्रीय केंद्र लखनउ में 400 मीटर मिट्टी का ट्रैक
- फिटनेस केंद्र में आधुनिक आयातित उपस्कर लगा दिए गए ह

9- Hkk[kik {k=h; dUæ] xqokgkVh

पूर्वोत्तर में खेलों को बढ़ावा देने की दृश्टि से भाखेप्रा ने अपने भाखेप्रा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, इम्फाल के अंतर्गत 1987 में गुवाहाटी में अपने उपकेंद्र की स्थापना की । जनवरी, 2013 में उपकेंद्र गुवाहाटी का स्तरोनयन करके क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी बना दिया गया है । चार पूर्वोत्तर राज्य नामतः असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में विभिन्न भाखेप्रा संवर्धनकारी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है ।

I. vol juk@[kyu dh lfo/kk,

यह केंद्र 9.3 एकड़ भूमि पर बना है और इसके लिए निम्नलिखित सुविधाएं हैंः–

¼d½ vkmVMksj

Ø- l-	[ky vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	सिंथेटिक	01
2.	बॉक्सिंग षेड	.	01
3.	टेनिस कोर्ट	सिंथेटिक	02
4.	फुटबॉल मैदान	.	01

¼[k½ bMksj

Ø- l-	[ky vol jpuk	i dkj	l [;k
1.	एथलेटिक ट्रैक 400 मीटर	52 मीटर X 25 मीटर	01
2.	मल्टीजिम और भारोत्तोलन के लिए छोटा हॉल	25 मीटर X 15 मीटर	01

¼x½ gkLVy rFkk vU; lfo/kk,

Ø- l-	[ky vol jpuk	l [;k
1.	लड़कियों के लिए 82 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
2.	लड़कों के लिए 68 बिस्तरों वाला हॉस्टल	01
3.	खेल विज्ञान इकाई	01
4.	ग्रांड स्टैंड–सह–प्रशासनिक ब्लॉक	01
5.	कार्यालय कक्ष	02
6.	डायनिंग हॉल	01
7.	मनोरंजन हॉल	01

AA- [ky lo/kudkjh Ldhe

भाखेप्रा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय उप केंद्र, गुवाहाटी अपने क्षेत्र में भाखेप्रा खेल संवर्धनकारी स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

'k{kf.kd lLFkku

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) पटियाला तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, कॉलेज (एलएनसीपीई) तिरूवनंतपुरम, भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत दो षैक्षणिक संस्थान हैं।

urkth lHkk"k jk"Vh; [ky lLFkku] ifV;kyk

भारत सरकार द्वारा देश में व्यवस्थित और वैज्ञानिक खेल कोचिंग के युग का सूत्रपात करने के लिए 7 मई, 1961 को राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की । यह 1 मई, 1987 से भारतीय खेल प्राधिकरण का शैक्षणिक प्रभाग बन गया। इसे एशिया में प्रमुख खेल संस्थान माना गया है और यह 268 एकड़ के क्षेत्रफल में मोती बाग पैलेस, पटियाला (पंजाब) में स्थित है।

lLFkku d y{; vkj mÌ';

- खेल कोचिंग, खेल विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अल्प एवं दीर्घावधि शैक्षणिक पाठ्यक्रम आयोजित करना।
- कोचों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन द्वारा कोचों की योग्यता बढ़ाना।
- अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देना।
- विशिष्ट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
- खेल से संबंधित विषयों पर सम्मेलन, सेमिनार और कायशालाएं आयोजित करना।
- विषेशज्ञों के माध्यम से खेल अवसंरचना के संबंध में सूचना और परामर्श स्रोत के रूप में कार्य करना।
- भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धनात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन करना।
- पहचान की गई खेल विधाओं में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक खेल कोचिंग के माध्यम से उन्हें तैयार करना।
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की खेल संवर्धन स्कीमों को कार्यान्वित करना।

'k{kf.kd dk;Øe

संस्थान में खेल कोचिंग वर्ष 2014–15 के सत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का वार्षिक दीक्षांत समारोह पटियाला में आयोजित किया गया जहां पटियाला में सोलह खेल विधाओं में, भाखेप्रा के एन.एस. दक्षिणी केन्द्र, बेंगलुरू में 8 खेल विधाओं में और भाखेप्रा एनएस पूर्वी केन्द्र, कोलकाता में पांच खेल विधाओं में डिप्लोमा प्रदान किए गए ।

i. [ky dkÇpx e fMIykek ikB¸kØe

(क) संस्थान द्वारा पटियाला, बंगलुरू और कोलकाता स्थित शैक्षणिक केंद्रों में 10 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

पटियाला में 17 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, बॉस्केटबॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइक्लिंग , फेंसिग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हाकी, जूडो, टेबल टेनिस, तैराकी वालीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बेंगलुरू में 8 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हाकी, कबड्डी, लॉन टेनिस, तैराकी, ताइक्वांडो तथा बालीबॉल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कोलकाता में 5 खेल विधाओं नामतः तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, क्रिकेट और फुटबॉल में प्रषिक्षण दिया जा रहा है।

ii. [ky dkÇpx e ,e ,l lh

1979 में 9 खेल विधाओं में खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पंजाबी विश्वविद्यालय,

पटियाला से सम्बद्ध यह पाठ्यक्रम केवल पटियाला केन्द्र में चलाया जा रहा है।

iii. [ky dkçpx e lVfQdV ikB¸kØe

संस्थान द्वारा 17 मई से 24 जून, 2014 तक विभिन्न भाखेप्रा केन्द्रों में जन शिक्षा कार्यक्रम के तहत खेल कोचिंग में 6 सप्ताह का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किया गयाः एनएस एनआईएस पटियाला, एनएस पश्चिमी केन्द्र, गांधी नगर, भाखेप्रा पश्चिमी केन्द्र, औरंगाबाद, एलएनसीपीई, तिरूवनंतपुरम, भाखेप्रा एनएस पूर्वी केन्द्र, कोलकाता, भाखेप्रा एसटीसी प्रशिक्षण केन्द्र, कांडीवली (पूर्वी) मुम्बई, एएन विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश, मणिपाल विश्वविद्यालय (कर्नाटक) और केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिषा ।

jk"Vh; dkçpx f'kfojk dk ic/ku

I) jk"Vh; f'kfojk vkj Hkk[kiik dh Ldheka dk oKkfud lgk;rk

विभिन्न वैज्ञानिक विभागों ने भाखेप्रा एनएसएनआईएस, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों के संबंध में वैज्ञानिक परीक्षण/मूल्यांकन किए। इन विभागों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु मूल्यवान सूचना दी ।

ii) lLFkku e lftr voljuk lfo/kk,

¼d½ vkmVMkj

Ø- l-	[ky voljpuk	idkj	l[;k
1.	एथलेटिक	सिंथेटिक सतह फ्लडलाइट घास	2 1
2.	स्पीड इनड्यूरेंस	सिंथेटिक सतह	1
3.	बास्केटबाल कोर्ट	सख्त घास	3 1
4.	क्रिकेट	हाफ प्रैक्टिस पीचें	4
5.	फुटबाल मैदान	घास	2
6.	हैंडबाल कोर्ट	सख्त घास सैंड बीच	1 2 1
7.	हॉकी मैदान	सिंथेटिक सतह घास	2 2
8.	तैराकी पूल	स्टैंडर्ड 50 मीटर डाइविंग बिगनर्स	1 1 1
9.	टेनिस कोर्ट	कृत्रिम ग्रेवल+ क्ले	3 3
10.	साइक्लिंग वेलोड्रोम		1
11.	वालीबाल कोर्ट	सिंडर सैंड बीच	3 1
12.	सैंड रनिंग सर्किट		1
13.	क्रास कंट्री सर्किट		1
14.	गोल्फ कोर्स	9 होल	1

(b) bMkj

Ø- l-	[ky voljpuk	idkj	l[;k
1.	कुश्ती हॉल	वातानुकूलन	1
2.	भारोत्तोलन हॉल	वातानुकूलन	1
3.	बाक्सिंग हॉल	वातानुकूलन	1
4.	टेबल टेनिस हॉल	वातानुकूलन	1
5.	बाक्सिग हॉल		1
6.	वुशु हॉल		1
7.	फेंसिग हॉल		1
8.	जूडो हॉल		2
9.	जिम्नास्टिक हॉल		1
10.	आडियो–विजुअल हॉल		1

11.	आडिटोरियम	240 सीट	1
12.	स्क्वैश कोर्ट		2
13.	सोना बाथ		2
14.	स्टीम बाथ		2
15.	शूटिंग रेंज	10 मीटर तात्कालिक तैयार	1
16.	तीरंदाजी रेंज	लेक एरिया	1
17.	टेक्नोजिम	मुख्य जगह	1
18.	कंडिशनिंग हॉल	फास लेक एरिया	1
19.	बिलियर्डस रूम		1

[ksy lao/kukRed Ldhe

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

2. y{ehckbZ jk"Vªh; 'kkjhfjd f'k{kk dkWyst ¼,y,ulhihbZ½ fr:ouUriqje

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (एलएनसीपीई) करियावट्टम, तिरूवनन्तपुरम की स्थापना तत्कालीन युवा कार्यक्रम व खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 17 अगस्त, 1985 को की गई थी । 1 मई, 1987 को एनएसआईसीपीआई के भाखेप्रा से समेलन के पश्चात यह कॉलेज एनएसएनआईएस पटियाला और एलएनसीपीई, ग्वालियर के समतुल्य भारतीय खेल प्राधिकरण के शैक्षणिक खंड का एक भाग बन गया । इसे केरल विश्वविद्यालय, करियावट्टयम शिविर से ली गई 50 एकड़ भूमि पर बनाया गया ।

कॉलेज का उद्देश्य देश में शारीरिक शिक्षा व खेल के उत्थान हेतु उत्कृश्ट सुविधाएं प्रदान करना तथा अवर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाकर शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मॉडल संस्थान के रूप में काम करना है।

d½ y{; vkSj mÌs’;

- I शारीरिक शिक्षा, खेल–कूद व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक दक्ष और कुशल नेतृत्व/अध्यापक, कोच और प्रशिक्षक तैयार करना।
- II शारीरिक शिक्षा, और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सेवा देना ।
- III भारत तथा विदेश में शारीरिक शिक्षा के अन्य संस्थानों को तकनीकी, व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- IV क्षेत्र में कार्यरत अन्य व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन और नौकरी में सहायता करना ।
- V जन शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप के कार्यक्रम विकसित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना ।
- VI राज्य और राष्ट्र स्तरीय कोचिंग शिविरों के लिए अवसंरचना, आवास और भोजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ इस कॉलेज को भाखेप्रा की चल रही स्कीमों का केंद्र बनाना ।

¼[k½ 'kS{kf.kd dk;ZØe

शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए :

1. शारीरिक शिक्षा स्नातक (4 वर्ष)
2. शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (2 वर्ष)
3. मास्टर आफ फिलासफी (एम. फिल) (1 वर्ष)
4. नियमित और अंशकालिक पी.एच–डी. कार्यक्रम
5. खेल कोचिंग में एनआईएस डिप्लोमा

Nk=ksa dh la[;k%

d{kk	yMfd;k	yMds	dqy la[;k
बीपीएड	20	29	49
बीपीई II	19	31	50
बीपीई III	वर्ष 2012–13 में बीपीई पाठ्यक्रम के निलंबन के कारण तीसरे वर्ष का बीपीई पाठ्यक्रम नहीं है ।		
एमपीई I	7	18	25
एमपीई II	13	12	25
एमफिल	–	–	–
डिप्लोमा	04	12	16
dqy	63	102	165

¼x½ lfVZfQdsV ikB~;Øe

17 मई से 24 जून, 2014 तक 5 खेल विधाओं नामतः एथलेटिक्स, हाकी, खो–खो, तैराकी और वालीबाल में 6 सप्ताह की अवधि वाले सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 64 छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा किया।

¼?k½ jk"Vªh; dksfpax f'kfoj

2014 के दौरान एलएनसीपीई, तिरूवनन्तपुरम में 5 राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया अर्थात कयाकिंग व केनोइंग तथा तैराकी ।

2. laLFkku esa lfTtr volajpuk lqfo/kk,a

¼d½ vkmVMksj

Øe la-	[ksy volajpuk	izdkj	la[;k
1.	सिंथेटिक ट्रैक	सिंथेटिक	01
2.	फुटबाल मैदान	घास	02
3.	हॉकी मैदान	घास	01
4.	बास्केटबाल कोर्ट	सिमेंटेड	02
5.	हैंडबाल		01
6.	टेनिस कोर्ट	क्ले	03
7.	बीच वालबॉल		01
8.	खो–खो खेल मैदान	क्ले	01
9.	क्रिकेट फील्ड	घास	01
10.	वेलोड्रम		01
11.	कबड्डी खेल मैदान	क्ले	02
12.	तैराकी पूल		01
13.	गोल्फ	9 होल कोर्स	01
14.	वालीबॉल कोर्ट		01

¼[k½ bMksj

Øe la-	[ksy volajpuk	izdkj	la[;k
1.	इंडोर प्रशिक्षण हॉल (जिम्नास्टिक, बाक्सिंग एवं बैडमिंटन)	52 मीटर X 25 मीटर	01
2.	स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र	25 मीटर X 15 मीटर	01
3.	आधुनिक फिटनेस केंद्र	38 मीटर X 15 मीटर	01
4.	ताइक्वांडो हॉल	18 मीटर X 8 मीटर	01
5.	कुश्ती हॉल	12 मीटर X 8 मीटर	01

¼x½ gkLVy rFkk vU; lqfo/kk,a

Øe la-	[ksy volajpuk	la[;k
1.	प्रशासनिक–सह शैक्षणिक ब्लॉक जिसके कक्षाएं, कार्यालय, पुस्तकालय, कम्प्यूटर रूम, चिकित्सा केंद्र, दृष्य–श्रव्य कक्ष और सम्मेलन कक्ष	01
2.	लड़कों के लिए हॉस्टल (100 बिस्तर)	01
3.	लड़कों के लिए हॉस्टल (80 बिस्तर)	01
4.	पुरूषों के लिए एलिट हॉस्टल (60 बिस्तर)	01

5.	लड़कियों के लिए हॉस्टल (100 बिस्तर)	01
6.	लड़कियों के लिए हॉस्टल (96 बिस्तर)	01
7.	महिलाओं के लिए एलिट हॉस्टल (40 बिस्तर)	01
8.	लड़कों और लड़कियों के लिए शयन कक्ष	05
9.	खेल विज्ञान केंद्र	01
10.	स्टाफ क्वार्टर	23

[ksy lao/kukRed Ldhesa %

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज (एलएनसीपीई), तिरूवनंतपुरम अपने क्षेत्र में भाखेप्रा की खेल संवर्धन स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करता है ।

थिरिपरियार विस्तार केंद्र एवं कोथामगलम इंडोर शूटिंग रेंज का शुभारंभ

20 अगस्त, 2014 को भाखेप्रा के तत्कालीन महानिदेशक श्री जीजी थामसन ने थिरिपरियार खेल विस्तार केंद्र और त्रिसूर में खेल अकादमी इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया । इन्होंने 20 अगस्त, 2014 को कोथामंगलम में मार अथांसियस कॉलेज में इंडोर शूटिंग रेंज का भी शुभारंभ किया ।

Hkk[ksik jk"Vªh; ,FkysfVd vdkneh] fFk:ouariqje dk 'kqHkkjaHk

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 22–9–2014 को स्प्रिंट्स एवं जम्पस के लिए भाखेप्रा राष्ट्रीय एथलेटिक अकादमी का शुभारंभ किया ।

Hkk[ksik jk"Vªh; xksYQ vdkneh vkSj f=osUæe xksYQ Dyc dk 'kqHkkjaHk

22–9–2014 को त्रिवेन्द्रम गोल्फ कोर्स, कवदियार में श्री ओमन चंडी, मुख्यमंत्री, केरल द्वारा भाखेप्रा त्रिवेन्द्रम गोल्फ क्लब और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा भाखेप्रा राष्ट्रीय गोल्फ अकादमी का शुभारंभ किया ।

jk"Vªh; dksfpax Ldhe

तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय राजकुमारी अमृत कौर की पहल पर सितम्बर, 1953 में संगठित खेल कोचिंग आरंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य खेल कोचों के लिए एक संस्थान के रूप में सेवाएं देना और विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित किए गए कोचों की सेवाओं को देश के युवाओं को दीर्घावधि और अल्पावधि, दोनों आधारों पर प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग में लाना था ।

राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम, जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम का आशोधित रूप है, देश भर में खेलों को विस्तृत आधार देने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति करता है । इस स्कीम के तहत राज्य कोचिंग केंद्र/जिला कोचिंग केंद्र के लिए मैचिंग आधार पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोचों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । कोचों की सेवाओं का उपयोग भाखेप्रा की चल रही विभिन्न स्कीमों के तहत युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है । इसके अतिरिक्त कोच राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण और विभिन्न खेल विधाओं में कोचिंग में संचालित किए जा रहे डिप्लोमा/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन में शैक्षणिक विंग की सहायता भी करते हैं ।

कोच महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय/अंतः विश्वविद्यालय/और अन्य टीमों की कोचिंग हेतु राष्ट्रीय परिसंघों/संगठनों/खेल बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सहायता करते हैं । कोच, कोचिंग शिविर के आयोजन और राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भागीदारी के लिए राज्य स्तरीय टीमों को तैयार करने में राज्य खेल परिषदों की भी सहायता करते हैं । भाखेप्रा के कोच अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करने हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के आयोजन में राष्ट्रीय खेल परिसंघों की भी सहायता करते हैं ।

भाखेप्रा के कोच प्रतिभा खोज प्रक्रिया में भी सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धनात्मक स्कीमों में शामिल किया जाता है यथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज (एनएसटीसी), विषेश क्षेत्र खेल (एसएजी), सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी) और भाखेप्रा प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) । कोचों को खेल क्षेत्र में कार्यरत अन्य कोचों के प्रशिक्षण और कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए भाखेप्रा के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में भी नियुक्त किया जाता है । कोचों को भाखेप्रा मुख्यालय तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों में आओ और खेलों तथा समुदाय पहुंच स्कीमों के लिए भी नियुक्त किया जाता है ।

यद्यपि राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम के अंतर्गत राज्य कोचिंग केंद्रों (एससीसी) के लिए राज्य सरकारों को कोच उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है परंतु कोचों की कमी के कारण संदर्भाधीन वर्ष के दौरान किसी भी भाखेप्रा कोच की तैनाती भाखेप्रा की स्कीमों के अलावा कहीं और नहीं की गई ताकि भाखेप्रा की अपनी संवर्धनात्मक स्कीमों को और मजबूत किया जा सके ।

dkspksa dh l[;k

1–1–2015 की स्थिति के अनुसार विभिन्न खेल विधाओं में 1122 नियमित कोच और 32 कोच अनुबंध आधार पर हैं ।

LVsfM;e izHkkx

स्टेडियम प्रभाग खेलों को विस्तृत आधार देने और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्दश्य से सृजित विभिन्न सुविधाओं के उपयोग के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उत्तरदायी है ।

mÌs';%

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए सुविधाएं और स्थल उपलब्ध कराना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नियमित कोचिंग तथा आओ और खेलो कार्यकलाप ।

इसके अतिरिक्त, इन स्टेडियमों को शैक्षिक संस्थाओं/परिसंघों/अन्य संगठनों को विभिन्न स्तरों पर अपने खेल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी दिया जा रहा है।

1982 में नई दिल्ली में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के लिए निर्मित/नवीकृत और 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए उन्नयित स्टेडियमों का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा रख–रखाव तथा उपयोग किया जा रहा है। ये स्टेडियम हैं:

Øe l-	LVsfM;e dk uke
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर
2.	इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर
3.	मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम
4.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर
5.	डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

उपर्युक्त सभी स्टेडियम इन खेलों के लिए केंद्र भी थे।

miyC/k lqfo/kk,a

Ø- l-	LVsfM;e dk uke	miyC/k lqfo/kk,a
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर :–	क) एथलेटिक्स ख) फुटबॉल ग) वालीबॉल घ) भारोत्तोलन हॉल ड़) जागिंग एवं साइकलिंग ट्रैक च) बैडमिंटन छ) फिटनेस केंद्र ज) तीरंदाजी झ) बिलियर्डस एवं स्नूकर ञ) शतरंज ट) टेबल टेनिस

2.	मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम	क) क्रिकेट ख) हाकी
3.	इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, साइक्लिग वेलोड्रोम सहितः–	क) बैडमिंटन ख) बास्केटबॉल ग) मुक्केबाजी घ) जिम्नास्टिक ड़) जूडो च) टेबल टेनिस छ) कुश्ती ज) जागिंग एवं साइक्लिग ट्रैक झ) वालीबाल ञ) क्रिकेट नेट
4.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसरः–	क) तैराकी ख) वालीबॉल ग) स्केटिंग रिंक घ) टेबल टेनिस
5.	डा. कर्णी सिंह षूटिंग रेंजः–क	क) निशानेबाजी ख) फिटनेस केंद्र ग) जागिंग एवं साइक्लिग ट्रैक

Vhe iHkkx%

टीम (विशिष्ट एथलिटों का प्रशिक्षण एवं प्रबंधन सहायता) प्रभाग को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के समन्वय से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय टीमों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे शब्दों में यह ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्वकप जैसी अन्य अंतरराश्ट्रीय खेल स्पर्धाओं तथा भारत और विदेषों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विशिष्ट खिलाडियों को तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है । यह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी हेतु विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा उनके वार्शिक प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कैंलेंडर (एसीटीसी) द्वारा तैयार और समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करते हुए करता है:

dkÇpx f'kfoj

''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता'' स्कीम के अंतर्गत 35 खेल विधाओं में कुल 205 कोचिंग शिविरों का आयोजन किया गया ।

fons'kh dkp vkj lgk;d dkfed

12 खेल विधाओं में भारतीय खिलाडियों के प्रशिक्षण हेतु कुल 28 विदेशी कोच नियुक्त किए गए थे । 5 खेल विधाओं में भारतीय खिलाडियों के प्रशिक्षण हेतु कुल 7 सहायक कार्मिक नियुक्त किए गए थे । वर्ष 2014–15 के दौरान नियुक्त किए गए विदेशी कोचों और विदेशी सहायक कार्मिकों का ब्यौरा अनुबंध–VI में दिया गया है।

[ksy foKku cd&vi

यह खेल औशधि, वैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्टों तथा मालिशकर्ताओं आदि में डॉक्टरों के रूप में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के दौरान खिलाडियों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपनी फिटनेस का स्तर बढ़ा सकें, चोटें ठीक कर सके और इलाज संबंधी कमी को दूर कर सके।

miLdj lgk;rk ¼bZ,l½ iHkkx

भाखेप्रा की एक योजनागत स्कीम अर्थात तकनीकी खेल उपस्कर स्कीम के केन्द्रीय पूल का कार्य ईएस प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भाखेप्रा की विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत राष्ट्रीय शिविरों में भाग लेने वालों/प्रशिक्षुओं द्वारा उपयोग के लिए केन्द्रों/उप–केन्द्रों/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को अपेक्षित खेल संबंधी मदें, उपस्कर, खेल विज्ञान उपस्कर (स्वदेशी तथा आयातित दोनों) प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 21 फरवरी, 2012 के कार्यालय आदेश संख्या 45/2012 के अनुसरण में क्षेत्रीय प्रमुखों को प्रदत्त अधिकारों से

परे स्कीम के अंतर्गत खरीद के प्रस्तावों पर ईएस प्रभाग द्वारा मुख्यालय में कार्य किया जा रहा है ।

leUo; iHkkx

भाखेप्रा का समन्वय प्रभाग भाखेप्रा की आम सभा और शासी निकाय की बैठकों के आयोजन सहित संसद/संसदीय समितियों संगम ज्ञापन और भाखेप्रा के नियमों से संबंधित मुद्दों को डील करता है । यह वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे भाखेप्रा के संपरीक्षित रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है । इसके अतिरिक्त यह मुख्यालय/क्षेत्रीय केंद्रों/उप केंद्रों/षैक्षणिक संस्थानों/युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के साथ सामान्य प्रकृति के मुद्दों पर सम्पर्क स्थापित करता है ।

- स्वच्छ भारत अभियान भारतीय खेल प्राधिकरण ने 2–10–2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिन परए इंडिया गेट जहां पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की में सक्रिय रूप से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया ।
- राष्ट्रीय एकता दिवस (एकता के लिए दौड़) भारतीय खेल प्राधिकरण ने 31–10–2014 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन पर इंडिया गेट जहां पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एकता के लिए दौड़ की शुरूआत कीए मे सक्रिय रूप से एकता के लिए दौड़ में भाग लिया ।
- सशासन भारत सरकार की आदेशों के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिन परए 25–12–2014 को सुशासन दिवस मनाया और निम्नलिखित कदम उठाए:
  - i. स्वच्छता अभियान (स्टेडियम के अंदर और आस–पास)
  - ii. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं का पाठ

  - iii. स्टेडियम और शहर के बीच लगभग दो किलोमीटर की वॉकाथन/दौड
  - iv. नुक्कड़ युवा पार्लियामेंट कार्यक्रमों का शुभारंभ
  - v. माननीय मंत्री और अन्य महानुभाव के भाषणों के माध्यम से सुशासन के लिए जागरूकता सृजित करने हेतु सेमिनार
  - vi. विकास कार्यक्रमों हेतु युवा के अंतर्गत श्रमदान

fpfdRlk dæ

1984 में भाखेप्रा की योजनागत स्कीम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल औषधि एवं खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य खेल औशधिए खेल वैज्ञानिकों फिजियोथिरेपिस्ट मसाजियों और अन्य सहायक स्टाफ के विषेशज्ञों की मदद से खिलाड़ियों को खेल औषधि और खेल वैज्ञानिक वैकअप प्रदान करना है । यह केंद्र व्यापक खेल आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से चोट के उपचार एवं बचाव स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और विभिन्न वैज्ञानिक जांच के माध्यम से प्रदर्शन में बढ़ोतरी करता है । खिलाड़ी जिन्हें चिकित्सा और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है वे राष्ट्रीय कैम्पर भाखेप्रा की विभिन्न स्कीमों के खिलाड़ी आओ और खेलों स्कीम के खिलाड़ी और अन्य खिलाड़ी होते हैं । हमारे राष्ट्रीय एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली के प्रमुख अस्पताल जैसे अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान और गंगाराम अस्पताल आदि के आर्थोपेडिक्सए ऑपथालमोलोजीए सर्जरी और मेडिसन विभाग के विषेशज्ञ इस केंद्र में आते

हैं । भाखेप्रा ने खेल फिजियोथिरेपिस्ट पाठ्यक्रम में मार्स्टस प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों को भी शामिल किया है जिसमें वहां के प्रशिक्षु भाखेप्रा में चिकित्सा ड्यूटी के लिए लगाए जाते हैं । जामिया हमदर्दए जामिया इस्लामियाए दिल्ली से भारतीय स्पाइनल इंजूरी संस्थान और एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा भाखेप्रा में प्रशिक्षु जो कि राष्ट्रीय शिविर से संबद्ध डाक्टरों को सहायता प्रदान करते हैंए लगाने हेतु फीडर संस्थान हैं ।

राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आंतरिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भाखेप्रा ने एम्स के अधीन जयप्रकाष ट्रामा केंद्र और सफदरजंग खेल इंजूरी केंद्र दिल्ली के साथ समझौता किया है जो कि चिकित्सा आकस्मिकताओं पर ध्यान देंगे और खिलाड़ियों का प्राथमिकता के आधार पर उपचार करेंगे जिसके लिए विशेष स्टाफ निर्धारित किया गया है ।

2014 राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो और 2014 एशियाई खेल इंचियोनए दक्षिण कोरिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयारी हेतु जिम्नास्टिक महिला मुक्केबाजी साइक्लिंग निषानेबाजी तीरंदाजी और महिला हॉकी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमए राष्ट्रीय स्टेडियम शूटिंग रेंज और इंदिरा गांधी स्टेडियम में नियमित और दीर्घावधि के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए गए । इसके अतिरिक्त दस दिन से कम अवधि के ट्रांजिट कैंप को भी दिल्ली के भाखेप्रा स्टेडिया में उनके रहने के दौरान चिकित्सा और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई ।

bl vof/k d nkjku pykbl xbl egRoi.k xfrfof/k;k

- राष्ट्रीय कैंपस को सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली के स्टेडियमों में फिजियोथिरेपिस्ट प्रषिक्षु (मास्टर स्तर) तैनात करने के लिए जामिया हमदर्द दिल्ली जामिया इस्लामिया दिल्ली एमिटी विश्वविद्यालयए नोएडा और आईएसआईसी पुर्नवास विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया ।
- जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हाल ही में पुनःसुसज्जित खेल औषधि केंद्र पूर्णतः परिचालन में है जबकि तकनीकी उपस्कर की खरीद के साथ फिजियोथिरेपी और खेल विज्ञान केंद्र तैयार होने वाले हैं ।
- एसएमसी दिल्ली से सम्बद्ध डॉक्टर फिजियोथिरेपिस्ट और मसाजियों को भारतीय दल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 2014 इंचिओन खेलों के लिए भेजा गया है ।
- इस केंद्र के वैज्ञानिक दिल्ली और अन्य भाखेप्रा क्षेत्रीय केंद्रों के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि उपस्करों की खरीद के लिए तकनीकी विषिष्टता को तैयार करने और अंतिम रूप देने में शामिल हैं ।
- राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलए 2014 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैंपर के आहार और पोषक अनुपूरक प्रभारों में बढ़ोतरी को देखते हुए 650 रूपए की लागत वाला साप्ताहिक मेन्यू तैयार किया गया है जिसमें कॉन्टिनेंटल खाद्य पदार्थों सहित काफी विविधता है । एशियाई खेलए 2014 के उपरांत आहार प्रभार संशोधित करके 480 रूपए किया गया है जसके अनुसार साप्ताहिक मेन्यू तैयार किया गया है ।
- आहार अनुपूरक की सूची 12 जेनेरिक नामों से बढ़ाकर 14 कर दी गई है । ड्राइ फ्रूट्स और फलों का जूस भी संषोधित सूची में शामिल किया गया है ।
- इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राष्ट्रीय कैम्परों का एन्थ्रोपोमैट्रिक और पोशण का मूल्यांकन किया गया और तदनुसार उनका प्रदर्शन बढ़ाने के लिए फीडबैक दिया गया है ।
- इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे राष्ट्रीय कैम्परों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया और परामर्ष दिया गया । खिलाड़ियों ने मनोवैज्ञानिक सत्र पर अच्छा रिस्पांस दिया और प्रशिक्षणए प्रतियोगिताओं के दौरान प्रदर्शन में सुधार दिखाया ।

y{ehckbZ jk"Vªh; 'kkjhfjd f'k{kk laLFkku] Xokfy;j

iLrkouk

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान की स्थापना 17 अगस्त, 1957 को अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी वर्ष में एक कालेज के रूप में की गयी थी। यह संस्थान ग्वालियर में स्थित है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में संस्थान द्वारा की गई सेवाओं के सम्मान में 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। यह संस्थान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन है और यह मध्य प्रदेश सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है।

mÌs';%

संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त अध्यापक और नेता तैयार करना।
- शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्टता और नयाचार.केन्द्र के रूप में सेवा करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान आरंभ, प्रोत्साहित तथा प्रसारित करना।
- शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य संस्थानों को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना।
- इस क्षेत्र में व्यावसायिकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार में सहायता प्रदान करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- देश में शारीरिक शिक्षा और खेल के कार्यक्रमों को विकसित तथा प्रोत्साहित करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में वैज्ञानिक समकालीन साहित्य को प्रोत्साहित करना और सृजन करना।
- शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं प्रदान करना।

foHkkx@dUæ%

विश्वविद्यालय के सात निम्नलिखित कार्यात्मक विभाग हैं

- शारीरिक शिक्षा अध्यापन विभाग
- व्यायाम शरीर विज्ञान विभाग
- खेल मनोविज्ञान विभाग
- खेल जैव यंत्र विज्ञान विभाग
- स्वास्थ्य विज्ञान और फिटनेस विभाग
- खेल कोचिंग और प्रबंधन केंद्र
- प्रोन्नत अध्ययन केंद्र

lapkfyr ikB~;Øe%

यह संस्थान वर्तमान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है:

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी. पी.एड.)	8-सेमेस्टर डिग्रीकोर्स
शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)	4 सेमेस्टर डिग्री कोर्स
शारीरिक शिक्षा में मास्टर ऑफ फिलासॅफी (एम.फिल)	18 माह का डिग्री कोर्स
शारीरिक शिक्षा में डॉक्टर (पी.एएच—डी.—पूर्णकालिक)	-
खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	1 वर्ष
खेल कोचिंग में डिप्लोमा (केवल सेवाकालीन रक्षा कार्मिकों के लिए)	1 वर्ष
फिटनेस प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	1 वर्ष
वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति योग में पी.जी. डिप्लोमा	1 वर्ष

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के अलावा विभिन्न विषयों में अनेक अल्पावधि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम समय—समय पर संचालित किए जाते हैं ।

xouZUl flLVe%

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री सोसाइटी/आम सभा के अध्यक्ष होते हैं।

संस्थान का शीर्षस्थ शासी निकाय प्रबंधन बोर्ड है और इसका अध्यक्ष कुलपति होता है जो एक प्रतिष्ठित अकादमीशियन होता है और जिसकी नियुक्ति सोसायटी के प्रेजीडेंट द्वारा सर्च—कम सेलेक्शन प्रक्रिया द्वारा की जाती है ।

प्रबंधन बोर्ड अपने शैक्षणिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के पालन के लिए सोसाइटी के नियंत्रण से मुक्त होता

है । इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं को बनाए रखने और उनमें योगदान देने में सक्षम होते हैं । प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:–

- कुलपति. अध्यक्ष
- संयुक्त सचिव, प्रभारी एलएनआईपीई, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, मंत्रालय के मनोनीत व्यक्ति के रूप में
- संकाय अध्यक्ष अधिकतम दो (बारी.बारी से फिटनेस/ उपयुक्तता सह वरीयता आधार पर)
- एलएनआईपीई के अध्यक्ष द्वारा नामित दो प्रमुख खेल शिक्षाविद
- एलएनआईपीई के अध्यक्ष द्वारा एक प्रमुख खिलाड़ी
- दो शिक्षक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से) बारी–बारी से फिटनेस/ उपयुक्तता सह वरीयता आधार पर
- रजिस्ट्रार / सचिव

,y,uvkbihbl dk iokŸkj {k=h; dæ] xokgkVh

iokŸkj {k=h; dUæ] xokgkVh %

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी की स्थापना के लिए 2009 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गयी थी और 2009–10 के शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम बैच ने ग्वालियर से ही ऑफ कैम्पस कार्य किया । इसके पश्चात मई, 2010 में असम सरकार से तेपासिया खेल परिसर लेने के पश्चात एनईआरसी ने शैक्षणिक सत्र 2011–12 से वास्तविक कार्य आरंभ किया जहां इंडोर बहुउद्देशीय हॉल, फुटबॉल मैदान, हाकी मैदान, वेलोड्रम और वालीबाल कोर्ट जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं । अब यह संस्थान पूर्णतया और नियमित आधार पर बीपीएड कार्यक्रम का संचालन कर रहा है । एनईआरसी, गुवाहाटी में नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस करते हुए भारत सरकार ने 2011–12 के दौरान कुल 11 पद संस्वीकृत किए और इनमें से अधिकतर पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं ।

'kS{kf.kd fooj.k %

2014.15 के दौरान डिग्री पाठ्यक्रमों में कक्षा–वार संख्या निम्नानुसार हैं :–

Ø- l-	d{kk	yM+ds	yM+fd;k	dqy
1.	बीपीएड.I (सेमेस्टर) (ग्वालियर)	112	40	152
	(गुवाहाटी)	32	15	47
2.	बीपीएड.II (सेमेस्टर) (ग्वालियर)	102	41	143
	(गुवाहाटी)	28	14	42
3.	बीपीएड.III (ग्वालियर)	109	41	150
	(गुवाहाटी)	32	13	45
4.	बीपीएड.IV (ग्वालियर)	41	87	128
	(गुवाहाटी)	33	13	46
5.	एमपीएड (I सेमेस्टर)	54	28	82
6.	एमपीएड (III सेमेस्टर)	55	17	72
7.	पीएचडी (नियमित)	17	05	22
8.	पीएचडी (कोर्स वर्क)	03	05	08
9.	एम.फिल (कोर्स वर्क)	05	01	06
10.	पी.जी.डी. योगा	02	06	08
11.	फिटनेस मैनेजमेंट में पी.जी. डिप्लोमा	11	01	12
12.	खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	45	07	52
13.	खेल कोचिंग में डिप्लोमा	28	00	28
	dqy	709	334	1043

2013.14 के शैक्षणिक सत्र के दौरान उत्तीर्ण छात्रों की संख्या :

Ø- l-	d{kk	fdrus Nk=ksa us ijh{kk nh	mÙkh.kZ	vuqÙkh.kZ	dqy
1.	बीपीएड IV (ग्वालियर)	128	127	01	127
2.	बीपीएड IV (गुवाहाटी)	43	43	-	43
3.	एमपीएड IV (ग्वालियर)	73	70	03	70
4.	खेल कोचिंग में पी.जी. डिप्लोमा	24	24	-	24
5.	खेल कोचिंग में डिप्लोमा	21	21	-	21
6.	फिटनेस प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा	08	08	-	08
7.	योगा थेरेपी में पी.जी.डिप्लोमा	11	11	-	11

volajpukRed lqfo/kk,¡

शुरू से ही इस संस्थान में लड़के–लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं और यह पूर्णतः आवासीय है। इसमें ग्वालियर में खेल के मैदानों, भवनों सहित पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं जबकि एनईआरसी, गुवाहाटी में प्राथमिकताओं के साथ–साथ निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक चरणबद्ध तरीके से ऐसी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं।

fnlEcj] 2014 rd egRoiw.kZ xfrfof/k;k¡

(क) संस्थान के निदेशालय ने एलएनआईपीई, ग्वालियर में 7 मई से 20 जून, 2014 तक ग्रेटर ग्वालियर के बच्चों के लिए विभिन्न खेल–कूदों में ग्रीष्म कोचिंग शिविर आयोजित किए जिसमें 2574 बच्चों ने भाग लिया ।

(ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने एलएनआईपीई, ग्वालियर को 2014–15 के दौरान निम्नलिखित अंतर–विश्वविद्यालय टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए निर्धारित किया है:

Ø-l-	xfrfof/k dk uke	VwukZesaV dh rkjh[k	eMy
1.	जिम्नास्टिक्स और मलखंब (पुरुष और महिला)	15.12.2014 से 19.12. 2014	अखिल भारतीय
2.	फुटबाल(पुरुष)	22.12.2014 से 27.12. 2014	पश्चिमी मंडल
3.	फुटबाल(पुरुष)	29.12.2014 से 03.01. 2014	अंतर मंडलीय

(ग) संस्थान में पहली बार विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए और काउंसलिंग भी ऑनलाइन माध्यम से की गई । बीपीएड पाठयक्रम में दाखिले के लिए ग्वालियर में 150 सीटें और गुवाहाटी में 50 सीटों के लिए 8 प्रीक्षा केंद्रों में 1108 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। दाखिले की पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस और पारदर्शी थी।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालयए भारत सरकार के दिशा–निदेशों के अनुसार संगम ज्ञापन/ सोसायटी के नियमों को संसोधित किया गया (जुलाई, 2014) ।

jktho xka/kh [ksy vfHk;ku ¼vkj thds,½

खेल और शारीरिक शिक्षा युवाओं, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत हैं, के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 जमीनी स्तर पर खेल गतिविधियों के माध्यम से ''खेलों को व्यापक बनाने'' तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ''खेलों में उत्कृष्टता के संवर्धन'' पर विशेष जोर देती है। इसलिए खेल विकास पर पर्याप्त जोर देना आवश्यक है ताकि यह सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से रमनीय बन सके और युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, सकारात्मक और उत्पादी बनाया जा सके।

खेल गतिविधियों को जमीनी स्तर पर ले जाने में मुख्य बाधा देश में मूल खेल अवसंरचना/सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा आधार में अत्यधिक विषम है, चूंकि यह आधार मुख्यत शहरी क्षेत्रों में स्थित है, जो कि जनसंख्या के 25 प्रतिशत से कम है। जनसंख्या का बाकी 75 प्रतिशत जो मुख्यत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, मौलिक खेल सुविधाओं से भी वंचित है। ग्रामीण–शहरी अंतराल और यह तथ्य कि शहरी क्षेत्रों विशेषकर गरीब क्षेत्रों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल इवेंटों के आयोजन से जुड़े कुछ चुनिंदा शहरों में खेल सुविधाओं में यह अंतराल और अधिक हो गया है। इसीप्रकार, खेल गतिविधियों के संवर्धन में भाग लेने वाला निजी क्षेत्र भी काफी सीमित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमानों के अनुसार, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 30 मिलियन तक छात्रों को ही खेल–कूद सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और लगभग 20 मिलियन युवाओं को ये अवसर युवा कलबों, खेल कलबों इत्यादि के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। यह केवल यह दर्शाता है कि खेलों को अब भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली का भाग बनना बाकी है जो अब भी मुख्यतः शिक्षा–केन्द्रित ही है। 700 मिलियन तक पहुंच है। इनमें से लगभग 550 मिलियन ग्रामीण युवाओं ;13 वर्ष की आयु से कम के बच्चों सहितद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तुलनात्मक रूप से अपने शहरी समकक्ष से अधिक वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास पर पर्याप्त जोर दिए ब्गैर खेलों का सर्वसुलभीकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए), पूर्ववर्ती पंचायत युवा क्रीडा खेल अभियान (पायका) के स्थान पर 2014–15 में आरंभ की गई एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना का उद्देश्य पंचायती स्तर पर मूल खेल सुविधाएं और उपकरण प्रदान करके तथा ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर वार्षिक प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद का संवर्धन करते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आरजीकेए राज्यों को जमीनी स्तर पर खेलों के संवर्धन में सहायता करेगा जो वे विविध संसाधन बाध्यताओं के कारण अब तक स्वयं प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यह खेल प्रतिभा के मूल को और गहरा तथा वृहत बनाएगा जिससे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय इवेंटों में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा।

आरजीकेए की खेल सुविधाओं के विकास और देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए वृहत नीति की नींव के रूप में परिकल्पना की गयी है। आरजीकेए देश में खेल इकोप्रणाली का सृजन करने और खेलों को देश में जीवन के तरीके तथा एक उद्योग बनाने और 2020 तक विश्व में प्रथम 10 खेल राष्ट्रों में से एक बनने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घावधि अवसंरचना हेतु ब्लॉक और नींव का निर्माण करेगा।

fe'ku oDrO;%

ग्रामीण युवाओं में पंचायत स्तर पर खेल मैदानों के रूप में मूल खेल अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करके और ब्लॉक स्तर पर अपेक्षित गुणवत्ता के खेल उपकरणों सहित प्रौन्नत खेल अवसंरचना सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके तथा ब्लॉक, जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करके खेलकूद को प्रोत्साहित तथा सवंर्धित करना जिससे कि विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतिस्पर्धा में खेल प्रतिभा की पहचान होगी तथा इस प्रक्रिया से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (एनएसटीएसएस) में प्रौन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करके खेल प्रतिभा का पोषण करना। चूंकि खेल एक मनोरंजन होता है, खेल लोगों को जोड़ता है और उनके बीच अवरोधों को तोड़ता है और चूंकि खेल विभिन्न राज्यों, जाति, रंगों और धर्मों से संबद्व लोगों तक पहुंचता है, इसलिए खेलों को जोड़ने की भावना के रूप में विकसित करने हेतु एक साधन के रूप में प्रयोग होता है जिससे समाज, विशेषकर विद्रोह (पूर्वोत्तर राज्यों) तथा वाम चरमपंथ ख88 वाम चरमपंथ (एलडब्लयूई) प्रभावित जिलों वाले 9 राज्य, प्रभावित क्षेत्रों में संघर्ष को कम करके राष्ट्रीय एकता पैदा होती है।

fe'ku mn~n's;

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों तक सर्वसुलभ पहुंच प्रदान करना और लड़कों तथा लड़कियों दोनों में खेल संस्कृति का संवर्धन करना;

(ii) ब्लॉक स्तर से सुनिर्मित प्रतिस्पर्धा ढ़ांचे के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के बीच उपलब्ध और संभावित खेल प्रतिभा का लाभ उठाना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करना;

(iv) इस प्रक्रिया से तैयार होने वाले होनहार खिलाड़ियों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अवसर प्रदान करने के केन्द्रित प्रयास करना;

(v) स्वदेशी, पारंपरिक और आधुनिक खेलों का संवर्धन करना; और

(vi) उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्वि को सुकर बनाने के लिए पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा ढ़ांचे के बीच निर्बाध एकता तैयार करना।

fe’ku uhfr%

(i) ग्राम पंचायत स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तहत संसाधनों के अभिसरण द्वारा ब्लॉक स्तर पर अपेक्षित गुणवत्ता के खेल उपकरणों के साथ खेल सुविधाओं के सृजन हेतु एक समेकित दृष्टिकोण; ब्लॉक स्तरीय खेल परिसरों में खेल कोच/प्रशिक्षकों का चयन, प्रशिक्षण और तैनाती; ब्लॉक स्तरीय खेल परिसरों के संचालन और रख–रखाव का कार्य उपभोक्ता शुल्क के रूप में आंशिक राशि के साथ स्थानीय ब्लॉक पंचायत को सौंपना; ब्लॉक, जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा खेल विद्याओं में खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना; पहले से मौजूद ग्रामीण प्रतिस्पर्धाओं, महिला प्रतिस्पर्धाओं और पूर्वोत्तर खेलों के अलावा 9 राज्यों में फैले विशेषकर 88 एलडब्लयूई प्रभावित जिलों में खेल प्रतिस्पर्धाएं आरंभ करना; सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रदर्शन से संबद्व प्रोत्साहन देना और आरजीकेए के समुचित क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक और स्वतंत्र निगरानी एजेंसी तैनात करना।

(ii) संशोधित आरजीकेए योजना में प्रत्येक ब्लॉक में आउटडोर और इनडोर दोनों खेल विद्याओं के लिए 80 लाख रूपए प्रत्येक (कुल 1.60 करोड़ रूपए) की लागत पर एक खेल परिसर का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले 15 लाख रूपए के खेल उपकरण प्रदान किए जाने का भी प्रावधान है। ब्लॉक स्तर खेल परिसर में निम्नलिखित खेलविद्याओं के लिए अनिवार्य रूप से खेल सुविधाएं रखने का प्रस्ताव है:

क. आउटडोर खेलविद्याः एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल/हॉकी (कोई भी एक) कब्बडी/खो–खो (कोई भी एक) तथा वॉलीबाल/बॉस्केटबाल।

ख. इनडोर खेलविद्याः बॉक्सिंग, कुश्ती, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन/मल्टी–जिम

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्लॉक स्तरीय खेल परिसर में निम्नलिखित में से सभी/कोई तीन खेल विद्याओं का चुनाव कर सकते हैं और तदनुसार खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किसी तीन के लिए खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन कर सकते हैं:

तीरंदाजी, हैंडबाल, फुटबाल/हॉकी (वैकल्पिक) कब्बडी/खो–खो (वैकल्पिक), वॉलीबाल/बॉस्केटबाल और टेनिस। शूटिंग भी एक वैकल्पिक खेलविद्या है।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय खेल परिसर में तीन मास्टर खेल प्रशिक्षक/खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें समुचित मानदेय दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धाओं के विभिन्न घटकों के तहत वित्तीय सीमा में वृद्वि करने का भी प्रस्ताव है। आरजीकेए के तहत वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए वृद्वित निधियन पद्वति का विवरण नीचे दिया गया है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत के 6 प्रतिशत का प्रशासनिक व्यय के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(iii) अभिसरण दृष्टिकोणः 634 जिलों में सभी 6545 ब्लॉकों को 5 वर्ष की अवधि में एक चरणबद्व तरीके से शामिल किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय खेल परिसर के निर्माण के लिए निधियां विभिन्न योजनाओं से अभिसारित की जाएंगी जैसे कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग (डीओएनईआर) तथा योजना आयोग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ), संसाधनों का गैर समाप्ति योग्य केन्द्रीय पूल (एनएलसीपीआर–केन्द्रीय), वाम चरमपंथ (एलडब्लयूई) प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)।

चूंकि खेलमैदान का निर्माण एमजीएनआरईजीए के तहत एक अनुमोदित गतिविधि है इसलिए एमजीएनआरईजीए के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खेलमैदान विकसित/ निर्मित करने का प्रस्ताव है।

मनरेगा का देश भर में 634 जिलों (6545 ब्लॉकों) में क्रियान्वयन किया जा रहा है। चूंकि ब्लॉक स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास में कुछ सामग्री घटक के साथ अकुशल श्रमिकों का बड़ा घटक शामिल है इसलिए आउटडोर खेलों के लिए खेल सुविधाओं का सृजऩमनरेगा के तहत शौचालय सुविधाओं का सृजन विभागीय रूप से ठेकेदारों को शामिल किए बगैर करने का प्रस्ताव है। ब्लॉक स्तर पर खेलमैदान के निर्माण की लागत ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनरेगा द्वारा की जाएगी। 6545 ब्लॉकों के लिए 80 लाख रूपए प्रति ब्लॉक की दर से मनरेगा की कुल निधि आवश्यकता 5 वर्ष की अवधि में 5236 करोड़ रूपए है।

ब्लॉक स्तर पर खेल अवसंरचना सुविधाओं का सृजन वरीयता रूप से उसी स्थान पर किया जाएगा जहां योजना के क्रियान्वयन के पहले 6 वर्षों (2008–09 से 2013–14) में 5 लाख रूपए प्रति खेलमैदान का निवेश किया गया था। आरजीकेए के तहत इन खेलमैदानों में खेल अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए स्थल विशिष्ट अनुमान मनरेगा के तहत संबद्व जिलाधीशों द्वारा तैयार किए जाएंगे। लगभग 6–7 एकड़ भूमि में खेल परिसर के विकास के लिए स्थान की पहचान ब्लॉक पंचायतों द्वारा की जाएगी।

आउटडोर खेल परिसर के निर्माण के लिए धन के लिए इस अनुमोदन तंत्र और रिहाई मनरेगा के दिशा–निर्देशों से संचालित किया जाएगा।

(iv) परियोजना डिजाइनिंग मौजूदा सुविधाओं, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, में पर्याप्त ऑपरेशनल लोचशीलता के साथ दृष्टिकोण आयोजना, स्थानीय प्रतिभा, स्वदेशी खेलों सहित लोकप्रिय खेल, स्थानीय बाधाओं इत्यादि पर आधारित मॉडूलर दृष्टिकोण।

(v) ब्लॉक स्तर पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए एकबारगी सहायता तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में आवर्ती अनुदान के साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वयन।

(vi) मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षणः ग्राम पंचायत स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर खेल सुविधाओं के सृजन में संशाधित योजना तथा जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से ब्लॉक में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतिस्पर्धाओं (ग्रामीण; महिला; पूर्वोत्तर खेल और विशिष्ट क्षेत्र खेल) के जरिए खेल प्रतिभा की पहचान हेतु सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए योजना के क्रियान्वयन की निकट से मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण करना आवश्यक है। इसलिए, निकट पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

fe'ku vfHk;ku%

लक्षित समूह जिनमें खेल क्लब, युवा क्लब, स्व–सहायता समूह, खेल गतिविधियों में रत एनजीओ शामिल होंगे, में आरजीकेए के बारे में सूचना के प्रसार और उत्साह पैदा करने के लिए मंत्रालय, एनवाईकेएस, एसएआई तथा राज्य सरकारी तंत्र में आरजीकेए मिशन निदेशालय के माध्यम से एक संपूर्ण अभियान संचालित किया जाएगा। मीडिया, प्रकाशनों, सेमीनार, कार्यशालाओं इत्यादि के माध्यम से अभियान के संचालन हेतु समुचित निधियन प्रबंध किए जाएंगे।

fe'ku dojst vkSj vof/k%

इस कार्यक्रम में देश में सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों/समकक्ष इकाईयों में सभी गांवों (लगभग 8–10 गांवों) /ग्राम पंचायतों को शामिल करने का लक्ष्य है। वर्तमान में देश में लगभग 634 ग्रामीण जिले, 6,545 ब्लॉक पंचायतें और लगभग 2,50,000 ग्राम प्रचायतें हैं।

fe’ku ifj0;;%

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं योजना के लिए मिशन परिव्यय 1,500 करोड़ रूपए था। तथापि, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के लिए वास्तविक आबंटन केवल 742.20 करोड़ रूपए था। हालांकि 12वीं पंच वर्षीय योजना अवधि के लिए निधियों की आवश्यकता बिना किसी मुद्रास्फीति अनुक्रमण के 3772 करोड़ रूपए थी, परंतु वास्तविक आबंटन केवल 1200 करोड़ रूपए है। 634 ग्रामीण जिलों में सभी 6545 ब्लॉकों को शामिल करने के लिए कुल निधि आवश्यकता आरजीकेए के तहत 4513 करोड़ रूपए और अन्य योजनाओं नामतः मनरेगा; एनएलसीपीआर–केन्द्रीय; बीआरजीएफ तथा एलडब्लयूई प्रभावित जिलों के लिए एसीए से अभिसरण द्वारा लगभग 8300 करोड़ रूपए होने का अनुमान है।

vkjthds, ds rgr [ksy ifrLi/kk,%

आरजीकेए के तहत वार्षिक प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए निधियन पद्वतिः

(क) राजीव गांधी खेल अभियान योजना (आरजीकेए), जिसका 2014–15 से क्रियान्वयन किया जा रहा है, के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की मात्रा में वृद्वि की गयी है और संशोधित मानदंड निम्न तालिका में दिए गए हैंः

	ifrLi/kkZ	fuf/k;u
	xzkeh.k ifrLi/kkZ%	
(i)	ब्लॉक स्तरीय प्रतिस्पर्धा	प्रति खेल विद्या 20,000/– की दर से आवास तथा भोजन, यात्रा व्यय सहित 1 लाख रूपए प्रति ब्लॉक का एकमुश्त अनुदान।
(ii)	जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा	प्रति खेल विद्या 40,000/– की दर से आवास तथा भोजन, यात्रा व्यय सहित 4 लाख रूपए प्रति ब्लॉक का एकमुश्त अनुदान।
(iii)	राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा	प्रति खेल विद्या 20,000/– की दर से आवास तथा भोजन सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 2 लाख रूपए प्रति जिले का एकमुश्त अनुदान।
(iv)	राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धा	भोजन तथा आवास सहित प्रति खेल विद्या 10 लाख रूपए का एकमुश्त अनुदान ;प्रति खेलविद्या 8.5 लाख रूपए मेजबान राज्य/संगठन को प्रदान किया जाना और प्रति खेलविद्या 1.5 लाख रूपए पदक, ट्रॉफी, प्रमाण–पत्रों, उपयोगिता पुरस्कार इत्यादि पर प्रयोग किया जाना अपेक्षित

fVIi.kh% विजेताओं के लिए शील्डस, पदक, ट्रॉफी, प्रमाणपत्र इत्यादि पर व्यय भी प्रतिस्पर्धा के संचालन के लिए प्रदत्त निधियों से पूरा किया जाएगा। अनुदान प्रत्येक ब्लॉक, जिले और राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में संचालित खेल विद्याओं की संख्या के आधार पर दिया जाएगा।

iqjLdkj jkf’k% पुरस्कार राशि वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बीच वितरित की जाएगी जिन्होंने निम्नानुसार प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए होंः–

ifrLi/kk dk Lrj	iqjLdkj jkf'k ¼:Ik, esa½			
	iFke iqjLdkj /kkjd	f}rh; iqjLdkj /kkjd	r`rh; iqjLdkj /kkjd	dqy
ब्लॉक स्तर	250/-	150/-	100/-	500/-
जिला स्तर	350/-	250/-	150/-	750/-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर	500/-	300/-	200/-	1000/-
राष्ट्रीय स्तर	2500/-	1500/-	1000/-	5000/-

fVIi.kh% पुरस्कार की राशि उन वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बैंक खाते में सीधे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अंतरित की जाएगी जिन्होंने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हों।

;k=k 0;;& ब्लॉक तथा जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय प्रतिस्पर्धा अनुदान में शामिल किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल किराया/सामान्य बस किराए से कम पर यात्रा संबंधी वास्तविक व्यय की खिलाड़ियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। वास्तविक लागत का प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ही समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वितरण किया जाएगा।

(ख) महिला प्रतिस्पर्धा

	ifrLi/kk	fuf/k;u
(i)	ब्लॉक स्तर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से संचालित किया जाना, यदि वे ऐसा करना चाहें (वैकल्पिक)
(ii)	जिला स्तर	प्रति खेल विद्या 20,000/– की दर से आवास तथा भोजन, यात्रा व्यय सहित 2.40 लाख रूपए प्रति जिले का एकमुश्त अनुदान।
(iii)	राज्य स्तर	12 खेल विद्याओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 1 लाख रूपए का एकमुश्त अनुदान
(iv)	राष्ट्र स्तर	प्रति खेल विद्या 10 लाख रूपए का एकमुश्त अनुदान ;प्रति खेलविद्या 8.5 लाख रूपए मेजबान राज्य/संगठन को प्रदान किया जाना और प्रति खेलविद्या 1.5 लाख रूपए पदक, ट्रॉफी, प्रमाण–पत्रों, उपयोगिता पुरस्कार इत्यादि पर प्रयोग किया जाना (अपेक्षित)

fVIi.kh% विजेताओं के लिए शील्डस, पदक, ट्रॉफी, प्रमाणपत्र इत्यादि पर व्यय भी प्रतिस्पर्धा के संचालन के लिए प्रदत्त निधियों से पूरा किया जाएगा।

iqjLdkj jkf'k% पुरस्कार राशि वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बीच वितरित की जाएगी जिन्होंने निम्नानुसार प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हों:–

ifrLi/kkZ dk Lrj	iqjLdkj jkf'k ¼:Ik, esa½			
	iFke iqjLdkj /kkjd	f}rh; iqjLdkj /kkjd	r`rh; iqjLdkj /kkjd	Dqy
ब्लॉक स्तर	350/-	250/-	150/-	750/-
जिला स्तर	500/-	300/-	200/-	1000/-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर	2500/-	1500/-	1000/-	5000/-
राष्ट्रीय स्तर	350/-	250/-	150/-	750/-

fVIi.kh% पुरस्कार की राशि उन वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बैंक खाते में सीधे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अंतरित की जाएगी जिन्होंने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हों।

;k=k O;;& ब्लॉक तथा जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय प्रतिस्पर्धा अनुदान में शामिल किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए द्वितीय श्रेणी रेल किराया/सामान्य बस किराए से कम पर यात्रा संबंधी वास्तविक व्यय की खिलाड़ियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। वास्तविक लागत का प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ही समुचित प्रक्रिया का पालन करते हुए वितरण किया जाएगा।

(ग) पूर्वोत्तर खेलः

	ifrLi/kkZ,¡	fuf/k;u
(i)	ब्लॉक स्तर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से संचालित किया जाना, यदि वे ऐसा करना चाहें (वैकल्पिक)
(ii)	जिला स्तर	08 खेल विद्याओं के लिए आवास तथा भोजन, यात्रा व्यय सहित 1 लाख रूपए प्रति जिले का एकमुश्त अनुदान।
(iii)	राज्य स्तर	08 खेल विद्याओं के लिए राज्य में 1 लाख रूपए का एकमुश्त अनुदान
(iv)	राष्ट्र स्तर	प्रति खेल विद्या 10 लाख रूपए का एकमुश्त अनुदान ;प्रति खेलविद्या 8.5 लाख रूपए मेजबान राज्य/संगठन को प्रदान किया जाना और प्रति खेलविद्या 1.5 लाख रूपए पदक, ट्रॉफी, प्रमाण–पत्रों, उपयोगिता पुरस्कार इत्यादि पर प्रयोग किया जाना (अपेक्षित)

fVIi.kh% विजेताओं के लिए शील्डस, पदक, ट्रॉफी, प्रमाणपत्र इत्यादि पर व्यय भी प्रतिस्पर्धा के संचालन के लिए प्रदत्त निधियों से पूरा किया जाएगा।

iqjLdkj jkf'k% पुरस्कार राशि वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बीच वितरित की जाएगी जिन्होंने निम्नानुसार प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हों:–

ifrLi/kkZ dk Lrj	iqjLdkj jkf'k (:Ik, esa)			
	iFke iqjLdkj /kkjd	f}rh; iqjLdkj /kkjd	r`rh; iqjLdkj /kkjd	Dqy
जिला स्तर	350/-	250/-	150/-	750/-
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर	500/-	300/-	200/-	1000/-
राष्ट्रीय स्तर	2500/-	1500/-	1000/-	5000/-

fVIi.kh% पुरस्कार की राशि उन वैयक्तिक खिलाड़ियों और टीम के सदस्यों के बैंक खाते में सीधे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा अंतरित की जाएगी जिन्होंने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हों।

;k=k 0;;& यात्रा व्यय जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रतिस्पर्धा अनुदान में शामिल किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए निजी परिवहन किराए पर लेने सहित यात्रा संबंधी वास्तविक व्यय की खिलाड़ियों/संबद्व राज्य को प्रतिपूर्ति की जाएगी। उपरोक्त राशि का प्रतिस्पर्धा के स्थान पर ही समुचित प्रकिया का पालन करते हुए वितरण किया जाएगा।

vkjthds, ds fd;kUo;u dh fLFkfr

(i) आरजीकेए के लिए बजट अनुमान 2014–15 में 200 करोड़ रूपए का बजट आबंटन प्रदान किया गया था जिसे संशोधित चरण पर घटाकर 85 करोड़ रूपए कर दिया गया।

(ii) ब्लॉक स्तर पर इनडोर खेलों के निर्माण के लिए 05 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों नामतः एनबीसीसी, एनपीसीसी, एचएससीएल, ईपीआईएल तथा ब्रिज एंड रूफ को कियान्वयन एजेंसियों के रूप में पैनलबद्व किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से एक मॉडल त्रिपक्षीय करार तैयार किया गया है और राज्य सरकारों एवं कियान्वयन एजेंसियों को परिचालित किया गया है। करार पर हस्ताक्षर करने की कार्रवाई चल रही है।

(iii) अभिसरण के संबंध में मामला आरजीकेए के लिए बजट प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय और योजना आयोग के साथ उठाया जा रहा है ताकि आगे आउटडोर तथा इनडोर खेल परिसरों का निर्माण किया जा सके।

(iv) वर्तमान में ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्र स्तरीय आरजीकेए वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के संचालन के लिए राज्य सरकारों को निधियां जारी की जा रही हैं।

vkjthds, ds lqpk: fd;kUo;u esa ck/kk

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालयः पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय ने कुछ अन्य विभागों को गैर समाप्ति योग्य केन्द्रीय पूल संसाधनों (एनएलसीपीआर) केन्द्रीय के तहत 72 करोड़ रूपए का समूचा आबंटन जारी किया था और 90 करोड़ रूपए की आरजीकेए की आवश्यकता के लिए उन्होंने 2014–15 के दौरान वित्त मंत्रालय से आबंटन की मांग की है।

(ii) पंचायती राज मंत्रालयः बीआरजीएफ जिलों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए समूचा बजट मंत्रालय द्वारा जिलों को जारी कर दिया गया है। आरजीकेए के लिए अपेक्षित निधि केवल अगले वित्तीय वर्ष के दौरान ही प्रदान की जा सकती है।

(iii) योजना आयोगः योजना आयोग ने सूचित किया है कि एसीए योजना के तहत निधियन के लिए मदों का निर्णय जिला स्तर पर लिया जाता है और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय स्तर पर उक्त योजना के तहत निधियां चिन्हित नहीं की जा सकती।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालयः हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि खेल एमजीएनआरईजीएस के तहत एक वरीयता मद है, उन्होनें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरजीकेए के लिए योजना के तहत निधियों की उपलब्धता की विशिष्ट रूप से पुष्टि नहीं की है।

(v) राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः किसी भी राज्य से ब्लॉक स्तर पर आउटडोर तथा इनडोर खेल परिसरों के निर्माण के लिए संपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) कई राज्यों से पूर्ववर्ती पायका योजना के तहत जारी अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत न करने से केन्द्र सरकार से और अनुदान जारी करने में बाधा पहुंची है।

miyfC/k;k¡

(i) भारत सरकार, संबद्व राज्य सरकार और पैनलबद्व सीपीएसयू के बीच त्रिपक्षीय करार परिचालित। सीपीएसयू ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिन्हें परस्पर सहमति से हल किया जा रहा है।

(ii) युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में भागीदार मंत्रालयों/विभागों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ निधियों की पुष्टि के लिए बैठक की गयी है।

(iii) राष्ट्र स्तरीय प्रतिस्पर्धाए जिन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई एनएस एनआईएस पटियाला द्वारा संचालित किया जा रहा था, को अब एसएआई तथा संबद्व राज्य सरकार के तकनीकी सहयोग से मिशन निदेशालय आरजीकेए द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये प्रतिस्पर्धाएं देश भर में 11 स्थानों पर विभिन्न खेल विद्याओं में संचालित की जा रही हैं, इन प्रतिस्पर्धाओं में से दिसंबर 2014 में 4 स्थानों को पूरा किया गया है।

(iv) 1 अप्रैल 2014 के अनुसार, पायका योजना के तहत अवसंरचना और प्रतिस्पर्धा अनुदान के लिए 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 239 करोड़ रूपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी थे। मिशन निदेशालय पायका द्वारा बकाया यूसी के बैकलॉग में कमी करने के विशिष्ट प्रयास किए गए थे, और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 186 करोड़ रूपए के उपयोगित प्रमाण–पत्र प्राप्त किए गए। ये बैकलॉग अब 11 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कम होकर 53.05 करोड़ रूपए हो गए हैं। जिन राज्यों से अभी भी यूसी बकाया हैं उन्हें यूसी प्रस्तुत करने अथवा जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित बकाया राशि वापस करने का अनुरोध किया जा रहा है ताकि उन्हें आरजीकेए के तहत और अनुदान प्राप्त करने का पात्र बनाया जा सके। यूसी के बैकलॉग में तदंतर कमी ने वार्षिक प्रतिस्पर्धा अनुदान जारी करने में सहायता प्रदान की है। 31.12.2014 के अनुसार, वार्षिक खेल प्रतिस्पर्धाओं के संचालन के लिए 21 राज्यों को 44 करोड़ रूपए की राशि जारी की गयी है।

(v) राज्यों को आरजीकेए (एमवाईएएस) जिलों के लिए संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है ताकि ब्लॉक स्तरीय खेल परिसरों के निर्माण के लिए यथाशीघ्र निधियां जारी की जा सकें।

STAG

'kgjh [ksy volajpuk Ldhe ¼;w,lvkbZ,l½

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय वर्ष 2010–11 से पायलट आधार पर एक स्कीम नामतः शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) का कार्यान्वयन कर रहा है । इस स्कीम के तहत निम्नलिखित खेल अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैः–

(i) सिंथेटिक खेल सतह (हॉकी और एथलेटिक के लिए)

(ii) बहुउद्देशीय इंडोर हाल

इस स्कीम के तहतए निम्नलिखित निकाय खेल अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं :–

(क) राज्य सरकारें

(ख) स्थानीय नागरिक निकाय

(ग) केंद्र/राज्य सरकारों के तहत स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय और

(घ) खेल नियंत्रण बोर्ड

वित्तीय सहायता जिसके तहत निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की जा रही हैं :–

Øa- la-	[ksy enku dk uke	vuqekfur ykxr
1.	सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक	सामान्य लाइटिंग के साथ 5.50 करोड़ रू.
2.	सिंथेटिक हॉकी मैदान	4.50 करोड़ रू. (सामान्य लाइटिंग के साथ 5.00 करोड़ रू.)
3.	60 मीटर X 40 मीटर आकार का बहुउद्देशीय हाल	6.00 करोड़ रू.

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष में 2 परियोजनाओं से अधिक प्राप्त नहीं होंगी ।

यह स्कीम मार्च, 2012 से संसदीय सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) स्कीम के साथ समन्वय में आई है । इसके परिणामस्वरूपए यदि एक संसद सदस्य यूएसआईएस परियोजना के लिए अनुज्ञेय अनुदान का कम से कम 50 प्रतिषत योगदान देता है, तो बची हुई राषि का यूएसआईएस के बजट प्रावधान से पूरा किया जाएगा । इस प्रबंध में एक राज्य के लिए अधिकतम दो परियोजनाओं का प्रतिबंध लागू नहीं होगा । एक वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिकतम दो अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकार्य होंगी ।

'kgjh [ksy volajpuk Ldhe ¼;w,lvkbZ,l½ ds vUrxZr tkjh vuqnku

शहरी खेल अवसंरचना स्कीम (यूएसआईएस) के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाओं के सृजन/उन्नयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सहायता अनुदान अनुमोदित और जारी किया गया है ।

(djksM+ :- esa)

o"kZ	jkT;ksa dh la[;k	vuqekfnr vuqnku	tkjh vuqnku
2010-11	4	19.98	12.50
2011-12	10	54.81	40.00
2012-13	10	54.98	23.00
2013-14	14	76.00	36.35
2014-15 (31.12.2014 तक)	09	44.50	12.18
dqy	47	250-27	124-03

उपर्युक्त उल्लिखित विवरण में पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं :–

(djksM+ #-)

o"kZ	jkT;ksa dh la[;k	vuqeksfnr vuqnku	tkjh vuqnku
2010-11	1	5.00	5.00
2011-12	4	22.50	19.70
2012-13	2	11.00	6.80
2013-14	5	25.50	13.35
2014-15 (31.12.2014 तक)	1	6.00	1.80
dqy	13	70-00	46-65

miyfC/k

- चालू वर्ष के दौरान 44.05 करोड़ रू की अनुदान सहायता मंजूर की गई थी और 9 राज्यों को 12.18 करोड़ रू की राशि जारी की गई है।
- उपर्युक्त स्कीम के तहत अब तक केवल 3 परियोजनाएं पूरी की गई है । इनमें से एक परियोजना चालू वर्ष में पूरी की गई ।
- यूएसआईएस के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्यों/अन्य संगठनों को वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक 176 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई थी । जिसमें से 91 करोड़ रू की राशि जारी की गई थी तथा उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक लंबित है । उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित होने के मुख्य कारणों में एक कारण राज्य सरकारों के वित्त विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से निधियां जारी करना है। इसके अन्य कारणों में निविदा तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में विलंब होना शामिल है ।

[ksyksa esa mR—"Vrk dks lao/kZu lsa lacf/kr Ldhe

1- jk"Vªh; [ksy ifjla?kksa dks lgk;rk Ldhe

इस स्कीम के तहतए भारत सरकारए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करने, विदेश में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने, कोचिंग शिविरों का आयोजन करने, खेल उपकरण प्राप्त करने, विदेशी कोचों की नियुक्ति और राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा नियुक्त किए गए संयुक्त/सहायक सचिवों के वेतन के भुगतान के लिए सहायता उपलब्ध कराती है ।

पिछले 3 वर्षों अर्थात 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम से जारी की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुबंध–VII में दिए गए हैं ।

2- [ksyksa esa ekuo lalk/ku fodkl Ldhe :

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मौजूदा प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित स्कीम को संशोधित किया है और वर्ष 2013–14 में इसका नाम बदलकर खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम रखा है। संषोधित स्कीम के तहत सरकार का उद्देश्य देश में खेल–कूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और औषधि में मानव संसाधनों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है । इससे सामान्य रूप से एक समयावधि में इन क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में और विशेष रूप से प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विज्ञान और औषधि संस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

3- jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k

देश में खेलकूद के संवर्धन के लिए निजीध्कारपोरेट क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीयों सहित सरकारी तथा गैर.सरकारी स्रोतों से संसाधनों को जुटाने के लिए केंद्रीय सरकार ने धर्मार्थ अक्षयनिधि अधिनियमए 1890 के तहत 1998 में राष्ट्रीय खेल विकास निधि की स्थापना की थी । निधि के लिए अंषदानों को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से भी निधि के लिए सभी अंशदानों को आयकर से शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। सर्वप्रथम सरकार ने वर्ष 1998–99 के दौरान एनएसडीएफ को 2.00 करोड़ रू का प्रारंभिक अंशदान किया । इसके बाद सरकार का अंशदान अन्य स्रोतों से प्राप्त अंशदानों के बराबरी के आधार पर है । 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार इस निधि में कुल 113.14 करोड़ रू. की धनराशि उपलब्ध है ।

इस निधि का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री होते हैं । इस निधि के दिन–प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख संयुक्त सचिव, खेल विभाग होते हैं ।

,u,lMh,Q ls foÙkh; lgk;rk %

एनएसडीएफ ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों खेल परिसंघों और अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है । शीर्ष स्तर के खिलाड़ी जिनकी ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की संभावनाएं हैं उनका चयन एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता हेतु किया जाता है । इस सहायता को अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनके द्वारा पदक जीतने के लिए तैयार

करने हेतु भारत तथा विदेश में उनके विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाता है ।

ओलंपिक खेल वर्ष 2016 और 2020 के लिए संभावित पदक विजेताओं को प्रशिक्षण देने हेतु विशेष रूप से तैयार टीओपी (टार्गेट ओलंपिक पोडियम) स्कीम के अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों की सहायता करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

खेलों के संवर्धन में कार्यरत प्रतिष्ठित संगठन/संस्थान भी विशिष्ट परियोजनाओं हेतु जैसे कि अवसंरचना का सृजनए अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि उस क्षेत्र/भाग की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी परियोजनाओं से होने वाले लाभ को प्राप्त कर सके ।

अब तक राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायताप्राप्त लाभार्थियों के ब्यौरे अनुबंध VIII में दिए गए हैं ।

इसकी स्थापना के बाद से निधि में अंशदानों जिसमें भारत सरकार का अंशदान शामिल है का ब्यौरा अनुबंध IX में दिया गया है ।

f[kykfM+;ksa dks izksRlkgu ls lacaf/kr Ldhesa

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालयए खिलाड़ियों को खेलों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है ।

1- jktho xka/kh [ksy jRu iqjLdkj

उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए यह स्कीम 1991–92 में आरंभ की गयी थी। पुरस्कार पाने वालों को एक पदक और 7.5 लाख रू दिए जाते हैं । वर्ष 2014 के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसी भी खिलाड़ी को सम्मानित नहीं किया गया था।

इस योजना के आरंभ होने से अब तक 27 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है।

2- vtqZu iqjLdkj

अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी । पुरस्कार की पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित खिलाड़ी ने पिछले 4 वर्शों के दौरान लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल अच्छा प्रदर्शन किया हो बल्कि जिस वर्ष के लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही हैए उस वर्ष उत्कृष्ट निष्पादन और नेतृत्व के गुण, खिलाड़ी भावना और अनुशासन का प्रदर्शन भी आवश्यक है । पुरस्कृत खिलाड़ी को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रोल, समारोह की पोशाक और 5.00 लाख रूपये पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है ।

इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कलैंडर वर्ष में अधिकतम 15 पुरस्कार से अधिक नहीं दिए जाने चाहिए ।

निम्नलिखित खिलाड़ियों को 29 अगस्तए 2914 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2014 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए थे

Ø.l.	f[kykMh dk uke	[kyfo/kk
1	श्री अभिषेक वर्मा	तीरंदाजी
2	सुश्री टिंटू लुका	एथलेटिक्स
3	श्री एचण्एनणगिरीशा	पैरा. एथलेटिक्स
4	श्री वीडिजु	बैडमिंटन
5	सुश्री गीतू अन्ना जोश	बास्केटबाल
6	श्री जय भगवान	मुक्केबाजी
7	श्री आर अश्विन	क्रिकेट
8	श्री अनिरबान लाहिरी	गोल्फ
9	सुश्री ममता पुजारी	कबड्डी
10	श्री साजी थामस	रोविंग
11	सुश्री हिना सिद्धु	निशानेबाजी
12	सुश्री अनाका अलंकामोनी	स्क्वैश
13	श्री टाम जोसेस	वालीबाल
14	सुश्री रेनु बाला चानू	भारोत्तोलन
15	श्री सुनील कुमार राना	कुश्ती

इसके अतिरिक्त, श्री मनोज कुमार (मुक्केबाज) द्वारा दायर रिट याचिका के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 26 नवम्बर, 2014 को श्री मनोज कुमार, मुक्केबाज को अर्जुन पुरस्कार, 2014 से सम्मानित किया ।

विभिन्न खेल विधाओं से अब तक 783 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

3- [ky e thoui;Ur miyfC/k;k d fy, /;kupn ijLdkj

जीवनपर्यन्त उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन खिलाडियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल कैरियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान दे रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा,सम्मान का स्क्रॉल,समारोह की पोशाक 5 लाख रु. पुरस्कार राशि दी जाती है। वर्ष 2014 के लिए 29 अगस्त 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित खिलाडियों को पुरस्कार दिए गए:

Ø-l-	uke	[kyfo/kk
1	श्री गुरमेल सिंह	हाकी
2	श्री के.पी. ठक्कर	तैराकी (डाइविंग)
3	श्री जीशान अली	टेनिस

इस पुरस्कार की शुरूआत से अब तक 42 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है।

4- æk.kkpk; ijLdkj

1985 में शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित कोचों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, जिन्होंने खिलाडियों या टीमो को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के योग्य बनाया है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रतिमा, सम्मान का स्क्रॉल,समारोह की पोशाक व 5.00 लाख रु. की पुरस्कार राशि दी जाती है ।

वर्ष 2014 के लिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त, 2014 को निम्नलिखित 5 कोचों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे:

Ø-l-	uke	[ksyfo/kk
1.	श्री महाबीर प्रसाद	कुश्ती
2.	श्री एन. लिंगप्पा	एथलेटिक्स–जीवनपर्यन्त
3.	श्री जी. मनोहरन	मुक्केबाजी–जीवनपर्यन्त
4.	श्री गुरुचरन सिंह गोगी	जूडो–जीवनपर्यन्त
5.	श्री जोश जैकब	रोविंग– जीवनपर्यन्त

5- ekSykuk vcqy dyke vktkn ¼ekdk½ VªkQh

मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी 1956–57 में आरंभ की गई थी। अंतर–विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आजाद (माका) ट्राफी दी जाती है जो एक रोलिंग ट्राफी है। माकाट्राफी की एक लघु प्रतिकृति विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने के लिए भी प्रदान की जाती है। विजेता विश्वविद्यालय को रोलिंग ट्राफी तथा 10 लाख रु. की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है और द्वितीय तथा तृतीय स्थान पानेवाले विश्वविद्यालयों को क्रमशः 5 लाख रु और 3 लाख रु की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 के लिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त, 2014 को पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला को माका ट्राफी प्रदान की थी ।

6- jk"Vªh; [ksy izksRlkgu iqjLdkj

खिलाडियों तथा प्रशिक्षकों के अलावा अन्य निकायों द्वारा खेल के विकास में दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2009 से 'राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार' नामक एक नया पुरस्कार आरंभ किया है जिसमें 4 श्रेणियां हैं नामतः सामुदायिक खेल विकास, उत्कृष्टता वाली खेल अकादमियों का संवर्धन, विशिष्ट खिलाडियों को सहायता और खिलाडियों को रोजगार।

निम्नलिखित निकायों को वर्ष 2014 के लिए 29 अगस्त, 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए:

Ø-l-	Js.kh	jk"Vªh; [ksy izksRlkgu iqjLdkj 2014
1.	खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याणकारी उपाय	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.(ओएनजीसी)
2.	समुदाय खेल– उदीयमान एवं युवा प्रतिभा की पहचान और सम्पोषण	ज़जदल स्टील वर्क्स (जेएसडब्ल्यू)
3.	उत्कृष्टता युक्त खेल अकादमियों की स्थापना और प्रबंधन	गुरु हनुमान अखाड़ा, दिल्ली
4.	स्कीम में उल्लिखित 4 श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए खेल गतिविधियों के अन्य रूप	मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन

7- vrjjk"Vªh; [ksy Li/kkZvksa esa fotsrk f[kykfM+;ksa vkSj mudss dkspksa dks fo'ks"k iqjLdkj

अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेता खिलाड़ियों और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार की स्कीम उत्कृष्ट उपलब्धियां करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने तथा युवा पीढी को खेलों को अपनी आजीविका के रूप में अपनाने के लिए वर्ष 1986 में शुरू की गई थी ।

इस स्कीम के तहत, खिलाडियों व उनके कोचों को वर्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में, पदक जीतने के लिए नीचे दी गई सारणी के अनुसार विशष पुरस्कार दिए जाते हैं:

[ky@pfEi;uf'ki dk uke	Lo.k ind@ iFke LFkku	jtr ind@ nljk LFkku	dkL; ind@ rhljk LFkku
विजेता होने पर			
(i) ओलंपिक खेल	Rs.50 लाख रु.	Rs.30 लाख रु.	Rs.20 लाख रु.
(ii) एशियाई खेल/ राष्ट्रमंडल खेल	Rs.20 लाख रु.	Rs. 10 लाख रु.	Rs. 6 लाख रु.
(iii) विश्वचैम्पियनशिप	Rs.10 लाख रु.	Rs. 5 लाख रु.	Rs.3 लाख रु.
(iii) एशियाई और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप	Rs.3 लाख रु.	Rs.2 लाख रु.	Rs.1.5 लाख रु.

उन कोचों को भी नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने प्रतियोगिता से ठीक पहले कम से कम 240 दिन तक पदक विजेताओं को प्रशिक्षण दिया है। कोच को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि की मात्रा, उस खिलाड़ी की पुरस्कार राशि का 50 प्रतिशत होती है जिसे कोचिंग दी गई है। एक से अधिक कोच होने की स्थिति में पुरस्कार राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जाती है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2014, एशियाई खेल 2014, और पैरा–एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा बधाई दी गई थी और नकद पुरस्कार के रूप में 22.29 करोड़ रु. के नगद पुरस्कार के रूप में चेक दिए गए थे। प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रु. और कांस्य पदक विजेताओं को 6 लाख रु. दिए गए थे।

वर्ष 2014–15 में 24 करोड़ रु की नकद राशि खिलाड़ियों और कोचों मे वितरित की गई थी ।

8- e/kkoh f[kykfM+;k dk i'ku d fy, [ky fuf/k Ldhe

यह स्कीम वर्ष 1994 में प्रारंभ की गई थी। इस स्कीम के तहत, वे खिलाड़ी जो भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्वकप/विश्वचैम्पियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हों तथा जिनकी आयु 30 वर्ष हो और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास ले चुके हों, जीवनपर्यन्त पेंशन पाने के लिए पात्र हैं।

पात्र खिलाड़ियों को भुगतान की गई पेंशन की दरें इस प्रकार हैं:

Ø- l-	e/kkoh f[kykfM+;k dh Js.kh	i'ku dh nj ¼ #- ifrekg½
1	ओलंपिक खेलों में पदक विजेता	10000 रु.
2	ओलंपिक औरएशियाई खेल विधाओं में विश्वकप/ विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता	8000 रु.
3	ओलंपिक तथा एशियाई खेल विधाओं में विश्वकप /विश्व चैम्पियनशिप में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	
4	एशियाई /राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	7000 रु.
5	एशियाई /राष्ट्रमंडल खेलों में रजत एवं कांस्य पदक विजेता	6000 रु.
6	पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता	5000 रु.
7	पैरालंपिक खेलों में रजत पदक विजेता	4000 रु.
8	पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता	3000 रु.

इस स्कीम के तहत 640 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहें हैं।

9- f[kykfM;ksa ds fy, jk"Vªh; dY;k.k dks"k

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना दरिद्रावस्था में जीवनयापन कर रहे भूतपूर्व उत्कृष्ट खिलाडियों, जिन्होंने खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है, को सहायता देने के उद्देश्य से मार्च, 1982 में की गई थी। इन भूतपूर्व उत्कृश्ट खिलाडियों को एकमुक्त अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई, 2009 में स्कीम की समीक्षा की गई थी। पेंशन के प्रावध ाान को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पहले से ही मेधावी खिलाड़ियों हेतु एक पेंशन स्कीम मौजूद है। अब एकमुक्त अनुग्रह सहायता खिलाडियों अथवा उनके परिवार को चिकित्सा उपचार आदि के लिए दी जाती है ।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, विद्यमान 20 लाभार्थियों को पेंशन के अतिरिक्त, निम्नलिखित खिलाड़ियों के लिए इस कोष से एकमुक्त सहायता निम्नलिखित को प्रदान की गई :

(i) सुश्री मुनिया, कबड्डी खिलाड़ी को दुर्घटना में घायल होने पर चिकित्सा उपचार के लिए 2 लाख रु. ।

(ii) श्री एस.ए. सलाम, पूर्व फुटबाल खिलाड़ी को चिकित्सा उपचार के लिए 1.5 लाख रु.।

(iii) टोकिया ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक विजेता हाकी टीम (पुरुष) के प्रत्येक आठ जीवित सदस्यों नामतः श्री चरनजीत सिंह, श्री गुरुबक्स सिंह, श्री धरम सिंह, श्री हरविन्दर सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री हरिपाल कौशिक, श्री दर्शन सिंह, श्री अली सईद एवं टीम के 5 सदस्यों की जीवित पत्नियों अर्थात स्व. श्री शंकर लक्षमन की विध ावा श्रीमती शांति एस. लक्ष्मन, स्व. श्री पृथपाल सिंह की विधवा श्रीमती चरनजीत कौर, स्व. श्री जगजीत सिंह की विधवा श्रीमती सुरिंदर कौर, स्व. श्री वे.जे.पीटर की विधवा श्रीमती शानिती मैरी और स्व. श्री जोगिन्दर सिंह की विधवा श्रीमती भुपिन्दर कौर को 7.50 लाख रु. की दर से 97.50 लाख रु. जबकि राष्ट्रीय कल्याण निधि से प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रु. से 65 लाख रु. , राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रत्येक सदस्य को 2.50 लाख रु. की दर से 32.50 लाख रु. दिए गए थे।

india
KEEP IT

ifrLi/kkZRed [ksyksa ls lacf/kr Ldhe

(I) jktho xka/kh [ksy vfHk;ku ds rgr [ksy ifr;ksfxrk,a

राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन खेल प्रतियोगिताओं के ब्यौरे आरजीकेए से संबंधित अध्याय में दिए गए हैं ।

(II) fu%'kä tuksa esa [ksyksa dk lao/kZu

मंत्रालय ने निःशक्तजनों में खेलों के संवर्धन के लिए वर्ष 2009 में यह स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम का उद्देश्य निःशक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का व्यापक आधार तैयार करना है। निःशक्तजनों के लिए खेलकूल की स्कीम में निम्नलिखित घटक हैः–

(क) खेल कोचिंग और स्कूलों के लिए उपभोज्य तथा गैर–उपभोज्य खेल उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान।

(ख) कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान ।

(ग) निःशक्तजनों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान।

वर्ष 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक इस स्कीम के तहत 35 स्कूलों को अनुदान दिए गए। स्कीम के तहत 2014–15 के दौरान (31.12.2014 की स्थिति के अनुसार) जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 42350 निःशक्तजनों ने भाग लिया था । लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर में वर्ष 2014–15 के दौरान 148 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

jk"Vªh; Mksi jks/kh ,tsalh ¼ukMk½

डोप–रोधी नियम प्रतिस्पर्धा नियमों की तरह ही उन शर्तों को नियंत्रित करने वाले खेल नियम होते हैं जिनके तहत खेल, खेले जाते हैं। एथलीट, एथलीट सहायक कार्मिक और अन्य व्यक्ति इन नियमों को भागीदारी की शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें इनका पालन करना होगा। ये खेल विशिष्ट नियम और प्रक्रियाएं जिनका उद्दश्य एक वैश्विक और सुसंगत वातावरण में डोप–रोधी सिद्धांतों को लागू करना है, सर्वथा भिन्न प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा) ने विश्व डोप–रोधी 'कोड' को स्वीकार किया है। ये डोप–रोधी नियम इस कोड के तहत नाडा की जिम्मेदारियों के अनुरूप अपनाए और कार्यान्वित किए जाते हैं तथा वे भारत में डोपिंग समाप्त करने के नाडा के सतत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हैं। यह कोड नाडा को भारत द्वारा निर्दिष्ट निकाय के रूप में परिभाशित करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर डोप–रोधी नियम अपनाने और कार्यान्वित करने, नमूनों के एकत्रीकरण के निदश देने, परीक्षण परिणामों के प्रबंधन और सुनवाई करने के लिए मुख्य प्राधिकरण है।

i`"BHkwfe

यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार, 1999 में विश्व डोप रोधी एजेंसी के गठन से पहले खेलों के संवर्धन और खेलों में डोप रोधिता के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) उत्तरदायी थी। वर्ष 1999 के प्रारम्भ में खेलों में डोपिंग पर लुसाने, स्विटजरलैंड में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया और जिसके कारण वर्ष 1999 के अंत मे विश्वडोप रोधी एजेंसी (वाडा)का सृजन किया गया । भारत सरकार विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) (1999–2000) के सदस्यों में से एक है। वाडा, जो खेलों में डोपिंग के विरूद्ध मानक स्थापित करता है, ने 5 मार्च, 2003 को कोपहेगन, डेनमार्क में वाडा कोड को अपनाया। विभिन्न राज्य पक्षकारों में से एक भारत ने दिसम्बर, 2014 में डोप–रोधिता पर कोपहेगन घोषणा पर हस्ताक्षर किए । कोड के अनुसार, राष्ट्रीय डोप – रोधी एजेंसी (नाडा) को 24.11.2005 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 2007 में, तीसरा विश्वसम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया और इसमें कोड के संषोधित संस्करण को अंतिम रूप दिया गया। डोप रोधी संबंधी कोपहेगन घोषणा और डोपिंग के विरूद्ध यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (1 फरवरी, 2007) का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते नाडा ने 7 मार्च, 2008 को विश्व डोप रोधी कोड को स्वीकार किया और वाडा के कोड के अनुरूप नाडा के डोप रोधी नियम (एडीआर) तैयार किए।

jk"Vªh; Mksi&jks/kh dk;ZØe

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डोप–रोधी एजेंसी (नाडा) की स्थापना भारत के लिए स्वतंत्र डोप–रोधी संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गयी थी। नाडा के पास निम्नलिखित के लिए आवष्यक प्राधिकार और जिम्मेदारी हैः–

- डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, मानिटरिंग और सुधारों की वकालत करना;
- अन्य संगत राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोप–रोधी संगठनों के साथ सहयोग करना;
- राष्ट्रीय डोपिंग–रोधी संगठनों के बीच पारस्परिक परीक्षण को प्रोत्साहित करना;
- डोप–रोधी अनुसंधान का संवर्धन;
- जहां निधियां प्रदान की जाती हैं, किसी ऐसे एथलीट अथवा एथलीट सहायककर्मी की अयोग्यता की अवधि के दौरान उसकी सारी

निधियां अथवा कुछ निधियां रोकना जिसने डोप–रोधी नियमों का उल्लंघन किया हो;

- डोपिंग के प्रत्येक मामले में एथलीट सहायक कार्मिक या अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच सहित इसके अधिकार क्षेत्र में डोप–रोधी नियमों के सभी संभावित उल्लंघन पर कड़ाई से कार्रवाई करना
- डोप–रोधी सूचना और शिक्षा कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग करना

नाडा अनुषासनिक प्राधिकरणों (डोप रोधी अनुषासनिक पैनल और डोप रोधी अपील पैनल) से भिन्न एक स्वतंत्र निकाय है ।

izca/ku%

नाडा की स्थापना 1980 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी और इसने 1 जनवरी, 2009 से कार्य आरंभ कर दिया था। नाडा के प्रबंधन और कार्य का दायित्व शासी निकाय जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री इसके अध्यक्ष, सचिव (खेल) इसके उपाध्यक्ष, और 4 अन्य सदस्य, 2 प्रबुद्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और सदस्य सचिव के रूप में नाडा के महानिदेषक शामिल हैं, का है । नाडा का वित्त–पोषण अनुदान के माध्यम से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ukMk dk la'kksf/kr Mksi&jks/kh fu;e 2015

नाडा सघनता से वाडा के समन्वय के साथ कार्य कर रहा है और वाडा द्वारा निर्धारित सभी नियमों/प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। उपर्युक्त अधिदेश के अनुसार नाडा ने न केवल वाडा कोड अपनाया है बल्कि इसने अपने डोप–रोधी नियमों को संशोधित भी किया है। इन नियमों को वाडा कोड 2015 के आधार पर संषोधित किया गया है और संशोधित नियम 01 जनवरी, 2015 से लागू है।

Mksi fo'ys"k.k iz;ksxu ds fy, Mksi uewuk dk ,d=.k

वर्ष 2014–15 के दौरान नाडा का लक्ष्य 4400 मूत्र नमूने एकत्र करना था नाडा ने संपूर्ण भारत में स्थित अपने डोपिंग नियंत्रण अधिकारियों के पैनल की सहायता से 2970 मूत्र और 55 रक्त नमूने एकत्रित किया है । नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पूरे भारत में आयोजित विभिन्न चैंपियनशिप और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपने केंद्रों पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों के दौरान एथलीटों के नमूने एकत्र किए गए थे ।

l=%

C;kSjk	2014-15				dqy
	iFke frekgh ¼vizSy&twu½	nwljh frekgh ¼tqykbZ&flrEcj½	rhljh frekgh ¼vDrwcj&fnlEcj½	pkSFkh frekgh ¼tuojh&ekpZ 2015 vuqekfur½	
एकत्र किए गए मूत्र नमूनों की संख्या	1058	1085	829	1428	4400

jä%

C;kjk	2014-15				dqy
	iFke frekgh ¼vizSy&twu½	nljh frekgh ¼tqykbZ&flrEcj½	rhljh frekgh ¼vDrqcj&fnlEcj½	pkFkh frekgh ¼tuojh&ekpZ 2015 vuqekfur½	
एकत्र किए गए रक्त नमूनों की संख्या	12	36	07	245	300

o"kZ 2014&15 esa fofHkUUk jk"Vªh; @varjjk"Vªh; ifrLi/kkZvksa esa ukMk }kjk ueuksa dk ,d=hdj.k%

Ø-l-	[ksy fo/kk@ifrLi/kkZ	pSfEi;uf'ki dk LFkku	ueuksa dh la[;k	ueuk ,d=.k dh rkjh[k
1	इंडिया ओपेन 2014 बीडब्ल्यूएफ विश्वसुपर सिरीज बैडमिंटन चैम्पियनशिप	सिरी फोर्ट स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली	12	3.6 अप्रैलए 2014
2	12 वां फेडरेषन कप राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2014	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई	40	9.11 मई, 2014
3	थामस एवं उबर कप फाइनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2014	सिरी फोर्ट स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली	30	18.23 मई, 2014
4	टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन 2014	बंगलौर	12	18 मई, 2014
5	58 वां केरल राज्य एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2014	महाराजा कॉलेज स्टेडियम, कोच्चि	26	24 मई, 2014
6	सीनि. राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	पीएसी स्टेडियम, साई लखनऊ	78	5.8 जून, 2014
7	जूनि. राष्ट्रीय एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप	टीटी नगर, भोपाल	42	12.16 जुलाई, 2014
8	प्रो कबड्डी कप 2014	त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली	16	3.6 अगस्त, 2014
9	इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	आर्टीलरी केंद्र गोलकोंडा, हैदराबाद	45	5.8 अगस्त, 2014
10	18वां फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनषिप 2014	भारतीय खेल प्राधिकरण एनएस एनआईएस, पटियाला	85	16.19 अगस्त, 2014
11	80वां अंतर रेलवे एथलेटिक्स चैम्पियनशिपए 2014	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई	36	1.3 सितम्बर, 2014

Ø-l-	[ksy fo/kk@izfrLi/kk	pSfEi;uf'ki dk LFkku	ueuk dh l[;k	ueuk ,d=.k dh rkjh[k
12	80वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज स्क्वश चैम्पियनशिपए	भारतीय सक्वैष अकादमी ए चेन्नई	5	4 सितम्बर, 2014
13	64वां इंटर सर्विसेज वालीबाल चैम्पियनशिप	ईएमई सेंटर, सिकंदराबाद	08	29 अक्तूबर, 2014
14	54वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	81	02.5 नवम्बर, 2014
15	68वां सीनियर राष्ट्रीय तैराकी एक्वेटिक्स चैम्पियनशिपए 2014	सुभाष सरोबर स्वीमिंगपुल कोलकाता	33	12.16 नवम्बर, 2014
16	59वां सीनियर पुरुष एवं 17वां महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप ए 2014	नंदनी नगर महाविद्यालय , गौंडा	29	14.16 नवम्बर, 2014
17	ट्रैक एशिया साईक्लिग कप 2014	आईजी स्टेडियम, नई दिल्ली	07	21.23 नवम्बर, 2014
18	आईबीएसएफ विश्व स्नोकर चैम्पियनशिप	कनटीरवा इंडोर स्टेडियम, बंगलोर	4	28 नवम्बर, 2014
19	5वां विश्वकप कबड्डी पंजाब	पंजाब	26	8.18दिसम्बर, 2014
20	पूर्वोत्तर खेल, 2014	ईटा नगर, अरूणाचल प्रदेश	27	12.13 दिसम्बर, 2014
21	58वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियनशिप	बालेवाडी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, पूणे	14	18.19 दिसम्बर, 2014

fpfdRlh; mi;kx NV ¼Vh;b½ एडीआर के तहत,चिकित्सीय उपयोग छूट समिति में प्रतिष्ठित और अत्यधिक योग्य चिकित्सक शामिल होते हैं जिनके पास सामान्य मेडिसिन, फार्माकोलॉजी और छाती के रोगों में विशेषज्ञता होती है। समिति का मुख्य उद्देश्य उन खिलाडियों के आवेदनों पर विचार करना है जो स्वास्थ्य के आधार पर चिकित्सीय उपयोग छूट की मांग करते हैं जिनमें निषिद्ध पदार्थ अथवा निषिद्ध पद्धति का प्रयोग करना अपेक्षित हो। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान समिति ने छूट के लिए एथलेटिक्स खेल विधा से संबंधित 01 मामले की जांच की है ।

Mksi jk/kh fu;e mYya?ku ¼,Mhvkjoh½

वर्ष 2014–15 (दिसम्बरए 2014 तक) में कुल 70 एथलीटों/ खिलाड़ियों को नाडा के डोप रोधी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।

[ksy fo/kk okj ,Mhvkjoh ekeyksa dk C;kSjk ¼vizSy] 2014 ls fnlEcj] 2014 rd½

Ø-la-	[ksy	la[;k
1.	एथलेटिक्स	25
2.	पावरलिफ्टिंग	20
3.	भारोत्तोलन	15
4.	मुक्केबाजी	02
5.	बास्केटबाल	02
6.	कुश्ती	01
7.	नेशानेबाजी	01
8.	पैरा. पावरलिफ्टिंग	01
9.	सॉफ्ट टेनिस	01
10.	कयाकिंग एवं केनोइंग	01
11.	पैरा ब्लाइंड जूडो	01
	dqy	70

डोप रोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों के संबंध में एक निष्पक्ष तरीके से उचित सुनवाई करने के लिए नाडा के डोप रोधी नियमों के तहत 1 जनवरी 2009 से दो पैनलों नामतः डोप रोधी अनुशासनात्मक पैनल (एडीडीपी) और डोप रोधी अपील पैनल (एडीएपी) का गठन किया गया है ।

Mksi&jks/kh vuq'kklukRed iSuy%

इस पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला और सेशन न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्य कानूनी, चिकित्सा, खेल क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान,पैनल ने 56 बैठकें कीं और उनके पास भेजे गए 125 मामलों में सुनवाई की। पिछले वर्षों में भेजे गए मामलों सहित कुल 89 मामलों पर निर्णय लिए गए और एथलीटों को प्रतिबंध जारी किए गए। सुनवाई के विभिन्न चरणों के अंतर्गत अन्य मामले निम्नानुसार हैं:

C;kjk	2014-15				dqy
	iFke frekgh ¼viy&tu½	nljh frekgh ¼tykb&flrEcj½	rhljh frekgh ¼väcj&fnlEcj½	pkFkh frekgh ¼tuojh 2014 rd½	
सुनवाईयों की संख्या	27	17	12	--	56
भेजे गए मामलों की संख्या	47	54	24	--	125
निर्णीत मामलों की संख्या	26	44	19	--	89

Mki jk/kh vihy iuy % इस पैनल की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और इसके सदस्य चिकित्सा और खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, पैनल ने 13 बैठकें की और 09 मामले का निर्णय किया।

C;kjk	2014-15				dqy
	iFke frekgh ¼viy&tu½	nljh frekgh ¼tykb&flrEcj½	rhljh frekgh ¼väcj&fnlEcj½	pkFkh frekgh ¼tuojh 2014 rd½	
सुनवाईयों की संख्या	03	05	05	--	13
भेजे गए मामलों की संख्या	02	05	05	--	12
निर्णीत मामलों की संख्या	02	02	05	--	09

f'k{kk&lg&tkx:drk dk;Øe

डोपिंग संकट को हल करने के लिए नाडा ने पूरे देश में आईईसी अभियान चलाया है। इस अभियान के माध्यम से प्रतियोगी खिलाड़ियों में डोप रोधी उपायों के संबंध में जागरूकता स्तर को बढ़ाना तथा इसके परिणामस्वरूप डोप संकट को फैलने से बचाना है। इस समय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में तुलनात्मक रूप से जागरूकता का स्तर संतोशजनक है। तथापि, उदीयमान एथलीटों में जागरूकता की कमी है। आईईसी अभियान योजना से हितधारकों में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

पिछले पांच वर्षों में नाडा ने 15000 से अधिक डोप मूत्र नमूने एकत्र किए जिसमें से 517 नमूने एथलीटों के लिए डोप पदार्थ युक्त पाए गए । एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, मुक्केबाजी आदि जैसी खेल विधाओं में उल्लेखनीय संख्या में डोप पदार्थ पाए गए। इसको ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उल्लिखित विधाओं के लिए जागरूकता अभियान में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस डोप रोधी अभियान के जागरूकता–सह–आउटरीच स्तर में वृद्धि लाने के लिए पूरे भारत में इलेक्ट्रानिक प्रिंट मिडिया के उपयोग और बाहरी प्रचार पर अत्यधिक

बल देने की जरूरत है । इस उद्दश्य को पूरा करने के लिए इस संबंध में नाडा को सहायता और परामर्श देने के लिए आईईसी विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। इसी प्रकार, विशेषज्ञ दल ने नाडा से आउटरीच कार्यक्रम पर ध्यान देने के लिए कतिपय पहल के लिए सिफारिश की है। इसके परिणामस्वरूप नाडा ने विभिन्न हितधारकों के लिए प्रस्तुतीकरण की सामग्रियों और प्रषिक्षण माडलों को विकसित करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त डोप रोधी से संबंधित दृश्य श्रव्य सामग्रियों नामतः छोटी फिल्मों, डाकुमेंन्ट्रियों और बीडियो दृश्यों का भी इस अभियान के लिए प्रयोग किया जाएगा।

तथापि, नाडा को विभिन्न खेल परिसंघों/संस्थानों/संघों से जागरूकता सत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ विशेष प्रशिक्षण संबंधी कायशालाओं के आयोजन हेतु निरंतर अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। विगत में, नाडा अधिकारियों को जागरूकता सत्रों/कायशालाओं के आयोजन का कार्य सौंपा गया है परंतु डोपिंग के बढ़ते खतरा को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए कार्यनीति में संशोधन करने की जरूरत है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण मॉडयूलों के साथ–साथ जागरूकता कार्यक्रम/
कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए एक योजना तैयार की है जिसके लिए संभावित वित्तीय प्रतिबंधों को हल किया जा रहा है तथा इसे ''खेलों में डोप रोधी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम'' का नाम देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का विवरण निम्नानुसार है:

mÌ';%

- प्रतियोगी खिलाड़ियों और अन्य सभी हितधारकों में डोप रोधी जागरूकता उत्पन्न करना ।
- सभी हितधारकों को डोप–रोधी उपायों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराना।
- खेल संस्थानों/ परिसंघों/ संघों/ विश्वविद्यालयों/ कालेजों के जरिए जागरूकता/ प्रशिक्षण कार्यशालाए आयोजित करना ।
- मेडिकल चिकित्सकों/ सहायक कार्मिकों के लिए निशिद्ध पदार्थों /प्रणालियों पर सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) आयोजित करना ।

नाडा मुख्य हितधारक है तत्पश्चात भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और राष्ट्रीय डोप प्रषिक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) आते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष कुल 103 (नाडा–60 एनएसएफ–19, एनडीटीएल–12 और साई–12) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है।

अप्रैल 2014 से दिसम्बर, 2014 की अवधि के दौरान, नाडा ने पूरे देश में खिलाड़ियों, युवा एथलीटों, कोचों और सहायक कार्मिकों के लिए देशभर में 23 शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

नाडा के तकनीकी अधिकारी भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के क्षेत्रीय केन्द्रों और अन्य स्थानों (जहां कैम्प लगाए जाते हैं) का नियमित रूप से दौरा कर रहे हैं और एथलीटों को अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, तेलगु, मलयालम और पंजाबी में प्रकाशित डोप नियंत्रण पुस्तिका की मदद से नियमित आधार पर व्याख्यानों/सेमीनारों/कायशालाओं इत्यादि का आयोजन करके खेलों में डोपिंग और डोप पदार्थों के दुश्प्रभावों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं।

एक बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने और लोगों तक पहुंचने के लिए,नाडा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर सीबीएसई स्कूलों और स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा आयोजित खेल आयोजनों के माध्यम से डोप–रोधी उपायों का समन्वय कर रहा है।

ग्रामीण खेल केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) और साई प्रशिक्षण केंद्रों में डोप रोधी जागरूकता संगोश्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । खेल आयोजनों/ प्रशिक्षण शिविरों में ग्रामीण और जूनियर

स्तर के एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शैक्षिक सेमिनार के भाग के रूप में नाडा ने ग्रामीण एथलीटों पर विशेष ध्यान देने हेतु चेन्नई और कोयम्बटूर में खेल स्पर्धाओं के लिए डोप–रोधिता पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

vUrjjk"Vh; lg;kx

- वरिष्ठ परियोजना अधिकारीए नाडा ने 22 जुलाई से 2 अगस्त 2014 तक ग्लासगों स्काटलैंड में आयाजित 20 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विश्व डोप रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों में डोप रोधी जागरूकता और शिक्षा के नए मॉडल पर बल दिया गया ।
- नाडा ने 28 से 29 अक्तूबर 2014 तक नई दिल्ली में नाडा अधिकारियों एवं डोप रोधी अनुशासनिक पैनल/ डोप रोधी अपील पैनल के सदस्यों के लिए रिजल्ट प्रबंधन प्रशिक्षण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया । इस प्रशिक्षण के लिए विश्व डोपरोधी एजेंसी (वाडा) से 4 विषेशज्ञ भारत में आमंत्रित किए गए थे । इस कार्यषाला में राष्ट्रीय खेल परिसंघ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और उन्होंने संशोधित वाडा कोड 2015 के विषय पर चर्चा किया ।

jk"Vªh; Mksi ijh{k.k iz;ksx'kkyk

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत निकाय है। यह प्रयोगशाला आईएसओ/आईईसी 17025 (2003) के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड और मानव खेलों सेमूत्र और खून नमूनों की जांच के लिए विश्व डोप रोधी एजेंसी (सितम्बर, 2008) द्वारा प्रत्यायित है। एनडीटीएल विश्व में 33 वाडा प्रत्यायित प्रयोगशाला में से एक और एशियामें छठी प्रयोगषाला है। एनडीटीएल में अनुसंधान के लिए अति आधुनिक सुविधाएं हैं और विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान करती है । एनडीटीएल नमूनों के विश्लेशणात्मक परीक्षण ों और डोप विश्लेशण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है और इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2008 में पंजीकृत किया गया । इसके दायरेमें परीक्षण के नए तरीकों को शामिल किए जाने से एनडीटीएल ने पहली दस वाडा प्रतियायी प्रयोगशालाओं का दर्जा प्राप्त कर लिया है जो वाडा द्वारा वांछित संपूर्ण परीक्षण प्रोटोकॉल कर रही है ।

2014 ds nkSjku miyfC/k;ka

1- vk"kf/k ijh{k.k

¼d½ :Vhu ueuk ijh{k.k

अप्रैल, 2014 से दिसम्बर 2014 तक परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 5661 (मूत्र) और 52 (रक्त) है । इस अवधि के दौरान परीक्षित कुल 5661 नमूनों से 3071 नमूने राष्ट्रीय निकायों और 2590 नमूने अंतरराष्ट्रीय निकायों से प्राप्त किए गए और इनका परीक्षण किया गया। प्राप्त किए गए और परीक्षण किए गए नमूनों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

	y{;		e=		jä		vuekfur	
	e=	jä	ikIr fd, x, ueus	ijh{k.k fd, x, ueus	ikIr fd, x, ueus	ijh{k.k fd, x, ueus	e=	jä
राष्ट्रीय	4000	300	2898	3071	48	50	1200	150
अंतरराष्ट्रीय	1700		2371	2590	9	2	300	
कुल	5700	300	5269	5661	57	52	1500	150

[k- ioh.krk ueuk ijh{k.k %

रूटीन नमूना परीक्षण के अलावा, एनडीटीएल विभिन्न प्रवीणता परीक्षण दौर में भाग लेता है जिससे डोप नमूनों के परीक्षण में इसकी विश्वसनीयता और अधिक सुनिश्चित होती है। एनडीटीएल निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन स्कीम में भाग लेता है:

Ø-la-	ueus dk idkj	,tsalh		jkmaM@o"kZ ¼ueuk dh la[;k½	,uMhVh,y us bues Hkkxhnkjh dh	vkmVde
1.	मूत्र	वाडा	मूत्र	03 (18)	03 (18)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
			डबल ब्लाइंड	01 (1)	01 (1)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
		डब्ल्यूएएडीएस		03 (27)	03 (27)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
		सीएपी		03 (15)	03 (15)	एनडीटीएल ने सभी मादक पदार्थों की सही पहचान की
2.	रक्त	सीएससीक्यू		12 (2)	12 (24)	सभी राउंड मेंए एनडीटीएल के परिणाम उत्कृष्ट श्रेणी में रखे गए
3.	हॉर्स डोपिंग	मूत्र/रक्त		01 (08)	01 (08)	एनडीटीएल के परिणाम शतप्रतिशत रहे

2014 के लिए प्रवीणता परीक्षण राउंड में प्रदर्शन के आधार पर,एनडीटीएल ने वर्ष 2015 के लिए वाडा का प्रत्यायन प्राप्त किया है ।

2- xq.koÙkk izca/ku iz.kkyh

- vkarfjd ys[kk

एनडीटीएल की कार्यात्मक स्थिति और गुणवत्ता प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से एनएबीएल की 3

के अनुसार नियमित आधार पर कुशल आंतरिक मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की गई ।

- ic/ku iujh{kk leg ¼,evkjth½ cBd

  सचिव (खेल) की अध्यक्षता में एमआरजी की बैठक 15 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य गुणवत्ता प्रणाली की उपयुक्तता और प्रभाविता सुनिश्चित करना और सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तन करना था ।

3- ,uMhVh,y Hkkjr dk oKkfudk }kjk jk"Vh; ,o vrjjk"Vh; lEeyuk@ cBdk e Hkkx yuk

- डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदशक और श्रीमती शोभा दुबे वैज्ञानिक 'बी' ने 32वें ''कोलोगन वर्कशॉप आन डोप एनेलिसिस'' (30 मार्च दृ 4 अप्रैल, 2014) में भाग लिया । एनडीटीएल से 5 अनुसंधान लेख तैयार किए गए और उसे 32 वें कोलोगन वर्कशाप आन डोप एनेलिसिस में प्रस्तुत किया गया था ।
- डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेषक एनडीटीएल ने सीडीईआर, एम्स में 25 अप्रैल, 2014 को औषध विज्ञान विभाग, एम्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''करेंट रेगुलेटरी फ्रेम वर्क इन क्लिनिकल ट्रायल्स'' नामक विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया ।
- डा. शीला जैन और डा. अल्का बियोत्रा ने अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ (एआईएफएफ) द्वारा जेडब्ल्यू मैरियाट एरोसिटी, नई दिल्ली में 26 अप्रैल, 2014 को आयोजित 5वें एएफसी मेडिकल कान्फरेंस के लांचिंग समारोह में भाग लिया ।
- डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक और शोभा दुबे वैज्ञानिक 'बी' एनडीटीएल ने 8–9 मई, 2014 को एबी सिएक्स, सेंटर ऑफ इक्सेलेंसी, डीएचआर होल्डिंग इंडिया प्रा. लि., गुड़गांव, भारत में आयोजित फारेंसिक टाक्सिकोलाजी, टार्गेटेड स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन एण्ड क्वान्टिटेशन आफ ड्रग्स आफ एब्यूज नामक विषय पर कार्यशाला में व्याखान दिया था ।
- डा. शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदेशक, एनडीटीएल और श्रीमती तेजिंदर कौर ने साइंट स्पेस रिसर्च प्रा. लि. द्वारा दिनांक 10 मई, 2014 को होटल लीजेंट इन, नई दिल्ली में आयोजित लेटेस्ट रेगुलेटरी इनवायरमेंट–इम्पावरिंग इथिक्स कमिटी एंड साइट्स नामक विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया ।
- डा. शीला जैन, डा. अलका बियोत्रा और श्रीमती तेजिंदर कौर ने एनएबीएल हाउस, गुड़गांव में नशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंट और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा 9 जून, 2014 को आयोजित विश्व एक्रीडिशन दिवस पर सम्मेलन में भाग लिया । डा. अलका बियोत्रा ने ''आर्गेनाइजिंग एपीटी प्रोग्राम केस स्टडी/ मेथडोलाजी'' पर सम्मेलन में आमंत्रित थी ।
- डा. राजीव सरीन, डीडी एनडीटीएल ने दिनांक 22–23 जून, 2014 को नवोदय विद्यालय, लखनऊ के शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए भारत में डोपरोधी कार्यक्रम पर व्याखान दिया ।
- डा. राजीव सरीन, डीडी एनडीटीएल ने राष्ट्रीय कैम्पर एवं ट्रेनीज के 6 सप्ताह के अभिमुखी कार्यक्रम में गांधी नगर, गुजरात में भारत में डोप रोधी कार्यक्रम पर व्याखान दिया ।
- डा. अलका बियोत्रा, एसडी एनडीटीएल ने दिनांक 14–15 जुलाई को राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) के सहयोग से (फेकल्डी आफ अप्लाइड साइंसेज), मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डोप रोधी संबंधी कार्यषाला में व्याखान दिया।

- डा. शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदेशक, एनडीटीएल ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में 15 जुलाई, 2014 को आयोजित खाद्य पोषक संपूरक संबंधी तकनीकी समिति की बैठक में भाग लिया ।
- डा. शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदेषक और सचिन दुबे वैज्ञानिक 'बी' ने 12–13 अगस्त, 2014 को देहरादून में ओएनजीसी द्वारा आयोजित सक्रिय खिलाड़ियों के लिए डोपिंग और प्रतिबंधित औषधियों पर दो दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया ।
- डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक एनडीटीएल ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा आयोजित भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल परिसंघों में कार्यरत मेडिकल प्रैक्टिषनर और पैरा चिकित्सकों के डाक्टरों के लिए 11–12 अगस्त, 2014 को डोप–रोधी जागरूकता सह–वाडा कोड–2015 के कार्यान्वयन नामक विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और डोप–रोधी अभियान का संचालन किया।
- डा. अलका बियोत्रा, एसडी, एनडीटीएल ने डिपार्टमेंट आफ स्पोर्टस मेडिसिन एवं फिजियोथेरेपी आफ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के संकाय सदस्यों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए 12 सितम्बर, 2014 को आयोजित ''डोप–रोधी जागरूकता कायशाला'' में भाग लिया और संचालन किया ।
- डा. शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदशक ने 03 अक्तूबर से 06 अक्तूबर, 2014 तक फोनिक्स अरिजोना, यूएसए में यूएसएडीस द्वारा आयोजित ''स्टिमुलशन आफ इरिथ्रोपोइसिस एंड 02 यूटिलाइंजेशन'' नामक विषय पर 13वें वार्षिक यूएसएडी संगोष्ठी में भाग लिया।
- डा. अलका बियोत्रा, एसडी, एनडीटीएल ने पूणे, भारत में 28–29 अक्तूबर, 2014 तक कान्फिडेरेशन आफ इंडिया इंडस्ट्री द्वारा आयोजित तीसरे कानक्लेव फार लेबोरेटरीज में राष्ट्रीय वैस्ट एंड एक्सपीरियंस सेयरिंग एबाउट पीटी प्रोग्राम विषय पर 29 अक्तूबर, 2014 को व्याखान दिया ।
- डा. शीला जैन, प्रधान वैज्ञानिक निदशक को आगरा में 20–23 नवम्बर को आयोजित नेपकान 2014 में संकाय सदस्य के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने डोपिंग और रेसपिरेटरी सिस्टम पर व्याखान दिया था ।
- डा. अल्का बियात्रा, एस.डी., एनडीटीएल और श्री सचिन दुवे और श्रीमती शोभा दुबे (वैज्ञानिक'बी') ने खेलों में मादक पदार्थ सेवन जीसी–एमएस एवं एलसी– एमएस के लिए सिंहावलोकन एवं प्रारंभिक परिचय पर एमएससी फोरेंसिक साइंस, एनआईसीएफएस, दिल्ली के एमएससी छात्रों के लिए दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को प्रशिक्षण दिया ।
- डा. अलका बियात्रा ने विभिन्न संस्थानों अर्थात एमिटी विश्वविद्यालय डिग्री समिति, मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की इथिक्स समिति और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन समिति की समितियों के सदस्य के रूप में योगदान दिया है।

4- f’k{kk

1. डोपिंग नियंत्रण पर एनडीटीएल द्वारा निम्नलिखित विषयों पर इश्तिहार तैयार और प्रकाशित किए गए
   - डोपिंग की जानकारी
   - वाडा प्रतिबंधित सूची
   - वाडा संबंधी सूचना
   - चिकित्सीय उपयोग छूट

- एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टिरायडस
- रक्त डोपिंग
- डोपिंग के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- खाद्य पाषक सम्पूरक

2. डा. अलका बियोत्रा को नाडा आईईसी के डोपिंग संबंधी जागरूकता अभियान का संयोजक सदस्य का कार्य सौंपा गया था । समूह की चार बैठकें आयोजित की गई थीं जिसमें देश में डोपिंग संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था और जिसकी रिपोर्ट डीजीए नाडा को प्रस्तुत की गई थी ।

5- vuqla/kku dk;Zdyki

1- ih,pMh iathdj.k वर्ष 2014 के दौरान लैब ने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर अपने कार्य का विस्तार किया है। एनडीटीएल के अनुसंधान फेलो और वैज्ञानिकों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए पंजीकरण कराया है और वे अपनी पीएचडी डा. शीला जैन और डा. अलका बियोत्रा के मार्गदर्शन मे एनडीटीएल से कर रहे हैं ।

2- pkyw vuqla/kku ifj;kstuk,

- डिस्क्रमिनेशन आफ बायोलाजिकल एंड सिंथेटिक ओरिजिन आफ एनाबोलिक स्टिरायड हण्यूमन यूरीनरू कोरिलेशन बिटवीन क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमीटरी एंड आउसोटोय रेसियो मास स्पेक्ट्रोमीटरी।
- एन एनेलिटिकल एप्रोच फार स्क्रीनिंग आफ पर्फोमेंस इनहेंसिग सबस्टेंस फ्राम वैरियस डायटरी सप्लीमेंट एंड टू स्टडी देयर एक्सक्रीषन फ्रोफाइलस यूसिंग क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमीट्रिक टेकनीक ।
- डेवलपमेंट आफ एनेलिटिक टूल्स फार द डिटेक्षन एंड आईडिन्टिफिकेषन आफ परफार्मेंष इनहेंसिंग पेप्टाइडस इन बायोलाजिकल स्पेसिमेल ।
- एन एनेलिटिकल एप्रोज फार द डिटेक्षन आफ कोर्टिकोस्टेखायड इन ह्यूम एंड हार्स बायोजिकल स्पेसिमेन यूजिंग क्रोमेटाग्राफिक एंड मास स्पेक्ट्रोमोट्रिक टेकनीक ।
- टू स्टडी द इफैक्ट आफ वैरियस प्रिपेरेषन आफ टेस्टोस्टरोन आन स्टेरायड प्रोफाइल एंड डेल्टा वैल्यू आफ 13 सी 12 सी आफ टेस्टोस्टेटोन मेटाबोलाइट इन वालंटीयर्स विथ नार्मल/ एबनार्मल टेस्टोस्टिरोन / इपिटेस्टोस्टेरान (टी/ई) रेषियो ।
- इंडियन हर्बल ड्रग्सः आईडेन्टिफिकेषन सबस्टेंस विथ पोटेंषियल आफ डरगोजेनिक एड्स इन स्पोर्टस ।
- करकेक्ट्राइजेषन आफ आइसो इलोक्ट्रिक फोकसिंग (साईईएफ) पैटर्न एवं सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पाली क्री लमाइड जेल इलेक्ट्रोफोकसिंग (एसडीएस–पेज) रिजल्ट आफ इंडियन वायोसिमिल।
- करकेक्ट्राइजेषन आफ फिजियोकेमिकल प्रापर्टीज एंड एनोलिसिस आफ लियोजोम इन हयमन वायोलाजिकल सैंपल्स यूजिंग हाइफिनेटेड एनेलिटिकल टेकनीक ।

3. vkxkeh@ ubZ vuqla/kku ifj;kstuk,a

डोप रोधी विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र विधितता लाने के उद्देश्य से अनुसंधान के निम्नलिखित नए क्षेत्रों की पहचान की गई है।

- रासायनिक संजातन के बाद एलसी एमएस/एमएस पर औषधि दुश्प्रभाव (ड्रग आफ एब्यूज) का पता लगाना।
- एलसी. एमएस/एमएस. का उपयोग करते हुए मानव मूत्र में छोटे पेप्टाइडों का पता लगाना ।

- एलसी एमएस/एमएस का उपयोग करते हुए यूरिनरी पेटलेट्रान का निर्धारण
- मानव रोम में आषधि दुश्प्रभाव का पता लगाना और मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग ।

4. ukMk ifj;kstuk,

इस समय एनडीटीएल में करेक्टरस्टिक्स आफ आईइएफ पैटर्न और एसडीएस– पीएजीई रिजल्ट आफ इंडियन ईपीओ बायोसिमिक्स और डिटेक्षन आफ सिंथेटिक ग्लुकोकोर्टिको स्टेरायड स्टीमलेंड एंड एनाबोलिक स्टेरायड इन इंडियन हर्बल ड्रग्स एंड सप्लिमेंट सप्लिमेंटस नामक षीर्शक की दो अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसकी वित्तीय व्यवस्था नाडा द्वारा की गई है। एनडीटीएल ने ईपीओ बायोसिमिलर पर अपने अनुसंधान के आधार पर वाडा को ईपीओ के संबंध में तकनीकी दस्तावेज का योगदान किया है।

5. vuqla/kku izdk'ku

एनडीटीएल में किए जा रहे अनुसंधान कार्य में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाने वाले अनेक अनुसंधान प्रकाशन नीचे दिए गए हैं ।

varjjk"Vªh; lEesyuksa esa iLrqr fd, x, vuqla/kku ys[k

डा. अलका बियोत्राए वैज्ञानिक निदेशक और श्रीमती शोभा दुबेए वैज्ञानिक ष्बीष ने 32वें कोलांग वर्कशाप आन डोप एनेलिसिस (30 मार्च– 4 अप्रैल 2014 में भाग लिया । एनडीटीएल द्वारा पांच अनुसंधान लेख तैयार किए गए और उन्हें 32वें कोलोग वर्कशाप आन डोप एनेलिसिस में प्रस्तुत किया गया । सम्मेलन में निम्नलिखित लेख प्रस्तुत किए गए थे :

- यूपीएलसी– एमएस दृ एमएस/एमएसए ओकानों एम.ए सातो एम.ए लाल आरए जैन एसए कागेयामा एस द्वारा डार्बेपोएटिन नाल्फा और इसके वायोसिमिक्रेस्पर का डोपिंग नियंत्रण विश्लेशण मौखिक प्रस्तुतिकरण ।
- शोभा ए.ए बियोत्रा ए.ए उपाध्याय ए.ए भारद्वाज ए.ए दुवे एस. जैन एस द्वारा क्लोमिफीन एक्सक्रीषन अध्ययन और इसका रूटीन डोपिंग नियंत्रण नमूनों में असाधारण परिणामों के साथ संबंध पर पोस्टर प्रस्तुतीकरण ।
- जैन एस., निभकर वी., श्रीवास्तव ए., जमाल एच., लाल आर, कौर टी., बियोत्रा ए., शुक्ला एस. द्वारा इफेक्ट आफ माइक्रोबियल डीग्रेडेषन आन स्टेरायड प्रोफाइल एंड आईआर एमएस विश्लेशणः एक मामला अध्ययन, पोस्टर प्रस्तुतीकरण ।
- बियोत्रा ए., जैन एस., कौर टी., श्रीवास्तव ए., बोट्रे एफ, टोरे एक्स डीएल, कोलामोनिसी सी, क्रसियोडी, नानड्रोलोन क्राइटेरिया फार 19– नोराण्डोस्टेरीन आयेटोप रेषियो मास स्पेक्टोमीरिक कन्फर्मेषन विषय पर लेख पोस्टर प्रस्तुतीकरण ।
- अही एस, बियोत्रा ए., कौर टी., उपाध्याय ए., प्रियदर्षी आर., श्रीवास्तव ए., जैन एस., द्वारा वैज्ञानिक विकास और एनडीटीएल में एलसी एमएस/एमएस के परीक्षण संबंधी चुनौतियों पर लेख प्रस्तुतिकरण

izdk'ku

- अही एसए दुबे एसए बियोत्रा एए दुबे एसए कौर टीए जैन एसए द्वारा ष्काम्प्रेहेंसिव स्क्रीनिंग आफ डोपिंगएजेंट आफ विरयस थेरायोटिक कैटेगरीज इन हार्स यूरिन यूजिंग सोलिड फेज एक्सट्रैक्षन फालोड बाई लिक्वडि क्रोमैटोग्राफी. टैंडेम मास स्पेक्ट्रोमीटरीष नामक एनेलेटिकल केमिस्ट्री. एन इण्डयिन जर्नल 14 ;6द्ध 2014ए 219
- शोभा ए.ए बियोत्रा एएउपाध्याय ए., भारद्वाज ए., दुबे एस., जैन एसः द्वारा एक्सक्रीषन स्टडी आफ क्लोमिफीन एंड इट्स कोरीलेषन विथ अनयूजुअल फाईडिंग्स इन रूटीन डोपिंग कंट्रोल

सेम्पल'' नामक लेख इन सचेन्जर डब्ल्यू.थीविस एम., गेयर एच एवं मारेक यू (इडीएस), डोपिंग विश्लेशण (22) में हाल में उन्नति संबंधी लेख ।

- टोरे एक्स, डी.एल, कोलामोनिसी, कुरसियो डी, बियोत्रा एए जैन एसः ए कौर टीएश्रीवास्तवा ए., बोट्रेएफ द्वारा ''नानड्रोलोन क्राइटेरिया फार 19– नोरंड्रोस्टेरोन आइसोटोप रेषियो मास स्पेक्ट्रोमीट्रिक कम्फर्मेषन'' पर लेख इन सचान्जर डब्ल्यू., थीविस एम, गेयर एच. मारीक यू, (शिक्षाविद) डोपिंग विष्लेशण (22) में हाल में तरक्की, कोलन, 2014
- अही एस., बियोत्रा ए., दुबे एस., कौर टी., उपाध्याय ए., प्रियाददशी आर. श्रीवास्तव ए., जैन एस., द्वारा ''वैज्ञानिक विकास और एनडीटीएल में एलसी–एमएस/एमएस संबंधी परीक्षण में चुनौतियां'' इन सचेजर डब्ल्यू, थेविस एम, जियर एच. मारेक यू (शिक्षाविद), डोपिग विश्लेशण में हाल मे उन्नति कोल, 2014
- जैन एस., निककेर वी., श्रीवास्तव ए. जमाल एच, लाल आर., कौर टी., बियोत्रा ए., शुक्ला एस.''इफेक्ट आफ माइक्रोविमल डीग्रेडेषन आन स्टेरायड प्रोफाइल एंड आईआरएमएस विश्लेशण , एक मामला अध्ययन'' इन सचेजर डब्ल्यू, थीविसएम, जेयर एच. मारके यू (ईडीएस) डोपिग विष्लेशण (22) में हाल में उन्नति कोल 2014

VI) tsy bysDVªksQksjfll }kjk ,lMh,l dh fy, vrj iz;ksx’kkyk rqyuk ¼vkbZ,y lh½ esa Hkkxhnkjh

एनडीटीएल ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा आयोजित रीकाम्बनेंट ह्यूमन इरिथ्रोपेटीन (आरएच– इपीओ इंजेक्षन) संबंधी लेबोरेटरीकोलाबोरेटिव स्टडी में भाग लिया । यह केवल गुणात्मक परीक्षण है। प्रस्तुत आंकड़े को 4 विभिन्न पारामीटरों पर विश्लेशित किया गया था । आईएफसी में प्रयोगशाला की समग्र क्षमता को अच्छा ग्रेड दिया गया है।

6. ,uMhVh,y deZpkfj;ksa dk izf’k{k.k

- श्री अभिनव श्रीवास्तव ने जयपुर भारत में थर्मो वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 25–26 सितम्बर, 2014 तक आयोजित जीसी/सी/आईआरएमएस यूजर सम्मेलन में भाग लिया ।
- श्री बी. रंजीत लाल, तकनीकी अधिकारी एनडीटीईल ने दिनांक 24–26 नवम्बर, 2014 तक रायल प्लाजा , कनाट प्लेस, नई दिल्ली में नेशनल एक्रीडिटेषन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कालिब्रेषन प्रयोगषाला (एनएबीएल) द्वारा आयोजित ''रेफेरेंस मैटिरियल प्रोडक्षन'' नामक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
- डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक, एनडीटीएल ने 01–05 दिसम्बर,2014 तक पीटीबी– जर्मनी के सहयोग से नेशनल एक्रीडिटेषन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेषन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा आयोजित ''एसेसर ट्रेनिंग प्रोग्राम फार रेफेरेन्स मैटरियल प्रोसीजर्स'' नामक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

7. f}i{kh; lg;ksx

vUrjjk"Vªh;

- सहयोग का क्षेत्र संस्थानों के बीच स्टॉफ के आदान–प्रदान और शोध परियोजनाओं पर कार्य के माध्यम से टेस्टिंग प्रोटोकॉल को सुधारने और इसे समर्थ बनाने को लच्छति करता है ।
- एनडीटीएल का विश्वमें दो प्रमुख प्रयोगषालाओं के साथ द्विपक्षी सहयोग है जो कि ड्रग कंट्रोल सेंटर किंग्स कॉलेज, लंदन और एंटी डोपिंग लैन, रोम, इटली में हैं।

jk"Vh;

विभिन्न प्रसिद्ध राष्ट्रीय संस्थानों जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एआईआईएमएस), नई दिल्ली, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी(जीएनडीयू), अमृतसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्रिष्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी), बेल्लोर और जीवाजी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एनडीटील का द्विपक्षीय सहयोग स्थापित है ।

सहयोग के क्षेत्र में सहयोगात्मक शोध परियोजनाओं पर कार्य करना शामिल है ।

8. lkroh 'kkldh; fudk; vkj egklHkk dh NBoh cBd

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 5.11.2014 को राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) की सातवें शासी निकाय और छठे महासभा की बैठक आयोजित की गई थी। कार्यसूची की प्रमुख मदों में एक अनुसंधान कार्य की दृष्टि में एनडीटीएल की पुनःसंरचना, मानव डोप परीक्षण ों में सुधार (नई परीक्षण प्रणालियां और ड्रग्स), हार्स डोप परीक्षण सुविधा में सुधार तथा प्रवीणता परीक्षण प्रोवाइडर कार्यक्रम में सुधार शामिल था ।

9. ,uMhVh,y ds fy, oKkfud lykgdkj cksM vkj vuql/kku leh{kk lfefr

- एनडीटीएल, मानव और इक्वनि डोप नमूनों के रूटीन परीक्षण के अतिरिक्त डोपिंग के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है । डोप रोधी अनुसंधान क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एनडीटीएल के एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड को सीईओ, एनडीटीएल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था और इसमें भारत के दस सदस्य और अन्य देशों के 5 सदस्य हैं । एनडीटीएल के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक प्रो एनकेगांगुली की अध्यक्षता में 27 अस्तूबर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। डाण फ्रान्सेस्को बोत्रे को अंतरराष्ट्रीय विशेशज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया था। वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड ने एनडीटीएल की चालू और भावी अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा की थी।
- डोपिंग संबंधी अनुसंधान कार्य को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त प्रभावी रूप से अनुसंध ाान कार्यक्रम की समीक्षा करने और इसके दिशा–निर्देश के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में एक अनुसंधान समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है ।

10. okMk dk;dkjh cksM ds fy, ukeidu

डा. अलका बियोत्रा, वैज्ञानिक निदेशक, एनडीटीएल को डोप रोधी वैज्ञानिक विश्व संघ के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था ।

11. jktLo vtlu

एनडीटीएल ने अप्रैल से दिसम्बर, 2014 तक अंतरराष्ट्रीय परीक्षण से लगभग 2 करोड़ 50 लाख का राजस्व अर्जित किया है।

12. vU; {ks=ks es fofo/khdj.k% mR—"Vrk ikIr djus lc/kh i;kl

एनडीटीएल ने अश्व एवं घुड़सवारी खेलों के क्षेत्र में डोप परीक्षण की सुविधा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है । यह भारत में फोरेंसिक प्रयोगषालाओं के लिए प्रवीणता परीक्षण नमूना उपलब्ध करने वाला एक सक्रिय स्रोत के रूप में उभरा है।

- अश्व डोप परीक्षण सुविधाः एनडीटीएल ने अप्रैले, 2014 में अष्व डोप परीक्षण सुविधा का एनएवीएल प्रत्यायन प्राप्त कर लिया है और इसने हैदराबाद रेस क्लब से प्राप्त अश्व मूत्र और रक्त नमूनों से जुलाई, 2014 से रूटीन परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। एनडीटीएल अन्य

रेस क्लबों के सहयोग से और अधिक नमूने प्राप्त करने वाला है ।

- फोरेंसिक प्रवीणता परीक्षण (एफपीटी): एनडीटीएल ने वर्ष 2012 से फोरंसिक प्रवीणता परीक्षण (एफपीटी) प्रारंभ किया है। प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम एनएबीएल में प्रत्यायन हेतु 14–15 नवम्बरे, 2014 को अंतिम आकलन लेखा–परीक्षा की गई थी । एनडीटीएल के लेखा परीक्षा दल में निम्नलिखित सदस्य नामतः डा. आर. के.मंडले, लीड एसेसरे, डा. अजय प्रकाषे, तकनीकी एसेसर (रासायनिक), श्री के. पी. सुधाकरन करथे, तकनीकी एसेसर (फोरेंसिक) डा. आर.एस.सैनी, एनएबीएले, पर्यवेक्षक शामिल थे। आकलन दल ने एनडीटीएल को फारेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए प्रोफिसिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर के रूप में सिफारिश की है ।

13. खेल विज्ञान और खेल कोचिंग

डा. अलका बियोत्रा को दो विशेश दलों अर्थात खेल विज्ञान संबंधी विषेशज्ञ दल और खेल कोच संबंधी विषेशज्ञ दल के लिए संयोजक सदस्य का कार्य दिया गया था । खेल विज्ञान समिति की पांच बैठकें आयोजित की गई और समिति की रिपोर्ट जुलाई, 2014 को प्रस्तुत की गई थी । तत्पश्चात, ईएफसी टिप्पण प्रस्तुत किया गया था । खेल कोचिंग समिति की चार बैठकें आयोजित की गई और जनवरी,2015 में प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

भावी विजन योजना

1. विस्तृत विजन योजना में किए गए प्रस्ताव के अनुसार मानव डोप परीक्षण में रूटीन और अनुसंधान स्कंध का विस्तार।
2. इक्विन डोप परीक्षण के क्षेत्र यथा मूत्र और रक्त दोनों में रूटीन परीक्षण के लिए रेसिंग क्लबों के साथ सहयोग ।
3. इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एनआईसी के सहयोग से ई–आफिस (प्रशासन) प्रारंभ करना

Hkkjrh; jk"Vªh; [ksy&eSnku la?k

भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान संघ की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसायटी के रूप में फरवरी, 2009 में की गई थी । देश में खुले स्थानों तथा खेल के मैदानों की कमी तथा मौजूदा कुछ मैदानों के अन्य कार्यकलापों में प्रयोग को ध्यान में रखकर खुले स्थानों और खेल मैदानों की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करना आवश्यक समझा गया है । तदनुसार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एनपीएफएआई स्थापित करने की पहल की ।

एनपीएफएआई के अध्यक्ष केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं । लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे एफ.एस. नरीमन, श्री बिशन सिंह बेदी, श्रीमती पी.टी उषा, श्रीमती इंदु पुरी और कमांडर नंदी सिंह तथा अन्य व्यक्ति सोसायटी के संस्थापक सदस्य हैं । एनपीएफएआई को औपचारिक रूप से 26 फरवरी, 2009 को शुरू किया गया ।

,uih,Q,vkbZ ds eq[; mÌs'; bl izdkj gSa %

- खेलों और क्रीडाओं के लिए खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों और अन्य सुविधाओं का संरक्षण, परिरक्षण, संवर्धन, विकास तथा उन्नयन करना ।
- खेल के मैदानों, प्ले ग्राउंडों, खेल पिचों तथा खुले स्थलों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

एनपीएफएआई का मुख्य ध्यान मौजूदा खेल के मैदानों को सुरक्षा और संरक्षण करना तथा खेल के मैदान और खुले स्थानों को उपलब्ध कराने के लिए मानदंड और मानक प्रक्रिया विकसित करने के अलावा नए मैदानों का संवर्धन करने पर है।

एनपीएफएआई को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से जुलाई, 2009 में प्रारम्भिक धनराशि के रूप में 50 लाख रु. प्राप्त हुए ।

एनपीएफएआई के सर्वोच्च निकाय बनने के बाद, सभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर इसी प्रकार की सोसाइटिंया स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो राष्ट्रीय सोसायटी से संबद्ध होगी । इस पहल से जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समावेशन के संदर्भ में खेल के मैदानों, प्लेग्राउंडों और खुले हरित स्थलों से मिलने वाले सामाजिक लाभों की राष्ट्रीय जागरूकता पैदा होने की आशा है । सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राथमिकता आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान एसोसिएशन स्थापित करने का अनुरोध किया गया । एनपीएफएआई की अवधारणा और इसके उद्देश्यों पर 2009 और 2010 में खेल मंत्रियों के सम्मेलनों में विस्तार से विचार–विमर्श किया गया जिनमें सभी राज्यों के खेल मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया कि प्राथमिक आधार पर राज्य स्तरीय खेल मैदान संघों का गठन किया जाएगा। अब तक, 10 राज्यों ने राज्य स्तरीय संघों का गठन किया हैं। ये राज्य हैं :–

(i)हिमाचल प्रदेश (ii) ओडिशा (iii) हरियाणा (iv) आन्ध्र प्रदेश (v) मिजोरम (vi) पष्चिम बंगाल (vii) मणिपुर (viii) राजस्थान (ix) मध्य प्रदेश और (x) कर्नाटक ।

इसके अतिरिक्त केरल और त्रिपुरा ने राज्य स्तरीय संघों के गठन का अनुमोदन कर दिया है ।

12 राज्य संघों में से पांच संघों (क्रम सं. (A) से (V) को एनपीएफएआई से संबद्ध किया गया है। इन पांच राज्य संघों ने संबद्धता से पहले सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं । एनपीएफएआई से संबंध पांच राज्य संघों को शहरी खेल बुनियादी ढ़ाचा स्कीम में से प्रत्येक को 50 लाख रू. की मंजूरी दी गई है और इन्हें पहले अनुदान विवरित किया जा चुका है । यह अनुदान खेल मैदानों प्लेग्राउंडों

इत्यादि के संरक्षण, संवर्धन, परिरक्षण, विकास तथा सुधार के समग्र उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए निधि का सृजन करने के प्रयोजन से है ।

नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने भी खेल मैदान संघ का गठन किया है ।

एनपीएफएआई ने 18 अगस्त, 2009 को यू.के. की नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन (इसका प्रचालनशील नाम 'फील्डस इनट्रस्ट' है) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था । समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्यनीति संबंधी भागीदारी स्थापित करना है जिसमें सहयोगपूर्ण व्यवस्थाएं और पक्षों के बीच सहयोग शामिल है ।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के पश्चात फील्डस इन ट्रस्ट (एफ.आई.टी) के मुख्य कार्यपालक की अगुवाई में दो सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सितम्बर, 2009 को दिल्ली का दौरा किया था । इस दौरे का उद्देश्य, सम्पूर्ण दिल्ली में विभिन्न खेल मैदानों का स्थल दौरा करना था ताकि स्थल मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श खेल के मैदान के रूप में विकसित करने के लिए 2–3 स्थलों की पहचान की जा सके । टीम ने डीडीएए एमसीडीए एनडीएमसीए सिविल सेवाए खेल नियंत्रण बोर्डों और केंद्रीय विद्यालयों जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित शहर के कुछ खेल नियंत्रण बोर्डों और केंद्रीय विद्यालयों का दौरा किया । क्षेत्र की आवश्यकताए स्थान / क्षेत्र की अभिगम्यताए स्थल का आकार, धारणीयता इत्यादि जैसे कारकों के आधार पर प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कुछ स्थलों की सूची तैयार की है ।

इसके बाद एनपीएफएआई ने स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करके कुछ मैदानों की पहचान की है जिन्हें पायलट परियोजना के रूप में आदर्श खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा । इनमें से एनडीएमसी ने 4 स्थानों को आदर्श खेल मैदानों के रूप में पहले ही तैयार कर लिया है।

इसके अलावा, एनपीएफएआई ने न्यूनतम सुविधाओं से युक्त विभिन्न आकार के मूल खेल मैदान विकसित किए हैं जिनमें समतल मैदान, झूलों/स्लाइडों आदि के साथ बाल खेल क्षेत्र, एक या दो खेल विधाओं के लिए खेलकूद सुविधाए शौचालय सुविधा आदि शामिल हैं । खेल के मैदानों के विकास के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इन दिशानिर्देशों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त संशोधन करके सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को परिचालित किया गया ।

कामनवैल्थ लिगेसी योजना के तहत केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, तेरह कॉलेजों और पांच स्कूलों के लिए दो कल्याणकारी संगठनों में खेल / मैदान सुविधाएं विकसित की गई हैं । सृजित सुविधाओं में बास्केट बाल, टेबल टेनिस, शूटिंग रेंज, फिटनेस संेटर के लिए सिंथेटिक कोर्टों का निर्माण शामिल हैं ।

एनपीएफएआई ने एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल मैदानों के विकास हेतु एनडीएमसी को 192.00 लाख रू. मंजूर किए थे । यह परियोजना पूरी की जा चुकी है ।

[ksy vkj 'kkjhfjd f'k{kk Vhek@fo'k"kKk dk vrjjk"Vh; vknku&inku

विदेशों में खेलों की जानकारी और विदेशों में कोचिंग/प्रशिक्षण और विदेशी कोचों/विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय टीमों/विशेषज्ञों को ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने हेतु खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को महत्व दिया गया है ।

श्री हाकूबुन शिमोमुरा, जापानके शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और तकनीकी मंत्री के साथ जापान के राजदूत ने श्री सर्बानंद सोनोवाल, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से 5 अगस्त, 2014 को मुलाकात की । दोनो पक्षों ने युवा कार्यक्रम और खेल के क्षेत्र में आपसी हित के मामलों पर चर्चा की । दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझौतों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्ष युवा कार्यक्रम और खेल क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमत हुए ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके ।

आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 5 सितम्बर, 2014 को खेलों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए । इस समक्षौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ ओलंपिक समितियों, खेल परिसंघों, विश्वविद्यालयों, खेल वैज्ञानिक निकायों के बीच सहयोग के अलावा दोनों देशों के प्राधिकरणों को खेल अवसंरचना निर्माण, खेल सुविधाओं के प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव के आदान–प्रदान का प्रावधान है ।

बोगोटा (कोलंबिया) में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 21 नवम्बर, 2014 को खेलों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इस समक्षौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ ओलंपिक समितियों, खेल परिसंघों, विश्वविद्यालयों, खेल वैज्ञानिक निकायों के बीच सहयोग के अलावा दोनों देशों के प्राधिकरणों को खेल अवसंरचना निर्माण, खेल सुविधाओं के प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव के आदान–प्रदान का प्रावधान है ।

Signing Ceremony
of

2014&15 ds nkSjku [ksy foHkkx dh miyfC/k;ka vkSj igy& ,d utj esa

1. jk"Vªe.My [ksy] 2014] ,f'k;u [ksy] 2014 vkSj iSjk&,f'k;u [ksy] 2014 esa Hkkjrh; f[kykfM+;ksa dk ljkguh; izn'kZu

भारतीय खिलाड़ियों ने 23 जुलाई से 3 अगस्त, 2014 के बीच ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल, 2014ए 19 सितम्बर से 4 अक्टूबर, 2014 के बीच इंचियोन (दक्षिण कोरिया) में आयोजित एशियन खेल, 2014 और 18 से 24 अक्टूबर, 2014 के इंचियोन (दक्षिण कोरिया) में आयोजित पैरा–एशियन खेल में सराहनीय प्रदर्शन किया ।

भारत ने राष्ट्रमंडल खेलए 2014 में 64 पदक (15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य) जीते तथा पदक तालिका में पांचवा स्थान प्राप्त किया । विधा–वार पदक तालिका नीचे दी गई है :

Øe la-	fo/kk	Lo.kZ	jtr	dkaL;	dqy
1.	एथलेटिक्स	1	1	1	3
2.	बैडमिंटन	1	1	2	4
3.	बाक्सिंग	-	4	1	5
4.	जिमनास्टिक्स	-	-	1	1
5.	हाकी(पुरूष)	-	1	-	1
6.	जूडो	-	2	2	4
7.	निशानेबाजी	4	9	4	17
8.	स्क्वैश	1	-	-	1
9.	टेबिल टेनिस	-	1	-	1
10.	भारोत्तोलन (पावरलिफ्टिंग –पैरा–स्पोर्ट सहित)	3	5	6	14
11.	कुश्ती	5	6	2	13
	dqy	15	30	19	64

भारत ने एशियन खेल, 2014 में 57 पदक (11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य) पदक जीते तथा पदक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त किया । विधा–वार पदक तालिका नीचे दी गई है:

Øe la-	fo/kk	Lo.kZ	jtr	dkaL;	dqy
1.	तीरंदाजी	1	1	2	4
2.	एथलेटिक्स	2	4	7	13
3.	बैडमिंटन	-	-	1	1
4.	बाक्सिंग	1	-	4	5
5.	हाकी	1	-	1	2
6.	कबड्डी	2	-	-	2
7.	रोविंग	-	-	3	3
8.	निशानेबाजी	1	1	7	9
9.	स्क्वैश	1	2	1	4
10.	तैराकी	-	-	1	1
11.	टेनिस	1	1	3	5
12.	कुश्ती	1	1	3	5
13.	वुशु	-	-	2	2
14.	याटिंग	-	-	1	1
	dqy	11	10	36	57

भारत ने पैरा–एशियन खेल, 2014 में 33 पदक (3 स्वर्ण, 14 रजत और 16 कांस्य) पदक जीते तथा पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया। विधा–वार पदक तालिका नीचे दी गई है:

Øe l-	fo/kk	Lo.k	jtr	dkL;	dqy
1.	एथलेटिक्स	2	9	6	17
2.	बैडमिंटन	1	4	1	6
3.	जूडो	-	-	2	2
4.	पावरलिफ्टिंग	-	-	1	1
5.	तैराकी	-	1	6	7
	dqy	3	14	16	33

यह इन सब प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए चुने गए खिलाड़ियों और टीमों को देश और विदेश में गहन कोचिंग और प्रशिक्षण के साथ–साथ मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई वैज्ञानिक सहायता और प्रतियोगी प्रदर्शन की वजह से संभव हुआ है ।

राष्ट्रमंडल खेल, 2014, एषियन खेल, 2014 और पैरा–एशियन खेल, 2014 के पदक विजेताओं को युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा सम्मानित किया गया और 22.29 करोड़ मूल्य के नकद पुरस्कारों के चेक दिए गए । प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को 20 लाख रू., रजत पदक विजेता को 10 लाख रू. और कांस्य पदक विजेता को 6 लाख रू. दिए गए ।

2. jk"Vh; [ky fodkl fuf/k Ldhe

खेलकूद के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों को शुरू किया गया है

(I) ,u,lMh,Q VkjxV vkyfid ikfM;e ¼Vhvkih½ Ldhe

एनएसडीएफ टारगेट ओलंपिक पोडियम (टीओपी) स्कीम की शुरूआत 2016 और 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए पदक संभावितों की पहचान और सहायता के लिए की गई है। केंद्रित विधाएं एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बाक्सिंग, कुश्ती, भारोत्तोलन और निशानेबाजी हैं । चयनित एथलीटों को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उनके लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सहायता हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी । खिलाड़ियों के चयन के मानदंड स्कीम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे । चयनित खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वार्षिक/अर्धवार्शिक समीक्षा की जाएगी ।

विशिष्ट खिलाड़ियों और प्रशासकों को समाविष्ट करते हुए दो समितियों नामतः टीओपी स्कीम उत्कृश्ट खिलाड़ी पहचान समिति और टीओपी स्कीम प्रचालन समिति का गठन किया गया है ।
प्रारंभ में राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसटीएफ) स्कीम के प्रचालन के लिए निधि प्रदान करेगा । स्कीम के सफल प्रचालन के लिए कार्पोरेट क्षेत्र के साथ हिस्सेदारी और सहभागिता अपेक्षित है ।

टीओपी स्कीम विशिष्ट खिलाड़ी पहचान समिति ने मानदंडों को निर्धारित करने के बाद और राष्ट्रीय खेल परिसंघों/केंद्रित विधाओं के राष्ट्रीय कोचों के साथ विस्तृत विचार.विमर्श के बाद इस स्कीम के अंतर्गत 75 एथलीटों को सहायता हेतु चयनित किया है । चयनित खिलाड़ियों को सहायता के कार्यक्रम को

लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

(II) ,u,lMh,Q /ku iqjLdkj VwukZesaV lfdZV

एनएसडीएफ धन पुरस्कार टूर्नामेंट सर्किट का उद्देश्य प्रतिस्पर्धाओं में उन्नत योग्यता और प्रदर्शन को बढ़ाना, खेल को बढ़ाना और बेंच क्षमता को बढ़ाना, खिलाड़ियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित करना और इसके साथ संबंधित विधाओं में युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उनके प्रदर्शन का अवलोकन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है । धन पुरस्कार टूर्नामेंट सर्किट द्वारा प्रारंभ में 3 खेल विधाओं नामतः मुक्केबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी में आयोजित कराने का निर्णय किया गया है ।

इस प्रतिस्पर्धा में पुरूष और महिलाएं जूनियर और सीनियर स्तर पर विभिन्न श्रेणियां में भाग ले सकते हैं । प्रत्येक विधा में श्रेणियां राष्ट्रमंडल खेल, एशियन खेल और ओलंपिक के लिए स्वीकृत श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी । मुख्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन के साथ.साथ वरीयता क्रम सामान्यतः प्रतिभागियों के चयन का मानदंड होगा ।

प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन के लिए सामान्य दिशानिर्देशों को जारी किया गया, इस उद्देश्य के लिए आयोजन समितियों का गठन किया गया । प्रारंभ में, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) स्कीम के प्रचालन के लिए निधि मुहैया कराएगी । स्कीम के सफल प्रचालन के लिए कार्पोरेट क्षेत्र के साथ हिस्सेदारी और सहभागिता अपेक्षित है ।

3. [kqjkd vkSj Hkkstu laiwjd [kpkZ esa o`f) }kjk fof'k"V f[kykfM+;ksa dks fy, iqf'k{k.k lgk;rk

राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल, 2014 के लिए तैयारी कर रहे राष्ट्रीय शिविरवासियों को खुराक और भोजन संपूरकों के लिए निम्नानुसार वृद्धि का अनुमोदन किया गया।

भोजन / खुराक खर्च रू 450 रू. प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी से 650 रूण प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी ।
भोजन संपूरक खर्च : एथलेटिक्स (थ्रू इवेंट्स),

Felicitation of medal winners of Asian Para Games 2014

मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और कुश्ती की विधाओं में 280 रू. प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी से 750 रू. प्रति खिलाड़ी तक ।

4. f[kykfM;k dk nfud HkŸk e c<kŸkjh

राष्ट्रमंडल खेल 2014, एशियाई खेल 2014 और पैरा एशियाई खेल 2014 के लिए खिलाड़ियों के आउट आफ पाकेट भत्ते को प्रतिदिन 25 अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 50 अमेरिकी डालर कर दिया गया ।

5. jk"Vh; [ky ifjl?kk ¼,u,l,Q½ dk lgk;rk dh Ldhe d vrxr dk;i.kkyh dk ljy cukuk

विदेशों में प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता को (ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल को छोड़कर) हटा दिया गया । फिर भी, निधियन के उद्देश्य के लिए सरकार को संदर्भित प्रस्ताव के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है और मंत्रालय को विशेष मामलों में टीमों / खिलाड़ियों को अनुमति न देने के अधिकार है ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों / अधिकारियों के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है । राष्ट्रीय खेल परिसंघों को यह अधिकार दिया गया है कि स्वयं टिकटें बुक करा सकते हैं जिसके लिए साई द्वारा अग्रिम धनराशि जारी की जाएगी ।

6. jk"Vh; [ky ifjl?kk e l'kklu vkj ikjnf'krk

कैग को 10 करोड़ या इससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल परिसंघों की विशेष लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ।

विदेशों में आयोजित स्पर्धाओं के लिए आईओए / राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों की संख्या के लिए सीमा निर्धारित की गई है ।

आईओए और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों के संबंध में सूचना स्वेच्छा से देने के लिए कहा गया है ।

7. tfu;j [ky vdknfe;k ¼t,l,½ vkj jk"Vh; [ky vdknfe;k ¼,u,l,½ dh LFkkiuk

मुख्य खेलों के लिए देश के विभिन्न भागों में प्रमुख खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल अकादमियां स्थापित करने तथा जूनियर और सब–जूनियर स्तर की अकादमियों की स्थापना के लिए वित्त मंत्री के 2014–15 के बजट भाषण में की गई घोषणा के कार्यान्वयन हेतु खेल विभाग जूनियर खेल अकादमियों और राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार कर रहा है ।

iLrkfor vdknfe;k dh e[; fo'k"krk, fuEukulkj g %

जूनियर खेल अकादमियां

- अभिज्ञात प्राथमिकता खेल विधाओं में सब–जूनियर और जूनियर स्तर पर अभिज्ञात खेल प्रतिभाओं के लिए उच्च गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना ।
- विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक संगठित और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उपलब्ध कराना ।
- राष्ट्रीय खेल अकादमियों (उच्च प्रदर्शन केंद्रों/उत्कृष्टता केंद्रों) तथा राष्ट्रीय शिविरों के लिए प्रतिभा पहचान हेतु एक पूल तैयार करने के लिए अभिज्ञात खेल विधाओं में प्रतिवर्ष न्यूनतम बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना ।

राष्ट्रीय खेल अकादमियां (एनएसए)

- किसी भी खेल विधा में प्रति एक स्पर्धा में न्यूनतम 10 खिलाड़ियों की दर से 100–150 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की न्यूनतम बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना ।

- संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों / अंतरराष्ट्रीय खेल परिसंघों के सहयोग / संबद्धता से विभिन्न स्तरों के विशिष्ट खेल विधाओं में खेल कोचिंग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के कौशल विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना ।
- विशिष्ट अभिज्ञात खेल विधाओं में प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के लिए आदर्श खिलाड़ियों / उपलब्धियां पाने वालों की सेवाओं का उपयोग ।
- देश में विशिष्ट अभिज्ञात खेल विधाओं में क्लब / लीग खेल संस्कृति का विकास करना।

इस संबंध में रोडमैप निम्नानुसार है :

- देश में 10–15 स्थानों पर एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स और तैराकी में जेएसए स्थापित की जाएंगी जिनमें 1–3 कक्षा में पढ़ने वाले 8 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 1000 – 1500 खिलाड़ी प्रतिवर्ष भाग लेंगे । प्रत्येक स्थान पर 100 – 110 खिलाड़ी होंगे ।
- अन्य खेल विधाओं में 3–7 स्थानों पर जेएसए स्थापित की जाएंगी जिनमें कक्षा में पढ़ने वाले 11 – 12 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 400 – 720 खिलाड़ी प्रतिवर्ष भाग लेंगे ।
- इन अकादमियों में भर्ती एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज कार्यविधि के माध्यम से की जाएगी जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम में स्कूल, ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर परिक्षाएं होंगी ।
- विभिन्न खेल विधाओं के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार कठोर वार्षिक परीक्षण के माध्यम से भर्ती खिलाड़ियों की संख्या में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी ।
- खेल विधा के आधार पर जेएसए में दूसरा / तीसरा वर्ष पूरा होने पर वार्षिक चयन शुरू किया जाएगा । उसी समय एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त खिलाड़ियों के समान्तर भर्ती से कमी को पूरा किया जाएगा ।
- प्रति जेएसए से खिलाड़ियों की कुल संख्या 7 वर्ष की अवधि में लगभग 700 होगी ।
- इसके अतिरिक्त लगभग 100 इलीट खिलाड़ियों जिन्होंने राज्य स्तर पर पदक जीते हैं परन्तु एनएसए / राष्ट्रीय शिविरों में भाग नहीं ले सके, को प्रत्येक जेएसए में 1–3 महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की अपेक्षा है ।
- एक जेएसए की स्थापना और संचालन की कुल लागत प्रतिवर्ष लगभग 70.00 करोड़ रू. (अनावर्ती) और 18.50 करोड़ रू. प्रतिवर्ष आवर्ती होगी ।
- एक एनएसए की स्थापना और संचालन की कुल लागत प्रतिवर्ष लगभग 70.00 करोड़ रू. (अनावर्ती) और 18.50 करोड़ रू. प्रतिवर्ष आवर्ती होगी ।

8. ef.kij e jk"Vh; [ky fo'ofo|ky;

वित्त मंत्री ने 2014–15 के अपने बजट भाषण में मणिपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की तथा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की स्थापना के लिए 2014–15 के बजट में 100 करोड़ रू. का बजट प्रावधान किया गया ।

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है ।

9. [ky foKku vkj [ky vk"kf/k dk lo/ku

भारतीय खिलाड़ियों की सहायता के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि के क्षेत्र में कार्यबल को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से एक ईएफसी मसौदा नोट मौजूदा संस्थाओं में खेल विज्ञान और खेल औषधि की सुविधाओं को स्थापित करने पर अंतर.मंत्रालयीन विचार.विमर्श की टिप्पणियां जानने के लिए परिचालित किया गया ।

10. jk"Vh; [ky ifrHkk [kkt Ldhe ¼,u,lVh,l,l½

एक नई स्कीम राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम को तैयार किया जा रहा है । 2014–15 के बजट में एनएसटीएसएस के लिए 50 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया ।

iLrkfor Ldhe d e[; fcUn bl idkj g %

- खेल प्रतिभा की पहचान संपूर्ण देश के स्कूलों में 8.12 आयु वर्ग के बच्चों (लड़के और लड़कियां दोनों) पर प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक चयन स्तर पर 6 परीक्षणों के संचालन द्वारा ।

- ब्लाक स्तर परीक्षणों के लिए प्रत्येक स्कूल से कुल उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 4 लड़के और 4 लड़कियों का चयन किया जाएगा ।

- जिला स्तर परीक्षणों के लिए ब्लाक स्तर परीक्षणों में कुल उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 16 लड़के और 16 लड़कियों का चयन किया जाएगा ।

- प्रत्येक ब्लाक के इन 32 छात्रों द्वारा जिला स्तर के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों को एकत्रित किया जाएगा और एक सामान्य योग्यता सूची तैयार की जाएगी ।

- इस संयुक्त योग्यता सूची में से, प्रत्येक राज्य के विभिन्न जिलों से कुल उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 1000 लड़के और 1000 लड़कियों का चयन किया जाएगा ।

- राज्य खेल स्कूलों / केंद्रीय खेल स्कूलों / जूनियर खेल अकादमियों / राज्य खेल अकादमियों / राज्य खेल छात्रावासों इत्यादि में प्रवेश और अन्य विभिन्न राज्य खेल स्कीमों के अंतर्गत लाभ खेल प्रतिभा संपन्न / संभावित और एनएसटीएसएस द्वारा पहचाने लड़के और लड़कियों की इस सूची पर आधारित होंगे ।

- इसके अतिरिक्त, आरजीकेए ग्रामीण प्रतियोगिताओं में 8–12 आयु वर्ग के उच्च प्रदर्षन वाले उम्मीदवार उपर्युक्त उल्लिखित राज्य खेल स्कूलों इत्यादि में प्रवेश पाने के योग्य होंगे ।

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 24.11.2014 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की और प्रस्ताव की अनुसंशा की ।

11. tEe&d'ehj dh [ky volajpuk d fldkl d fy, fo'k"k idt

वित्त मंत्री ने 2014.15 के अपने बजट भाषण में जम्मू और कश्मीर घाटी में अंतरराष्ट्रीय स्तरों के इंडोर और आउटडोर खेल स्टेडियमों के उन्नयन के लिए 200 करोड़ रू. की धनराशि का प्रावधान किया । इस बजट घोषणा को लागू करने के लिए, खेल विभाग जम्मू–कश्मीर के खेल विभाग के विचार–विमर्श से कार्य कर रहा है ।

जम्मू–कश्मीर राज्य में खेल अवसंरचना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विकसित करने का निश्चय किया गया है :

- श्रीनगर और जम्मू में मौजूदा स्टेडियमों में अत्याधुनिक और हाईटेक सुविधाओं का सृजन ।

- प्रत्येक खेल परिसर की अधिकतम प्रचालनात्मक सामर्थ्य ।

- निर्माण कार्यक्रमों की चरणबद्धता ।
- दर्शकों, गणमान्य व्यक्तियों और खिलाड़ियों की गतिविधि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन ।
- खेल परिसर शहर के प्रतीक और गौरव के रूप में ।

जम्मू–कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित बिन्दुओं सहित 200 करोड़ रू. का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

- श्रीनगर और जम्मू प्रत्येक में 70 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से मौजूदा सभी स्टेडियमों का पुनर्निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ आरसीसी फ्रेम संरचना के आधार पर, टेन लेन एथलेटिक ट्रेक, 500 लोगों के लिए खेल छात्रावास ।
- श्रीनगर और जम्मू में इंडोर स्टेडियम का उन्नयन ।
- 2 करोड़ की लागत से मानसबल, श्रीनगर में जल खेल केंद्र का निर्माण ।
- राज्य में 8 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 4 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से बहुउद्देश्यीय इंडोर खेल हालों का निर्माण ।
- इस प्रस्ताव में 200 करोड़ रू. की कुल लागत के साथ श्रीनगर और जम्मू क्षेत्र प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रू. का अनुमानित व्यय शामिल है ।

12. fgeky;h {ks= esa okf"kZd [ksy dk;ZØe

वित्त मंत्री ने 2014.15 के अपने बजट भाषण में कहा कि "हिमालय क्षेत्र के देशों और राज्यों जो इस क्षेत्र का भाग हैं, में 'विलक्षण खेल परंपराओं का विकास हुआ है । इनको बढ़ावा देने के लिए भारत इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक आयोजन शुरू करेगा तथा भारतीय राज्यों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों को भी इनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।"
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय उक्त घोषणा को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है । इस संबंध में संबंधित राज्यों के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के सचिवों तथा नेपाल और भूटान के दूतावासों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी काउंसलरों को इस अनुरोध के साथ पत्र भेजे गए कि वे उन परंपरागत खेलों, जो उनके राज्यों / देशों में लोकप्रिय हैं तथा जिन्हें जनता द्वारा खेला जाता है और जिन्हें प्रस्तावित खेल आयोजन में शामिल किया जा सकता है, के नाम भिजवाएं ।

हिमालयन क्षेत्र में खेल आयोजन के लिए खेलों पर चर्चा करने, खेल आयोजन की संरचनाए कार्यप्रणालियों, स्थानों आदि पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में 14.11.2014 को हिमालयन क्षेत्र में नेपाल के दूतावास और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया । उनके विचार जानने के लिए उक्त बैठक में संकल्पना दस्तावेज का एक प्रारूप प्रचालित किया गया । प्रत्येक देश / राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतियोगिता फार्मेट में कम से कम दो खेल विधाओं में भाग लें और प्रदर्शन के लिए दो दशज खेलों और मार्शल आर्ट का चयन करें । प्रतिभागियों से यह अनुरोध किया गया कि वे खेल विधाओं जिनमें वे प्रतियोगिता फार्मेट में भाग लेंगे, के नामों और कम से कम दो पारंपरिक खेलों, जिनमें वे प्रदर्शन फार्मेट में प्रस्तुती देंगे, के नामों की सूचना दें ।

प्रतिनिधियों ने प्रतियोगिता के लिए खेल विधाओं के विवरण तथा प्रदर्शन के लिए परंपरागत खेलों के नाम उपलब्ध करा दिए हैं ।

यह प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष मार्च में आयोजित की जाने की संभावना है ।

13. jk"Vªh; rSjkdh vdkneh

भाखेप्रा राष्ट्रीय तैराकी अकादमी का उद्घाटन 14.05.2014 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया । 12.08.2014 को आस्ट्रेलियन खेल अकादमी (एएसए), वीईटीईए के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया । यह समझौता ज्ञापन कोचोंए जीवन संरक्षकों, प्रशासकों और तकनीकी अधकारियों के कौशल में वृद्धि के लिए किया गया है । लर्नर पूल तथा स्क्वैश कोर्ट की आधारशिला 12.8.2014 को रखी गई । खेल विज्ञान / खेल औषधि द्वारा समर्थित निर्धारित मानदंड के अनुसार संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय चयन किया गया । तैराकी खेल विधा में वार्षिक आओ और खेलो स्कीम प्रतियोगिता का आयोजन 28 सितम्बर, 2014 को सफलतापूर्वक किया गया ।

14. jk"Vªh; lkbfdfyax vdkneh

इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय साइकिलिंग अकादमी ने कार्य करना षुरू कर दिया है । यूसीआई (अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग परिसंघ) साई राष्ट्रीय अकादमी को एषिया के लिए अपना सैटेलाइट प्रशिक्षण केंद्र घोशित करने पर सहमत हो गया है ।

15. jk"Vªh; ,FkysfVDl vdkneh

साई की राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी (स्प्रिंट्स एवं जम्प) का उद्घाटन 22 सितम्बर, 2014 को

तिरूवनन्तपुरम में राज्य मंत्रीए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया ।

16. vU; jk"Vh; vdknfe;k %

अकादमियां स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन्हें कार्यरूप देने के लिए पहले से ही कार्य शुरू कर दिया गया है :

- भोपाल में राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी (दौड़ के लिए मिडिल और लांग डिस्टेंस)
- रोहतक में राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी (थ्रो)
- कोच्चि में वालीबाल राष्ट्रीय अकादमी
- कालीकट और कोलकाता में राष्ट्रीय फुटबाल अकादमी
- सोनीपत में राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी
- रोहतक में राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी
- डॉ. केएसएसआर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी अकादमी

17. jk"Vh; xkYQ vdkneh %

राष्ट्रीय गोल्फ अकादमी का उद्घाटन 22 सितम्बर, 2014 को तिरूवनन्तपुरम में माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा किया गया । भारत में यह इस तरह की पहली अकादमी है ।

18. lkbl dæk e volajpuk ifj;ktukvk dk lekiu %

निम्नलिखित अवसंरचना परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं :

- गांधी नगर, गुजरात में 100 बिस्तर वाला हास्टल (7.05 करोड़ रू.), आधुनिक फिटनेस केंद्र (1.27 करोड़ रू.) तथा खेल विज्ञान केंद्र (1.00 करोड़ रू.) ।
- मणिपुर में 100 बिस्तर वाला हास्टल (4.52 करोड़ रू.) और फिटनेस केंद्र (2.11 करोड़ रू.) ।
- अलेपी में आधुनिक फिटनेस केंद्र (2.7 करोड़ रू.) तथा लड़कियों के लिए हास्टल (6.00 करोड़ रू.) की आधारशि ला रखना ।
- ओडिसा में हास्टल (6.81 करोड़ रू.) ।

खेल विभाग के लिए परिणाम

रूपरेखा दस्तावेज
(आर एफ डी)

(2014–2015)

खेल विभाग के लिए परिणाम–रूपरेखा दस्तावेज (आर एफ डी)–(2014–2015)

[kaM 1

fotu] fe'ku] mÌs'; ,oa dk;Z

fotu

सशक्त खेल संस्कृति सहित एक शारीरिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण हेतु खेल और खेल राष्ट्रों के बीच अग्रणी देश

fe'ku

(1) 'सभी के लिए खेल' पर ध्यान देते हुए भारत में खेलों के विकास हेतु रूपरेखा प्रदान करना । (2) भारत के युवाओं के बीच खेल प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण करके खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना और ऐसी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विकसित करना। (3) महिलाओं, निःशक्तजनों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए खेलों में सबकी सहभागिता को बढ़ावा। (4) स्वायत्त खेल निकायों की कार्यप्रणाली में सुशासन प्रक्रिया हेतु उपाय निर्धारित करना । (5) डोपरोधी उपायों, आयु संबंधी धोखाधड़ी और खेलों में महिलाओं का यौन शोषण रोकने संबंधी उपायों के माध्यम से खेलों में उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करना । (6) खिलाड़ियों के कल्याण का संवर्धन ।

mÌs';

1. ब्लाक स्तर पर खेल अवसंरचना और उपस्कर उपलब्ध करा कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को विस्तृत आधार देना ।
2. अन्य मंत्रालयों के साथ समाभिरूपता और राज्य सरकारों की सहभागिता से ग्रामीण और षहरी क्षेत्रों में 'सभी के लिए खेल' उपलब्ध कराना ।
3. स्वायत्त खेल निकायों में पारदर्शिता एवं लोक उत्तरदायित्व बढ़ाना ।
4. प्रतिभा के आधार को बढ़ाना, विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण और अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहभागिता से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन ।
5. खेल विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का एकीकरण ।
6. खेलों में डोप रोधी उपायों पर विशेष ध्यान और अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक ।

dk;l

1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना और सुविधाओं का विकासए संरक्षण, सुरक्षा एवं संवर्धन
2. महिलाओं की भागीदारी सहित ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी खेल अवसंरचना के सृजन के माध्यम से खेलों में जन सहभागिता बढ़ाना
3. प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की गुणवत्ता एवं संख्या में बढ़ोत्तरी
4. हॉकी टर्फ, एथलेटिक ट्रैक एवं बहुउद्देशीय हॉल, खिलाड़ी अकादमियों को सहायता देकर एवं कोचिंग/प्रशिक्षण में सुधार करके शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का सृजन
5. विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए कोचिंग शिविर आयोजित करके, विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके और आधुनिकतम वैज्ञानिक सहायता का विकास करके राष्ट्रीय टीमों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयार करना
6. खेल विज्ञान और औषधि हेतु एक संस्थान स्थापित करना
7. निर्धारित अंतरराष्ट्रीय सतर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में वृद्धि करना
8. नकद पुरस्कार सहित पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना
9. डोप रोधी उपायों एवं डोप जांच को सुदृढ़ करना
10. विशेष पूर्वोत्तर खेलों, इस क्षेत्र में खेल अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार एवं खिलाड़ियों को खेल कोचिंग एवं सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों का संवर्धन
11. स्वायत्त खेल निकायों में पारदर्शिता, सुशासन एवं लोक उत्तरदायित्व बढ़ाना।

[kM 2

e[; mÌs';k] lQyrk lpdk vkj y{;k dk chp ijLij ikFkfedrk,

mÌs';	egRo	dkjokbZ	lQyrk lpd	bdkbZ	egRo	y{; @ ekin.M eY;				
						mR—"V	cgr vPNk	vPNk	vkSl r	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] ब्लाक स्तर पर खेल अवसंरचना और उपस्कर उपलब्ध करा कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को विस्तृत आधार देना	5.00	[1.1] आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में इंडोर और आउटडोर खेल परिसरों का विकास करना	[1.1.1] आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में बनाए गए इंडोर और आउटडोर खेल परिसर	संख्या	5.00	50	45	40	35	30
[2] अन्य मंत्रालयों के साथ समाभिरूपता और राज्य सरकारों की सहभागिता से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल उपलब्ध कराना	25.00	[2.1] आरजीकेए के अंतर्गत ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित करना	[2.1.1] आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण खेलों में भागीदारी	संख्या (लाख में)	3.00	32	30	28	26	24
			[2.1.2] आरजीकेए के तहत प्रतियोगिओं में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी	संख्या	1.00	15000	13500	12000	10500	9000
		[2.2] खेल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	[2.2.1] प्रशिक्षित मास्टर खेल प्रशिक्षक	संख्या	2.00	160	150	135	120	100
		[2.3] यूएसआईएस के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाएं आरंभ करना (एथलेटिक ट्रैक/हाकी टर्फ और बहुउद्देशीय हाल आदि)	[2.3.1] वह तारीख जब तक 2 परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी	तारीख	2.50	30/11/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		[2.4] खेलों में महिला सहभागिता को प्रोत्साहन	[2.4.1] साई केंद्रों में प्रशिक्षित आवासीय और गैर आवासीय महिला खिलाड़ियों की संख्या	संख्या	2.00	6500	6000	5500	5000	4500
			[2.4.2] राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षु	संख्या	2.00	1300	1200	1100	1000	900

e[; mÌ'';ksa] lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa ds chp ijLij ikFkfedrk,a

mÌ';s	egRo	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{; @ ekin.M eY;				
						mR—"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
			[2.4.3] आरजीकेए के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या	2.00	410000	400000	350000	300000	250000
		[2.5] निःशक्तजनों में खेल–कूद का संवर्धन	[2.5.1] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी	संख्या	1.00	40000	35000	30000	25000	20000
			[2.5.2] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित समुदाय कोच	संख्या	1.00	28000	25000	22000	20000	18000
			[2.5.3] पीसीआईए एसओबी और एआईएससीडी से कैम्प प्रशिक्षुओं की सहभागिता	संख्या	1.00	500	450	400	350	300
		[2.6] पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल–कूद का संवर्धन	[2.6.1] वह तारीख जब तक यूएसआईएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 2 खेल अवसंरचना परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी	तारीख	1.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
			[2.6.2] साई केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तर राज्यों के आवासीय और गैर–आवासीय खिलाड़ी	संख्या	2.00	4000	3500	3200	3000	2800

[k.M 2

eq[; mís';ksa] lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa ds chp ijLij izkFkfedrk,a

mís';	egRo	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{; @ ekin.M eY;				
						mRd"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
			[2.6.3] आरजीकेए के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी	संख्या	1.50	15000	13500	12000	10500	9000
		[2.7] भारतीय राज्य यथा जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों तथा नेपाल व भूटान देशों के हिमालय क्षेत्र में वार्षिक खेल स्पर्धाएं आयोजित करना	[2.7.1] हिमालय क्षेत्र में खेल स्पर्धाओं के आयोजन के लिए स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	2.00	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	28/03/2015	31/03/2015
		[2.8] खेल अकादमियों और राष्ट्रीय खेल अकादमियों में वृद्धि	[2.8.1] जम्मू–कश्मीर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	1.00	28/02/2015	15/03/2015	20/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
[3] स्वायत खेल निकायों में पारदर्शिता और लोक उत्तरदायित्व बढ़ाना	5.00	[3.1] खेलों में धोखाधड़ी रोकने संबंधी विधेयकए 2014 का अधिनियमन	[3.1.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	31/08/2014	30/09/2014	31/10/2014	31/12/2014	31/03/2015
		[3.2] राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2014 का अधिनियमन	[3.2.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	31/10/2014	30/11/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		[3.3] संशोधित फार्मेट के अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों का मूल्यांकन	[3.3.1] राष्ट्रीय खेल परिसंघ जिनका मूल्यांकन किया गया	संख्या	1.00	30	25	20	15	10

[kM 2

e[; mÌ';k] lQyrk lpdk vkj y{;k d chp ijLij ikFkfedrk,

mÌ';	egRo	dkjokb	lQyrk lpd	bdkb	egRo	y{; @ ekin.M eY;				
						mR—"V	cgr vPNk	vPNk	vkl r	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
[4] प्रतिभा के आधार को बढ़ानाए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण और अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहभागिता से विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	25.00	[4.1] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण	[4.1.1] प्रशिक्षित आवासीय और गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	3.00	23000	22000	20000	19000	18000
		[4.2] अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों	[4.2.1] शिविर प्रशिक्षु	संख्या	2.50	5000	4500	4000	3500	3000
		[4.3] विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण देना और अत्याधुनिक वैज्ञानिक सहायता विकसित करना	[4.3.1] उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्हें विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण दिया गया	संख्या	2.50	35	30	25	20	15
			[4.3.2] एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुदान	संख्या	2.00	5	4	3	2	1
		[4.4] राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान (एनआईएसएसएसएम) की स्थापना	[4.4.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	30/09/2014	31/12/2014	15/02/2015	28/02/2015	31/03/2015
		[4.5] निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में वृद्धि करना	[4.5.1] एनआईएस पटियाला द्वारा खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रदान किए गए कोचों की संख्या	संख्या	2.00	600	550	500	450	400

खंड 2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
			[4.5.2] पटियाला में राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	1.00	30/09/2014	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	31/03/2015
		[4.6] ओलंपिक खेलों के लिए 2020 तक एनएसडीएफ से सहायता हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन	[4.6.1] नामों को अंतिम रूप देना	तारीख	1.00	31/12/2014	31/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	31/03/2015
		[4.7] एचआरडीएस स्कीम से सहायता	[4.7.1] प्रदान की गई अध्येतावृत्ति	संख्या	1.00	6	5	4	3	2
		[4.8] 'कम्यूनिटी कनैक्ट' का विस्तार	[4.8.1] साई और अन्य केंद्रों में कम्यूनिटी कनैक्ट का प्रावधान करना	संख्या	1.00	12	10	8	6	4
		[4.9] साई कोचों का मूल्यांकन	[4.9.1] कोच जिनका मूल्यांकन किया गया	संख्या	1.00	120	100	90	80	70
		[4.10] साई द्वारा खेल अकादमियों की स्थापना	[4.10.1] स्थापित की गई खेल अकादमियों	तारीख	2.00	31/12/2014	31/01/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		[4.11] एनआईएस के लिए संषोधित स्कीम का प्रतिपादन	[4.11.1] अनुमोदन प्राप्त करना	तारीख	1.00	31/01/2015	14/02/2015	28/02/2015	15/03/2015	31/03/2015
		[4.12] खेल अकादमियों और राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना	[4.12.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	15/03/2015	20/03/2015	23/03/2015	25/03/2015	31/03/2015
		[4.13] युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम का आरंभ	[4.13.1] राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	2.00	31/01/2015	15/02/2015	01/03/2015	15/03/2015	31/03/2015

[kM 2

eq[; mís';ksa lQyrk lwpdksa vkSj y{;ksa dh chp ijLij ikFkfedrk,a

mís';	egRo	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{; @ ekin.M ewY;				
						mRd`"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSlr	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
[5] खेल विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का एकीकरण	5.00	[5.1] शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण	[5.1.1] पुनः प्रशिक्षित किए गए शारीरिक शिक्षा अध्यापक	संख्या	3.00	140	135	130	125	120
		[5.2] मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना	[5.2.1] ईएफसी ज्ञापन प्रस्तुत करना	तारीख	2.00	31/12/2014	31/01/2015	15/02/2015	28/02/2015	31/03/2015
[6] खेल में डोपरोधी उपायों पर विशेष ध्यान और अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक	20.00	[6.1] नमूनों का संग्रह	[6.1.1] स्थानीय मूत्र नमूने	संख्या	4.00	4400	4200	4000	3800	3500
			[6.1.2] स्थानीय रक्त नमूने	संख्या	2.00	300	250	200	150	100
		[6.2] डोप परीक्षण करना	[6.2.1] जांचे गए मूत्र नमूने	संख्या	4.00	5700	5500	5300	5100	4500
			[6.2.2] जांचे गए रक्त नमूने	संख्या	2.00	300	250	200	150	100
			[6.2.3] घोड़ो के जांचे गए डोप नमूने	संख्या	2.00	500	400	300	200	100
		[6.3] डोप रोधी जागरूकता कार्यक्रम	[6.3.1] कोचों और खिलाड़ियों के लिए सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	4.00	55	50	45	40	35
		[6.4] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्रों का प्रकाशन	[6.4.1] प्रकाशित शोध पत्र	संख्या	2.00	5	4	3	2	1
* आरएफडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	3.00	आरएफडी मसौदा 2015–16 को समय पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	2.0	05/03/2015	06/03/2015	09/03/2015	10/03/2015	11/03/2015

[kM 2

eq[; mís';ksa] lQyrk lwpdk vkSj y{;ksa dk chp ijLij ikFkfedrk,¡

mís';	egRo	dkjokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	egRo	y{; @ ekin.M eY;				
						mRd"V	cgqr vPNk	vPNk	vkSl r	[kjkc
						100%	90%	80%	70%	60%
		2013–14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	1.0	01/05/2014	02/05/2014	03/05/2014	06/05/2014	07/05/2014
* मंत्रालय/विभाग की पारदर्शिता/ सेवा निष्पादन में सुधार	3.00	नागरिक/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी)के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से रेटिंग	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) तंत्र के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
* प्रशासनिक सुधार	8.00	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	2.0	01/11/2014	02/11/2014	03/11/2014	04/11/2014	05/11/2014
		भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (एमएससी) के उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	1.0	100	90	80	70	60
		आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयनए जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिस्पान्सिबिल्टी केंद्रों का प्रतिषत	शामिल किए गए रिस्पान्सिबिल्टी केंद्र	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित नई कार्य योजनाओं (आईएपी) के अलावा उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	90	80	70	60
* वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	1.00	कैग के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्श के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीन का प्रतिषत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60

खंड 2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत कैग रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60
		31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60

[k.M 3

lQyrk lwpdksa dk iwokZuqeku ewY;

mÌs’;	dk;Z{ks=	lQyrk lwpd	bdkbZ	foÙkh; o"kZ 12@13 dk fy, okLrfod ewY;	foÙkh; o"kZ 13@14 dk fy, okLrfod ewY;	foÙkh; o"kZ 14@15 dk fy, yf{kr ewY;	foÙkh; o"kZ 15@16 dk fy, vuqekfur ewY;	foÙkh; o"kZ 16@17 dk fy, vuqekfur ewY;
[1] ब्लाक स्तर पर खेल अवसंरचना और उपस्कर उपलब्ध करा कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को विस्तृत आधार देना ।	[1-1] आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में इंडोर और आउटडोर खेल परिसरों का विकास करना	[1-1-1] आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में बनाए गए इंडोर और आउटडोर खेल परिसर	संख्या	--	--	45	45	45
[2] अन्य मंत्रालयों के साथ समाभिरूपता और राज्य सरकारों की सहभागिता से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए खेल उपलब्ध कराना	[2.1] आरजीकेए के अंतर्गत ग्रामीण प्रतियोगिताएं आयोजित करना	[2-1-1] आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण खेलों में भागीदारी	संख्या (लाख में)	37.91	13.82	28.80	28.80	28.80
		[2-1-2] आरजीकेए के तहत प्रतियोगिओं में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी	संख्या	--	--	13500	13500	13500
	[2-2] खेल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	[2-2-1] प्रशिक्षित मास्टर खेल प्रशिक्षक	संख्या	520	--	135	135	135
	[2-3] यूएसआईएस के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाएं आरंभ करना (एथलेटिक ट्रैक/हॉकी टर्फ और बहुउद्देशीय हॉल आदि)	[2-3-1] वह तारीख जब तक 2 परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी	कंजम	--	--	31/12/2014	--	--
	[2-4] खेलों में महिला सहभागिता को प्रोत्साहन	[2-4-1] साई केंद्रों में प्रशिक्षित आवासीय और गैर आवासीय महिला खिलाड़ियों की संख्या	संख्या	5661	6838	6000	6000	6000
		[2-4-2] राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षु	संख्या	1300	1087	1000	1000	1000
		[2-4-3] आरजीकेए के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागी	संख्या	405957	306057	380000	380000	380000

खंड 3

सफलता सूचकांक का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 16/17 के लिए अनुमानित मूल्य
	[2-5] निःशक्तजनों में खेल–कूद का संवर्धन	[2-5-1] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी	संख्या	41513	42350	35000	40000	40000
		[2-5-2] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित समुदाय कोच	संख्या	19960	22514	25000	25000	25000
		[2-5-3] पीसीआईए एसओबी और एआईएससीडी से कैम्प प्रशिक्षुओं की सहभागिता	संख्या	890	489	450	500	500
	[2-6] पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल–कूद का संवर्धन	[2-6-1] वह तारीख जब तक यूएसआईएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 2 खेल अवसंरचना परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी	तारीख	--	--	31/01/2015	--	--
		[2-6-2] साई केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तर राज्यों के आवासीय और गैर–आवासीय खिलाड़ी	संख्या	3220	2797	2700	2700	2700
		[2-6-3] आरजीकेए के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी	संख्या	15974	5912	13500	13500	13500

[kM 3

lQyrk lpdk dk iofŸk eY;

mÌs';	dkjokbZ	lQyrk lpd	bdkbZ	foŸkh; o"kZ 12@13 dk fy, okLrfod eY;	foŸkh; o"kZ 13@14 dk fy, okLrfod eY;	foŸkh; o"kZ 14@15 dk fy, yf{kr eY;	foŸkh; o"kZ 15@16 dk fy, vuqekfur eY;	foŸkh; o"kZ 16@17 dk fy, vuqekfur eY;
	[2-7] भारतीय राज्य यथा जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंडए हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों तथा नेपाल व भूटान देशों के हिमालय क्षेत्र में वार्षिक खेल स्पर्धाएं आयोजित करना	[2-7-1] हिमालय क्षेत्र में खेल स्पर्धाओं के आयोजन के लिए स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	--	--	20/03/2015	--	--
	[2-8] खेल अकादमियों और राष्ट्रीय खेल अकादमियों में वृद्धि	[2-8-1] जम्मू–कश्मीर, में खेल सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	--	--	15/03/2015	--	--
[3] स्वायत खेल निकायों में पारदर्शिता और लोक उत्तरदायित्व बढ़ाना	[3-1] खेलों में धोखाधड़ी रोकने संबंधी विधेयकए 2014 का अधिनियमन	[3-1-1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	30/09/2014	--	--
	[3-2] राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2014 का अधिनियमन	[3-2-1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	31/10/2014	--	--
	[3-3] संशोधित फार्मेट के अनुसार राष्ट्रीय खेल परिसंघों का मूल्यांकन	[3-3-1] राष्ट्रीय खेल परिसंघ जिनका मूल्यांकन किया गया	संख्या	--	--	25	--	--
[4] प्रतिभा के आधार को बढ़ानाए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण, कोचिंग शिविरों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाना एवं उसका पोषण और अपेक्षित खेल विज्ञान सहायता प्रदान करना	[4-1] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण	[4-1-1] प्रशिक्षित आवासीय और गैर आवासीय खिलाड़ी	संख्या	20950	31544	22000	--	--

खण्ड 3

सफलता सूचकों के प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 16/17 के लिए अनुमानित मूल्य
	[4-2] अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए राष्ट्रीय टीमों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन	[4-2-1] शिविर प्रशिक्षु	संख्या	4000	3293	4000	3500	3500
	[4-3] विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण देना और अत्याधुनिक वैज्ञानिक सहायता विकसित करना	[4-3-1] उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्हें विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण दिया गया	संख्या	29	20	30	--	--
		[4-3-2] एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुदान	संख्या	2	5	4	4	4
	[4-4] राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान (एनआईएसएसएसएम) की स्थापना	[4-4-1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	31/12/2014	--	--
	[4-5] निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों की गुणवत्ता एवं संख्या में वृद्धि पर ध्यान देते हुए खेल कोचिंग की गुणवत्ता में वृद्धि करना	[4-5-1] एनआईएस पटियाला द्वारा खेल कोचिंग में डिप्लोमा प्रदान किए गए कोचों की संख्या	संख्या	421	457	400	400	450

[k.M 3

lQyrk lwpdksa ds iwokZuqeku

mÌs';	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	foÙkh; o"kZ 12@13 ds fy, okLrfod eY;	foÙkh; o"kZ 13@14 ds fy, okLrfod eY;	foÙkh; o"kZ 14@15 ds fy, y{; eY;	foÙkh; o"kZ 15@16 ds fy, vuqekfur eY;	foÙkh; o"kZ 16@17 ds fy, vuqekfur eY;
		[4-5-2] पटियाला में राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान की स्थापना हेतु मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	31/12/2014	--	--
	[4-6] ओलंपिक खेलों के लिए 2020 तक एनएसडीएफ से सहायता हेतु उत्कृश्ट खिलाड़ियों का चयन	[4-6-1] नामों को अंतिम रूप देना	तारीख	--	--	31/01/2015	--	--
	[4-7] एचआरडीएस स्कीम से सहायता	[4-7-1] प्रदान की गई अध्येतावृत्ति	संख्या	--	--	5	10	10
	[4-8] 'कम्यूनिटी कनैक्ट' का विस्तार	[4-8-1] साई और अन्य केंद्रों में कम्यूनिटी कनैक्ट का प्रावधान करना	संख्या	--	--	4	5	5
	[4-9] साई कोचों का मूल्यांकन	[4-9-1] कोच जिनका मूल्यांकन किया गया	संख्या	--	--	100	--	--
	[4-10] साई द्वारा खेल अकादमियों की स्थापना	[4-10-1] स्थापित की गई खेल अकादमियों	तारीख	--	--	31/01/2015	--	--
	[4-11] एनआईएस के लिए संशोधित स्कीम का प्रतिपादन	[4-11-1] अनुमोदन प्राप्त करना	तारीख	--	--	14/02/2015	--	--
	[4-12] खेल अकादमियों और राष्ट्रीय खेल अकादमियों की स्थापना	[4-12-1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	20/03/2015	--	--
	[4-13] युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम का आरंभ	[4-13-1] राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज स्कीम का प्रतिपादन और अनुमोदन	तारीख	--	--	15/02/2015	--	--

[kaM 3

lQyrk lwpdkas ds izfr ewY;

mÌs';	dk;ZokbZ	lQyrk lwpd	bdkbZ	foÙkh; o"kZ 12@13 ds fy, okLrfod ewY;	foÙkh; o"kZ 13@14 ds fy, okLrfod ewY;	foÙkh; o"kZ 14@15 ds fy, y{kr ewY;	foÙkh; o"kZ 15@16 ds fy, vuqekfur ewY;	foÙkh; o"kZ 16@17 ds fy, vuqekfur ewY;
[5] खेल विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का एकीकरण	[5.1] शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का प्रशिक्षण	[5.1.1] पुनः प्रशिक्षित किए गए शारीरिक शिक्षा अध्यापक	संख्या	162	200	135	150	150
	[5.2] मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना	[5.2.1] ईएफसी ज्ञापन प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	31/01/2015	--	--
[6] खेल में डोपरोधी उपायों पर विशेष ध्यान और अनैतिक प्रक्रियाओं पर रोक	[6.1] नमूनों का संग्रह	[6.1.1] स्थानीय मूत्र नमूने	संख्या	4117	4144	4000	4000	4000
		[6.1.2] स्थानीय रक्त नमूने	संख्या	318	301	250	250	250
	[6.2] डोप परीक्षण करना	[6.2.1] जांचे गए मूत्र नमूने	संख्या	6391	6110	5500	5500	5500
		[6.2.2] जांचे गए रक्त नमूने	संख्या	314	248	250	250	250
		[6.2.3] घोड़ो के जांचे गए डोप नमूने	संख्या	--	--	400	400	400
	[6.3] डोप रोधी जागरूकता कार्यक्रम	[6.3.1] कोचों और खिलाड़ियों के लिए सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	35	45	40	40	--
	[6.4] राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्रों का प्रकाशन	[6.4.1] प्रकाशित शोध पत्र	संख्या	5	5	4	5	5
* आरएफडी पद्धति का प्रभावी कार्यकरण	आरएफडी मसौदा 2015–16 को समय पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	--	--	06/03/2015	--	--

खंड 3

सफलता सूचक का पूर्वानुमानित मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 16/17 के लिए अनुमानित मूल्य
	2013–14 के परिणामों को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	--	01/05/2014	02/05/2014	--	--
* मंत्रालय / विभाग की पारदर्शिता / सेवा निष्पादन में सुधार	नागरिक / क्लाइंट चार्टर (सीसीसी)के कार्यान्वयन के स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण से रेटिंग	सीसीसी में प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की मात्रा	प्रतिशत	--	--	95	--	--
	शिकायत निवारण प्रबंधन (जीआरएम) तंत्र के कार्यान्वयन का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षण	जीआरएम के कार्यान्वयन की सफलता	प्रतिशत	--	--	95	--	--
* प्रशासनिक सुधार	संशोधित प्राथमिकताओं के साथ विभागीय कार्यनीति को अद्यतन करना	तारीख	तारीख	--	--	02/11/2014	--	--
	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित न्यूनीकरण कार्यनीतियों (जीआरएम) के उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--
	आईएसओ 9001 के कार्यान्वयन के लिए उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयनए जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	95	--	--
	आरएफएमएस में आरएफडी के साथ रिस्पान्सिबिल्टी केंद्रों का प्रतिशत	शामिल किए गए रिस्पान्सिबिल्टी केंद्र	प्रतिशत	--	--	95	--	--
	अनुमोदित नई कार्य योजनाओं (एमएससी) के अलावा उन मुख्य बिंदुओं का कार्यान्वयन जिन पर सहमति बनी हो	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--

[k.M 3

lQyrk lwpdkas dk iwokZuqeku eY;

mÌs’;	dk;Zokbl	lQyrk lwpd	bdkbl	foÙkh; o"kZ 12@13 dk fy, okLrfod eY;	foÙkh; o"kZ 13@14 dk fy, okLrfod eY;	foÙkh; o"kZ 14@15 dk fy, yf{kr eY;	foÙkh; o"kZ 15@16 dk fy, vuqekfur eY;	foÙkh; o"kZ 16@17 dk fy, vuqekfur eY;
* वित्तीय उत्तरदायित्व रूपरेखा से बेहतर अनुपालन	कैग के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीन का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--
	पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत कैग रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--
	31.3.2014 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का षीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए शेष एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	--	--	90	--	--

[kM 4

lf{kIrk{kj

Ø-l-	lf{kIrk{kj	fooj.k
1	एबीएसई	आर्मी बाल खेल कंपनी
2	एआईएससीडी	बधिरों के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद
3	बी.पी.एड	शारीरिक शिक्षा स्नातक
4	सीडब्ल्यूजी	राष्ट्रमंडल खेल
5	ईएफसी	व्यय वित्त समिति
6	एचआरडीएस	खेलों में मानव संसाधन विकास
7	आईओए	भारतीय ओलंपिक संघ
8	आईओसी	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति
9	एलएनयूपीई	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर
10	एलटीडीपी	दीर्घावधि विकास योजना
11	एलडब्ल्यूई	वामपंथ उग्रवादी
12	एमआईएस	सूचना प्रबंधन तंत्र

[kM 4

l f{kIrk{kj

Ø-l-	l f{kIrk{kj	fooj.k
13	नाडा	राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी
14	एनडीटीएल	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला
15	एनई	पूर्वोत्तर
16	एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
17	एनआईएस	राश्ट्रीय खेल संस्थानए पटियाला
18	एनआईएसएसएसएम	राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औशधि संस्थान
19	एनपीएफएआई	भारतीय राष्ट्रीय खेल मैदान संघ
20	एनएसडीएफ	राष्ट्रीय खेल विकास कोष
21	एनएसएफ	राष्ट्रीय खेल परिसंघ
22	एनएसटीसी	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता
23	पीसीआई	भारतीय पैरालंपिक समिति
24	पीइटी	शारीरिक शिक्षा अध्यापक

[kM 4

laf{kIrk{kj

Ø-la-	laf{kIrk{kj	fooj.k
25	पीडब्ल्यूडीएस	निःशक्तजन
26	पीवाईकेएए	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान
27	आरजीकेए	राजीव गांधी खेल अभियान
28	एसएजी	विशेष क्षेत्र खेल
29	एसएआई	भारतीय खेल प्राधिकरण
30	एसओबी	विशेष ओलंपिक भारत
31	एसटीसी	भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र
32	टीएसटी	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण
33	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
34	यूएसआईएस	शहरी खेल अवसंरचना स्कीम
35	वाडा	विश्व डोप रोधी एजेंसी

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
1	[1.1.1] राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत ब्लॉक पंचायतों में इंडोर और आउटडोर खेल परिसर पूरे किए गए ।	राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम, जो कि पूर्व पायका स्कीम की समीक्षा के बाद शुरू की गई, चरणबद्ध ढंग से देश की सभी ब्लॉक पंचायतों में खेल सुविधाओं को सृजित/विकसित करती है ।	राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत, राजीव गांधी खेल अभियान केंद्रों के रूप में ब्लॉक स्तर पर दोनों इंडोर और आउटडोर खेल परिसरों का निर्माण किया जाता है ।	ब्लॉक पंचायतों में विकसित ब्लॉक स्तरीय खेल मैदानों पर दोनों इंडोर और आउटडोर खेल परिसरों की संख्या	राजीव गांधी खेल अभियान केंद्रों के रूप में विकसित दोनों इंडोर और आउटडोर खेल परिसर गांव और ब्लॉक पंचायतों की साधारण जनसंख्या के लिए खोले गए । चूंकि, ब्लॉक पंचायत स्तर पर इंडोर और आउटडोर परिसरों का निर्माण हाल ही में अनुमोदित राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत एक नया कार्यकलाप है, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य नहीं दिया जा सकता ।
2	[2.1.1] राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी	मंत्रालय प्रति वर्ष ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।	ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत ब्लॉकए जिलाए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं ।इन खेल प्रतियोगिताओं में ग्रामीण युवा, दोनों पुरुष और महिला भाग लेते हैं ।	इन प्रतियोगिताओं में भागीदार ग्रामीण युवाओं की संख्या	इन खेलों में पहचानी गई प्रतिभाओं को उनके प्रशिक्षण और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करने हेतु भाखेप्रा की स्कीमों के तहत निखारा और पोषित किया जाता है । परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 के लिए दिया गया वास्तविक मूल्य 15–4–2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है ।
3	[2.1.2] राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत प्रतियोगिताओं में वाम उग्रवादी (एलडब्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की भागीदारी	वाम उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित राज्यों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।	वाम उग्रवादी क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताएं राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक, जिला, राज्य और फिर संबंधित राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी । इन खेल प्रतियोगिताओं में, ग्रामीण युवा पुरूष और महिलाएं दोनों भाग लेंगे ।	इन प्रतियोगिताओं में भागीदार ग्रामीण युवाओं (पुरूषों) की संख्या	आतंकी गतिविधियों से युवाओं को दूर करने के अलावा, ये खेल प्रतियोगिताएं इन क्षेत्रों से प्रतिभा खोजने में भी सहायता करेंगी । चूंकि वाम उग्रवादी क्षेत्रों के युवाओं के लिए ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं हाल ही में अनुमोदित स्कीम राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत एक नया कार्यकलाप हैए इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य नहीं दिया जा सकता ।

[kM 4

lQyrk lpdkas dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
4	[2.2.1] प्रशिक्षित मास्टर खेल प्रशिक्षक	यह आवश्यक है कि मास्टर खेल प्रशिक्षकों/खेल प्रशिक्षकों को राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम के अंतर्गत पहचानी गई 16 खेल विधाओं में अभिविन्यास/पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाए ।	मास्टर खेल प्रशिक्षक खेल प्रशिक्षक खेल कोच हैं जो ब्लॉक पंचायतों में राजीव गांधी खेल अभियान केंद्रों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं ।	इस वर्ष में प्रशिक्षण प्रदान किए गए मास्टर खेल प्रशिक्षकों/खेल प्रशिक्षकों की संख्या	इस प्रयोजन के लिए चयनित और ब्लॉक स्तरीय खेल परिसरों में तैनात मास्टर खेल प्रशिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों को क्रमशः 3500 रुपए और 3000 रुपए प्रति महीना पारिश्रमिक देय होता है । पायका स्कीम के अंतर्गत, 2013–14 के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पायका स्कीम की समीक्षा के कारण रद्द कर दिया गयाए इसिलिए 2013–14 के दौरान मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया । इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य नहीं दिया जा सकता ।
5	[2.3.1] जिस दिनांक को 2 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा	शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के सृजन और विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2010–11 में आरंभ की गई शहरी खेल अवसंरचना योजना के अंतर्गत एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ, बहुउद्देशीय हॉल जैसे खेल अवसंचरना परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । राज्य सरकारें या संगठन, जिन्हें अनुदान जारी किया गया है, परियोजनाओं की समय अवधि के अनुसार अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है ।	एथलेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ, बहुउद्देशीय हॉल में मूलभूत खेल सुविधाएं हैं जो शहरी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है ।	जिस दिनांक को दो परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा ।	चूंकि 2014–15 के लिए सफलता सूचक स्पष्ट है, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य और 2015–16 और 2016–17 के लिए लक्षित मूल्य नहीं दिया जा सकता ।

[kM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
6	[2.4.1] भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षित रिहायशी और गैर–रिहायषी महिला खिलाड़ी	भाखेप्रा की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उनका पोषण करने के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । भाखेप्रा केंद्रों में महिलाओं के लिए हॉस्टल भी हैं । महिला खिलाड़ियों का प्रशिक्षण रिहायशी के साथ–साथ गैर–रिहायशी आधार पर है ।	महिला खिलाड़ियों को देश भर में फैले भाखेप्रा केंद्रों में भाखेप्रा की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है ।	वर्ष के दौरान भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान की गई महिला खिलाड़ियों की संख्या	
7	[2.4.2] राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षु	राष्ट्रीय खेल परिसंघों से परामर्श कर भाखेप्रा और गैर भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किए जाते हैं ।	राष्ट्रीय कोचिंग शिविर महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले आयोजित किए जाते हैं ।	एक वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में महिला प्रशिक्षुओं की संख्या	
8	[2.4.3] राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत राश्ट्रीय महिला चैम्पियनषिप के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ी	राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित की जाती है । मंत्रालय ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है ।	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशिष्ट खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप के अंतर्गत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या	राष्ट्रीय महिला चैम्पियनशिप विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन महिलाओं के संवर्धन और विकास के लिए किया जाता है । परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में दिया गया 2012–13 के लिए वास्तविक मूल्य 15–4–2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है ।

खण्ड 4

सफलता सूचकांक का विवरण व परिभाषा तथा प्रस्तावित मानदंड पद्धति

क्र. सं.	सफलता सूचक	विवरण	परिभाषा	मानदंड	सामान्य टिप्पणी
9	[2.5.1] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी	मंत्रालय ने वर्ष 2009 से निःशक्तजनों में खेल–कूद को बढ़ावा देने के लिए स्कीम आरंभ की है । इस स्कीम का उद्देश्य निःशक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को विस्तृत आधार देना है । निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के तीन घटक हैं:– (क) खेल कोचिंग और विद्यालयों के लिए उपभोज्य और अनुपभोज्य खेल उपस्करों के लिए अनुदान, (ख) समुदाय कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान, और (ग) निःशक्तजनों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अनुदान ।	निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के अंतर्गत निःशक्तजनों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।	इस स्कीम के अंतर्गत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले निःशक्तजनों की संख्या	यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर 5 वर्षों की अवधि के लिए चलाई जा रही है ।
10	[2.5.2] निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद योजना के तहत प्रशिक्षित समुदाय कोच	मंत्रालय ने वर्ष 2009 से निःशक्तजनों में खेल–कूद को बढ़ावा देने की स्कीम आरंभ की है । इस योजना का उद्देश्य निःशक्तजनों में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को विस्तृत आधार देना है । निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद की योजना के तीन घटक हैं:– (क) खेल कोचिंग और विद्यालयों के लिए उपभोज्य और अनुपभोज्य खेल उपस्करों के लिए अनुदान (ख) समुदाय कोचों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान (ग) निःशक्तजनों के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अनुदान ।	निःशक्तजनों के लिए खेल–कूद स्कीम के तहत समुदायिक कोचों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।	एक वर्श में इस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित समुदायिक कोचों की संख्या	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ग्वालियर के लगभग 500 मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है । मुख्य प्रशिक्षक अपने संबंधित राज्य में 50 समुदाय कोचों को प्रशिक्षण देता है ।

[k.M 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;ka
11	[2.5.3] पीसीआईए एसओबी और एआईएससीडी से कैंप प्रशिक्षुओं की सहभागिता	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के गहन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कोचिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं । ये कैंप पीसीआईए सीओबी और एआईएससीडी से परामर्श कर भाखेप्रा और गैर भाखेप्रा केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं ।	पीसीआईए एसओबी और एआईएससीडी से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले उनके लिए राष्ट्रीय कोचिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं	पीसीआईए एसओबी और एआईएससीडी से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक वर्ष में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में शिक्षुओं की संख्या	
12	[2.6.1] यूएसआईएस के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तारीख को 2 खेल अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की जाएंगी	योजना के विकास की अवधि के अनुसार एथलेटिक ट्रेक, फुटबाल/हाकी ट्रैक और बहुउद्देशीय हॉल जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को एक समयबद्ध ढंग से पूरा करना सामान्य रूप से आम जनता और विशेष रूप से खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग करने के लिए आवश्यक हैं ।	पूर्वोत्तर राज्यों के यूएसआईएस के तहत शहरी क्षेत्रों में एथलेटिक ट्रैक/हाकी टर्फ, बहुउद्देशीय हॉल जैसी शहरी अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की गई हैं ।	पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तारीख को 2 खेल अवसंरचना परियोजनाएं पूरी की जाएंगी ।	चूंकि 2014–15 के लिए सफलता सूचक स्पष्ट हैए इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य और 2015–16 तथा 2016–17 के लिए लक्षित मूल्य नहीं दिया जा सकता ।
13	[2.6.2] भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षित पूर्वोत्तर राज्यों के रिहायशी और गैर रिहायशी खिलाड़ी	भाखेप्रा की विभिन्न संवर्धन स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयार करने हेतु उनका पोषण किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है ।	पूर्वोत्तर राज्यों के पहचाने गए प्रतिभावान खिलाड़यों को भाखेप्रा केंद्रों में प्रशिक्षण	एक वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों के रिहायशी और गैर रिहायी आधार पर प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या	
14	[2.6.3] राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी	जिला स्तरीय खेल संबंधित राज्यों द्वारा आयोजित किए जाते हैं । सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य स्तरीय खेल किसी एक इच्छुक राज्य द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसका चयन चक्रानुक्रम आधार पर किया जाता है । राजीव गांधी खेल अभियान के तहत पूर्वोत्तर खेलों के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते हैं ।	पूर्वोत्तर राज्यों में जिला स्तरए राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।	पूर्वोत्तर खेलों के तहत एक वर्ष में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवाओं (महिला पुरूष दोनों की संख्या)	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 के लिए दिया गया वास्तविक मूल्य 15–4–2014 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है ।

[k.M 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk izLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;k
15	[3.1.1] मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करना	देश में खेलों को साफ करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने मेंए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एक विशेष कानून नामतः खेलों में धोखाधड़ी रोकने संबंधी विधेयक, 2014 तैयार करने की प्रक्रिया में है ।	खेलों में धोखाधड़ी संबंधी अपराध जैसे कि धोखेबाजी या खेल परिणाम को धोखे से प्रभावित करने की कोशिश करना, चाहे परिणाम वास्तव में बदला गया अथवा नहीं, खेल के नियमों का जानबूझकर दुरूपयोग करना, किसी खेल स्पर्धा के परिणामों से जुड़ी समस्त अनिश्चितता या इसके भाग को हटाना या कम किया जाना, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ निष्पादन करने में जानबूझकर असफल रहना, जब तक कि ऐसे कमतर कार्य निष्पादन के लिए उस खेल या टीम के हित में नियोजित रणनीतिक या युक्तिपूर्ण कारण को जिम्मेदार न ठहराया जा सकता हो, अंदरूनी सूचना का प्रकटीकरण, सूचना का प्रकटीकरण या खेल धोखाधड़ी का प्रयास करने पर प्रस्तावित खेल धोखाधड़ी की रोकथाम संबंधी विधेयक, 2014 के अंतर्गत दंडनीय है ।	खेलों में धोखाधड़ी की रोकथाम संबंधी विधेयक, 2014 को संसद में पेश करने से पहले विधेयक के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना	चूंकि 2014–15 के लिए सफलता सूचक स्पष्ट है, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य और 2015–16 और 2016–17 के लिए लक्षित मूल्य नहीं दिया जा सकता ।

lQyrk lpdkas dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;k
16	[3.2.1] मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत करना	यह मंत्रालय राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2014 तैयार करने की प्रक्रिया में है ।	इस विधेयक का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और विकास करना तथा खिलाड़ियों के लिए कल्याण संबंधी उपाय, डोप पद्धतियों, आयु की धोखाधड़ी और खेलों में महिलाओं का यौन शोषण खत्म करने सहित खेलों में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना, खेल विवादों के साथ डील करने के लिए निकायों का गठन और स्थापना करना, नीतिशास्त्र, चुनावों और एथलीटों का प्रदर्शन	राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक, 2014 को संसद में पेश करने से पहले विधेयक के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना	चूंकि 2014–15 के लिए सफलता सूचक स्पष्ट है, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य और 2015–16 और 2016–17 के लिए लक्षित मूल्य नहीं दिया जा सकता ।यह 2014–15 से शुरू नया सफलता सूचक है ।

[kaM 4

lQyrk lpdkW dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
17	[3.3.1] राष्ट्रीय खेल परिसंघों का मूल्यांकन	यह मंत्रालय वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है ।	राष्ट्रीय खेल परिसंघों का मूल्यांकन आचार संहिता की मौजूदगी, कर्मचारियों/पदाधिकारियों की संख्या जिनके पास खेलों से संबंधित शिक्षा हैंए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रबंधन में पूर्ण वोटिंग अधिकारों के साथ एथलीटों की प्रतिशतता, विभिन्न हितधारकों के साथ संबंध, बहुवर्षीय नीति योजना प्रक्रिया की मौजूदगी, राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन, खेल विज्ञान, खेल औशधि, मेंटल प्रषिक्षकए डायटीशियन, पदक संभावितों का पता लगाना और विशेष/केंद्रित प्रशिक्षण देना, सीनियर, जूनियर, सब–जूनियर और जोनल चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन, अंतररायष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में जीते गए पदकों, भारतीय कोचों के स्तर के प्रत्यायन के उच्चतम स्तर तक उन्नयन के लिए किए गए प्रयासों, आयु/डोप संबंधी धोखाधड़ी की प्रभावी रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा ।	चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल्यांकित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की संख्या	राष्ट्रीय खेल परिसंघों के मूल्यांकन की प्रणाली वर्ष 2014–15 से लागू की जानी है इसके लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड–3 में 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य नहीं दिया जा सकता ।

[kaM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;k
18	[4.1.1] रिहायशी और गैर रिहायशी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया गया	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं जैसे एनएसटीसी, एबीएससी, एसटीसी, एसएजी और सीओई के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भागीदारी लेने हेतु उन्हें तैयार करने के लिए पोषित और प्रषिक्षित किया जाता है ।	विभिन्न भाखेप्रा योजनाओं के तहत युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है और रिहायशी तथा गैर–रिहायशी दोनों आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है ।	भाखेप्रा केंद्रों पर वर्ष के दौरान प्रशिक्षित खिलाड़ियों (गैर–रिहायशी) की संख्या	
19	[4.2.1] शिविर प्रशिक्षु	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए सकेंद्रित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से प्रशिक्षण और वार्षिक कैलेंडर के अनुसार भाखेप्रा और गैर–भाखेप्रा दोनों स्थानों पर कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है ।	अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने से पहले राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए सकेंद्रित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोचिंग शिविरों का आयोजन किया जाता है ।	वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों में शिविर प्रशिक्षुओं की संख्या	
20	[4.3.1] उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अनुकूल प्रशिक्षण दिया गया	उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्कीम के तहत वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से अनुकूल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।	मेगा खेल स्पर्धाओं जैसे ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैम्पियनशिपों में पदक संभावित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	अनुकूल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीएफ से सहायता प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों (देश और विदेश में) की संख्या	
21	[4.3.2] उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए एनएसडीएफ के तहत खेल अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुदान	खेलों के संवर्धन में व्यस्त प्रसिद्ध संगठनों/संस्थानों को विशिष्ट परियोजनाओं जैसे अवसंरचना का सृजन,.अत्याधुनिक उपस्करों के प्रबंध आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि क्षेत्र की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इन परियोजनाओं से उत्पन्न लाभ को प्राप्त कर सके।	प्रसिद्ध संस्थानों और खेल अकादमियों को खेल अवसंरचना परियोजनाओं और खेल उपस्करों के लिए एनएसडीएफ के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।	वर्ष के दौरान खेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एनएसडीएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त प्रसिद्ध संगठनों /संस्थानों की संख्या	

[kaM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lekÁ; fVIif.k;k
22	[4.4.1] मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	सरकार ने जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना का निर्णय किया है । संस्थान का उद्देश्य भारतीय खेलों और खिलाड़ियों को उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, पोषण, जीव रसायन विज्ञान, जैव चिकित्सा, मानवमिति और खेल औषधि जैसी अति आवश्यक खेल विधाओं को प्रोत्साहन देना होगा । व्यय वित्त समिति ने राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औषधि संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ।	नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और खेल औशधि संस्थान (एनआईएसएसएसएम) की स्थापना की जानी है जिसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन आवश्यक है ।	मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्राप्ति के लिए जिस तारीख को टिप्पणी मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया जाएगा।	चूंकि सफलता सूचक वर्ष 2014–15 के लिए विशेष रूप से हैं इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य तथा 2015–16 और 2016–17 के लक्षित मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
23	[4.5.1] कोचों को एनआईएसए पटियाला द्वारा खेल कोचिंग में डिप्लोमा दिया गया ।	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग्य कोचों की पर्याप्त संख्या आवश्यक है । जिन कोचों के पास एनआईएसए पटियाला से प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं, वे राज्य सरकारों, कालेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा कोच के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं ।	एनआईएसए पटियाला विभिन्न खेल विधाओं में कोचिंग के लिए एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है ।	वर्ष के दौरान एनआईएसए पटियाला से खेल कोचिंग डिप्लोमा प्राप्त कोचों की संख्या।	
24	[4.5.2] पटियाला में राष्ट्रीय खेल कोचिंग संस्थान को स्थापित करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना।	खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए योग्य कोचों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पक्ष है । देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच तैयार करने और कोचिंग प्रदान के लिए एक समग्र व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है ।	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्व की कोचिंग का संस्थान स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस), पटियाला को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) से अलग करने का निर्णय लिया है जो उन्नत कोचिंग के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के विकल्पों सहित खेलों में विस्तृत शिक्षा मुहैया कराने के लिए एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में उभरेगा ।	वह तारीख जब मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत की जाएगी ।	चूंकि सफलता सूचक वर्ष 2014–15 के लिए विशेष रूप से हैं इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य तथा 2015–16 और 2016–17 के लक्षित मूल्य नहीं दिए जा सकते ।

[kM 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;ka
25	[4.8.1] नामों को अंतिम रूप देना	मंत्रालय 2020 के ओलंपिक खेलों तक अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता के लिए तैयारी हेतु प्रमुख खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु उनका चयन कर रहा है ।	उन युवा और उदीयमान खिलाड़ियों जिन्हें 2020 के ओलंपिक खेलों तक की खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता के लिए संभावित पदक विजेताओं के रूप में पोषित और तैयार किया जा सके, की साई और राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से पहले ही पहचान की जायेगी । चुने गए इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए निधियां एनएसडीएफ से जुटाई जाएंगी ।	जिस तारीख तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा ।	चूंकि सफलता सूचक वर्ष 2014–15 के लिए विशेष रूप से हैं इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य तथा 2015–16 और 2016–17 के लक्षित मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
26	[4.9.1] प्रदान की गईं अध्येतावृत्तियां	मंत्रालय ने 'खेलों में मानव संसाधन विकास स्कीम' को शुरू किया है जिसके अंतर्गत मंत्रालय देश में खेल–कूद के समग्र विकास के लिए खेल विज्ञान और खेल औषधि में विकासशील मानव संसाधनों पर ध्यान देगा। इससे देश एक निश्चित समय में इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और खेल विज्ञान और खेल औषधि के प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी ।	मास्टर और डाक्टर स्तरीय विशिष्ट अध्ययनों के लिए अध्येतावृत्ति पुरस्कार के विषय नामतः हैं, (क) बायोमैकेनिक्स (ख) किनसियोलॉजी (ग) मानवमिति (घ) एक्सरसाइज शरीर विज्ञान (ड़) खेल मनोविज्ञान (च) प्रशिक्षण के सामान्य सिद्धान्त और पद्धति (जीटीएमटी) खेल औषधि (च) खेल पोषण एवं (छ) एंटी डोपिंग और इन क्षेत्रों में विशिष्ट अध्ययन के लिए खेल विशेषज्ञों, कोचों, सहायक कार्मिक और मैच अधिकारियों को अध्येतावृत्ति / छात्रवृत्ति।	प्रदान की गई अध्येतावृत्तियां	एचआरडीएस स्कीम 2014–15 से शुरू की गई, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य नहीं दिए जा सकते।

[kM 4

lQyrk lpdk dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lkekU; fVIif.k;k
27	[4.10.1] साई और अन्य केंद्रों में 'कम्युनिटी कनैक्ट' की व्यवस्था शुरू करना	स्टेडियमों की अवसंरचना और खाली जगहों के इष्टतम उपयोग द्वारा खेलों को बढ़ावा देने तथा नागरिकों में स्वस्थ्य जीवनशैली उत्पन्न करने की सरकार की नीति को जारी रखने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने 'कम्युनिटी कनैक्ट' नामक एक स्कीम शुरू करने का निश्चय किया है । साई द्वारा प्रबंधित पांच स्टेडियमों नामतः जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर, इंदिरा गांधी खेल परिसर, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर को बहु–विधा स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जा रहा है तथा मुख्य खेलों के साथ–साथ मनोरंजनात्मक खेलों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को विकसित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियमों का उपयोग कर सकें ।	कम्युनिटी कनैक्ट कार्यक्रम को संपूर्ण देश के अन्य साई केंद्रों में विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है ।	उन साई केंद्रों की संख्या जिनमें कम्युनिटी कनैक्ट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।	चूंकि कम्युनिटी कनैक्ट कार्यक्रम 2014–15 से शुरू किया गया हैए इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
28	[4.11.1] कोच जिनका मूल्यांकन किया गया	कोचों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और कोचिंग, अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अहम भूमिका अदा करती है ।	कोचों का मूल्यांकन पूर्व–निर्धारित मानदंडों के साथ–साथ उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार और उनके द्वारा जीते गए पदकों के आधार पर किया जाएगा जिन्हें मूल्यांकित किए जा रहे कोचों द्वारा कोचिंग दी गई हो ।	चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल्यांकित किए गए कोचों की संख्या	चूंकि कोचों के मूल्यांकन की यह व्यवस्था पहली बार शुरू की गई है, इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
29	[4.14.1] स्थापित की गई खेल अकादमियां	साई विशिष्ट खेल विधाओं के लिए अकादमियां स्थापित करने का प्रस्ताव करता है ।	अकादमियों का उद्देश्य खिलाड़ियों को गहन कोचिंग/प्रशिक्षण के साथ–साथ खेल वैज्ञानिकों, डाक्टरों, मेंटल प्रशिक्षकों, मेसियर्स, फिजियोलोजिस्ट की सुविधा उपलब्ध कराना है।	वह तारीख जब तक खेल अकादमियां स्थापित कर दी जायेंगी ।	चूंकि सफलता सूचक वर्ष 2014–15 के लिए विशेष रूप से हैंए इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य तथा 2015–16 और 2016–17 के लक्षित मूल्य नहीं दिए जा सकते ।

[kaM 4

lQyrk lwpdkad dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunaM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunaM	lkekU; fVIif.k;ka
30	[4.16.1] अनुमोदन प्राप्त करना	पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) साई का एक उत्कृष्टता केंद्र है। इसका उपयोग मुख्य खेल विधाओं में कार्यशील कोचिंग कोर्सों के साथ–साथ कोचिंग शिविरों को आयोजित करना है। इस प्रमुख संस्थान में खेल अवसंरचना सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल उपकरण, खेल विज्ञान और खेल औषधि सुविधाओं का उन्नयन और संशोधन किया जाना आवश्यक है ताकि देश में कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उत्कृष्ट खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें ।	एनआईएस पटियाला के लिए संशोधित स्कीम को प्रतिपादित किया जाना आवश्यक हैए जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन का प्राप्त करना होगा ।	वह तारीख जब तक सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा ।	चूंकि संशोधित स्कीम के अनुमोदन को अभी प्राप्त किया जाना है इसलिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के वास्तविक मूल्य तथा 2015–16 और 2016–17 के लक्षित मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
31	[5.1.1] पीईटी को पुनः प्रषिक्षित करना	विद्यमान षारीरिक षिक्षा अध्यापकों को षारीरिक षिक्षा के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों और तकनीकों से परिचित कराना ।	शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एलएनयूपीईए ग्वालियर में दो सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ।	पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संख्या	
32	[6.1.1] घरेलू मूत्र नमूने	नाडा देश में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के उन्नयन, समन्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है । नाडा खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ कोचिंग शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के मूत्र नमूने एकत्र करती है ।	एनडीटीएल द्वारा जांच करने के लिए नाडा द्वारा एकत्रित किए गए मूत्र नमूने ।	नाडा द्वारा एक वर्ष में एकत्रित किए गए मूत्र नमूनों की संख्या	
33	[6.1.2] घरेलू रक्त नमूने	नाडा देश में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है । नाडा खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के साथ–साथ कोचिंग शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के रक्त नमूने एकत्र करती है ।	एनडीटीएल द्वारा जांच करने के लिए नाडा द्वारा एकत्रित किए गए रक्त नमूने	नाडा द्वारा एक वर्ष में एकत्रित किए गए रक्त नमूनों की संख्या	

[k.M 4

lQyrk lwpdksa dk fooj.k o ifjHkk"kk rFkk iLrkfor ekunM i)fr

Ø- l-	lQyrk lwpd	fooj.k	ifjHkk"kk	ekunM	lekU; fVIif.k;k
34	[6.2.1] जांचे गए मूत्र नमूने	एनडीटीएल नाडा और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त मूत्र और रक्त नमूनों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है । एडीटीएलए नाडा द्वारा प्रत्यापित प्रयोगशाला है ।	एनडीटीएल द्वारा जांच नाडा के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त मूत्र नमूनों की जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या खिलाड़ियों ने निषिद्ध पदार्थों का उपयोग किया है ।	एक वर्ष में एनडीटीएल द्वारा जांचे गए मूत्र नमूने	
35	[6.2.2] जांचे गए रक्त नमूने	एनडीटीएल नाडा द्वारा प्रत्यापित प्रयोगशाला है जो नाडा और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त मूत्र और रक्त नमूनों की जांच के लिए जिम्मेदार है ।	एनडीटीएल द्वारा रक्त नमूनों की जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि क्या खिलाड़ियों ने निषिद्ध पदार्थों का उपयोग किया है ।	एक वर्ष में एनडीटीएल द्वारा जांचे गए रक्त नमूने	
36	[6.2.3] घोड़ों के जांचे गए डोप नमूने	एनडीटीएल ने 2014–15 से घोड़ों के डोप नमूनों की जांच का प्रस्ताव दिया है ।	नाडा और अन्य एजेंसियों से प्राप्त घोड़ों के नमूनों की जांच एनडीटीएल द्वारा की जाएगी ।	एनडीटीएल द्वारा एक वर्ष में घोड़ों के जांचे गए नमूनों की संख्या	एनडीटीएल द्वारा घोड़ों के डोप नमूनों की जांच प्रणाली 2014–15 से शुरू की गई है अतः परिणाम रूपरेखा दस्तावेज के खंड 3 में वर्ष 2012–13 और 2013–14 के लिए वास्तविक मूल्य नहीं दिए जा सकते ।
37	[6.3.1] खिलाड़ियों और कोचों के लिए सेमीनार और कार्यषालाओं का आयोजन	नाडा डोपिंग के दुष्प्रभावों और निषिद्ध पदार्थों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करता है और अपने अधिकारी और वैज्ञानिक प्रतिनियुक्त करता है ।	खिलाड़ियों में निषिद्ध पदार्थों के प्रति जागरूकता लाने के लिए नाडा द्वारा सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।	नाडा द्वारा एक वर्ष में आयोजित सेमीनारों और कार्यशालाओं की संख्या	
38	[6.4.1] प्रकाशित किए गए शोध पत्र	एनडीटीएल एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है और शोध पत्रों का प्रकाशन इसे सौंपे गए कार्यों का हिस्सा है ।	निषिद्ध पदार्थों का पता लगाने संबंधी शोध पत्र ताकि निषिद्ध पदार्थों की जांच के क्षेत्र में आगे रहा जा सके।	एनडीटीएल द्वारा एक वर्ष में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	

[kaM 5

vU; foHkkxksa dh fof'k"V fu"iknu vis{kk,a

{ks= dk izdkj	jkT;	laxBu dk izdkj	laxBu dk uke	lac) lQyrk lwpd	bl laxBu ls vkidh D;k vis{kk,a gSa	bu vis{kkvksa ds fy, vkfpR;	bl laxBu ls vkidh fdruh vis{kk,a gSa	;fn vkidh vis{kk,a iwjh ugha gksrh rks blds D;k ifj.kke gSa
राज्य सरकार	सभी राज्य	अन्य	अन्य	[1.1.1] आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में पूरे किए गए इंडोर और आउटडोर खेल परिसर	सही और संपूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना । संस्वीकृति पत्र के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं और प्रस्तावों का कार्यान्वयन। उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना।	राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी अत्यावश्यक है क्योंकि वे कार्यान्वयन एजेंसियां हैं ।	100%	लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।
				[2.1.1] आरजीकेए के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता	सही और संपूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना । संस्वीकृति पत्र के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं और प्रस्तावों का कार्यान्वयन। उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना।	राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी अत्यावश्यक है क्योंकि वे कार्यान्वयन एजेंसियां हैं ।	100%	लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।
				[2.4.3] आरजीकेए के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों हेतु आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं की प्रतिभागिता	सही और संपूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना । संस्वीकृति पत्र के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं और प्रस्तावों का कार्यान्वयन। उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करना।	राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी अत्यावश्यक है क्योंकि वे कार्यान्वयन एजेंसियां हैं ।	100%	लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

[kM 6

foHkkx@ea=ky; dk fu"d"kZ@izHkko

foHkkx@ea=ky; dk fu"d"kZ@izHkko	fu"d"kZ@izHkko dks izHkkfor djus dk fy, fuEufyf[kr foHkkx@ea=ky; ds lkFk leUo; ,oa lg;ksx dh vko';drk	lQyrk lwpd	bdkbZ	fo'kh; o"kZ 12@13	fo'kh; o"kZ 13@14	fo'kh; o"kZ 14@15	fo'kh; o"kZ 15@16	fo'kh; o"kZ 16@17
1. खेल अवसंरचना की अधिक उपलब्धता	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग	आरजीकेए के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों में इंडोर और आउटडोर खेल परिसर विकसित करना	संख्या			50	50	50
		खेल अवसंरचना परियोजनाओं (हॉकी टर्फ, एथलेटिक ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल) का सृजन/विकास करना	संख्या	10	14	8	10	10
2. खेलों को लोकप्रिय बनाना	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारें	मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या	संख्या	4073792		4000000	4000000	4000000
3. अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारें और राष्ट्रीय खेल परिसंघ	मुख्य खेल स्पर्धाओं में जीते गए पदकों की संख्या [विश्व चैम्पियनशिप, एशियाई चैम्पियनशिप और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप, ओलंपिक खेल, पैरा–ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और पैरा एशियाई खेलों की विधाओं में (सीनियर श्रेणी) महिला पुरूष दोनों के लिए]	संख्या					
4. महिलाओं और निःशक्तजनों की खेलों में प्रतिभागिता में वृद्धि	वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारें और निःशक्तजनों से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ	मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में महिला प्रतिभागियों की संख्या	संख्या					
		मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में निःशक्त प्रतिभागियों की संख्या	संख्या	41513	40000	40000	40000	40000

vulca/k

vuqc/k & 1

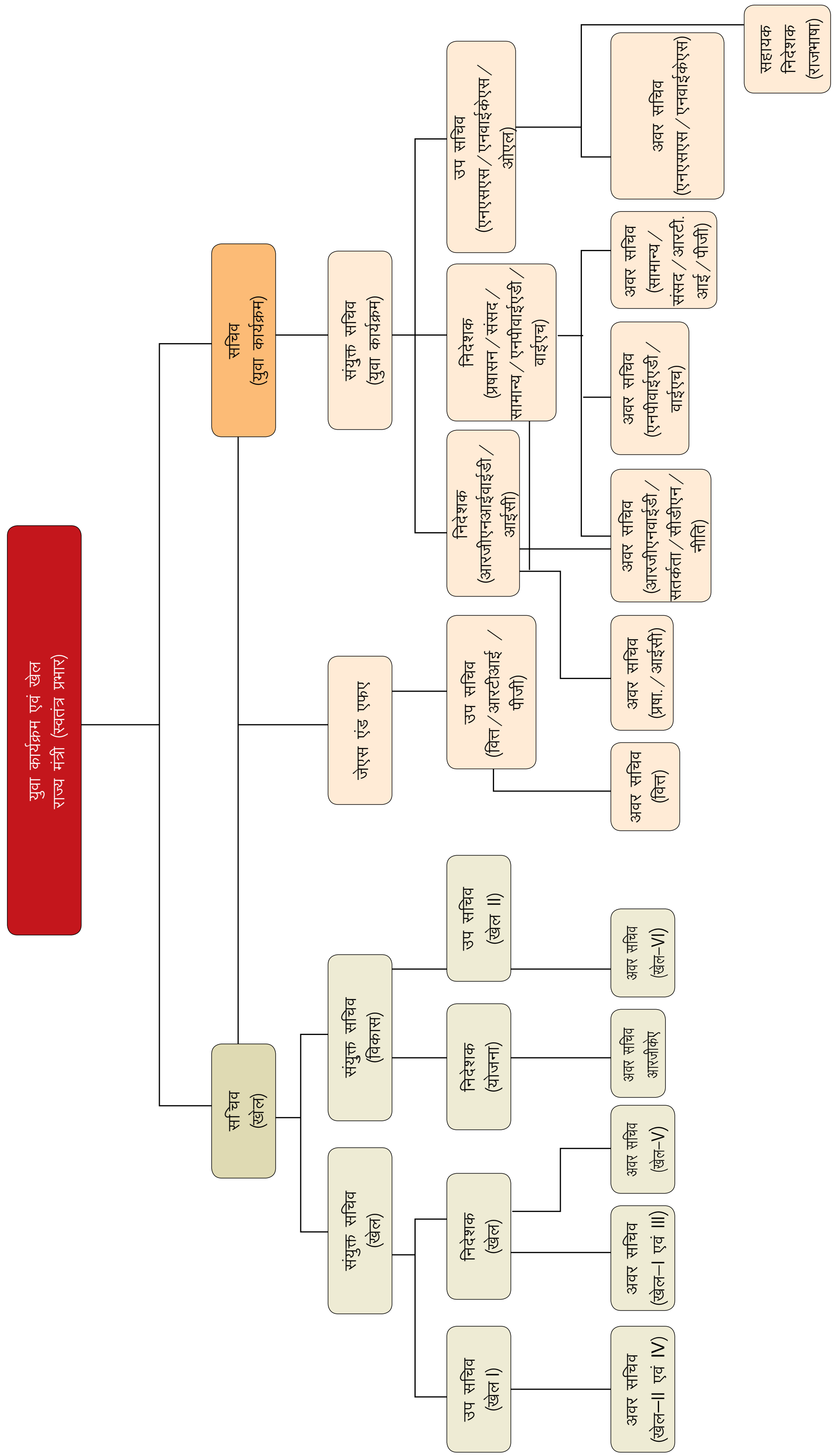
युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सचिव (युवा कार्यक्रम)
सचिव (खेल)
संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम)
जेएस एंड एफए
संयुक्त सचिव (विकास)
संयुक्त सचिव (खेल)
उप सचिव (एनएसएस/एनवाईकेएस/ओएल)
निदेशक (प्रशासन/संसद/सामान्य/एनपीवाईएडी/वाईएच)
निदेशक (आरजीएनआईवाईडी/आईसी)
उप सचिव (वित्त/आरटीआई/पीजी)
उप सचिव (खेल II)
निदेशक (योजना)
निदेशक (खेल)
उप सचिव (खेल I)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
अवर सचिव (एनएसएस/एनवाईकेएस)
अवर सचिव (सामान्य/संसद/आरटी.आई/पीजी)
अवर सचिव (एनपीवाईएडी/वाईएच)
अवर सचिव (आरजीएनवाईडी/सतर्कता/सीडीएन/नीति)
अवर सचिव (प्रशा./आईसी)
अवर सचिव (वित्त)
अवर सचिव (खेल–VI)
अवर सचिव आरजीकेए
अवर सचिव (खेल–V)
अवर सचिव (खेल–I एवं III)
अवर सचिव (खेल–II एवं IV)

ladrk{kj

जेएस	–	संयुक्त सचिव
एफए	–	वित्तीय सलाहकार
	(संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय के लिए समान है)	
डीएस	–	उप सचिव
सीसीए	–	मुख्य लेखा नियंत्रक
यूएस	–	अवर सचिव
डीसीए	–	उप लेखा नियंत्रक
डीडी	–	उप निदेशक
वाईए	–	युवा कार्यक्रम
ओएल	–	राजभाशा
आईसी	–	अंतरराष्ट्रीय सहयोग
एनएसएस	–	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनपीवाईएडी	–	युवा और किशोरों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एडीएमएन	–	प्रशासन
एसपी	–	खेल
पीएआरएल.	–	संसद
आईएसडी	–	अंतरराष्ट्रीय खेल प्रभाग
एनवाईकेएस	–	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
वीआईजी.	–	जागरूकता
जीईएन	–	सामान्य
एसएआई	–	भारतीय खेल प्राधिकरण
पीयूबी	–	प्रकाशन
आरजीकेए	–	राजीव गांधी खेल अभियान
आरजीएनआईवाईडी	–	युवा विकास के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय संस्थान
पीओएल	–	नीति
एडी	–	सहायक निदेशक
वाईएच	–	युवा हॉस्टल
सीडीएन	–	समन्वय

vuqca/k & 2

foRrh; ifj0;; 2015&16

बजट अनुमान 2014–15 तथा संशोधित अनुमान 2014–15 और बजट अनुमान 2015–16 के लिए वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

(रूपए करोड़ में)

Ø- l-	;kstuk dk uke	ctV vuqeku 2014&15		l+"kksf/kr vuqeku 2014&15		ctV vuqeku 2015&16	
	युवा कार्यक्रम विभाग:	योजनागत @	योजनेत्तर	योजनागत@	योजनेत्तर	योजनागत@	योजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	युवा कल्याण योजना						
1	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	0.00	17.50	0.00	30.16	0.00	24.00
2	राष्ट्रीय सेवा योजना	75.50	8.36	82.18	10.00	70.15	10.90
3	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	125.00	31.59	134.00	34.65	133.75	35.00
4	राष्ट्रीय विषय योजना	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	20.00	1.70	15.86	4.70	20.00	3.00
6	राष्ट्रीय युवा कोरपस (पूर्ववर्ती स्वयंसेवक योजना)	33.00	0.00	22.46	0.00	33.00	0.00
7	राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम	24.00	0.00	32.00	0.00	17.10	0.00
8	युवा छात्रावास	1.50	0.00	0.49	0.00	1.50	0.00
9	स्काउटिंग एवं गाइडिंग	1.00	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00
10	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	4.00	1.24	2.80	0.10	7.00	0.10
11	युवा नेता कार्यक्रम	100.00	0.00	12.21	0.00	100.00	0.00
	dqy ¼d½ ;qok dY;k.k ;kstuk,a	384-00	62-39	303-00	81-61	384-00	75-00

@. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

vuqca/k & 2

foÙkh; ifjO;; 2015&16

बजट अनुमान 2014–15 तथा संशोधित अनुमान 2014–15 और बजट अनुमान 2015–16 के लिए वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

(रूपए करोड़ में)

Ø- l-	;kstuk dk uke	ctV vuqeku 2014&15		l'kksf/kr vuqeku 2014&15		ctV vuqeku 2015&16	
	खेल विभागः	योजनागत @	योजनेत्तर	योजनागत@	योजनेत्तर	योजनागत@	योजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
ख.	खेल एवं शारीरिक शिक्षा @ रु						
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	392.00	49.10	335.30	51.55	345.78	58.61
2.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा यूनिवर्सिटि	40.00	11.46	40.00	12.46	45.00	15.00
3.	खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन						
3.1	पुरस्कार	13.20	1.62	13.20	1.57	30.00	1.62
3.2	प्रतिभा पेंशन (नई)	2.00	0.00	1.50	0.00	2.00	0.00
4.	खेल उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए सहायता						
4.1	राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता	185.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
4.2	खेलों में मानव संसाधन विकास की योजना (पूर्व में प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण)	10.00	0.00	0.35	0.00	5.00	0.00
5.	विकलांग व्यक्तियों में खेलों का संवर्धन	7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
6.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 (एसएआई स्टेडिया)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
7.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
8.	एनसीसी/सार्वजनिक आवासीय स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा अनुदान	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी गतिविधियां	11.60	0.00	11.60	0.00	12.00	0.00
10.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	5.00	0.00	3.75	0.00	5.00	0.00

vuqca/k & 2

foÙkh; ifjO;; 2015&16

बजट अनुमान 2014–15 तथा संशोधित अनुमान 2014–15 और बजट अनुमान 2015–16 के लिए वित्तीय परिव्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

Ø-l-	;kstuk dk uke	ctV vuqeku 2014&15		la'kksf/kr vuqeku 2014&15		ctV vuqeku 2015&16	
11.	राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए)	200.00	0.00	85.00	0.00	95.00	0.00
12.	शहरी खेल अवसंरचना योजना (पूर्व में नगर पालिका युवा कीडा और खेल अभियान)	40.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
13.	राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं खेल चिकित्सा संस्थान	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
14.	राष्ट्रीय कोचिंग शिक्षा संस्थान	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
15.	राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम–एनएनयूपीई, ग्वालियर में संसाधन केन्द्र	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
16.	देश में खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण की योजना	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
17.	जम्मू तथा कशमीर में खेल सुविधा की वृद्वि	200.00	0.00	0.10	0.00	100.00	0.00
18.	पूर्वोत्तर में खेल विश्वविद्यालय (मणिपुर)	100.00	0.00	0.10	0.00	50.00	0.00
19.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम	0.00	0.00	0.10	0.00	50.00	0.00
	कुल (ख) खेल एवं शारीरिक शिक्षा	1259.00	63.61	705.00	66.58	1005.48	76.23
ग.	अन्य कार्यक्रम						
1.	सेमीनार, समितियों की बैठकों इत्यादि पर व्यय	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42
	कुल (ग) अन्य कार्यक्रम	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42
	ldy ;kx ¼d$[k$x½ :	1643-00	126-00	1008-00	148-61	1389-48	151-65

@. पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित

vuqca/k & 3

Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd ds cdk;k ijk vkSj mudh orZeku fLFkfr n'kkZus okyk fooj.k

Øa- la-	fjiksVZ la- vkSj o"kZ	iSjk la- vFkok v/;k; la-	Lkkf{kIr fo"k;	orZeku fLFkfr
1	2010–11 का 38	पैरा 9.1	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बदूर, तमिलनाडु के कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता और शहर क्षतिपूर्ति भत्ते के भुगतान में 67.11 लाख रूपए का अनियमित अतिरिक्त व्यय	वित्त मंत्रालय ने आरजीएनआईवाईडी के कर्मचारियों को एचआरए प्रदान करने हेतु पूर्व प्रभाव से अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। संशोधित एटीएन पुनरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को भेजा जा रहा है। तथापि, विभाग का अपने कर्मचारियों को प्रदत्त एचआरए को नियमित करने हेतु वित्त मंत्रालय को अनुरोध करने का प्रस्ताव है।
2	2011–12 का 6	अध्याय 17 और 18	राष्ट्रमंडल खेल 2010	रिपोर्ट में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में की जा रही सीडब्लयूजी 2010 की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में टिप्पणियां निहित हैं। पीएसी ने विभाग को प्रश्नावली भेजी और अधिकारियों ने मौखिक साक्ष्य दिए। पीएसी से एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3	2013 का 19	पैरा 16.1	अनुदान की अप्रभावी मॉनिटरिंगः राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए जारी 191.86 करोड़ रूपए की निधियां भारतीय खेल प्राधिकरण के पास रख दी गयी। मंत्रालय एसएआई को अनुदान जारी करने से पहले 22.12 करोड़ रूपए की अव्ययित राशि पर अर्जित ब्याज लेने में विफल रहा।	कृत कार्रवाई टिप्पणी नवंबर, 2014 में लेखापरीक्षा को भेज दी गयी थी।
4	2014 का 25	पैरा 20.1	कनिश्ठ लेखा अधिकारी जिन्हें भुगतान हेतु बिलों की संवीक्षा और सत्यापन करने का दायित्व सौंपा गया था, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं अपने लिए 11.10 लाख रु. के फर्जी मेडिकल बिल पास किए ।	इसका संबंध भारतीय खेल प्राधिकरण से दिसम्बंर, 2014 में की गई कार्रवाई की उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

अनुबंध – 4

विभाग के सीधे नियंत्रण में युवा छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावासों का स्थान
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	8	नागार्जुनसागर, सिकंदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, वारंगल, कडप्पा
3	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
4	असम	2	गुवाहाटी, तेजपुर
5	बिहार	1	पटना
6	गोवा	2	पणजी, पदम मापुसा
7	गुजरात	1	गांधीनगर
8	हरियाणा	7	भिवानी, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, रेवाड़ी, सिरसा, यमुना नगर
9	हिमाचल प्रदेश	1	डलहौजी
10	जम्मू और कश्मीर	2	पतिन्तोप (उधमपुर), श्रीनगर
11	कर्नाटक	4	हसन, मैसूर, सोगलु, तीर्थरमेश्वर
12	केरल	3	कालीकट (कोझिकोड), कोच्चि (एरनाकुलम), तिरुअनंतपुरम
13	मध्य प्रदेश	3	भोपाल, जबलपुर, खजुराहो
14	महाराष्ट्र	1	औरंगाबाद
15	मणिपुर	3	इम्फाल, चुराचांदपुर, थोबल
16	मेघालय	1	शिलांग

अनुबन्ध – 4

विभाग के सीधे नियंत्रण में युवा छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	युवा छात्रावासों की संख्या	युवा छात्रावास का स्थान
17	मिजोरम	1	आइजोल
18	नागालैंड	1	दीमापुर
19	उड़ीसा	4	गोपालपुर–ऑन–सी, जोशीपुर, कोरापुट, पुरी
20	पुदुचेरी	1	पुदुचेरी
21	पंजाब	6	अमृतसर, जालंधर, पटियाला, रोपड़, संगरूर, तरन तारन
22	राजस्थान	4	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
23	सिक्किम	1	गंगटोक
24	तमिलनाडु	5	चेन्नई, मदुरै, ऊटी, तंजावुर त्रिची
25	त्रिपुरा	1	अगरतला
26	उत्तर प्रदेश	2	आगरा, लखनऊ
27	उत्तरांचल	4	बद्रीनाथ, मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी,
28	पश्चिम बंगाल	1	दार्जिलिंग
कुल		**72**	

vuqca/k & 5

,uokbZdsa,l@,l,vkbZ@jkT; ljdkjksa dk LFkkukrfjr ;qok Nk=kokl¨ dh lwph

Ø- l-	jkT;@la?k jkT; {ks= dk uke	;qok Nk=kokl¨a dh la[;k	;qok Nk=kokl¨a dk LFkku
1	असम	2	गोलघाट, नाओगांव
2	हिमाचल प्रदेश	1	बिलासपुर
3	जम्मू और कश्मीर	1	नगरोटा
4	महाराष्ट्र	1	बुलढाणा
5	मणिपुर	1	उखरूल
6	मेघालय	1	तूरा
7	नागालैंड	1	मोकोकचुंग
8	सिक्किम	1	नामची
9	पश्चिम बंगाल	2	चुरुलिया, बर्दवान
dqy		11	

अनुबंध - 6

2014-15 के दौरान नियुक्त विदेशी कोच का विवरण

क्र.सं.	खेल विधा	नाम और वेतन	देश	अवधि
1	एथलेटिक्स (स्प्रिंट्स एवं हर्डल्स)	श्री एंटोली बदर्दा यूएसडी 4950 प्रतिमाह	यूक्रेन	06-06-2011 से 03-10-2014
2	एथलेटिक्स (ऊंची कूद)	श्री लिवगन निकितिन यूएसडी 4950 प्रतिमाह	यूक्रेन	06-06-2011 से 03-10-2014
3	एथलेटिक्स (वाकिंग)	श्री आरतसेबसेव अलैक्जेंडर यूएसडी 4950 प्रतिमाह	रूस	17-06-2011 से 31-12-2014
4	एथलेटिक्स (लम्बी एवं मध्य दूरी)	श्री निकोली स्नेसारेव यूएसडी 8000 प्रतिमाह	बेलारूस	03-01-2014 से 31-08-2016
5	एथलेटिक्स (स्प्रिंट्स)	श्री दमित्रो वनियिकीन यूएसडी 5000 प्रतिमाह	यूक्रेन	21-04-2014 से 31-08-2016
6	तीरंदाजी (रिकर्व प्रतिस्पर्धा)	श्री चाई वांग लिम यूएसडी 7500 प्रतिमाह	दक्षिण कोरिया	01-10-2013 से 31-08-2016
7	मुक्केबाजी (सीनियर केटेगरी)	श्री ब्लास इग्लेसीयास फर्नांडीज यूएसडी 5280 प्रतिमाह	क्यूबा	08-02-2014 से 07-02-2015
8	मुक्केबाजी (जूनियर केटेगरी)	श्री रामोन रोमारियो ड्रेक यूएसडी 3000 प्रतिमाह	क्यूबा	08-02-2014 से 07-02-2015
9	बैडमिंटन (सिंगल)	श्री दवी क्रिस्टीवान यूएसडी 3000 प्रतिमाह	इंडोनेशिया	03-03-2012 से 15-10-2014
10	बैडमिंटन (डबल्स)	श्री हेंद्रा मलियोनो यूएसडी 3000 प्रतिमाह	इंडोनेशिया	10-01-2013 से 31-12-2014
11	कयाकिंग एवं केनोइंग (स्लालोम)	श्री कोसाक हेनरी यूरो 4000 प्रतिमाह	जर्मनी	03-07-2014 से 31-08-2016
12	जिमनास्टिक्स	श्री जेम्स फिलीप हॉल्ट यूएसडी 6000 प्रतिमाह	यूएसए	16-04-2014 से 31-10-2014
13	हॉकी (महिला)	श्री नील एंड्रेयू हॉगुड एयूडी 9000 प्रतिमाह	आस्ट्रेलिया	01-12-2012 से 31-12-2014
14	हॉकी (सीनियर–पुरूष)	श्री टेरेंस आर्थर वाल्स यूएसडी 12500 प्रतिमाह	आस्ट्रेलिया	21-10-2013 से 19.11.2014
15	निशानेबाजी (राइफल प्रतिस्पर्धा)	श्री स्टेनिस्लेव लेपिडस यूएसडी 7500 प्रतिमाह	कजाकिस्तान	14-10-2009 से 31-08-2016
16	निशानेबाजी (ट्रैप एवं डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा)	श्री मार्सेलो ड्राडी यूरो 550 प्रतिदिन	इटली	20-02-2013 से 31-08-2016

अनुबंध - 6

2014-15 के दौरान नियुक्त विदेशी कोचों का विवरण

क्र.सं.	खेल विधा	नाम और वेतन	देश	अवधि
17	निशानेबाजी (ट्रैप एवं डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा)	सुश्री डेल डिन डेनीयल यूरो 350 प्रतिदिन	इटली	02-06-2013 से 31-08-2016
18	निशानेबाजी (स्कीट प्रतिस्पर्धा)	श्री इनियो फाल्को यूरो 450 प्रतिदिन	इटली	07-07-2013 से 31-08-2016
19	निशानेबाजी (पिस्टल प्रतिस्पर्धाएं)	श्री स्मीर्नोव पावेल यूएसडी 7500 प्रतिमाह	इटली	30-09-2013 से 31-08-2016
20	स्क्वैश	श्री सिंगारावेलू सुब्रामणियम यूएसडी 3500 प्रतिमाह	मलेशिया	01-11-2005 से 31-10-2014
21	स्क्वैश जूनियर कोच	श्री मोहम्मद अली अनवर रेडा यूएसडी 1500 प्रति सप्ताह	मस्र	07-07-2014 से 02-08-2014
22	स्क्वैश जूनियर कोच	श्री माजेन हेशन गा सब्री यूएसडी 1500 प्रति सप्ताह	मस्र	07-07-2014 से 02-08-2014
23	टेबिल टेनिस	श्री एंजल पीटर पॉल यूएसडी 6000 प्रतिमाह	स्पेन	10-10-2013 से 31-08-2014
24	कुश्ती (फ्री स्टाईल)	श्री व्लादिमिर मेस्तवीरिश्वीली यूएसडी 4500 प्रतिमाह	जार्जिया	28-04-2011 से 31-12-2014
25	कुश्ती (ग्रीको रोमन)	श्री एम्जर मखारादजे यूएसडी 3500 प्रतिमाह	जार्जिया	28-04-2011 से 31-12-2014
26	कुश्ती (महिला पहलवान)	श्री रोइन डेबार्डनिड् यूएसडी 3500 प्रतिमाह	जार्जिया	28-04-2011 से 31-12-2014
27	याटिंग	श्री पीटर डेविड कॉन्वे यूएसडी 6000 प्रतिमाह	इंग्लैंड	10-06-2013 से 31-12-2014
28	याटिंग (सहायक कोच)	श्री इशेड रोबर्ट मेसेरीज हाइलीयन यूएसडी 259 प्रतिदिन	इजराइल	01-08-2014 से 02-10-2014

vuqca/k & 6

[ksy o"kZ 2014&15 ds nkSjku fu;qDr fons'kh lgk;d LVkQ dk fooj.k

Ø- l-	[ksy fo/kk	uke vkSj osru	ns'k	vof/k
1	एथलेटिक्स	श्री अंजेलिका स्नेसेरेवा यूएसडी 2000 प्रतिमाह	बेलारूस	03-01-2014 से 31-08-2016
2	एथलेटिक्स रिकवरी एक्सपर्ट	श्री एंड्री फिलिमोनो यूएसडी 9000 प्रतिमाह	बेलारूस	27-05-2014 से 31-08-2016
3	बैडमिंटन स्पेरिंग पार्टनर	श्री अंधिका अनहर यूएसडी 1200 प्रतिमाह	इंडोनेशिया	10-01-2013 से 31-12-2014
4	बैडमिंटन स्पेरिंग पार्टनर	श्री ब्रहमास्ताफनी धानु उतोमो यूएसडी 1200 प्रतिमाह	इंडोनेशिया	10-01-2013 से 31-12-2014
5	वैज्ञानिक सलाहकार (हॉकी महिला)	श्री मेथ्यू स्टुवर्ट जॉन ट्रेडिया एयूडी 5000 प्रतिमाह	आस्ट्रेलिया	25-06-2013 से 31-10-2014
6	वैज्ञानिक सलाहकार (हॉकी जूनियर पुरूष)	श्री मेथ्यू डेविड आईल्स एयूडी 5500 प्रतिमाह	आस्ट्रेलिया	13-10-2013 से 31-08-2016
7	हॉकी चीफ कॉर्डिनेटर एवं हाई परफारमेंस डाईरेक्टर	श्री रोलेंट वुटर ऑल्टमेंस यूएसडी 15000 प्रतिमाह	नीदरलैंड्स	24-10-2013 से 31-08-2016

vuqca/k & 7

fiNys 3 o"kksZa ds nkSjku jk"Vªh; [ksy ifjla?kksa dks tkjh vuqnku dk fooj.k

लाख रु. में

Ø-la-	ifjla?k dk uke	2012-13	2013-14	2014-15* ¼vDVwcj 2014 rd½
1	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ, नई दिल्ली	81.04	1014.37	37.94
2	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	143.27	1000.57	381.45
3	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	253.94	232.08	46.54
4	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	561.47	1960.68	705.33
5	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	34.11	228.74	44.56
6	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	108.52	250.22	65.51
7	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकंदराबाद	52.25	361.52	40.69
8	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	379.51	331.31	95.53
9	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	131.28	167.54	7.22
10	भारतीय स्क्वैश रैकेट परिसंघ, चेन्नई	33.12	177.50	67.09
11	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	238.71	1145.49	25.76
12	हॉकी इंडिया	565.20	1268.19	383.54
13	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	229.35	530.22	47.53
14	भारतीय बैडमिंटन संघ	382.72	1106.35	241.34
15	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	23.37	27.46	12.43
16	अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ	288.14	394.70	42.64

vuqca/k & 7

fiNys 3 o"kksZ ds nkSjku jk"Vªh; [ksy ifjla?kksa dks tkjh vuqnku dk fooj.k

17	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	70.76	106.46	25.33
18	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, दिल्ली	692.04	1429.12	388.46
19	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	51.66	142.75	95.78
20	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	11.44	74.00	18.00
21	भारतीय वॉलीबाल परिसंघ, चेन्नई	153.38	310.65	82.08
22	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर	0.00	119.26	54.64
23	एमेच्योर हैण्डबाल परिसंघ, जम्मू–कश्मीर	46.33	146.18	5.50
24	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	40.23	227.62	22.15
25	भारतीय कयाकिंग व केनोइंग संघ, नई दिल्ली	64.64	182.27	59.94
26	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	59.07	87.49	3.02
27	भारतीय पैरालंपिक समिति, बंगलौर	175.46	143.40	189.34
28	विशेष ओलंपिक भारत, नई दिल्ली	69.28	274.51	19.16
29	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	7.83	30.57	5.33
30	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, दिल्ली	9.75	11.75	2.25
31	भारतीय आत्या पात्या परिसंघ, नागपुर	13.50	14.00	1.25
32	भारतीय साइकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	17.55	27.52	2.85
33	भारतीय पावरलिफ्टिंग परिसंघ	3.50	10.25	5.25
34	भारतीय खो–खो परिसंघ, कोलकाता	16.50	3.00	7.75

अनुबंध - 7

पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी अनुदान का विवरण

35	भारतीय सेपक टाकरा परिसंघ, नागपुर	12.00	64.60	10.53
36	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ, नई दिल्ली	1.50	14.22	0.00
37	भारतीय साफ्टबाल परिसंघ, इंदौर	21.00	15.00	0.00
38	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बंगलौर	28.05	332.13	39.80
39	भारतीय टेनीक्वाइट परिसंघ, बंगलौर	14.00	15.70	3.00
40	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर	0.00	28.50	2.00
41	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	9.25	10.75	2.75
42	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	75.28	158.60	42.84
43	भारतीय बिलियडर्स एवं स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	88.98	164.80	62.46
44	भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन, मुम्बई	0.00	0.00	0.00
45	भारतीय साईक्लिग परिसंघ	58.34	309.83	43.08
46	भारतीय एमेच्योर साफ्ट टेनिस परिसंघ	12.22	17.50	0.50
47	भारतीय ब्रिज परिसंघ	4.50	5.22	0.00
48	आइस हॉकी (एनएसपीओ)	1.00	0.50	2.00
49	भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ, भोपाल	6.14	61.52	9.14
50	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	284.44	0.00	1175.01
51	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	7387.77	7307.68	0.00
52	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एनएसपीओ)	8.09	186.01	146.57

अनुबंध - 7

पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी अनुदान का विवरण

53	भारतीय बालिंग परिसंघ	0.00	0.00	10.44
54	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	18.69	13.25	1.00
55	भारतीय रोल बाल परिसंघ	0.00	4.51	0.00
56	भारतीय जम्प रोप परिसंघ	8.09	9.50	3.00
57	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ	0.00	2.97	6.03
58	सुब्रतो मुखर्जी एजुकेशन सोसाइटी		7.50	1.25
59	जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी		8.87	2.25
		13057.26	**22276.90**	**4796.83**
	राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों एवं विदेशी कोचों के वेतन के लिए जारी अनुदान	**5368.67**	**7822.06**	

* अस्थायी

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls iznÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-l-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk ikusr f[kykM+h dk uke	ftl i;kstu ds fy, lgk;rk inku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
2001-2002			
1	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	10,00,000
		dqy	10,00,000
2002-2003			
1	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	5,00,000
2	अनिल कुमार, एथलीट	- वही -	5,00,000
3	सुश्री बॉबी एलोयसियस, एथलीट	- वही -	7,50,000
		- वही -	17,50.000
2003-2004			
1	सुश्री अंजु बाबी जॉर्ज, एथलीट	विदेश में प्रशिक्षण	14,91,505
2	ले. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	- वही -	78,23,496
3	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	- वही -	1,90,000
4	सुश्री बॉबी एलोयसियस, एथलीट	- वही -	18,67,531
5	श्री अनिल कुमार, एथलीट	- वही	8,37,794
		dqy	1,22,10,326
2004-2005			
1	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	13,28,108
2	श्री मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	- वही -	7,99,390

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों का राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	- वही -	5,17,573
4	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	- वही -	5,90,549
5	सुश्री सुमा षिरूर, निशानेबाज	- वही -	2,73,213
6	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	- वही -	13,42,506
7	सुश्री बॉबी एलोसिएयस, एथलीट	- वही -	7,94,071
8	ले. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	- वही -	5,89,932
		कुल	62,35,342
2005-2006			
1	श्री गगन नारंग, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	1,92,422
2	ले. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, निशानेबाज	- वही -	32,94,077
3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	- वही -	1,27,301
4	श्री मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	- वही -	1,28,032
5	सुश्री अंजु बाबी जॉर्ज, एथलीट	- वही -	71,154
6	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	- वही -	1,00,662
7	श्री मोराद अली खान, निशानेबाज	- वही -	9,00,000
8	रूरल डेवलपमेंट फॉउंडेशन	तीरंदाजी उपकरण की खरीद के लिए	6,03,493
		कुल	**54,17,141**

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
	2006-07		
1	श्री मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	21,62,425
2	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	- वही -	8,35,041
3	श्री रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	- वही -	13,18,013
4	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	- वही -	8,32,471
5	श्री अभिनव बिन्द्रा, निशानेबाज	- वही -	37,02,661
6	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	7,59,463
		कुल	**96,10,074**
	2007-08		
1	श्री मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	विदेश में प्रशिक्षण	18,73,932
2	श्री मनशेर सिंह, निशानेबाज	- वही -	16,32,578
3	श्री अनवर सुलतान, निशानेबाज	- वही -	4,32,887
4	सुश्री सुमा शिरूर, निशानेबाज	- वही -	5,86,124
5	श्री विक्रम भटनागर, निशानेबाज	- वही -	8,78,154
6	ले. कर्नल राज्यवर्धन राठौर, निशानेबाज	- वही -	6,87,124
7	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	13,91,176
8	श्री रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	- वही -	14,32,028
9	भारतीय खेल प्राधिकरण	स्ट्रॉंग रूम के निर्माण के लिए	37,50,000 (परियोजना बंद होने के बाद वापस की गई राशि)

vuqc/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls iznÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-la-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk izkIr f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
10	भारतीय खेल प्राधिकरण	क्यूबा शिष्टमंडल के दौरे से संबंधित व्यय	3,08,774
11	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी	बैंकाक में विश्व के विश्वविद्यालयी खेलों में भारतीय विश्वविद्यालयी दलों की भागीदारी	30,68,993
12	एनआईसीएसआई	खेल सॉफ्टवेयर का विकास	4,00,000
13	श्री विरधावल खड़े तैराकी	प्रशिक्षण के लिए	3,20,590
14	श्री जोरावर सिंह संधु	प्रशिक्षण के लिए	3,94,890
15	श्री अभिनव बिंद्रा	प्रशिक्षण के लिए	6,01,248
		dqy	**1,77,58,498**
2008-09			
1–5	सुश्री अवनीत कौर सुश्री अंजली भागवत श्री गगन नारंग श्री संजीव राजपूत श्री समरेश जंग (सभी निशानेबाज और उनके कोच)	प्रशिक्षण के लिए	57,95,494
6	सुमा शिरूर	- वही -	2,90,027
7	श्री अनवर सुलतान	- वही -	1,43,165
8	श्री विक्रम भटनागर	- वही -	1,09,002
9	श्री जोरावर सिंह संधु	- वही -	6,00,928
10	सुश्री तानिया सचदेव	- वही -	4,63,599
11	श्री मानवजीत सिंह संधु	- वही -	43,75,418

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls inRr foRrh; lgk;rk dk fooj.k

Øe-la-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk izkIr f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
12	श्री मनशेर सिंह	- वही -	48,40,220
13	श्री रोंजन सोढ़ी	- वही -	43,36,584
14	श्री अभिनव बिंद्रा	- वही -	9,81,229
15	श्री परिमार्जन नेगी	- वही -	10,93,237
16	श्री विरधावल खड़े	- वही -	10,30,656
17	श्री संदीप सेजवाल	- वही -	3,44,045
18	श्री अनूप श्रीधर	- वही -	5,16,195
19	श्री नरेश कुमार शर्मा	- वही -	28,12,904
20	रोइंग फेडरेशन आफ इंडिया	- वही -	12,78,081
21	जूडो फेडरेशन आफ इंडिया	- वही -	4,45,744
22	आल इंडिया टेनिस एसोसिएशन	- वही -	29,14,560 (दी गई 29,14,560 की सहायता में से 14,22,160.00 रू. की वापस की गई राशि)
23	इंडियन मेच्योर मुक्केबाजी फेडरेशन	- वही -	11,64,158
24	प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की घरेलू हवाई यात्रा का व्यय	घरेलू हवाई यात्रा पर व्यय	1,03,888
25	मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में भारतीय फुटबाल टीम के 9 सदस्यों का अभिनन्दन	अभिनन्दन	16,31,691
26	नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर	खेल सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण के लिए	1,50,000
		dqy	**3,54,20,825**

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
		2009-10	
1	श्री अनिल कुमार	विदेश में प्रशिक्षण के लिए	6,40,977
2	श्री परिमार्जन नेगी	- वही -	16,85,418
3	सुश्री तानिया सचदेव	- वही -	6,73,869
4	श्री अभिनव बिंद्रा	- वही -	90,54,728
5	सुश्री अंजली भागवत	- वही -	90,177
6	सुश्री अवनीत कौर	- वही -	1,26,277
7	श्री गगन नारंग	- वही -	1,16,973
8	श्री संजीव राजपूत	- वही -	1,17,511
9	श्री समरेस जंग	- वही -	64,801
10	श्री मानवजीत सिंह संधु	- वही -	54,19,244
11	श्री मनशेर सिंह	- वही -	34,50,038
12	श्री रोंजन सोढ़ी	- वही -	47,20,986
13	श्री नरेश कुमार शर्मा	- वही -	16,36,489
14	श्री शिवा केशवन	- वही -	16,24,008
15	श्री जमयंग नमगियाल	- वही -	8,69,322
16	श्री ताशी लुंडुप	- वही -	7,56,805
17	श्री अनूप श्रीधर	- वही -	73,808

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
18	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	10 संबद्ध कॉलेजों में खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराना	1,36,00,000
19	नेशनल प्लेइंग फील्ड एसोसिएशन आफ इंडिया (एनपीएफएआई)	एनपीएफएआई के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक राशि के रूप में	50,00,000
20	अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट, मनाली (हिमाचंल प्रदेश)	एल्पाइन / ग्रास स्कीइंग में प्रशिक्षण / प्रतियोगिता के लिए स्कीइंग उपकरणों की खरीद	75,00,000
21	डिस्ट्रिक स्पोर्टस काउन्सिल, कुरूक्षेत्र	महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल के निर्माण के लिए	37,50,000
22	डिप्टी कमीश्नर, लेह	नुब्रा वैली, लदाख में एक पोलो टूर्नामेंट का आयोजन	75,000 (कार्यक्रम रद्द होने के कारण वापस की गई राशि)
23	रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	75,101
24	जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	12,690
25	नेशनल इंफोरमेटिक्स सेंटर	खेल सॉफ्टवेयर के अनुरक्षण के लिए	2,07,250
26	नेशनल वूमेन हॉकी प्लेयर	प्रोत्साहन के रूप में धनराशि	90,20,000
		कुल	**7,03,61,472**
2010-11			
1	श्री परिमार्जन नेगी	प्रशिक्षण के लिए	5,05,208
2	श्री अभिनव बिंद्रा	- वही -	63,79,820
3	श्री मानवजीत सिंह संधु	- वही -	61,48,666
4	श्री मनशेर सिंह	- वही -	39,73,507
5	श्री रोंजन सोढ़ी	- वही -	59,78,644
6	श्री सोमदेव देववर्मन	- वही -	6,19,005

vuqca/k & 8

f[kykfM;k vkj lxBuk dk jk"Vh; [ky fodkl fuf/k l inÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-l-	jk"Vh; [ky fodkl fuf/k l lgk;rk ikIr f[kykMh dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk inku dh xbZ	jkf'k ¼#- eas½
7	लिएंडर पेस	- वही -	22,08,675
8	बलजीत सिंह	चिकित्सीय व्यय	33,08,301
9	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	10 संबद्ध कॉलेजों में खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराना–दूसरी किश्त	45,40,000
10	कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया	ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के भाग के रूप में	2,91,133
11	चाइल्डलिंक इंडिया फॉउन्डेशन (मैजिक बस)	खेलों पर राष्ट्रीय विकास बैठक के लिए मैदान समिट 2010 हेतु स्थल शुल्क	1,16,400
12	तंगखुल नागा सोसाइटी	नई दिल्ली में चौथा उत्तर–पूर्व टमचोन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना	3,00,000
13	जिला युवा सेवाएं और खेल (लाहुल और स्पीति)	काजा (स्पीति) आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	3,11,090
14	एनएस एनआईएसए पटियाला (भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से)	हॉकी एरिना के विकास के लिए	96,82,000
15	नेशनल प्लेइंग फील्डस एसोसिएशन ऑफ इंडिया	एनडीएमसी क्षेत्र में 78 खेल के मैदानों के विकास के लिए	1,92,00,000
16	इंटरनेशल पैरालंपिक समिति	न्यूजीलैंड में पैरालंपिक प्रतियोगिता में 5 एथलीटों का भाग लेना	14,07,815
		dqy	**6,49,70,264**
2011 – 12			
1	अनिल कुमार, एथलीट	प्रशिक्षण के लिए	2,26,948
2	अनूप श्रीधर, बैडमिंटन खिलाड़ी	- वही -	38,515
3	परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	10,09,512
4	तानिया सचदेव, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	3,168
5	अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज	- वही -	72,88,274

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
6	मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	- वही -	48,07,475
7	मनशेर सिंह, निशानेबाज	- वही -	19,47,758
8	रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	- वही -	48,31,041
9	सोमदेव देववर्मन, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	33,30,592
10	ओम प्रकाश सिंह काराहन, एथलीट	- वही -	40,78,692
11	कृष्णा पुनिया, एथलीट	- वही -	31,07,509
12	विकास गौड़ा, एथलीट	- वही -	25,84,596
13	लिएंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	8,25,581
14	महेश भूपति, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	15,67,565
15	सानिया मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	10,94,807
16	रोहन बोपन्ना, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	17,38,315
17	यूकी भाम्बरी, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	7,13,678
18	मायूखा जॉनी, एथलीट	- वही -	17,19,647
19	प्रीजा श्रीधरन, कविता रावत, ओ.पी. जयसा एवं सुधा सिंह	- वही -	22,27,724
20	9 जिमिनास्ट (4 पुरूश एवं 5 महिलाएं)	- वही -	89,91,000 (दी गई 89,91,000 की सहायता राशि में से 39,55,246.00 रू. की वापस की गई राशि)
21	जोरावर सिंह संधु, निशानेबाज	- वही -	64,620
22	शगुन चौधरी, निशानेबाज	- वही -	7,79,740

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls iznÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-la-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk izkIr f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
23	सनम सिंह, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	5,43,329
24	शिवा केशवन के पी, लुजे (विंटर खेल)	- वही -	2,69,384
25	उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स (भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से)	400 मीटर रनिंग ट्रैक और एलाइट सुविधाएं	4,92,00,000
26	इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन	भारतीय मुक्केबाजी दल के इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में प्रतियोगताओं में भाग लेने के लिए हवाई किराए और अन्य व्यय	23,39,976
27	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	आर्चरी उपकरणों की खरीद (अंतिम भुगतान)	31,302
28	अटल बिहारी वाजपेई इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एण्ड एलाइड स्पोर्ट, मनाली	विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण/प्रतियोगिता प्रयोजन के लिए स्कीइंग सेटों की खरीद (अंतिम भुगतान)	24,99,646
29	तंगखुल नागा सोसाइटी	नई दिल्ली में चौथा उत्तरपूर्व टमचोन फुटबॉल टूर्नामेंट का संचालन करना	5,00,000
30	जम्मू–कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन	श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर में ओलंपिक डे रन आयोजित करने के लिए	3,91,390
31	उद्भव संस्कृत एवं क्रीडा संस्थान, ग्वालियर	कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधियां मेमोरियल उद्भव मैराथन को आयोजित करने के लिए	2,00,000
32	डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी	डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट के 104वें सत्र को आयोजित करना	25,00,000
33	मुम्बई सहारा कबड्डी एसोसिएशन	राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता को आयोजित करना	18,75,000
		dqy	**11,34,12,542**
	2012-2013		
1	ओम प्रकाश सिंह करहाना, एथलीट	प्रशिक्षण के लिए	19,18,195
2	कृष्णा पुनिया, एथलीट	- वही -	42,52,909
3	विकास गौड़ा, एथलीट	- वही -	28,80,054

अनुबंध – 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
4	मायूखा जॉनी, एथलीट	- वही -	16,67,980
5	प्रीजा श्रीधरन, कविता रावत, ओ.पी. जयसा और सुधा सिंह	- वही -	50,08,769
6	एमसी मैरी कॉम (सांई के माध्यम से)	- वही -	34,18,326
7	अभिजीत गुप्ताए शतरंज खिलाड़ी	- वही -	3,96,187
8	परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	7,47,052
9	ले. कर्नल राजेश पट्टू, घुड़सवार	- वही -	12,15,076
10	अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज	- वही -	59,53,457
11	मानवजीत सिंह संधु, निशानेबाज	- वही -	94,62,253
12	रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	- वही -	91,92,818
13	संजीव राजपूत, निशानेबाज	- वही -	11,07,484
14	शगुन चौधरी, निशानेबाज	- वही -	48,66,206
15	जोयदीप कर्माकर, निशानेबाज	- वही -	22,31,872
16	हीना सिंद्धू, निशानेबाज	- वही -	11,13,537
17	नरेश कुमार शर्मा, निशानेबाज (पैरालंपिक)	- वही -	39,95,576
18	दीपिका पल्लीकल, स्क्वैश	- वही -	7,29,895
19	लिएंडर पेस, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	36,64,590
20	महेश भूपति, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	25,17,573
21	सानियां मिर्जा, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	23,72,617

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls inŸk foŸkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-la-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk izkIr f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
22	युकी भाम्बरी, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	12,03,293
23	सनम सिंह, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	4,35,251
24	जे विष्णुवर्धन, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	9,77,303
25	करन रस्तोगी, टेनिस खिलाड़ी	- वही -	6,47,486
26	शिवा केशवन केपी, ल्यूज (षीतकालीन खेल)	- वही -	2,25,000
27	एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी	विश्व विश्वविद्यालयी खेल 2007 में भागीदारी (अंतिम भुगतान)	1,01,911
28	बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया	अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन	15,00,000
29	जिला युवा सेवाएं और खेल और (लाहुल स्पीति)	काज (स्पीति)में आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण	1,03,410
30	जम्मू–कश्मीर खेल परिषद	जम्मू और बारामूला में इंडोर खेल परिसर	4,50,00,000
31	उद्भव संस्कृत एवं क्रीडा संस्थानए ग्वालियर	कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधियां मेमोरियल उद्भव मैराथन को आयोजित करने के लिए	4,37,500
32	सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी	फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन	33,50,000
33	विनय नगर बंगाली सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, नई दिल्ली	फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना	7,50,000
34	क्रिकेट एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड आफ इंडिया	नेत्रहीनों के लिए टी–20 विश्वकप को आयोजित करने के लिए	10,00,000
		dqy	**12,31,20,580**
2013-14			
1	श्री अभिजीत गुप्ता, शतरंज खिलाड़ी	प्रशिक्षण के लिए	1,63,784
2	ले. कर्नल राजेश पट्टू, घुड़सवार	- वही -	9,67,876

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls iznÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-l-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk izkIr f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
3	श्री रोंजन सोढ़ी, निशानेबाज	- वही -	83,28,427
4	श्री मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाज	- वही -	82,74,829
5	शगुन चौधरी, निशानेबाज	- वही -	37,91,380
6	दीपिका पल्लीकल, स्क्वैश	- वही -	7,95,179
7	श्री शिवा केशवन केपी, शीतकालीन खेल	- वही -	10,82,228
8	श्री अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज	- वही -	26,07,664
9	श्री परिमार्जन नेगी, शतरंज खिलाड़ी	- वही -	8,00,807
10	ओम प्रकाश सिंह करहाना, एथलेटिक्स	- वही -	30,168
11	विकास गौड़ा, एथलेटिक्स	- वही -	11,80,961
12	वसंतदादा एसएसएस कारखाना लि. , सांगली	महाराष्ट्र में कुश्ती अकादमी का नवीकरण और उन्नयन	67,90,000
13	सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एजुकेशन सोसाइटी	सुब्रतो कप टूर्नामेंट के आयोजन के लिए	11,50,000
14	भारत में नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट एसोसिएशन	नेत्रहीनों के लिए क्रिकेट विश्वकप टी–20 का आयोजन	10,00,000
15	गुंटूर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय युवा (अंडर–18) एथलेटिक चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिए	10,00,000
16	क्यूबा सरकार	कृत्रिम हॉकी टर्फ के लिए	6,34,00,000
17	सेपकटकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया	आईएसटीएएफ वर्ल्ड सुपर सीरीज की मेजबानी के लिए	10,00,000
18	मैरी कॉम रिजनल बाक्सिंग फाउंडेशन	जिम्नेजियम हॉल के निर्माण और जिम उपकरण की खरीद / स्थापना के लिए	2,08,02,000
19	डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी	'एक कॉलेज एक खेल परियोजना' के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध 10 कालेजों में खेल अवसंरचना को उपलब्ध कराने के लिए	42,00,436

अनुबंध - 8

खिलाड़ियों और संगठनों को राष्ट्रीय खेल विकास निधि से प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि से सहायता प्राप्त खिलाड़ी का नाम	जिस प्रयोजन के लिए सहायता प्रदान की गई	राशि (रु. में)
20	तंगखुल नागा सोसाइटी	7वीं पूर्वोत्तर तमोचन फुटबाल टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए	4,00,000
21	विंटर ओलंपिक्स गेम्स फेडरेशन	खेल उपकरणों की खरीद के लिए	9,46,800
22	जे एंड के स्पोर्टस काउंसिल	एक बहुउद्देशीय हाल के निर्माण के लिए	2,50,00,000
		कुल	**15,37,12,539**
2014-15 (31-12-2014 तक)			
1	अर्जुन, डिस्कस थ्रो	प्रशिक्षण के लिए	13,97,109
2	प्रीजा श्रीधरन, कविता रावत, ओ.पी. जयसा और सुधा सिंह (पिछली अवधि के प्रशिक्षण से संबंधित जारी शेष)	- वही -	4,49,072
3	हीना सिद्धू, निशानेबाजी	- वही -	51,82,877
4	कृष्णा पूनिया, एथलेटिक्स	- वही -	18,15,990
5	ओम प्रकाश सिंह करहाना	- वही -	14,94,078
6	सीमा पूनिया, एथलेटिक्स	- वही -	16,09,194
7	विकास गौड़ा, एथलेटिक्स	- वही -	44,19,081
8	दीपिका पल्लीकल, स्क्वैश	- वही -	98,177
9	शगुन चौधरी, निशानेबाजी	- वही -	11,51,265
10	मानवजीत सिंह संधू, निशानेबाजी	- वही -	75,06,026
11	रोजन सोढ़ी, निषानेबाजी	- वही -	26,02,416
12	ले. कर्नल राजेश पट्टू, घुड़सवारी	- वही -	12,02,226

vuqca/k & 8

f[kykfM+;ksa vkSj laxBuksa dks jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls iznÙk foÙkh; lgk;rk dk fooj.k

Ø-l-	jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k ls lgk;rk ikus okys f[kykM+h dk uke	ftl iz;kstu ds fy, lgk;rk iznku dh xbZ	jkf'k ¼#- esa½
13	अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी	- वही -	50,06,264
14	परिमार्जन नेगी, शतरंज	- वही -	2,56,794
15	शिवा केशवन के पी, ल्यूज–विंटर गेम्स	- वही -	16,75,672
16	के सी गणपति और वर्षा गौतम, याटिंग	- वही -	13,78,225
17	हरीका द्रोंवली, शतरंज	- वही -	8,53,082
18	विंटर ओलंपिक गेम्स फेडरेशन (शेष भुगतान)	विंटर ओलंपिक गेम्स में भागीदारी के लिए उपकरण	1,44,150
19	पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन	अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए	2,50,00,000
20	याटिंग एशोसिएशन आफ इंडिया	वाईएआई के लिए उपकरण (बोट)	57,76,136
21	उद्भव संस्कृत एवं क्रीडा संस्थान (शेष भुगतान)	8वीं कैलाशवासी श्रीमंत माधव राव सिंधियां को आयोजित करने के लिए	62,500
22	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ	विदेश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए	44,31,093
23	भारतीय गोल्फ टीम	साउथ कोरिया में राष्ट्रीय गोल्फ टीम के अभ्यास के लिए	7,50,000
24	जम्मू और कश्मीर खेल परिषद (बारामूला)	इंडोर खेल परिसर के निर्माण के लिए	1,80,00,000
25	एथलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया	एथलीटों के लिए पर्यनुकुलन	4,35,195
26	अश्वनी स्पोट्‌र्स फाउंडेशन	400 मीटर के 8 लेन सिंथेटिक ट्रेक बिछाने के लिए	1,37,50,000
27	तंगखुल नागा सोसाइटी	8वीं पूर्वोत्तर तमोचन फुटबाल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए	3,00,000
	dqy		**10,67,46,622**

vuqcU/k & 9

jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k dk va'knku

o"kZ	lkr dk uke tgka ls fuf/k;ka izkIr dh xbZ ¼va'k/kkjd dk uke½	nku dh xbZ jkf'k ¼#½	lerqY; ljdkjh vuqnku ¼#½
1998-99	-	-	2,00,00,000 (प्रारंभिक धन)
1999-00	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर कॉरपोरेशन लि.	5,00,000	11,60,000
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5,00,000	-
	मै. बामर लारी एंड कंपनी लि	1,00,000	
	पंजाब नेशनल बैंक	50,000	
	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	10,000	
	dqy (1999-00)	**11,60,000**	
2000-01	नापथा झाकरी पावर कॉरपोरेशन लि.	2,00,000	1,25,00,000
	पावर फाइनेंस कारपोरेशन	2,00,000	
	कुछ वर्ष पूर्व श्री कपिल देव द्वारा अंशदान किंतु खिलाड़ियों के राष्ट्रीय कल्याण कोष में अप्रयुक्त रहा, श्री कपिल देव की सहमति से एनएसडीएफ को ब्याज सहित हस्तांतरित ।	1,21,00,000	
	dqy (2000-01)	**1,25,00,000**	
2001-02	हुडको	25,00,000	25,00,000
	dqy (2001-02)	**25,00,000**	
2002-03	-	-	
	dqy (2002-03)	-	
2003-04	पंजाब नेशनल बैंक	5,00,000	19,46,050
	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आफ इंडिया	5,00,000	
	बैंक आफ इंडिया	50,000	

vuqca/k & 9

jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k dk vŸkknku

	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन	1,00,000	
	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन आफ इंडिया	20,000	
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	25,000	
	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन	25,000	
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1,00,000	
	भारतीय स्टेट बैंक	5,00,000	
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1,25,000	
	श्री के एस राणा	300	
	श्री के पी कन्हैया	250	
	श्री एस के गुप्ता	500	
	d|y **(2003-04)**	**19,46,050**	
2004-05	पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5,00,000	19,83,599
	विडियोकॉन इंटरनेशनल लि.	1,20,000	
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	20,000	
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,00,000	
	पुज्जोलन मशीनरी फैब्रिकेटर्स	4,00,000	
	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धन राशि	6,43,649	
	d|y **(2004-05)**	**19,83,649**	
2005-06	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	25,00,000	28,79,027

vuqca/k & 9

jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k dk va'knku

	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धन राशि	3,78,352	
	dqy **(2005-06)**	**28,78,352**	
2006-07	राष्ट्रीय खेल दिवस पर ध्वज वितरण के माध्यम से प्राप्त धन राशि	84,219	
	dqy **(2006-07)**	**84,219**	
2007-08	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	1,00,00,000	5,00,00,000
	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	15,00,00,000	
	dqy **(2007-08)**	**16,00,00,000**	
2008-09	भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड	35,00,00,000	10,25,00,000
	dqy **(2008-09)**	**35,00,00,000**	
2009-10	आरएआई फाउंडेशन	10,00,000	8,12,00,000
	मध्य प्रदेश सरकार	1,00,00,000	
	हरियाणा सरकार	1,00,00,000	
	dqy **(2009-10)**	**2,10,00,000**	
2010-11	सरकारी अंशदान	-	20,00,00,000
	dqy **(2010-11)**	-	
2011-12	महाराष्ट्र सरकार	1,00,00,000	
	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000	
	dqy **(2011-12)**	**11,00,00,000**	
2012-13	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000	5,00,00,000
	dqy **(2012-13)**	**10,00,00,000**	

vuqca/k & 9

jk"Vªh; [ksy fodkl fuf/k dk v'knku

2013-14	जेपी स्पोर्टस इंटरनेशनल लि.	10,00,00,000	5,00,00,000
	अन्य श्रोत	20	
	dqy **(2013-14)**	**10,00,00,020**	
2014-15	सरकारी अंशदान		3,75,00,000
	ldy dqy	**86,40,52,290**	**61,41,68,676**

* सरकारी अंशदान में 2,00,00,000.00 रू. का प्रारंभिक धन भी शामिल है ।

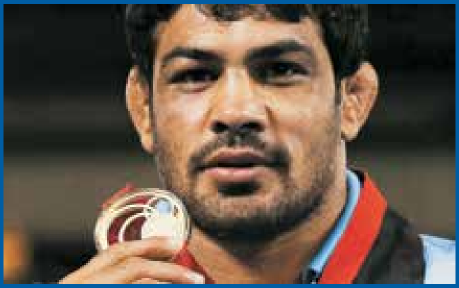

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

सी–विंग, शास्त्री भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001

www.yas.nic.in

Designed at : thinkingcap.co.in | 09811703427